सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन
खनिज प्राप्तियों के निर्धारण और संग्रहण में प्रणालियों और नियंत्रणों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

बिहार सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-4

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष का
खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन और संग्रहण में
प्रणालियों और नियंत्रणों पर
निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

बिहार सरकार
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या–4

विषय–सूची

विवरणी	कंडिका संख्या	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		vii
कार्यकारी सारांश		ix
अध्याय–1 : परिचय		
परिचय	1.1	1
संगठनात्मक संरचना	1.2	1
खनिज राजस्व की प्रवृत्तियाँ	1.3	1
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.4	4
लेखापरीक्षा मानदंड	1.5	4
"खनन प्राप्तियाँ, रॉयल्टी, शुल्क और किराए का आरोपण और संग्रहण" पर पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की स्थिति	1.6	5
कार्यक्षेत्र और कार्यपद्धति	1.7	5
अध्याय–2 : खनन रियायतों के अनुमोदन के लिए प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ		
अपूर्ण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन	2.1	10
खनन योजना का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया जाना	2.2	12
गलत भू–निर्देशांकों की स्वीकृति	2.2.1	13
निषिद्ध क्षेत्र में बालू का खनन	2.2.2	17
पुलों के पास बालू का खनन	2.2.2.1	17
नदी के मध्य में बालू खनन के लिए क्षेत्र का आवंटन	2.2.2.2	19
पट्टे की विस्तार अवधि में बन्दोबस्त बालू घाटों की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त न करना	2.3	21
लघु खनिजों के रूप में घोषित किए जाने के बाद खनिजों की नीलामी/बन्दोबस्त न करना	2.4	22
अध्याय–3 : खनन प्राप्तियों का मूल्यांकन एवं संग्रहण		
बालू घाटों के पट्टेदार द्वारा 2015–19 अवधि के दौरान बालू पट्टे का समर्पण के कारण सरकारी राजस्व की हानि	3.1	23
पट्टा की विस्तारित अवधि के लिए बन्दोबस्त राशि की गलत गणना के कारण रॉयल्टी और अन्य प्राप्तियों की वास्तविक राशि की नहीं/कम वसूली	3.2	25
बालू घाटों की बन्दोबस्ती के विलंब से भुगतान पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	3.3	26
बालू घाटों की विस्तारित अवधि के बन्दोबस्त के लिए सुरक्षा जमा की वसूली न होना	3.4	26
बन्दोबस्त हुए बालू घाटों के लिए पंजीकृत विलेख का निष्पादन न करने के कारण मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस की वसूली न होना	3.5	27
बालू घाट के पट्टेदार द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के स्थान पर जमा कराये गये बैंक गारंटी का पुनर्वैधीकरण न होने के कारण सरकार को राजस्व की हानि	3.6	28
पत्थर खदानों के पट्टे का बन्दोबस्त/निष्पादन न होना	3.7	29
नवादा में पत्थर की खदानों का बन्दोबस्त	3.7.1	29
कैमूर में पत्थर की खदानों का बन्दोबस्त न होना	3.7.2	31

विवरणी	कंडिका संख्या	पृष्ठ संख्या
शेखपुरा में पत्थर की खदानों का बन्दोबस्त न होना	3.7.3	32
पत्थर खदानों के पट्टेदारों से रॉयल्टी की वसूली न होना	3.8	33
जिला खनन कार्यालय, नवादा द्वारा पत्थर खदानों के पट्टेदार से रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जाना	3.8.1	33
जिला खनन कार्यालय, गया द्वारा पत्थर खदानों के पट्टेदार से रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जाना	3.8.2	34
जिला खनन कार्यालय, बांका द्वारा पत्थर खदानों के पट्टेदार से रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जाना	3.8.3	34
जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा द्वारा पत्थर खदानों के पट्टेदारों से बन्दोबस्त राशि और ब्याज की वसूली नहीं किया जाना	3.8.4	35
अंतिम खान बंद करने की योजना प्रस्तुत न करना	3.9	35
खनन योजना के विरुद्ध चूना–पत्थर का कम निष्कर्षण	3.10	36
रद्दी/अधिभारित सामग्री की नीलामी न होना	3.11	38
चूना–पत्थर क्षेत्र में वृक्षारोपण	3.12	39
ईंट भट्ठों का संचालन	3.13	39
बिना वैध परमिट और स्थापित करने की सहमति/संचालन की सहमति एवं पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना ईंट मिट्टी का अवैध निष्कासन	3.13.1	40
ईंट भट्ठा मालिकों से रॉयल्टी एवं अर्थदण्ड की नहीं/कम वसूली किया जाना	3.13.2	40
ईंट भट्ठा मालिकों से व्यावसायिक कर की वसूली न होना	3.13.3	41
अध्याय–4 : अवैध खनन		
वास्तविक और स्वीकृत खनन घाटों की तुलना	4.1	43
नमूना घाटों में वास्तविक खनन क्षेत्र	4.2	53
गूगल अर्थ प्रो छवि के विश्लेषण के माध्यम से अन्य निष्कर्ष	4.3	57
पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना की गयी खनन गतिविधियाँ	4.3.1	57
उपग्रह चित्रों में खनन गतिविधियाँ देखी गई जहाँ बालू खनन के पट्टेदारों द्वारा शून्य निष्कर्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था	4.3.2	60
बालू घाटों के पट्टेदारों द्वारा प्रतिवेदित प्रेषणों से अधिक निकासी	4.3.3	61
खनिजों के निष्कर्षण की निगरानी की प्रक्रिया	4.4	64
अवास्तविक वाहनों द्वारा खनिजों का परिवहन	4.5	66
अनियमित ई–चालान बनाना	4.6	68
बालू	4.6.1	69
पत्थर	4.6.2	70
कार्य प्रमण्डलों में नकली ई–चालान उपयोग किये गये	4.7	70
प्रपत्र एम और एन के अनियमित/अवैध सत्यापन के कारण राजस्व की हानि	4.8	72
अध्याय–5 : खान और खनिज विकास, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास निधि		
जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग नहीं किया जाना	5.1	76

विवरणी	कंडिका संख्या	पृष्ठ संख्या
कोविड–19 महामारी के प्रसार के रोकने के संबंध में परीक्षण, जाँच और अन्य उपकरणों की क्रय/स्थापना के लिए जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग न होना	5.2	76
पृथक समग्र निधि की राशि का जिला खनिज फाउण्डेशन बैंक खाते में स्थानांतरण नहीं होना	5.3	77
पंजाब नेशनल बैंक में रखी गयी पृथक समग्र निधि/जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के एसबीआई खाते में हस्तांतरण न होना और आयकर विभाग द्वारा काटी गई राशि की वसूली न होना	5.4	78
जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का एकमुश्त भुगतान न करना	5.5	78
बालू/पत्थर पट्टाधारकों और ईंट भट्टेदारों से जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का नहीं/कम वसूली होना	5.6	79
बालू के अधिक निष्कर्षण के लिए प्रभारित रॉयल्टी पर जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का आरोपण न होना	5.7	79
बालू घाटों एवं पत्थर खदानों के पट्टेदारों से जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का आरोपण न होना	5.8	80
जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के खाते का संधारण न करना	5.9	80
साधारण मिट्टी के उपयोग के लिए रॉयल्टी, मालिकाना शुल्क और जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की नहीं/कम वसूली होना	5.10	81
अध्याय–6 : आंतरिक नियंत्रण, निगरानी तंत्र और अंतर–विभागीय समन्वय		
अवैध खनन रोकने के दिशानिर्देशों का पालन नहीं	6.1	84
अवैध खनिजों के परिवहन में शामिल जब्त वाहनों के संदर्भ में जिला परिवहन कार्यालयों और जिला खनन कार्यालयों के मध्य समन्वय न होने के कारण रॉयल्टी की हानि	6.2	85
कृषि प्रयोजनों के लिए पंजीकृत ट्रैक्टरों द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों में अवैध उपयोग के कारण हानि	6.3	85
वाहन के अनुमेय सीमा से अधिक ई–चालान जारी करने के लिए पट्टेदारों को जुर्माना नहीं लगाने के कारण सरकारी राजस्व की हानि	6.4	86
अयोग्य वाहनों द्वारा खनिजों का परिवहन	6.5	87
नीलामवाद के मामलों का लंबित होना	6.6	87
मानवबल प्रबंधन	6.7	88
अपर्याप्त निरीक्षण	6.8	89
ईंट भट्टों, बालू घाटों और पत्थर खदानों का सत्यापन/निरीक्षण नहीं होना	6.8.1	90
विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण	6.8.2	91
अध्याय–7 : निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ		
निष्कर्ष	7.1	93
अनुशंसाएँ	7.2	93
परिशिष्ट		97

परिशिष्ट सूची

परिशिष्ट सं0	विवरणी	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1	बालू घाटों की बन्दोबस्ती के विलंब से भुगतान पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	3.3	97
2	बालू घाटों की विस्तारित अवधि के बन्दोबस्त के लिए सुरक्षा जमा की वसूली न होना	3.4	99
3	बन्दोबस्त हुए बालू घाटों के लिए पंजीकृत विलेख का निष्पादन न करने के कारण मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस की वसूली न होना	3.5	100
4	बालू घाट के पट्टेदार द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के स्थान पर जमा कराये गये बैंक गारंटी का पुनर्वैधीकरण न होने के कारण सरकार को राजस्व की हानि	3.6	102
5	जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा द्वारा पत्थर खदानों के पट्टेदारों से बन्दोबस्त राशि और ब्याज की वसूली नहीं किया जाना	3.8.4	103
6	बिना वैध परमिट और स्थापित करने की सहमति/संचालन की सहमति एवं पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना ईट मिट्टी का अवैध निष्कासन	3.13.1	104
7	ईंट भट्ठा मालिकों से रॉयल्टी एवं अर्थदण्ड की नहीं/कम वसूली किया जाना	3.13.2	105
8	नमूना घाटों में वास्तविक खनन क्षेत्र	4.1 और 4.2	106
9	वास्तविक और स्वीकृत खनन घाटों की तुलना	4.1	112
10	नमूना घाटों में वास्तविक खनन क्षेत्र	4.2	114
11	नमूना घाटों में वास्तविक खनन क्षेत्र	4.2	116
12	उपग्रह चित्रों में खनन गतिविधियाँ देखी गई जहाँ बालू खनन के पट्टेदारों द्वारा शून्य निष्कर्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था	4.3.2	117
13	बालू घाटों के पट्टेदारों द्वारा प्रतिवेदित प्रेषणों से अधिक निकासी	4.3.3	118
14	अवास्तविक वाहनों द्वारा खनिजों का परिवहन	4.5	122
15	कार्य प्रमण्डलों में नकली ई–चालान उपयोग किये गये	4.7	123
16	प्रपत्र एम और एन के अनियमित/अवैध सत्यापन के कारण राजस्व की हानि	4.8	125

परिशिष्ट सं0	विवरणी	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
17	जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग नहीं किया जाना	5.1	126
18	कोविड–19 महामारी के प्रसार के रोकने के संबंध में परीक्षण, जाँच और अन्य उपकरणों की क्रय/स्थापना के लिए जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग न होना	5.2	127
19	बालू/पत्थर पट्टाधारकों से जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का कम वसूली होना	5.6	128
20	ईंट भट्टेदारों से जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का नहीं वसूली होना	5.6	129
21	बालू के अधिक निष्कर्षण के लिए प्रभारित रॉयल्टी पर जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का आरोपण न होना	5.7	131
22	बालू घाटों एवं पत्थर खदानों के पट्टेदारों से जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का आरोपण न होना	5.8	132
23	साधारण मिट्टी के उपयोग के लिए रॉयल्टी, मालिकाना शुल्क और जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की नहीं/कम वसूली होना	5.10	133
24	अवैध खनन रोकने के दिशानिर्देशों का पालन नहीं	6.1	134
25	अवैध खनिजों के परिवहन में शामिल जब्त वाहनों के संदर्भ में जिला परिवहन कार्यालयों और जिला खनन कार्यालयों के मध्य समन्वय न होने के कारण रॉयल्टी की हानि	6.2	135
26	कृषि प्रयोजनों के लिए पंजीकृत ट्रैक्टरों द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों में अवैध उपयोग के कारण हानि	6.3	136
27	वाहन के अनुमेय सीमा से अधिक चालान जारी करने के लिए पट्टेदारों को जुर्माना नहीं लगाने के कारण सरकारी राजस्व की हानि	6.4	137
28	अयोग्य वाहनों द्वारा खनिजों का परिवहन	6.5	138
29	नीलामवाद के मामलों का लंबित होना	6.6	139

प्रस्तावना

2017–21 की अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, "खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन और संग्रहण में प्रणालियों और नियंत्रणों" पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो सितम्बर 2021 में सम्पन्न निष्पादन लेखापरीक्षा के क्रम में ध्यान में आये।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतराष्ट्रीय संगठन के लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

बिहार में खान और खनिज से प्राप्तियाँ खान और भूतत्व विभाग द्वारा प्रशासित की जाती हैं। बिहार में पाए जाने वाले लघु खनिजों में, बालू पत्थर, मुर्रम, मिट्टी एवं ईंट मिट्टी, अभ्रक, सिलिका, क्वार्ट्ज और क्वार्टजाइट हैं। राज्य के सभी 38 जिलों में खनन कार्यालय स्थित हैं, जिनमें से प्रमुख खनिज (चूना–पत्थर) का खनन कार्य केवल रोहतास जिले में किया जाता है। बिहार में खनिजों (चूना–पत्थर, बालू, पत्थर और मिट्टी के अलावा) का उत्खनन वर्तमान में नहीं किया जा रहा है।

(कंडिका 1.1, पृष्ठ 1)

लेखापरीक्षा ने पाया कि खान एवं भूतत्व विभाग के उदासीन रवैये के कारण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन अधूरे रहे।

(कंडिका 2.1, पृष्ठ 10)

बालू घाटों के समन्वयों को गूगल अर्थ प्रो पर प्लॉट किया गया था और उपलब्ध मुफ्त छवियों के अनुसार यह पाया गया था कि खनन योजना में खनन गतिविधियों के लिए अनुमोदित दो जिलों के पाँच बालू घाटों का क्षेत्र सही नहीं था। इसके अलावा, रोहतास जिले के परुहार बालू घाट में उच्च तीव्रता वाले विद्युत टॉवर (एक स्थायी संरचना) के बीच में बालू निष्कर्षण के लिए खनन क्षेत्र दिया गया था जो सतत बालू खनन प्रबंधन दिशानिर्देश 2020 के अनुसार निषिद्ध था।

(कंडिका 2.2.1, पृष्ठ 13)

यह भी देखा गया कि बालू खनन के लिए क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्रों जैसे पुलों के पास और नदी के बीच में आवंटित किया गया था।

(कंडिका 2.2.2, पृष्ठ 17)

खान एवं भूतत्व विभाग ने अभ्रक, क्वार्ट्ज/क्वार्टजाइट और सिलिका को लघु खनिज के रूप में घोषित करने के बाद भी इनकी नीलामी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

(कंडिका 2.4, पृष्ठ 22)

लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला समाहर्त्ता, भागलपुर ने खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा संशोधित खनन योजना का अनुमोदन न किए जाने के कारण नौ बालू घाटों के पट्टे रद्द कर दिए और प्रतिभूति जमा ₹ 1.76 करोड़ वापस कर दिए जो बिहार बालू खनन नीति, 2013 के प्रावधानों के विरुद्ध थी। साथ ही, दूसरी सबसे अधिक बोली लगाने वाले को पट्टा की पेशकश नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.63 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ था।

(कंडिका 3.1, पृष्ठ 23)

सात जिला खनन कार्यालयों ने बन्दोबस्त राशि की गणना करते समय अधिवर्ष का एक अतिरिक्त दिन शामिल नहीं किया। इसके कारण, ₹ 0.32 करोड़ जिला खनिज फाउण्डेशन निधि और ₹ 1.28 करोड़ के लिए मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस में अंशदान की कमी के अलावा ₹ 16.05 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

(कंडिका 3.2, पृष्ठ 25)

आठ जिलों में बालू घाट के पट्टेदारों ने एक से 225 दिनों के बीच की देरी के साथ रॉयल्टी/बन्दोबस्त राशि का भुगतान किया। विलम्बित भुगतान पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ₹ 10.22 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया गया था।

(कंडिका 3.3, पृष्ठ 26)

आठ जिला खनन कार्यालयों में 2015–19 की पट्टा अवधि को पिछले वर्ष की 50 प्रतिशत बन्दोबस्त राशि में वृद्धि के साथ 31.12.2021 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन संबंधित जिला खनन कार्यालयों ने विस्तारित अवधि के दौरान सुरक्षित जमा के रूप में ₹ 94.97 करोड़ की वसूली नहीं की।

(कंडिका 3.4, पृष्ठ 26)

आठ जिलों में, पट्टे की अवधि 2015–19 के लिए पंजीकृत विलेख का निष्पादन नहीं करने और सितंबर 2021 तक की अवधि को बढ़ाने के लिए पट्टेदारों से मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस की वसूली नहीं की गई थी, जिससे ₹ 97.41 करोड़ का नुकसान हुआ।

(कंडिका 3.5, पृष्ठ 27)

पत्थर खदान के फरवरी 2015 और दिसंबर 2018 में क्रमशः भधोखरा में ब्लॉक संख्या 10 में और नवादा जिले के खखंडुआ में ब्लॉक–ए और बी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी के बाद भी, अंतिम बन्दोबस्त नहीं किया गया था। तथापि, उपग्रह छवियों के अध्ययन के दौरान भधोखरा में ब्लॉक संख्या 10 में खनन कार्यकलापों को देखा गया था, हालाँकि उक्त पत्थर खदान उस अवधि में काम नहीं कर रही थी।

(कंडिका 3.7.1, पृष्ठ 29)

जुलाई 2016 में कैमूर में 20.75 एकड़ (मौजा–मदुरना, थाना–भभुआ) के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी और सितंबर 2017 में खनन योजना को मंजूरी दी गई थी, लेकिन खनन योजना के अनुमोदन के चार साल बीत जाने के बाद भी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की जा सकी। जिला खनन पदाधिकारी ने पट्टा निरस्त करने और जमानत जमा राशि जब्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

(कंडिका 3.7.2, पृष्ठ 31)

जिला खनन पदाधिकारी, शेखपुरा ने सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खनन के लिए जिले में 30 पत्थर ब्लॉक तैयार किए, जिनमें पत्थर ब्लॉक का सत्यापन नहीं होने और जिला खनन पदाधिकारी के लापरवाही के कारण 9 ब्लॉक बिना बन्दोबस्त के रह गये।

(कंडिका 3.7.3, पृष्ठ 32)

जिला समाहर्त्ता/जिला खनन पदाधिकारी पट्टा देने से सात वर्ष बीत जाने के बाद नवादा में भधोखरा मौजा के ब्लॉक 7 के पत्थर के पट्टे के लिए बन्दोबस्त राशि ₹ 9.21 करोड़ प्राप्त करने में विफल रहे। पट्टेदार द्वारा केवल पहली किश्त की राशि जमा की गई थी। इसके अलावा, जिला समाहर्त्ता/जिला खनन पदाधिकारी ने बन्दोबस्त राशि प्राप्त न होने पर पट्टे को रद्द करने और पुनर्बन्दोबस्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा, गूगल अर्थ प्रो पर इस पट्टे की छवियों के अध्ययन से पता चला है कि खनन गतिविधियों को विभिन्न अवधियों के दौरान इस पत्थर ब्लॉक में किया जा रहा था।

(कंडिका 3.8.1, पृष्ठ 33)

जिला खनन पदाधिकारी, गया, मौजा–गेरे, ब्लॉक–1 (क्षेत्र 12.50 एकड़) की बन्दोबस्त हुई। पत्थर खदान के लिए ₹ 7.40 करोड़ के पाँचवीं किश्त की राशि को प्राप्त करने में विफल रहे। जिला खनन पदाधिकारी, रोहतास अनुमोदित खनन योजना के मुकाबले चूना–पत्थर की कम निकासी के कारण ₹ 7.48 करोड़ के सरकारी राजस्व की सुरक्षा नहीं कर सके। 14 जिला खनन कार्यालयों में, अवैध रूप से संचालित 2,926 ईंट भट्ठों से ₹ 61.08 करोड़ की रॉयल्टी और जुर्माना वसूल नहीं किया जा सका।

(कंडिका 3.8.2, 3.10 और 3.13.2, पृष्ठ 34, 36 और 40)

भौगोलिक सूचना प्रणाली अध्ययन लेखापरीक्षा द्वारा विशेषज्ञ एजेंसी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना की मदद से किया गया था। अध्ययन से पता चला है कि अभिरूचि के क्षेत्रों में सभी बालू घाटों के बाहर अवैध खनन किया जा रहा था। यह प्रवृत्ति वर्ष 2019 और 2020 में सभी अभिरूचि के क्षेत्रों के लिए चयनित महीनों में जारी रही। चयनित अभिरूचि के क्षेत्रों

में, उपग्रह छवियों के विश्लेषण से अवधि के दौरान अवैध खनन का पता चला। यह भी देखा गया कि अवैध खनन का चलन बढ़ रहा था।

(कंडिका 4.1 और 4.2, पृष्ठ 43 और 53)

तीन जिलों में सोन बालू घाटों में उपलब्ध उपग्रह छवियों का गूगल अर्थ प्रो पर के विष्लेषण से पता चला कि खनन गतिविधियाँ पर्यावरणीय प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना 12 बालू घाटों में की गई थीं। गूगल अर्थ प्रो की पुराने छवियों में खनन गतिविधियों को देखा गया था, हालाँकि पट्टेदारों ने दो बालू घाटों से शून्य निष्कर्षण की सूचना दी थी– 2018 और 2019 में क्रमशः पटना जिले के जनपारा–I एवं आनंदपुर में और 2020 में भोजपुर जिले के एक बालू घाट चिलहौस में।

(कंडिका 4.3.1 और 4.3.2, पृष्ठ 57 और 60)

20 नियोजित सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में से, केवल पाँच कार्यशील पाए गए थे। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना के संबंध में, केवल ई–चालान उत्पन्न करने और उन्हें मैन्युअल रूप से अवरुद्ध करने की सुविधा को कार्यशील बनाया गया था। ई–चालानों में सुरक्षा विशेषताएँ होनी चाहिए जैसा कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना में उल्लिखित है, तथापि, यह मौजूद नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान बहुत सारे नकली ई–चालान पाए गए थे। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग केवल नियंत्रण के बिना ई–चालान उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा था क्योंकि अन्य मॉड्यूल कार्यशील नहीं थे।

(कंडिका 4.4, पृष्ठ 64)

14 नमूना जिलों में, 8 मीट्रिक टन से 10.89 लाख मीट्रिक टन तक के खनिजों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले एम्बुलेंस, बस, ऑटो रिक्शा, कार, मोटरसाइकिल आदि के 46,935 अवास्तविक वाहनों की पंजीकरण संख्या का उपयोग करके 2,43,811 ई–चालान उत्पन्न किए गए थे।

(कंडिका 4.5, पृष्ठ 66)

11 जिला खनन कार्यालयों में 15,723 मामलों में बालू ले जाने के लिए एक दिन में एक वाहन के लिए 11 से 861 ई–चालान बनाये गये। चार जिलों में, संबंधित पट्टेदारों ने 2018 से 2020 के दौरान एक खास वाहन द्वारा एक दिन में 10 बार से 142 बार ई–चालान उत्पन्न कर पत्थर निर्गत किया गया।

(कंडिका 4.6, पृष्ठ 68)

16 कार्य प्रमण्डलों में 21,192 फर्जी ई–चालान का उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यों में किया गया था।

(कंडिका 4.7, पृष्ठ 70)

14 नमूना जिला खनन कार्यालयों में यह पाया गया कि दिसम्बर 2014 से सितम्बर 2021 तक जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के लिए ₹ 91.86 करोड़ की वसूली की गई थी, जिसके विरुद्ध केवल ₹ 9.56 करोड़ खर्च किए गए थे। इस प्रकार, ₹ 82.30 करोड़ जमा रह गए और अप्रयुक्त रहे। जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग न किए जाने के कारण इसका उद्देश्य अपूर्ण रह गया।

(कंडिका 5.1, पृष्ठ 76)

पाँच जिला खनन कार्यालयों ने 2018–21 के दौरान बालू और पत्थर खदानों के पट्टेदारों से जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के लिए ₹ 1.87 करोड़ योगदान की वसूली सुनिश्चित नहीं की। 11 जिला खनन कार्यालयों ने 2017–18 से 2020–21 के दौरान 6,164 ईंट भट्ठा मालिकों से ₹ 0.62 करोड़ की वसूली नहीं की।

(कंडिका 5.6, पृष्ठ 79)

दो जिला खनन पदाधिकारियों ने बालू के अतिरिक्त निष्कर्षण के लिए ली गई रॉयल्टी पर ₹ 21.16 लाख जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के लिए अंशदान आरोपित नहीं किया। 10 जिला खनन पदाधिकारियों ने 2016 से 2021 के दौरान बालू घाट के पट्टेदारों से जिला खनिज

फाउण्डेशन निधि के देरी से भुगतान पर ब्याज नहीं आरोपित किया और तीन जिला खनिज पदाधिकारियों ने पत्थर खदानों के पट्टेदारों से जिला खनन फाउण्डेशन निधि के देरी से भुगतान पर ब्याज नहीं आरोपित किया। सात जिला खनन कार्यालयों में, साधारण मिट्टी के निष्कर्षण के लिए ठेकेदारों/एजेंसियों द्वारा रॉयल्टी के रूप में ₹ 10.91 करोड़ जमा किए गए थे, लेकिन संबंधित जिला खनन पदाधिकारियों ने ठेकेदारों/एजेंसियों से ₹ 4.58 करोड़ के लिए जिला खनिज फाउण्डेशन निधि एवं मालिकाना शुल्क नहीं आरोपित किया।

(कंडिका 5.7, 5.8 और 5.10, पृष्ठ 79, 80 और 81)

14 जिला खनन कार्यालयों में लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2017–18 से 2020–21 के दौरान खनिजों के अवैध खनन की लगातार सूचना दी जा रही थी। खनिजों के अवैध खनन के संबंध में कुल 4,608 प्राथमिकियाँ दर्ज की गई थी और 4,423 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2017–18 से 2020–21 के दौरान अवैध खनन पर जुर्माने से कुल राशि ₹ 113.30 करोड़ रुपये की वसूली की गई।

(कंडिका 6.1, पृष्ठ 84)

अवैध खनिजों के परिवहन में संलिप्त जब्त वाहनों के संदर्भ में जिला परिवहन कार्यालय और जिला खनन कार्यालय के बीच समन्वय न होने के कारण रॉयल्टी/जुर्माने के रूप में ₹ 4.20 करोड़ के राजस्व की हानि हुई थी क्योंकि इन वाहनों के दस्तावेज संबंधित जिला खनन कार्यालयों को हस्तांतरित नहीं किए गए थे।

(कंडिका 6.2, पृष्ठ 85)

कृषि प्रयोजनों के लिए पंजीकृत ट्रैक्टरों का वाणिज्यिक कार्यकलापों में अवैध उपयोग के कारण मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ₹ 12.77 करोड़ के राजस्व की हानि हुई थी।

(कंडिका 6.3, पृष्ठ 85)

विभाग के डेटाबेस को वाहन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत नहीं किया गया था। सॉफ्टवेयर में इस सुविधा के अभाव में, वाहनों की लदान क्षमता से अधिक के 17,03,104 ई–चालान उत्पन किए गए थे।

(कंडिका 6.4, पृष्ठ 86)

14 नमूना जिलों में वर्ष 2018 से 2020 के दौरान खनिज परिवहन के लिए 82,990 अयोग्य वाहनों का उपयोग किया गया था।

(कंडिका 6.5, पृष्ठ 87)

13 जिला खनन कार्यालयों में, 31 मार्च 2021 तक ₹ 229.43 करोड़ के 20,700 नीलामवाद मामले लंबित थे।

(कंडिका 6.6, पृष्ठ 87)

वर्ष 2017–18 से 2020–21 की अवधि के लिए पाँच जिला खनन कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गए मानव बल प्रबंधन, बालू पट्टा क्षेत्र, पत्थर पट्टे क्षेत्र, ईंट भट्ठों के निरीक्षण से संबंधित अभिलेखों की जाँच के दौरान कई कमियाँ पाई गईं। इसके अलावा, खान उपनिदेशक या किसी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा संबंधित जिला खनन कार्यालयों का पर्याप्त निरीक्षण नहीं किया गया था।

(कंडिका 6.7 और 6.8, पृष्ठ 88 और 89)

अध्याय–1
परिचय

अध्याय–1

1.1 परिचय

बिहार में खान और खनिजों से प्राप्तियाँ[1] खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्रशासित की जाती है। 2006 में खान एवं भूतत्व विभाग के पुनर्गठन के बाद, बिहार बालू, पत्थर, मुर्रम, मिट्टी, चूना–पत्थर, अभ्रक, सिलिका, क्वार्ट्ज और क्वार्टजाइट आदि खनिजों के सीमित संसाधनों के साथ रह गया।

बिहार में चूना–पत्थर एकमात्र वृहत खनिज उपलब्ध है। बिहार में पाए जाने वाले लघु खनिज बालू, पत्थर, मुर्रम, मिट्टी और ईट की मिट्टी, अभ्रक, सिलिका, क्वार्ट्ज और क्वार्टजाइट है। राज्य के सभी 38 जिलों में खनन कार्यालय स्थित हैं, जिनमें से, वृहत खनिज (चूना–पत्थर) का खनन कार्य केवल रोहतास जिले में किया जाता है। लघु खनिजों की दृष्टि से, छः जिलों[2] में पत्थर खनन का कार्य किया जाता है और 32 जिलों[3] में बालू खनन का कार्य किया जाता है। बिहार में खनिजों (चूना–पत्थर, बालू, पत्थर और मिट्टी के अलावा) का उत्खनन वर्तमान में नहीं किया जा रहा है। खनन कार्यो को विनियमित करने के अलावा, खान एवं भूतत्व विभाग स्टोन क्रशर को संचालित करने के लिए लाइसेंस का नियमन/नवीकरण करता है और ईंट भट्टों में प्रयुक्त ईंट मिट्टी की खुदाई के लिए अनुमति प्रदान करता है।

1.2 संगठनात्मक संरचना

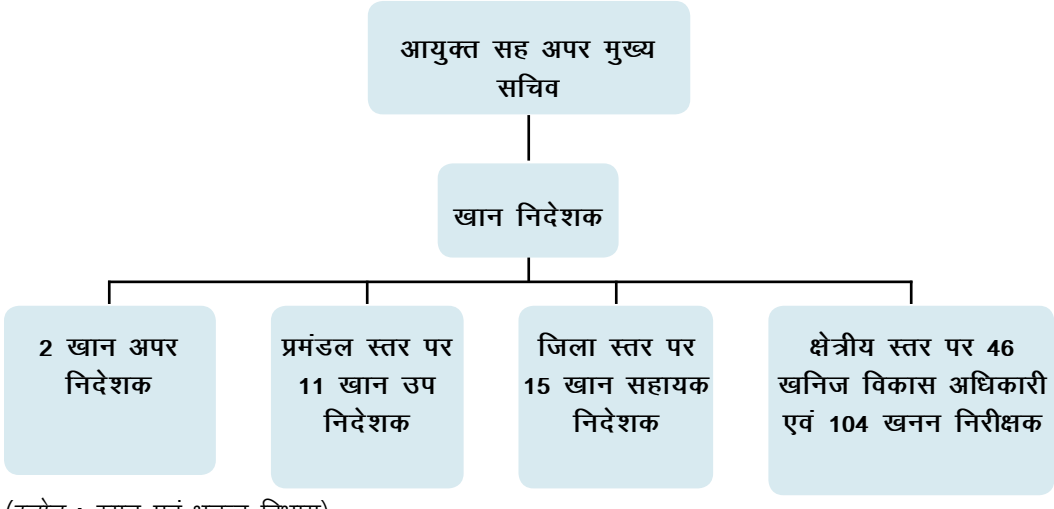

(*स्त्रोत* : खान एवं भूतत्व विभाग)

1.3 खनिज राजस्व की प्रवृत्तियाँ

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 475 के अनुसार, सभी नियंत्री पदाधिकारियों को अपनी प्राप्तियों और व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ करना आवश्यक है। बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 37 के अन्तर्गत, यह देखना विभागीय प्राधिकारी का प्राथमिक दायित्व है कि सभी प्राप्तियों का सही निर्धारण, वसूली एवं शासकीय खाते के उचित शीर्ष में बिना किसी विलम्ब के जमा किया जाए।

---

1 बिहार में खान और खनिजों से प्राप्तियों में रॉयल्टी, किराया, उपयोग शुल्क, अर्थदण्ड, जुर्माना और देय राशि के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज इत्यादि शामिल हैं।

2 औरंगाबाद, बाँका, गया, कैमूर, नवादा एवं शेखपुरा।

3 अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, कैमूर, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली एवं पश्चिमी चंम्पारण (बेतिया)।

- **कुल गैर–कर राजस्व की तुलना में खनिज राजस्व की प्रवृतियाँ**

वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य में प्राप्त कुल गैर–कर राजस्व ₹ 6,201.35 करोड़ में से, खनिज राजस्व ₹ 1,708.93 करोड़ (28 प्रतिशत) था। 2017–18 से 2020–21 के दौरान बिहार सरकार के कुल कर और गैर–कर राजस्व की तुलना में कुल खनिज राजस्व का विवरण **चार्ट–1** में दर्शाया गया है :

चार्ट–1

कुल गैर–कर राजस्व की तुलना में खनिज राजस्व की प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)

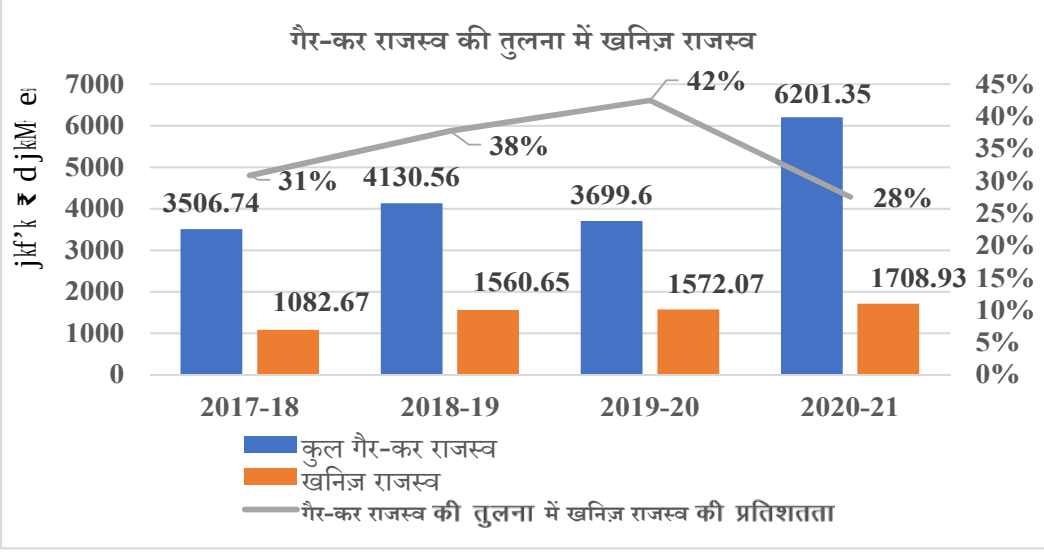

(स्त्रोत : वित्त लेखे, बिहार सरकार)

- **बजट अनुमानों की तुलना में कुल खनिज प्राप्तियाँ**

2017–18 से 2020–21 के दौरान बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों का विवरण **चार्ट–2** में दिया गया है :

चार्ट–2

राज्य की खनिज प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

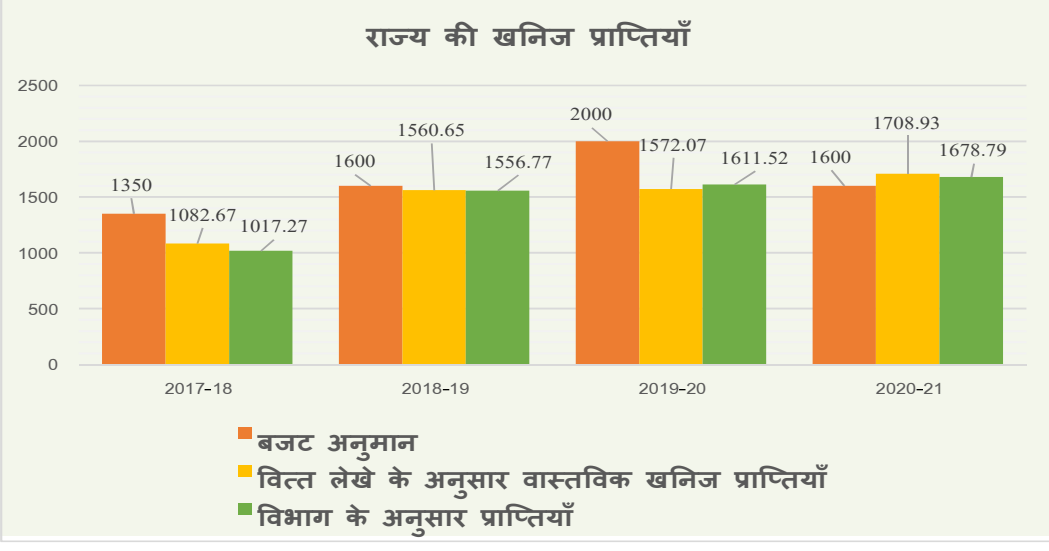

(**स्रोतः** खान एवं भूतत्व विभाग के अनुसार बजट अनुमान एवं वित्त लेखे के अनुसार वास्तविक प्राप्तियाँ)

उस अवधि के दौरान खनिज–वार प्राप्तियाँ **तालिका–1** में दी गई है:

तालिका–1
खनिज–वार प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

खनिजों एवं अन्य से प्राप्तियाँ	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1. लघु खनिज				
ईंट	39.34	41.55	62.18	73.08
बालू	461.67	836.58	874.31	678.65
पत्थर	127.35	162.44	90.87	79.11
क्रशर	0.50	0.39	0.18	0.26
मिट्टी	4.85	7.02	4.17	6.78
मालिकाना शुल्क	00	00	0.42	772.07
कार्य विभाग से प्राप्तियाँ	353.53	443.84	523.97	
नीलामपत्र वाद (प्राप्तियाँ)	0.95	1.19	1.19	0.95
अर्थदण्ड	13.50	55.34	41.60	54.63
अन्य	2.87	1.81	1.95	1.88
गैर–नीलामपत्र वाद (प्राप्तियाँ)	0.79	0.72	0.64	0.58
ट्रांजिट पास	10.39	00	00	00
2. वृहद् खनिज				
चूना–पत्थर	1.53	5.89	10.04	10.80
कुल	**1,017.27**	**1,556.77**	**1,611.52**	**1,678.79**

(स्रोत : विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा)

चार्ट–3
खनिज और अन्य स्रोतों से प्राप्तियाँ

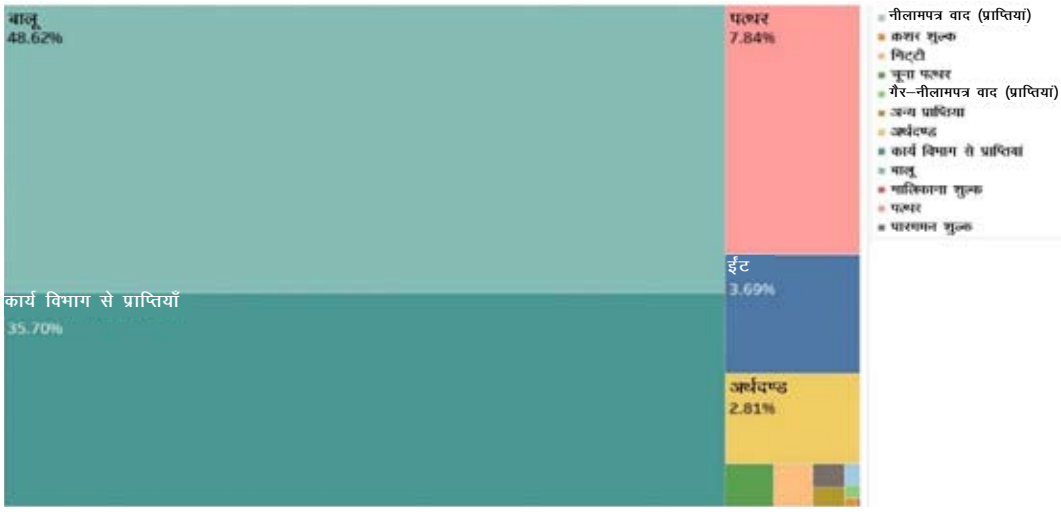

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, राज्य को खनन प्राप्तियाँ मुख्य रूप से लघु खनिजों से प्राप्त होती है, जिसमें बालू, पत्थर और ईंट की मिट्टी शामिल हैं, जबकि प्राप्तियों में वृहद् खनिज का योगदान नगण्य है। 2017–18 से 2019–20 के दौरान खान एवं भूतत्व विभाग का अधिकतम राजस्व बालू घाटों की बंदोबस्ती से प्राप्त हुआ है, इसके बाद कार्य विभाग से राजस्व की वसूली हुई। हालाँकि, वर्ष 2020–21 में कार्य विभाग से प्राप्तियाँ अधिकतम थी क्योंकि अधिकांश बालू पट्टे संचालन में नहीं थे और खान एवं भूतत्व विभाग ने मालिकाना शुल्क की अवधारणा को लागू किया जिसे वर्ष 2020–21 में कार्य विभाग से प्राप्तियों के रूप में शामिल किया गया था।

- **खनिज राजस्वों का वित्त लेखे से मिलान न करना**

लेखापरीक्षा ने पाया कि खान एवं भूतत्व विभाग ने बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 475 के तहत महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के साथ लेखों का मिलान नहीं किया।

खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार ने सभी जिला खनन कार्यालयों को ईंट भट्ठों, नीलामपत्र वाद, पत्थर, बालू और कार्य प्रमंडल आदि से प्राप्त रॉयल्टी एवं विभिन्न राजस्व जो विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त होने वाले थे को बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आई0 सी0 आई0 सी0 आई0 बैंक खाता संख्या 057901002299 जिसे 5 फरवरी 2020 को खोला गया था, में जमा करने का निर्देश जारी किया (फरवरी 2020)। यह 31 मार्च 2020 तक अस्थायी व्यवस्था थी जैसा कि पत्र में परिकल्पित है।

लेखापरीक्षा ने आगे 14 नमूना जिला खनन कार्यालयों में पाया कि, विभिन्न जिला खनन कार्यालयों से प्राप्त रॉयल्टी, जुर्माना, ब्याज एवं अन्य प्राप्तियों की राशि उपरोक्त बैंक खाते में भेजी गई थी, लेकिन उसका मिलान संबंधित इकाइयों के साथ नहीं किया गया था क्योंकि इस बैंक खाते में जमा राशि के मिलान के संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, संबंधित जिला खनन कार्यालयों द्वारा इसके मिलान के संबंध में विभाग के साथ कोई पत्राचार नहीं किया गया था। उपरोक्त का मिलान न होने के कारण, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि विभिन्न जिला खनन कार्यालयों द्वारा किस शीर्ष से संबंधित बैंक खाते में कितनी वास्तविक राशि जमा की गई, और न ही विभाग ने जिला खनन कार्यालयों से प्राप्तियों की पुष्टि की। यह न केवल राजस्व के दुरूपयोग के जोखिम से भरा है बल्कि वित्त लेखे और खान एवं भूतत्व विभाग के बीच राजस्व मिलान प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है।

1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या :

- खनिज रियायतों के अनुमोदन के लिए प्रणालियाँ, प्रक्रियाएँ और खनन ठेकों/उत्खनन पट्टों की नीलामी की प्रक्रिया, सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अधिनियमों, नियमावली और निर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार थी;
- खनन प्राप्तियों के आरोपण, निर्धारण और संग्रहण के प्रावधान राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए प्रभावकारी और पर्याप्त थे;
- अवैध खनन का पता लगाने एवं उसकी रोकथाम और उसके पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लिए प्रणाली मौजूद थी;
- खान एवं खनिज विकास, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास निधि का प्रबंधन एवं जाँच सरकारी निर्देशों, अधिनियमों एवं नियमावली के अनुसार किया गया था; और
- राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण, निगरानी तंत्र और अंतर विभागीय समन्वय स्थापित किया गया था।

1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957;
- खनिज रियायत नियमावली, 1960;
- भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 और भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908;
- खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988;
- बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972;
- बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2014;
- बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017;
- बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) (संशोधन), नियमावली, 2014;

- बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम), नियमावली, 2019;
- बिहार बालू खनन नीति, 2013 और 2019;
- बिहार वित्तीय नियमावली; बिहार बजट प्रक्रिया;
- बिहार जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली, 2018 (23 मई 2018 को अधिसूचित), राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट नियमावली 2015;
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981;
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989;
- बिहार मोटर वाहन करारोपण, नियमावली, 1994;
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना, 2016;
- सतत बालू खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016;
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/न्यायालय के आदेश;
- बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914;
- विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाएँ एवं परिपत्र, कार्यकारी एवं विभागीय आदेश एवं निर्देश।

1.6 "खनन प्राप्तियाँ, रॉयल्टी, शुल्क और किराए का आरोपण और संग्रहण" पर पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की स्थिति

2013–14 से 2016–17 की अवधि के लिए "खनन प्राप्तियाँ – रॉयल्टी, शुल्क और किराए का आरोपण और संग्रहण" पर लेखापरीक्षा अप्रैल से जून 2017 के दौरान की गई थी और राजस्व प्रक्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन में शामिल की गई थी। प्रतिवेदन का उद्देश्य मुख्य रूप से खनन प्राप्तियों को नियंत्रित करने वाली विभिन्न नियमावली का अनुपालन नहीं होने का पता लगाना था और प्रतिवेदन का निष्कर्ष खासकर खनिज प्राप्तियों के आरोपण न करने पर था। प्रतिवेदन लोक लेखा समिति के समक्ष विचार–विमर्श के लिए विचाराधीन है।

1.7 कार्यक्षेत्र और कार्यपद्धति

जिलों का नमूना चयन खनिजों के आधार पर किया गया जैसा कि **तालिका–2** में दर्शाया गया है:

तालिका–2

श्रेणी	**वृहद**	**लघु**	
खनिज	**चूना–पत्थर**	**पत्थर**	**बालू**
जिलों में उपलब्ध	एक	छः	32
नमूना चयनित	एक जिला (रोहतास) चयनित।	सभी छः जिले (औरंगाबाद, बांका, गया, कैमूर, नवादा एवं शेखपुरा) चयनित।	छः जिले (भागलपुर, भोजपुर, नालंदा, पटना, सीवान एवं वैशाली) स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना चयन के आधार पर। इसके अलावा, पत्थर चयनित के लिए छः जिलों और चूना–पत्थर के लिए चयनित एक जिले में भी बालू खनन किया गया।

तेरह खनन जिलों[4] का चयन उपरोक्त नमूना पद्धति के आधार पर किया गया। उपरोक्त के अलावा, शीर्ष इकाई यानी खान एवं भूतत्व विभाग का भी चयन किया गया। इसके अलावा, प्रवेश सम्मेलन में प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग की अनुशंसा के आधार पर एक जिले सारण को भी बालू को आधार बनाकर चयन किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंड, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, कार्यपद्धति को समझाने और इस मुद्दे पर, विभाग

[4] औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, गया, कैमूर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, शेखपुरा, सीवान और वैशाली।

के विचारों/मामलों को जानने के लिए प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार के साथ प्रवेश सम्मेलन 3 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने और निष्कर्षों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 17 मई 2022 को निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष पर एक अंतिम सम्मेलन आयोजित किया गया था। अपर मुख्य सचिव सह खान आयुक्त ने लेखापरीक्षा प्रयासों एवं निष्कर्षों की सराहना की तथा विभाग का जवाब जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। विभाग ने छः कंडिकाओं के जवाब प्रस्तुत किये जिन्हें निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा मानदंडों के संदर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली थी। पद्धति विभाग (निदेशालय) और चयनित जिलों में वर्ष 2017–18 से 2020–21 के लिए अभिलेखों की जाँच, खनन डेटाबेस का विश्लेषण, लेखापरीक्षा पृच्छा करना, भौतिक सत्यापन, भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग और दूरस्थ संवेदन डेटा, जवाब प्राप्त करना और प्रबंधन के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करनी थी।

भू–स्थानिक अध्ययन के लिए सोन नदी का चयन किया गया था क्योंकि सोन नदी के बालू घाट खनन राजस्व में प्रमुख योगदानकर्ता है। सोन नदी के बालू खनिजों के भू–स्थानिक प्रतिरूप अध्ययन के लिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना को एक विशेषज्ञ के रूप में लगाया गया था। भौगोलिक सूचना प्रणाली अध्ययन के लिए बालू घाटों के चयन हेतु तीन जिलों (पटना, भोजपुर, और रोहतास) में सोन नदी के सभी बालू घाटों का विश्लेषण गूगल अर्थ प्रो के माध्यम से खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए भू–समन्वयों की मदद से किया गया, जिसमें से उपरोक्त तीन जिलों (क्षेत्र 172.10 हेक्टेयर) के आठ बालू घाटों का चयन किया गया था, जहाँ बाहरी खनन पट्टे वाले क्षेत्र में देखे गए मिट्टी मोटर वाहनों का चलना और उस क्षेत्र में निकासी जैसे मुद्दे देखे गए जहाँ पट्टेदार द्वारा शून्य निकासी की सूचना दी गई थी। हालाँकि, भौगोलिक सूचना प्रणाली अध्ययन केवल दो वर्षों के लिए किया गया जहाँ अध्ययन के लिए छः अलग–अलग महीनों[5] का डेटा लिया गया था। वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी के कारण और इस अवधि के दौरान खनन पट्टे की समाप्ति के कारण, वर्ष 2020–21 को भौगोलिक सूचना प्रणाली अध्ययन के लिए नहीं माना गया है। भू–स्थानिक अध्ययन के लिए कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है :

(i) आवंटित बालू खनन क्षेत्रों की पहचान/सत्यापन;
(ii) वास्तविक और अनुमोदित खनन योजना के बीच भू–समन्वयों की तुलना।
(iii) वास्तविक खनन क्षेत्र (हेक्टेयर में) की गणना के साथ वास्तविक और अनुमोदित खनन योजना के बीच भू–समन्वयों की तुलना।
(iv) निषिद्ध माह (जुलाई, अगस्त एवं सितंबर) में खनन की पहचान।

प्रारंभिक विश्लेषण के लिए, भौगोलिक सूचना प्रणाली अध्ययन के लिए केवल पाँच घाट क्षेत्रों (आठ बालू घाटों को सम्मिलित करते हुए) का चयन किया गया था। चूंकि कुछ बालू घाट पास में थे, इसलिए विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली छवियों के माध्यम से खनन क्षेत्रों के विश्लेषण के लिए रूचि के तीन क्षेत्रों का चयन किया गया था। उपर्युक्त घाटों को सम्मिलित करने वाले रूचि के क्षेत्रों को चित्र 1 से 3 में दिखाया गया है। चूंकि अध्ययन में बालू खनन क्षेत्र की वास्तविक गणना की माँग की गई थी, इसलिए चयनित क्षेत्रों की सूक्ष्म विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए उच्च–संकल्प उपग्रह छवियों की आवश्यकता थी। विस्तृत विश्लेषण के लिए, रैखिक छवि और स्व जाँच सेंसर–IV छवियों को विशेषज्ञ एजेंसी (राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी, पटना) द्वारा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, हैदराबाद से विशिष्ट समयावधि और उपर निर्दिष्ट स्थानों के लिए खरीदा गया था।

[5] नवम्बर 2018, फरवरी 2019, जून 2019, नवम्बर 2019, जनवरी 2020 और मार्च 2020।

अभिरूचि क्षेत्र

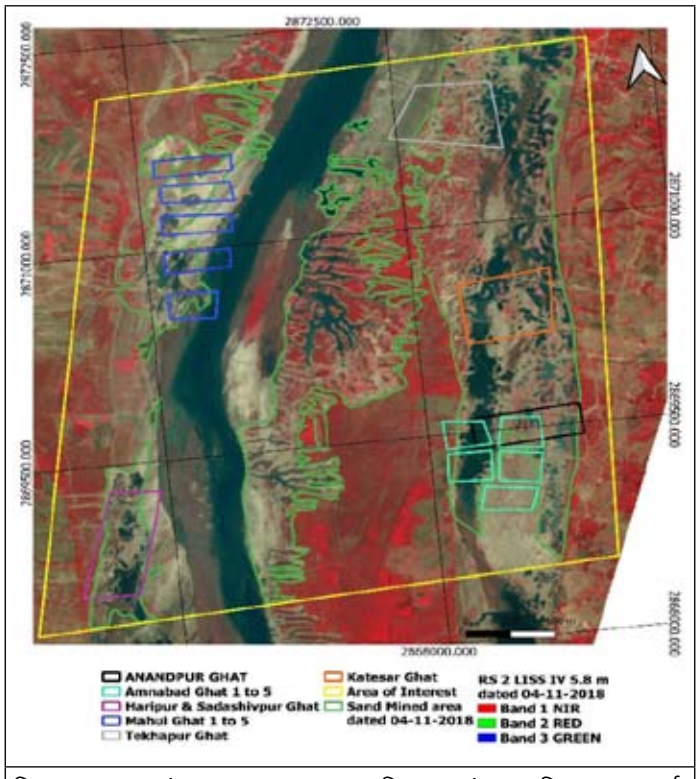

चित्र 1 : आनंदपुर, अमनाबाद, हरिपुर एवं सदाशिवपूर, महुई, टेखापुर तथा कटेशर बालू घाटों को सम्मिलित करते हुए अभिरूचि क्षेत्र–I ।

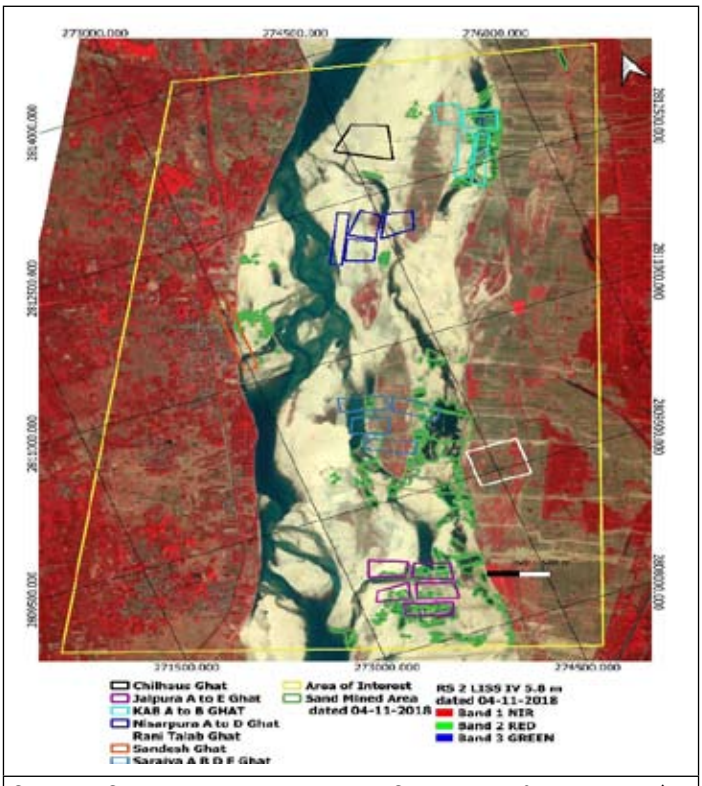

चित्र 2 : चिलहॉस, जलपुरा, काब एवं निसरपुरा, रानी तालाब, सन्देश तथा सरैया बालू घाटों को सम्मिलित करते हुए अभिरूचि क्षेत्र–II ।

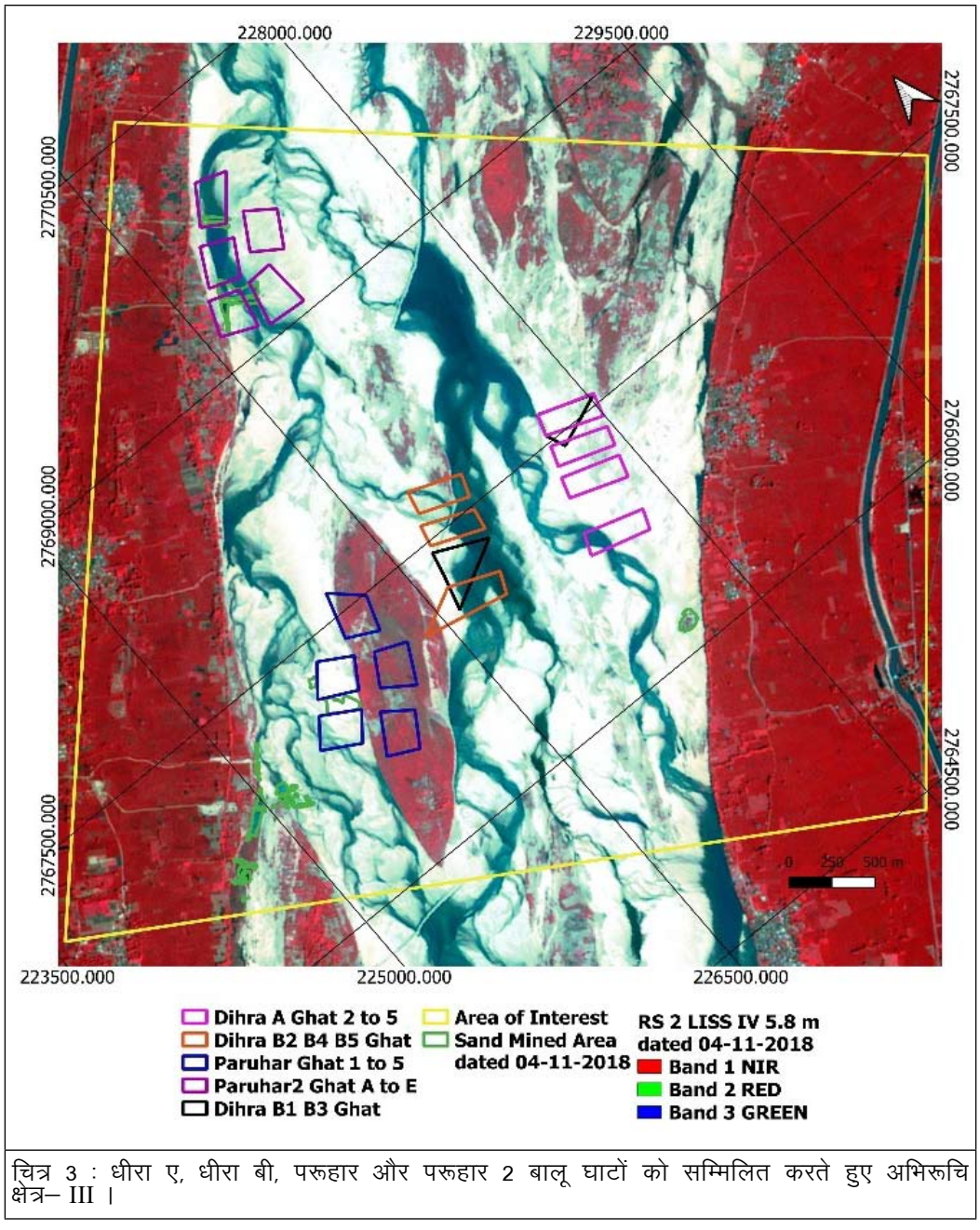

चित्र 3 : धीरा ए, धीरा बी, परूहार और परूहार 2 बालू घाटों को सम्मिलित करते हुए अभिरूचि क्षेत्र– III ।

उपरोक्त भौगोलिक सूचना प्रणाली छवि में, लाल रंग वनस्पति क्षेत्र को दर्शाता है, गहरा नीला से नीला रंग पानी को दर्शाता है और नदी का बालू गहरा उजला से हल्का उजला (पीला) प्रतित होता है।

अध्याय–2

खनन रियायतों के अनुमोदन के लिए प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ

अध्याय–2

खनन रियायतों के अनुमोदन के लिए प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ

बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन और भण्डारण) नियमावली, 2019 के नियम 22 के अनुसार खनन पट्टे के रूप में किसी भी खनिज रियायत का निपटान केवल सार्वजनिक नीलामी–सह–निविदा के आधार पर ई–बोली पद्धति के माध्यम से और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार या समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा तय किया जाएगा।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने लघु खनिजों के खनन पट्टा प्रदान करने से पूर्व खनन योजना एवं पर्यावरण स्वीकृति प्रस्तुत करने के संबंध में आदेश पारित किया (फरवरी 2012)। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने अपने लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 में लघु खनिजों के खनन पट्टाधारक क्षेत्रों को स्वीकृत और नवीनीकरण से पहले खनन योजना और पर्यावरण स्वीकृति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान किया है (अगस्त 2014)।

खान एवं भूतत्व विभाग ने योग्य उच्चतम बोलीदाताओं को निविदा–सह–नीलामी के आधार पर पाँच साल (2015–19) की अवधि के लिए बालू घाटों के बन्दोबस्त के लिए 22 जुलाई 2014 को एक अधिसूचना जारी की।

खान एवं भूतत्व विभाग ने 2015 से 2019 की अवधि के दौरान जिलों के बालू घाटों की नीलामी (अक्टूबर से दिसंबर 2014) की, जहाँ पूरे जिले की नीलामी की गई और नदी के पूरे हिस्से को निश्चित किये गये पट्टेदारों को दिया गया। बालू खनन नीति, 2013 के अनुसार, बालू घाटों के सफल बोलीदाताओं को सैद्धान्तिक स्वीकृति की तिथि से खनन योजना 90 दिनों के भीतर और पर्यावरणीय स्वीकृति 90 दिनों के भीतर (50 हेक्टेयर से कम खनन क्षेत्र के मामले में) या 120 दिनों के भीतर (50 हेक्टेयर से ज्यादा या बराबर खनन क्षेत्र के मामले में) समर्पित करना था। सफल बोलीदाताओं को खान एवं भूतत्व विभाग सूचीबद्ध मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति से उन्हें आवंटित जिले के लिए खनन योजना (यानी खनन के क्षेत्रों की पहचान और सीमांकन करने के लिए) तैयार करनी थी और पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत उसी खनन योजना को खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा 2015 में अनुमोदित किया गया था। जैसा कि पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकताओं को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या एसओ–141 (ई) दिंनाक 15 जनवरी 2016 को अनिवार्य किया गया था, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बालू की निकासी पर रोक लगा दी (फरवरी 2016) क्योंकि प्रत्येक जिले के पट्टेदारों द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। उसके बाद, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में, सभी पट्टेदारों को सक्षम प्राधिकारी से खनन योजना पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना था।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एसओ–141(ई) दिनांक 15 जनवरी 2016 के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले के लिए बालू खनन या नदी–तल खनन और अन्य लघु खनिजों के खनन की जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार की जानी थी। इसके अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मुख्य सचिव को जनवरी 2016 में अधिसूचित प्रत्येक लघु खनिज का जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने के लिए भी याद दिलाया (मई 2018)। खान एवं भूतत्व विभाग ने 2020–24 के लिए बालू घाटों की नीलामी फिर से शुरू की (अगस्त 2019) और आठ जिलों में (लेखापरीक्षा नमूना में से) इसे अंतिम रूप दिया गया; हालाँकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रक्रिया को रोक दिया गया था क्योंकि नीलामी जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किए बिना की गई थी। विभाग द्वारा अभी तक जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार नहीं किए गए हैं जैसा कि नीचे कंडिका में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1 अपूर्ण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन

जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने का मुख्य उद्देश्य (सतत बालू खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार) निम्नलिखित सुनिश्चित करना है;

- उन्नयन या निक्षेपण के क्षेत्रों की पहचान जहाँ खनन की अनुमति दी जा सकती है;
- कटाव के क्षेत्रों की पहचान और अवसंरचनात्मक संरचनाओं और प्रतिष्ठानों से निकटता जहाँ खनन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए; और
- उस क्षेत्र में पुनःपूर्ति की वार्षिक दर की गणना और खनन के बाद पुनःपूर्ति के लिए समय देना।

जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने के लिए, जिला में जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा भूतत्व विभाग या सिंचाई विभाग या वन विभाग या लोक निर्माण विभाग या भूजल समिति या दूर संवेदन विभाग या खनन विभाग की सहायता से सर्वेक्षण किया जाएगा।

इसके अलावा, जिले में प्रत्येक लघु खनिज के लिए जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा और इसकी प्रति समाहारणालय में रख कर 21 दिनों हेतु जिला बेवसाईट पर पोस्ट करके सार्वजनिक डोमेन में रखा जायेगा। प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया जायेगा और यदि सही पाया गया, तो इसे अंतिम प्रतिवेदन में शामिल किया जायेगा। जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्याकंन प्राधिकरण द्वारा छः माह के अंदर अंतिम रूप दिया जायेगा। पर्यावरण मंजूरी, प्रतिवेदन तैयार करना और परियोजना के मूल्याकंन के लिए जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन आवेदन का आधार बनेगा। अनुमंडल दंडाधिकारी की अध्यक्षता में एक उपमंडल समिति प्रत्येक क्षेत्र का दौरा करेगा जिसके लिए पर्यावरण मंजूरी हेतु आवेदन किया गया है और खनन हेतु क्षेत्र के उपयुक्ता या उसके निषेध के लिए सिफारिश करेगा। प्रतिवेदन को प्रत्येक पाँच साल में एक बार अद्यतन किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि खान एवं भूतत्व विभाग ने प्रत्येक जिला के लिए जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जैसा कि नीचे pkV&4 में वर्णित है:

चार्ट–4

प्रत्यके जिला के लिए जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण

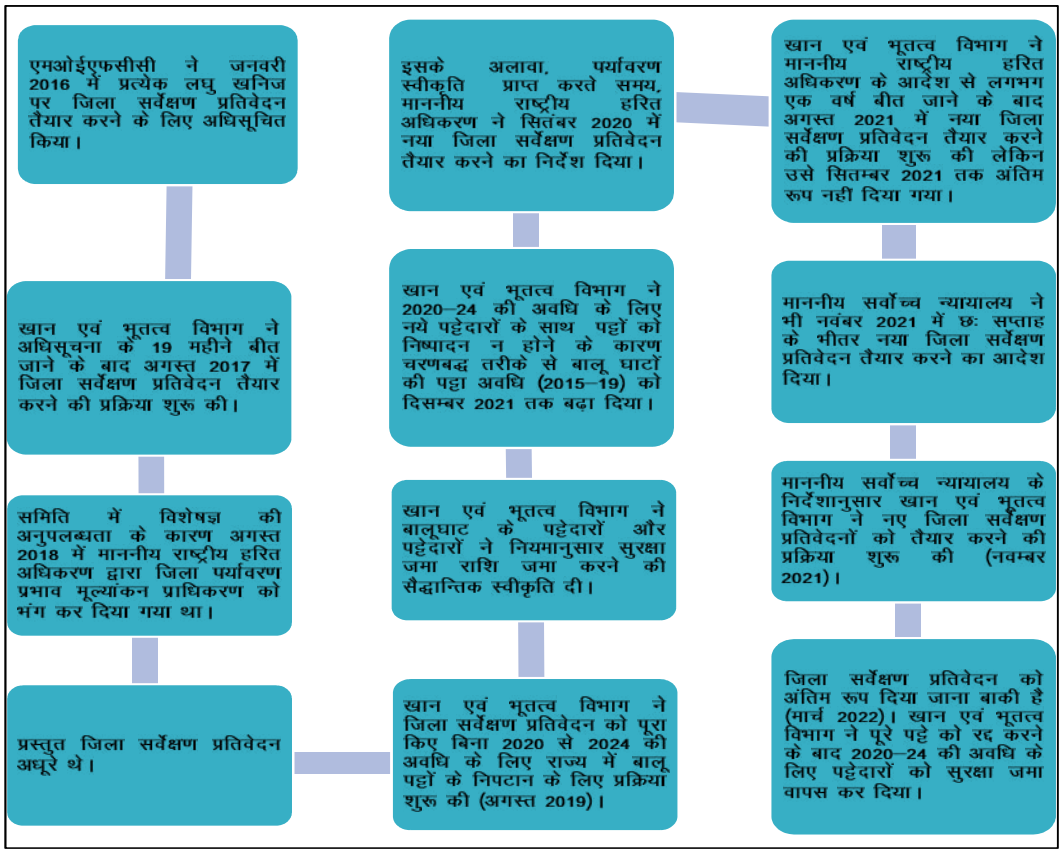

ऊपर से, यह देखा जा सकता है कि खान एवं भूतत्व विभाग ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना (जनवरी 2016) से 19 महीने बीत जाने के बाद जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया की पहल की (अगस्त 2017) और उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदनों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने के साढ़े चार साल बीत जाने के बाद, ₹ 20.40 लाख (देय राशि का 30 प्रतिशत) के भुगतान के बाद भी अधूरा माना गया। इसके अलावा, नमूना जिलों के लिए जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदनों की जाँच करते समय, यह देखा गया कि निर्दिष्ट उद्देश्यों में से कोई भी पूरा नहीं किया गया था और खान एवं भूतत्व विभाग ने इसे केवल पुनःपूर्ति अध्ययन की अनुपलब्धता के कारण अपूर्ण बताया था। जिन जिलों कि खनिज सम्पदा की गणना की जानी थी, वह भी जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं था। इस बीच (सितम्बर 2018) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्याकंन प्राधिकरणों को भंग कर दिया गया क्योंकि अधिकांश सदस्य अधिकारी/नौकरशाह थे, जिनके पास पर्यावरण के मामले में विशेषज्ञता, अनुभव और वैज्ञानिक ज्ञान की कमी थी।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि खान एवं भूतत्व विभाग ने जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदनों को पूरा किए बिना 2020 से 2024 के लिए सभी जिलों में बालू घाटों के लिए निविदा की प्रक्रिया शुरू की (अगस्त 2019)। संबंधित जिला समाहर्त्ता द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई और नए पट्टेदारों से सुरक्षा जमा राशि भी वसूल की गई। लेकिन, इसे अमल में नहीं लाया जा सका क्योंकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के आलोक में विभाग ने अपूर्ण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के कारण बालू घाटों के बंदोबस्ती की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। जबकि सतत बालू खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना 2016 और भारत सरकार के 2018 में अनुस्मारक पत्र के अनुसार जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदनों को तैयार करना अनिवार्य कर दिया था, हालाँकि, खान एवं भूतत्व विभाग ने इसका पालन नहीं किया।

इसे इंगित किए जाने पर, खान एवं भूतत्व विभाग ने कहा (मई 2022) कि प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्याकंन प्राधिकरण को भेजा गया था, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुसार जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणों को भंग कर दिया गया था। जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2018 में तैयार किये गये थे और 2019 में अद्यतन किया गया था। अद्यतन जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर, बालू घाटों को ई–नीलामी के माध्यम से तय किया गया था। हालाँकि, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण ने बंदोबस्त हुए बालू घाटों की पर्यावरणीय स्वीकृति को मंजूरी देने में काफी समय लिया और इस बीच, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष एक कानूनी मामला दायर किया गया था और बांका जिला के जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन को अधिकरण ने 14 अक्टूबर 2020 में खारिज कर दिया था। इस फैसले के संबंध में, सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चली गई और अदालत ने माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश को संशोधित किया और राज्य को नए जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया (नवम्बर 2021)। अनुपालन में, 38 जिलों में से 16 के जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन को मई 2022 तक राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग ने जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू (अगस्त 2017) करने में 19 माह का अत्यधिक विलम्ब किया। इसके अलावा, खान एवं भूतत्व विभाग ने स्वीकार किया है कि विलम्ब राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण की ओर से भी थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि, हालाँकि जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2018 में तैयार किये गये थे और 2019 में अद्यतन किये गये थे, लेकिन ये अपूर्ण पाये गये। इसके अलावा, कोई अभिलिखित सबूत नहीं मिला की जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन को जिला प्रर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस प्रकार नीलामी क्रियान्वित नहीं कि जा सकी और पट्टेदार पूरानी दरों पर कार्य करते रहे। विभाग को राजस्व अर्जित होता यदि खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया से पहले जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाता और नए पट्टेदारों के साथ पट्टों का निष्पादन किया जाता। लेकिन, अपूर्ण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन के कारण जमानत राशि विभाग द्वारा पट्टेदारों को वापस करनी पड़ी (मार्च 2022 तक)।

2.2 खनन योजना का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया जाना

भारतीय खान ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा लघु खनिजों के लिए खनन ढाँचे के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, लघु खनिजों के लिए खनन कार्य करने के लिए खनन पट्टे के देने के लिए एक आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य सरकार उक्त उद्देश्य के निश्चित क्षेत्र देने का निर्णय लेगी और आवेदक को ऐसे निर्णय के बारे में सूचित करेगी। राज्य सरकार से दिए जाने वाले निश्चित क्षेत्र की सूचना प्राप्त होने पर, आवेदक को पट्टेदार द्वारा इस तरह की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर एक खनन योजना प्रस्तुत करनी होगी। दिशानिर्देश में खनन योजना और पर्यावरण स्वीकृति प्रतिवेदन तैयार करने के लिए यह विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि क्षेत्र निश्चित होना चाहिए और सरकार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

बिहार बालू खनन नीति, 2013, के अनुसार, बालू घाटों के पट्टेदारों को मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति से खनन योजना तैयार करनी थी और इसे खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाना था। इसके अलावा, सक्षम प्राधिकारी (जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण/राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) को इस खनन योजना के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करना था।

लेखापरीक्षा ने गूगल अर्थ प्रो के माध्यम से खनन योजना में उल्लिखित भू–निर्देशांक के संदर्भ में चार जिलों[1] के बालू घाटों की खनन योजना की जाँच की और टिप्पणियों को बाद के कंडिकाओं में प्रकाश डाला गया है।

[1] बांका, भोजपुर, पटना और रोहतास।

2.2.1 गलत भू–निर्देशांकों की स्वीकृति

लेखापरीक्षा ने तीन जिलों[2] में सोन नदी के कुल 86 बालू घाटों और बांका जिले में चंदन नदी के 20 बालू घाटों का विश्लेषण किया। उपरोक्त घाटों के निर्देशांक गूगल अर्थ प्रो पर निर्दिष्ट किए गए थे और उपलब्ध मुफ्त छवियों के अनुसार यह पाया गया कि खनन योजना में खनन गतिविधियों के लिए स्वीकृत दो जिलों[3] के पाँच बालू घाटों का क्षेत्र सही नहीं था। इसके अलावा, विशेषज्ञ एजेंसी ने भी उपर्युक्त कमियों को उजागर किया जैसा कि **चित्र 4 से 11** में दिखाया गया है:

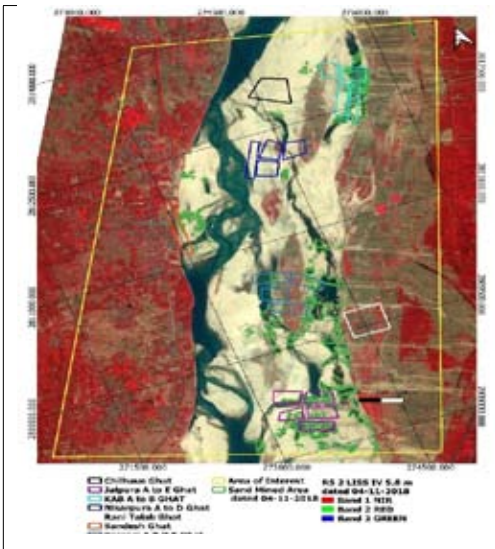

चित्र 4: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना द्वारा बालू घाट रानी तालाब के रूप में विशलेषण की गई एलआईएसएस–IV उपग्रह छवि को नदी के किनारे से दूर सफेद बहुभुज द्वारा सीमांकित किया गया है।

चित्र 5: गूगल अर्थ प्रो से जनवरी 2019 में पटना जिले के रानी तालाव बालू घाट की उपग्रह छवि।

चित्र 6 : भोजपुर जिले के फरहांगपुर बालू घाट की स्क्रीनशॉट उपग्रह छवि में दिखाया गया वनस्पति क्षेत्र।

चित्र 7: भोजपुर जिले में मनाचक बालू घाट का स्क्रीनशॉट उपग्रह छवि में दिखाया गया कृषि क्षेत्र।

[2] भोजपुर, पटना और रोहतास।

[3] भोजपुर और पटना।

चित्र 8: भोजपुर जिले के कमलुचक बालू घाट का स्क्रीनशॉट उपग्रह छवि नदी तल से दूर दिखाया गया है।

चित्र 9: भोजपुर जिले के संदेश बालू घाट का स्क्रीनशॉट उपग्रह छवि में दिखाया गया है कि कुछ हिस्सा नदी के तल से दूर है।

चित्र 10: बांका जिले में बैसा बालू घाट की स्क्रीनशॉट उपग्रह छवि में दिखाया गया है कि कुछ हिस्से गलत निर्देशांक के कारण नदी के तल से दूर है।

चित्र 11: बांका जिले के जीतापुर बालू घाट की स्क्रीनशॉट उपग्रह छवि में दिखाया गया है कि कुछ हिस्सा गलत निर्देशांक के कारण नदी के किनारे से दूर है।

उपरोक्त छवियों से यह देखा जा सकता है कि स्वीकृत खनन योजनाओं और पर्यावरण स्वीकृति के अनुसार बालू की निकासी के लिए स्वीकृत क्षेत्र नदी तल के स्थान पर निजी पट्टा (कृषि/आवासीय) भूमि में पाए गए थे। खनन योजना में गलत भू–निर्देशांक लिये जाने के कारण बांका जिले के बैसा और जीतापुर बालू घाटों में भी वही अनियमितताएँ पाई गईं क्योंकि कुछ निर्देशांक बस्ती में थे **(चित्र 10 और 11)**। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि रानी तालाब घाट एवं अन्य बालू घाटों की खनन योजना में बालू के भंडार का अनुमान तीन मीटर गहराई तक लगाया गया था, जो दर्शाता है कि खनन योजना केवल कागजी कार्रवाई के लिए तैयार की गई थी क्योंकि उपरोक्त बालू घाटों के निर्देशांक गलत थे।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि रोहतास जिले के परुहर बालू घाट में उच्च तीव्रता वाले विद्युत टावर (एक स्थायी संरचना) के मध्य में बालू निकासी के लिए खनन क्षेत्र दिया गया था, जो कि सतत बालू खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2020 के अनुसार निषिद्ध था जैसा कि **चित्र 15 और 16** में दिखाया गया है :

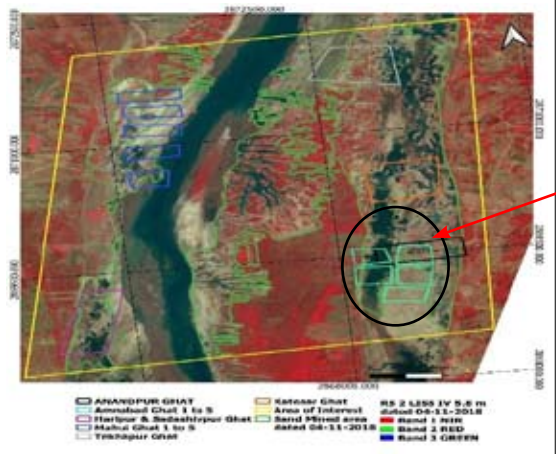

चित्र 12: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना ने ऊपर दिखाए गए आनंदपुर बालू घाट में अम्नाबाद के अतिव्यापी होने का भी विश्लेषण किया।

चित्र 13: स्क्रीनशॉट उपग्रह छवियों ने दिखाया कि आनंदपुर बालू घाट में अम्नाबाद बालू घाट का क्षेत्र अतिव्यापी है।

चित्र 14: रोहतास जिले के हुरका घाट का स्क्रीनशॉट उपग्रह छवि ब्लॉक 4 और 5 के निर्देशांक समान दिखाए गए है।

चित्र 15: उच्च तीव्रता वाली विद्युत संरचना का वृत्त में दिखाया गया था पो परूहर बालू घाट के स्वीकृत खनन क्षेत्र में स्थित था।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि स्वीकृत खनन योजना एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार बालू निकालने के लिए स्वीकृत क्षेत्र सही नहीं थे क्योंकि ये क्षेत्र निषिद्ध स्थान पर थे।

इसके अलावा, तीन जिलों में आठ बालू घाटों का संयुक्त भौतिक सत्यापन (नवम्बर 2021) संबंधित अंचलाधिकारियों और जिला खनन अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा किया गया था और पाया गया कि किसी भी बालू घाट का कोई सीमांकन नहीं किया गया था। नदी में पड़े दो बालू घाटों (परूहार और परूहार 2) के मामलों में खेसरा संख्या खनन योजना में उल्लेखित पाया गया था, लेकिन भौतिक सत्यापन के दौरान सत्यापित नहीं किया जा सका। इस संबंध मे अंचलाधिकारी रोहतास, ने बताया कि स्वीकृत बालू खदान क्षेत्र में संबंधित बालू घाटों और नदी में स्थित बालू घाटों के स्वीकृत खनन क्षेत्र और उच्च तीव्रता वाले विद्युत टावर का कोई सीमांकन नहीं पाया गया है।

छवि को **चित्र 16 से 19** में दिखाया गया है:

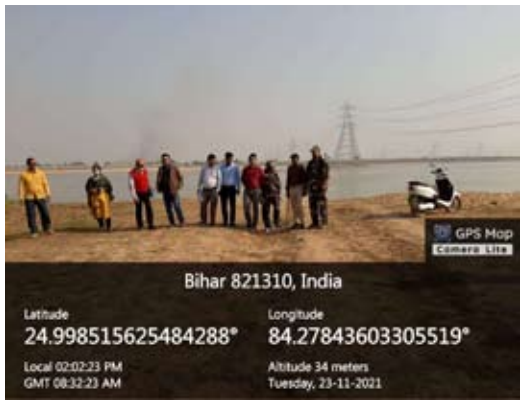

चित्र 16: परुहर बालू घाट पर संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया।

चित्र 17: उपग्रह छवियों के स्क्रीनशॉट में दिखाया गया भौतिक सत्यापन बिंदु।

चित्र 18 : महुई बालू घाट का सयुंक्त भौतिक सत्यापन छवि।

चित्र 19 : महूई बालू घाट के भौतिक सत्यापन बिन्दु जो उपग्रह छवि के स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है।

लेखापरीक्षा ने अनुमोदित खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति के संदर्भ में पत्थर खनन क्षेत्रों के भू–निर्देशांक का भी विश्लेषण किया और पाया कि तीन जिला खनन कार्यालयों[4] में अनुमोदित खनन योजना (क्षेत्र बनाने के लिए आवश्यक) में चार के बजाय केवल एकल निर्देशांक का उल्लेख किया गया है और साथ ही पर्यावरण स्वीकृति को अनुमोदित किया गया था। पूर्ण निर्देशांक के अभाव में, लेखापरीक्षा पत्थर के पट्टों के खनन क्षेत्र के वास्तविक सीमांकन/सीमा का पता नहीं लगा सका। वास्तविक सीमा की अनुपलब्धता के कारण स्वीकृत निकासी क्षेत्र का पता लगाना भी बहुत मुश्किल था। एकल निर्देशांक छवियों के मामले **चित्र 20 से 22** में दिखाए गए हैं:

[4] गया, नवादा और शेखपुरा।

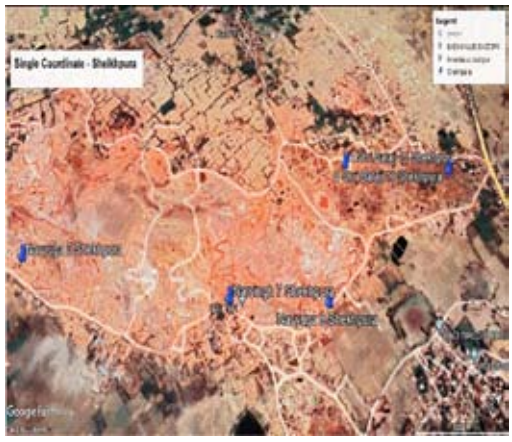

चित्र 20: शेखपुरा जिले का एकल निर्देशांक।

चित्र 21: नवादा जिले का एकल निर्देशांक।

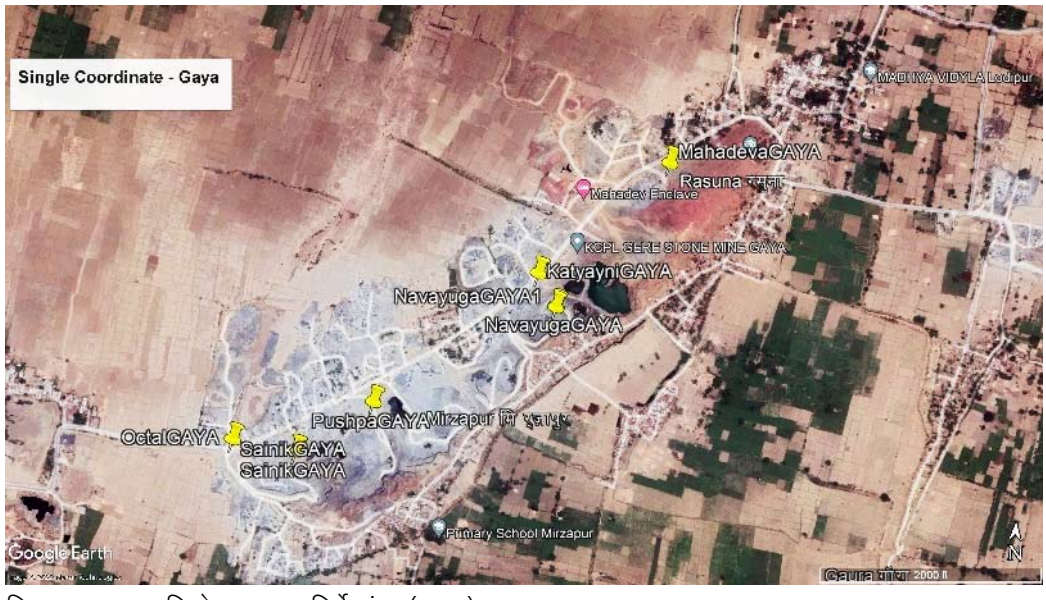

चित्र 22 : गया जिले का एक निर्देशांक (पत्थर)।

2.2.2 निषिद्ध क्षेत्र में बालू का खनन

बिहार बालू खनन नीति, 2013 के अनुसार, नदी के दोनों किनारों से पाँच मीटर की दूरी को छोड़कर बालू खनन किया जाना चाहिए और राजमार्ग एवं रेल पुल की 300 मीटर की सीमा में कोई खनन नहीं किया जाना चाहिए। सतत बालू खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार, पुलों से 200 से 500 मीटर के दायरे में स्थित किसी क्षेत्र में खनन नहीं किया जाएगा।

2.2.2.1 पुलों के पास बालू का खनन

गूगल अर्थ प्रो पर स्वीकृत खनन योजना में दिए गए भू–निर्देशांकों को इंगित करने के माध्यम से बांका जिले के उपग्रह छवियों का अध्ययन के दौरान पाया गया कि बिसुनपुर बालू घाट का आवंटित क्षेत्र ढ़ाका मोड़ बांका राजमार्ग पुल से 113 मीटर की दूरी पर है और मालदौन बालू घाट का आवंटित क्षेत्र बांका रेल पुल से 117 मीटर की दूरी पर है। आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि मंझीरा बालू घाट के निकट बांका रेल पुल के दोनों ओर खनन गतिविधियाँ की जा रही थी। **चित्र 23 से 25** में छवियाँ दिखाई गई हैं:

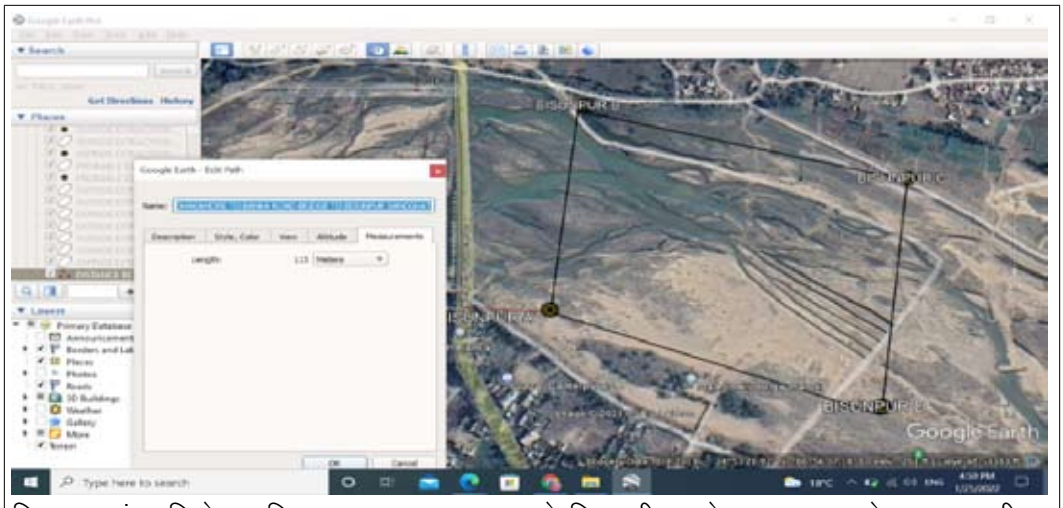

चित्र 23: बांका जिले का बिसुनपुर बालू घाट, खनन के लिए स्वीकृत क्षेत्र सड़क पुल से मात्र 113 मीटर की दूरी पर था।

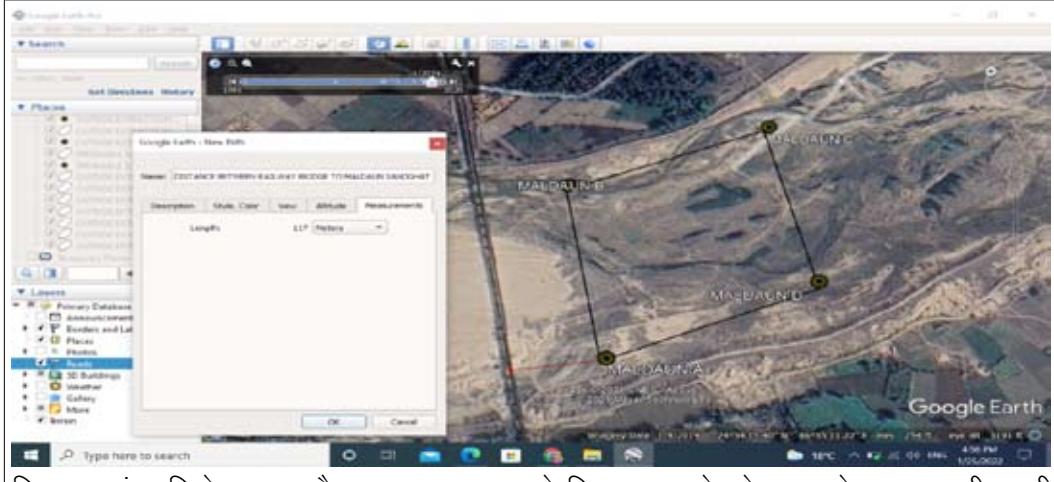

चित्र 24: बांका जिले का मालदौन बालू घाट, खनन के लिए अनुमत क्षेत्र रेल पुल से मात्र 117 मीटर की दूरी पर था।

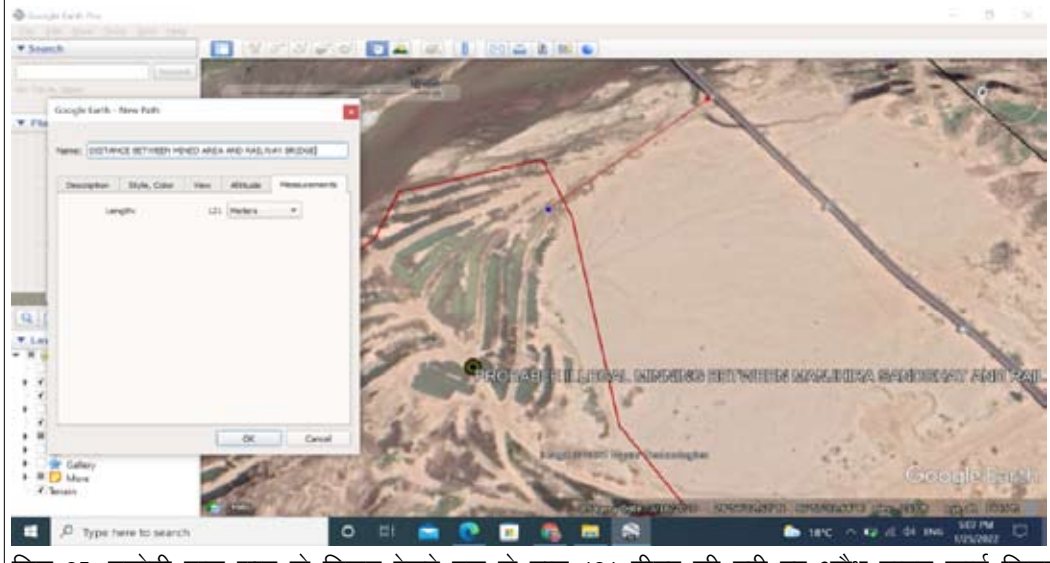

चित्र 25: मझोनी बालू घाट के निकट रेलवे पुल से मात्र 121 मीटर की दूरी पर अवैध खनन कार्य किया गया।

2.2.2.2 नदी के मध्य में बालू खनन के लिए क्षेत्र का आवंटन

बांका जिले के आठ बालू घाटों[5] का क्षेत्र चंदन नदी के मध्य में आवंटित किया गया था जो कि बिहार बालू खनन नीति, 2013 का पालन नहीं था, क्योंकि खनन क्षेत्र को नदी के दोनों किनारे पाँच मीटर छोड़कर आवंटित किया जाना चाहिए। छवियों को **चित्र 26 से 32** में दिखाया गया हैं:

चित्र 26: बैसा बालू घाट क्षेत्र में खनन की अनुमति नदी के मध्य में था।

चित्र 27: खनन के लिए स्वीकृत बिसुनपुर बालू घाट क्षेत्र नदी के मध्य में था।

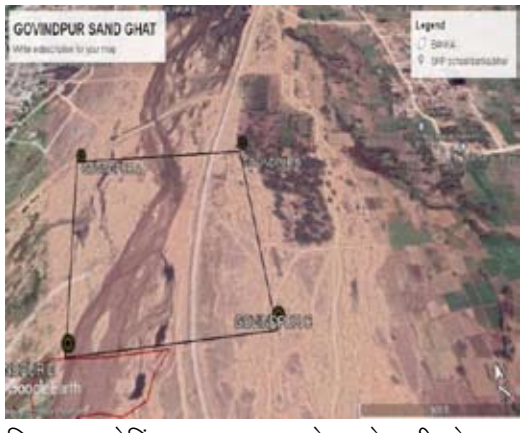

चित्र 28: गोविंदपुर बालू घाट क्षेत्र को नदी के मध्य में खनन की अनुमति थी।

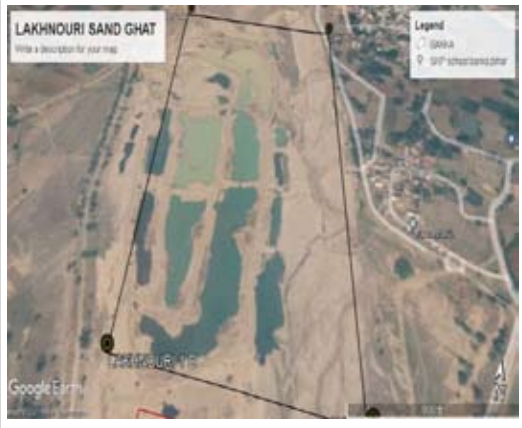

चित्र 29: खनन के लिए स्वीकृत लखनौरी बालू घाट क्षेत्र नदी के मध्य में था।

चित्र 30: खनन के लिए स्वीकृत मालदौन बालू घाट क्षेत्र नदी के मध्य में था।

चित्र 31: राजीपुर/काकना बालू घाट क्षेत्र में खनन की अनुमति नदी के मध्य में था।

[5] बैसा, बिसुनपुर, गोबिंदपुर, लखनौरी, मझोनी, मालदौन, पटवे भोरवा और राजीपुर/काकना।

चित्र 32: खनन के लिए स्वीकृत मझोनी और पटवे भोरवा बालू घाट क्षेत्र नदी के मध्य में था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आठ जिला खनन कार्यालयों[6] में बालू घाटों के पट्टेदारों ने विस्तारित अवधि के लिए खनन योजना तैयार नहीं की जो खनन कार्य शुरू करने से पहले अनिवार्य थी। विस्तार से पहले पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत की गई खनन योजना 2015–2019 या पट्टे की समाप्ति से पहले, जो भी पहले हो, के लिए वैध थी। परन्तु पट्टाधारकों द्वारा दिसम्बर 2021 तक बिना खनन योजना के लगातार बालू का उत्खनन किया गया। खनन योजना के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किसी विशेष बालू घाट से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कितनी बालू निकाली जानी थी।

इस प्रकार, खनन योजना या पर्यावरणीय स्वीकृति में संदर्भित भू–निर्देशांक की शुद्धता को क्रमशः खनन योजना या पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुमोदन के समय खान एवं भूतत्व विभाग या राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा जाँच नहीं किया गया था। इन योजनाओं के आधार पर गलत भू–निर्देशांक के साथ संबंधित जिला समाहर्त्ता द्वारा बालू घाटों के संचालन के लिए अनुज्ञप्ति जारी किया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि खान एवं भूतत्व विभाग और पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदाता प्राधिकारी ने संबंधित पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत खनन योजना की जाँच नहीं की। खनन योजना के लिए निर्धारित मानकों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप अवैध खनन हुआ (जैसा कि **अध्याय–4** में उजागर किया गया है) क्योंकि खनन के लिए उचित क्षेत्र का न तो सीमांकन किया गया था और न ही जाँच, साथ ही उसने पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य को भी विफल कर दिया।

इसे इंगित किए जाने पर, खान एवं भूतत्व विभाग ने कहा कि पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत और एक मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति द्वारा बनाई गई खनन योजना की जाँच एवं अनुमोदन निदेशक, खान की अध्यक्षता में एक अंतर–विभागीय समिति द्वारा किया गया, जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग, परिवर्तन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हैं। इन खनन योजनाओं को 2016 में अनुमोदित किया गया था और राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण ने जाँच के बाद पट्टेदार को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की थी। 2015 में नीलाम किए गए बालू के घाट सटे हुए थे और उनके बीच एक समान सीमा थी, इसलिए उनका एक भू–निर्देशांक अतिव्यापी दिखाई देता है लेकिन उनका क्षेत्र अतिव्यापी नहीं है और वे खास और अलग हैं। घाटों की पर्यावरण स्वीकृति 2016 में दी गई थी, जबकि प्रारूप कंडिका में संलग्न तस्वीरें 2018 या 2020 की भी हैं। पर्यावरणीय स्वीकृति की मंजूरी के लिए जमा किए गए पर्यावरण मंजूरी फॉर्म में आवासीय क्षेत्र, रेलवे और सड़क पुलों, उच्च तनाव तार और टावर आदि से संबंधित जानकारी शामिल है। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण इसकी जाँच कर पर्यावरण स्वीकृति देता है। इस प्रकार, पट्टा क्षेत्रों में पाए जाने वाले ढांचे शायद बाद में बने ढांचे हैं।

[6] औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, गया, नवादा, पटना, रोहतास एवं सारण।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खनन योजना में उल्लिखित भू–निर्देशांक लेखापरीक्षा द्वारा गलत पाये गये थे, जिसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, पटना द्वारा प्रमाणित भी किया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने सत्यापित किया कि उच्च तनाव टावर, पुलों और आवासीय क्षेत्रों जैसी संरचनाएँ बालू पट्टे की मंजूरी से पहले मौजूद थी।

2.3 पट्टे की विस्तार अवधि में बन्दोबस्त बालू घाटों का पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त न करना

खान एवं भूतत्व विभाग ने 2015 से 2019 के बालू पट्टे की अवधि को पिछले वर्ष की बंदोबस्त राशि के 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दिसंबर 2021[7] तक बढ़ाने की अनुमति दी जिन्हें 2015 से 2019 तक बालू पट्टा प्राप्त था। पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता पाँच वर्ष या पट्टे की समाप्ति जो भी पहले हो थी। इसके अलावा, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण ने निर्देश दिया[8] (जनवरी 2020) कि पट्टा की विस्तारित अवधि यानी अक्टूबर 2020 के लिए बालू के खनन से पहले पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए अन्यथा यह प्रासंगिक पर्यावरण मानदंडों के खिलाफ होगा क्योंकि पर्यावरणीय स्वीकृति का विस्तार देने पर ही खनन पट्टे का विस्तार स्वतः नहीं होता है। इसी प्रकार, पर्यावरणीय स्वीकृति का विस्तार खनन पट्टे का स्वतः विस्तार नहीं देता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने यह भी विचार रखा था कि यदि पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले सरकार द्वारा पट्टे का विस्तारित किया गया, (दिसंबर 2019), तो पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पट्टेदारों ने विस्तार अवधि अर्थात जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक बालू खनन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण/जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं ली और न ही विस्तार अवधि के लिए खनन योजना तैयार की जबकि खान एवं भूतत्व विभाग ने पट्टेदारों को पर्यावरणीय स्वीकृति लेने के लिए बाध्य नहीं किया। हालाँकि, इस अवधि के दौरान 14 नमूना जिलों में से नौ जिलों[9] के सभी बालू घाटों में खनन गतिविधि की गई थी। इस प्रकार, बिना पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये और साथ ही सक्षम प्राधिकारी से खनन योजना तैयार किये बिना ही विभाग द्वारा खनन पट्टे का अनियमित विस्तार दो वर्ष की अवधि के लिए दिया गया था जो पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता को निर्धारित करने वाले मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि बालू घाटों की नीलामी 2015 में की गई थी जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति 2016 और 2020 के बीच दी गई थी। आगे यह भी कहा गया कि पट्टा की वैधता के विस्तार पर, पर्यावरणीय स्वीकृति को भी अधिकतम सीमा पाँच साल की अवधि के अधीन बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्पष्ट किया (जनवरी 2021) कि महामारी के कारण, 2020–21 में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता से छूट दी गई थी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 स्पष्ट रूप से कहती है कि पट्टे के विस्तार से पहले पर्यावरणीय स्वीकृति का विस्तार लिया जाना चाहिए। इसके अलावा, महामारी पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना इस मामले में लागू नहीं है क्योंकि पट्टा महामारी से पहले बढ़ा दिया गया था।

अनुशंसाः खान एवं भूतत्व विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किसी भी खनन गतिविधि और खनन पट्टे के विस्तार से पहले पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए।

---

[7] वर्ष 2020 में दो बार यानी अक्टूबर 2020 तक और दूसरी बार दिसम्बर 2020 तक और वर्ष 2021 में तीन बार यानी मार्च 2021 तक, सितम्बर 2021 तक और दिसम्बर 2021 तक।

[8] पत्रांक संख्या 370 दिनांक 06.01.2020 और 372 दिनाक 07.01.2020।

[9] औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, गया, नवादा, पटना, रोहतास, सारण और वैशाली।

2.4 लघु खनिजों के रूप में घोषित किए जाने के बाद खनिजों की नीलामी/बन्दोबस्त न करना

केंद्र सरकार ने खान मंत्रालय के खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के खंड (ई) के अधिसूचना संख्या एसओ 423 (ई) दिनांक 10 फरवरी 2015 के तहत अभ्रक, क्वाट्र्ज/क्वार्टजाइट और सिलिका बालू को लघु खनिज घोषित किया।

इसके अलावा, बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2014 के अनुसार, लघु खनिज की बंदोबस्ती को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से पाँच साल के लिए नीलाम किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लघु खनिज घोषित होने के बाद अभ्रक, क्वार्टज/क्वार्टजाइट एवं सिलिका बालू को उपलब्धता के आधार पर नीलाम किया जाना था तथा रॉयल्टी एवं किराया बंदोबस्ती के आधार पर वसूल किया जाना था तथा नीलामी एवं बंदोबस्ती की प्रक्रिया मानदण्डों के अनुसार की जानी थी। यह भी प्रासंगिक है कि खान एवं भूतत्व विभाग ने 2016 तक अभ्रक/सिलिका से पहले ही राजस्व प्राप्त कर लिया था लेकिन 2015 में इन्हें लघु खनिजों के रूप में घोषित किए जाने के बाद अभ्रक, क्वाट्र्ज/क्वार्टजाइट और सिलिका बालू की नीलामी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इससे विभाग को राजस्व का नुकसान हुआ।

विभाग ने बताया (मई 2022) कि नवादा जिले में अभ्रक के तीन खनन पट्टे परिचालन में थे, हालाँकि, इन्हें पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त न होने और अन्य कारणों से रद्द कर दिया गया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सिलिका, अभ्रक और क्वाट्र्ज/क्वार्टजाइट का खनन उस समय चल रहा था जब इन खनिजों को प्रमुख खनिज माना जाता था। इन खनिजों को लघु घोषित किये जाने के बाद विभाग द्वारा इनकी नीलामी नहीं की गयी।

अध्याय–3
खनन प्राप्तियों का मूल्यांकन एवं संग्रहण

अध्याय–3

खनन प्राप्तियों का मूल्यांकन एवं संग्रहण

खनन पट्टे के रूप में चूना–पत्थर को छोड़कर किसी भी खनिज रियायत की बन्दोबस्ती सार्वजनिक नीलामी–सह–निविदा के आधार पर केवल ई–बिडिंग के माध्यम से और राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुसार की जानी थी। खान और भूविज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना के अनुसार चूना–पत्थर का पट्टा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निष्पादित किया जाता है। जहाँ नियमों के अधीन खनिज रियायत दी जाती है, औपचारिक पट्टा विलेख पट्टा स्वीकृत करने के आदेश के 180 दिनों के अन्तर समाहर्त्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निष्पादित किया जाएगा। यदि वह व्यक्ति जिसे ऐसी खनिज रियायत दी गई है, उपरोक्त अवधि के अन्दर निष्पादन के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है, तो पट्टा स्वीकृत करने का आदेश रद्द कर दिया गया माना जाएगा और उस स्थिति में, आवेदन शुल्क और सुरक्षा जमा राशि जब्त होगी। पत्थर के पट्टे का बन्दोबस्त पाँच साल के लिए होगा और राशि पाँच समान किश्तों में वसूल की जाएगी। किश्त की राशि 31 जनवरी से पहले अग्रिम रूप में वसूल की जाएगी। बालू खनन नीति के अनुसार बालू घाटों की बन्दोबस्त राशि आगे लगातार वर्षों के लिए पिछले वर्ष से 20 प्रतिशत बढाकर की जायेगी। प्रत्येक वर्ष के लिए बन्दोबस्त की राशि निम्न प्रकार से वसूल की जाएगी :–

तालिका–3

क्र. सं.	किश्त	भुगतान की देय तिथि
1.	पहली किश्त (50 प्रतिशत)	पहले वर्ष के लिए कार्य आदेश जारी करने से पहले और तब 15 दिसंबर के बाद
2.	दूसरी किश्त (25 प्रतिशत)	15 अप्रैल तक
3.	तीसरी किश्त (25 प्रतिशत)	15 सितम्बर तक

नियमावली बकाया किराए, रॉयल्टी और शुल्क पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगाने का प्रावधान करती है।

खान एवं भूतत्व विभाग ने 22 जुलाई 2014 को पाँच साल (2015–19) की अवधि के लिए बालू घाटों की बंदोबस्ती के लिए निविदा–सह–नीलामी के आधार पर योग्य उच्चतम बोलीदाताओं के लिए एक अधिसूचना जारी की। इसके अलावा, खान एवं भूतत्व विभाग ने 2020 से 2024 की अवधि के लिए सभी जिलों के बालू घाटों की नीलामी के लिए निविदा आमंत्रित की (अगस्त 2019) और सितंबर 2019 से पहले प्रक्रिया पूरी की जानी थी। लेकिन, अपूर्ण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन के कारण पट्टों को अमल में नहीं लाया जा सका। चूंकि नई निविदा अमल में नहीं आ सकी, खान एवं भूतत्व विभाग[1] ने 2015 से 2019 के बालू पट्टों को, बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन रोकथाम, परिवहन और भंडारण) नियमावाली, 2019 के नियम 77 (2) के अनुसार पिछले वर्ष की राशि के बंदोबस्त राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दिसम्बर 2021 तक बढ़ा दिया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1 बालू घाटों के पट्टेदार द्वारा 2015–19 की अवधि के दौरान पट्टे के समर्पण के कारण सरकारी राजस्व की हानिः ₹18.63 करोड़

बिहार बालू खनन नीति, 2013 प्रावधित करती है कि ऐसे मामलों में जहाँ पट्टेदार बंदोबस्त अवधि के दौरान पट्टा वापस ले लेता है, नियमावली पट्टे को रद्द करने और पूर्ण बंदोबस्त राशि की वसूली के साथ–साथ सुरक्षा जमा को जब्त करने का प्रावधान करती है। इसके अलावा, यदि पहला

[1] अधिसूचना संख्या 4948 दिनांक 27.12.2019, अधिसूचना संख्या 2646 दिनांक 14.03.2020, अधिसूचना संख्या 3436 दिनांक 30.12.2020 और अधिसूचना संख्या 986 दिनांक 31.03.2021।

पट्टेदार बंदोबस्त से हट जाता है, तो समाहर्त्ता को दूसरे उच्चतम बोली लगाने वाले को उसी नियम और शर्तों पर बंदोबस्ती के लिए एक अवसर देना आवश्यक है जो पहली बोली लगाने वाले के लिए लागू था, जिसके बाद, बालू घाटों के बंदोबस्ती के लिए नई नीलामी शुरू करने की आवश्यकता थी। उपरोक्त नीति के तहत पट्टे के बीच में समर्पण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा ने जिला खनन कार्यालय, भागलपुर में पाया कि 2015 से 2019 की पट्टा अवधि के पहले कैलेंडर वर्ष के लिए पात्र बोलीदाता[2] को बालू घाटों का बंदोबस्त ₹ 4.90 करोड़ पर किया गया, जिसमें पिछले वर्ष की बंदोबस्ती राशि को प्रत्येक अगले लगातार वर्षों के लिए 20 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान था। कार्य आदेश 22 अगस्त 2015 को जारी किया गया। जारी किए गए कार्य आदेश के अनुसार पट्टेदार को खनन योजना प्रस्तुत करने और राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता थी, लेकिन पट्टेदार ने 12 बालू घाटों में से केवल तीन बालू घाटों[3] के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की। आगे, पट्टेदार ने शेष नौ बालू घाटों की संशोधित खनन योजना प्रस्तुत की थी, लेकिन अंतर विभागीय समिति ने संशोधित खनन योजना के आवेदन को खारिज कर दिया (अक्टूबर 2017) और जिला समाहर्त्ता को नौ बालू घाटों के पट्टे को रद्द करने और उनकी पुनर्बन्दोबस्ती के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। तदनुसार, इसे जिला समाहर्त्ता द्वारा रद्द कर दिया गया (25 अक्टूबर 2017)। इस बीच, पट्टेदार ने बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के तहत बालू घाटों के पट्टे को समर्पण करने का अनुरोध किया और खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा संशोधित खनन योजना की स्वीकृति न होने के कारण सुरक्षा जमा राशि ₹ 1.76 करोड़ जारी करने का अनुरोध किया (11 अक्टूबर 2017)। उपरोक्त अनुरोध पर, खान एवं भूतत्व विभाग ने पट्टा रद्द करने के बावजूद ₹ 1.76 करोड़ की सुरक्षा जमा वापस कर दी (फरवरी 2019)।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि उपरोक्त मामले को कार्य आदेश के साथ–साथ बिहार बालू खनन नीति, 2013 के प्रावधानों के तहत निपटाया जाना चाहिए था। चूँकि बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017, दिनांक 10.10.2017 से प्रभावी हुई तथा आगे माननीय पटना उच्च न्यायालय (नवम्बर 2017) द्वारा नीति की शर्तों के साथ–साथ पट्टेदार, द्वारा अधिसूचना के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया गया, नौ बालू घाटों के निरस्तीकरण के बाद नियमानुसार सुरक्षा जमा जब्त करने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन न तो जिला समाहर्त्ता और न ही जिला खनन अधिकारी ने पट्टेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की और साथ ही दूसरे सबसे अधिक बोली लगाने वाले को पट्टे की पेशकश नहीं की, जिससे राज्य के राजस्व की रक्षा करने में विफल रहें। परिणामस्वरूप, भागलपुर के बालू घाटों को 2018 और 2019 के दौरान चालू नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 18.63 करोड़[4] के राजस्व की हानि हुई और साथ ही पट्टेदार को अनुचित लाभ मिला।

इसे इंगित किए जाने पर, जिला खनन अधिकारी ने कहा कि मामला पहले ही खान एवं भूतत्व विभाग को अवगत करा दिया गया था। हालाँकि पट्टाधारक बढ़ते हानि और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का पालन न होने के कारण बालू घाट को परिचालित करने के लिए तैयार नहीं थे। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

---

[2] मेसर्स सैनिक फूड प्राइवेट लिमिटेड।

[3] जून 2016 में गेरूआ नदी का महीयामा घाट और चन्दन नदी का मनीकपूर घाट नाम के दो बालू घाट तथा एक फरवरी 2017 में गेरूआ नदी का बथानी घाट।

[4] **(राशि ₹ में)**

वर्ष	बन्दोबस्त राशि	भुगतान	देय राशि
2015	4,90,00,000	4,90,00,000	0
2016	5,88,00,000	5,88,00,000	0
2017	7,05,60,000	7,05,60,000	0
2018	8,46,72,000	0	8,46,72,000
2019	10,16,06,400	0	10,16,06,400
कुल	**36,46,38,400**	**17,83,60,000**	**18,62,78,400**

3.2 पट्टा की विस्तारित अवधि के लिए बंदोबस्त राशि की गलत गणना के कारण रॉयल्टी और अन्य प्राप्तियों की वास्तविक राशि की नहीं/कम वसूली: ₹ 17.65 करोड

खान आयुक्त के आदेशानुसार बंदोबस्त राशि की गणना लीप वर्ष को ध्यान में रखते हुए दिनों की संख्या के आधार पर की जानी थी। विस्तार अवधि अर्थात 1 जनवरी 2020 से 31 अक्टूबर 2020 के लिए बंदोबस्त राशि 2019 की बंदोबस्त राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि पर आधारित थी और गणना 366 दिनों पर आधारित होनी थी। इसके अलावा, खान एवं भूतत्व विभाग के आदेश के अनुसार, कोवीड अवधि के लिए 43 दिनों की रॉयल्टी से छूट दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने सात जिला खनिज कार्यालयों[5] में पाया कि बालू घाटों के पट्टों को संबंधित पट्टेदारों द्वारा विस्तारित अवधि के दौरान पिछले वर्ष अर्थात 2019 की पट्टा राशि के 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ निष्पादित किया गया था, लेकिन, इन जिला खनिज कार्यालयों ने सही बंदोबस्त राशि की गणना नहीं की थी, क्योंकि लीप वर्ष का एक दिन बंदोबस्त राशि में शामिल नहीं था। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि खान एवं भूतत्व विभाग ने जिला खनन कार्यालयों द्वारा बंदोबस्त राशि की गणना की निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि खान एवं भूतत्व विभाग ने 2020 के दौरान कोविड–19 महामारी के कारण 43 दिनों की राहत का प्रावधान किया था लेकिन जिला खनन अधिकारी, औरंगाबाद ने 45 दिनों की छूट दी थी। जिसके परिणामस्वरूप पट्टेदार को ₹ 0.84 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ। जिलेवार विवरण **तालिका–4** में दिया गया है:

तालिका–4

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	जिला खनन कार्यालय का नाम	वर्ष	2019 के लिए बंदोबस्त राशि	नियम के अनुसार 2020 के लिए बंदोबस्त राशि (366 दिन)	43 दिनों की कटौती के बाद 2020 के लिए वास्तविक बंदोबस्त राशि	366 दिनों में से 323 के लिए जिला खनन अधिकारी द्वारा निर्धारित बंदोबस्त राशि	पट्टेदार द्वारा दिया गया राशि	रॉयल्टी का कम भुगतान	जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का कम भुगतान (रॉयल्टी के कम भुगतान का 2 प्रतिशत)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8(5-7)	(9)
1.	रोहतास	2020	1,35,87,85,290	2,04,37,61,984	1,80,36,47,871	1,79,87,19,876	1,65,39,39,365	14,97,08,506	29,94,170
2.	औरंगाबाद		1,02,17,07,510	1,53,67,60,063	1,35,62,11,750	1,35,25,06,264	1,35,25,06,254	37,05,496	74,110
3.	बांका		45,49,06,368	68,42,29,030	60,38,41,466	60,21,91,626	60,21,91,627	16,49,839	32,997
4.	नवादा		15,88,37,760	23,89,09,398	21,08,40,808	21,02,64,925	21,02,64,930	5,75,878	11,518
5.	सारण		5,45,16,354	8,19,98,571	7,23,64,859	7,21,67,141	7,21,10,781	2,54,078	5,082
6.	गया		43,54,56,000	65,49,73,545	57,80,23,101	57,64,43,803	57,64,43,803	15,79,298	31,586
कुल								**15,74,73,095**	**31,49,463**
	जिला खनन कार्यालय का नाम	**वर्ष**	**जिला खनन अधिकारी द्वारा 2020 के लिए निर्धारित बन्दोबस्त राशि**	**नियम के अनुसार 2020 के लिए अप्रैल 2021 तक बन्दोबस्त राशि**		**जिला खनन अधिकारी द्वारा नियत बन्दोबस्त राशि 4/2021 तक**	**पट्टेदारो द्वारा भुगतान की गई राशि**	**रॉयल्टी का कम भुगतान**	**जिला खनिज फाउण्डेशन का कम भुगतान**
1.	भोजपुर	2021	2,23,08,64,794	1,09,71,46,620		1,09,41,48,960	1,09,41,48,960	29,97,660	59,953

आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला खनन अधिकारी, रोहतास विस्तारित अवधि 2020 के दौरान ₹ 179.87 करोड़ की कुल बंदोबस्त राशि के विरूद्ध ₹ 14.48 करोड़ की बंदोबस्त राशि की वसूली करने में विफल रहा। इसके अलावा, 2020 की विस्तारित अवधि के लिए बंदोबस्त राशि को भी लेखापरीक्षा द्वारा गलत पाया गया।

इस प्रकार, बंदोबस्ती राशि की गलत गणना के कारण, रॉयल्टी के रूप में ₹16.05 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई। इसके अलावा, गलत गणना के कारण जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की राशि ₹ 0.32 करोड़ और 1.28 करोड़ का मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस आठ प्रतिशत की दर से भी कम वसूल किया गया था।

[5] औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, गया, नवादा, रोहतास और सारण।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि गणना की जाँच के बाद कार्रवाई की जायेगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसाः विभाग के पास प्रत्येक वर्ष के लिए जिलावार बंदोबस्त राशि की निगरानी के लिए एक तंत्र होना चाहिए।

3.3 बालू घाटों के बन्दोबस्ती के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जानाः ₹ 10.22 करोड़

बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2019, के नियम 29 बी (4) के अनुसार निर्धारित तिथि के अन्दर किसी किश्त के भुगतान न होने पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।

आठ जिला खनन कार्यालयों[6] में लेखापरीक्षा ने पाया कि बालू घाटों के पट्टेदारों ने रॉयल्टी/बन्दोबस्त राशि का भुगतान 2016 से विस्तारित अवधि सितंबर 2021 तक की अवधि में एक से 225 दिनों तक की देरी के साथ किया। पट्टेदारों को विलंबित भुगतान पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ₹ 10.22 करोड़ ब्याज देय था जैसा कि **परिशिष्ट–1** में वर्णित है। यद्यपि संबंधित जिला खनन अधिकारियों को रॉयल्टी जमा करने में देरी के तथ्य के बारे में पता था, उन्होंने चूक के बाद न तो पट्टा रद्द किया और न ही विलंबित भुगतान के लिए ₹ 10.22 करोड़ का ब्याज का आरोपण किया।

इसे इंगित किए जाने पर जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.4 बालू घाटों की विस्तारित अवधि के बंदोबस्त के लिए सुरक्षा जमा की वसूली न होनाः ₹ 94.97 करोड़

बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2019, प्रावधित करता है कि बालू का प्रत्येक पट्टेदार लघु खनिज के रूप में नीलाम/निविदा राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि को बंदोबस्त के नियमों और शर्तों के उचित पालन के लिए सुरक्षा के रूप में जमा करेगा, जमा राशि को बन्दोबस्त अवधि की समाप्ति के बाद वापस किया जाएगा या खनन अधिकारी द्वारा बंदोबस्त की अंतिम किश्त के साथ बन्दोबस्ती समायोजित की जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग के विशेष सचिव–सह–निदेशक ने भी मुख्यालय को सूचित करते हुए बालू घाटों के बंदोबस्त की विस्तारित अवधि के लिए पट्टेदार से सुरक्षा जमा वसूल करने का भी निर्देश (फरवरी 2020) दिया था।

आठ जिला खनन कार्यालयों[7] में लेखापरीक्षा ने पाया कि विभागीय अधिसूचना के अनुसार 2015–19 की पट्टा अवधि, जिसे 2019 की बंदोबस्त राशि में 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था और इन जिलों में बालू घाटों के पट्टेदारों ने अक्टूबर 2020तक अपना बंदोबस्त जारी रखा था जिसे चरणबद्ध तरीके[8] से आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया। पाँच वर्षों (2015–19) के लिए वसूली गई सुरक्षा जमा 2019 की बंदोबस्त राशि की तीसरी किश्त के विरुद्ध समायोजित की गई थी। कार्यादेशों/सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, बालू घाटों के पट्टेदारों को ₹ 94.97 करोड़ की नई सुरक्षा जमा का भुगतान करना था, जैसा कि **परिशिष्ट–2** में वर्णित है। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन जिला खनन अधिकारियों द्वारा सुरक्षा जमा वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी (दिसंबर 2021)।

---

[6] औरंगाबाद, बांका, गया, कैमूर, नवादा, पटना, सारण और वैशाली।

[7] औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, नवादा, पटना, रोहतास, सारण और वैशाली।

[8]

पहला विस्तार	अक्टूबर 2020 तक
दूसरा विस्तार	दिसम्बर 2020 तक
तीसरा विस्तार	मार्च 2021 तक
चौथा विस्तार	सितम्बर 2021 तक
पाँचवा विस्तार	दिसम्बर 2021 तक

यद्यपि, बिहार बालू खनन नीति 2013, में अभ्यर्पण का कोई प्रावधान नहीं था, लेखापरीक्षा ने आगे पाँच जिला खनिज कार्यालयों[9] में पाया कि केवल अप्रैल 2021 तक देय बंदोबस्त राशि का भुगतान किया और पट्टेदारों ने सितंबर 2021 तक विस्तार होने के बावजूद पट्टे को अभ्यर्पण कर दिया (मई 2021)। लेखापरीक्षा ने कार्यादेश के अनुसार देय किश्त की राशि की गणना की जिसका भुगतान पट्टेदारों द्वारा नहीं किया गया था जैसा कि **तालिका–5** में दिया गया है:

तालिका–5

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जिला का नाम	अवधि	देय बन्दोबस्त राशि
1.	पटना	01.05.2021 से 30.09.2021	80,48,58,604
2.	भोजपुर	01.05.2021 से 30.09.2021	1,39,96,11,355
3.	रोहतास	01.05.2021 से 30.09.2021	1,27,38,61,210
4.	औरंगाबाद	01.05.2021 से 30.09.2021	95,78,50,800
5.	सारण	01.05.2021 से 30.09.2021	5,14,17,138
कुल			**4,48,75,99,107**

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि संबंधित जिला खनन अधिकारी राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए ₹ 448.76 करोड़ की बंदोबस्त राशि की वसूली करने में विफल रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ, बल्कि अवैध खनन गतिविधियों से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यदि जिला खनन कार्यालय विस्तारित अवधि के लिए सुरक्षा जमा वसूल करते तो इन बालू घाटों के पट्टों के अभ्यर्पण की स्थिति में कम से कम उसे जब्त कर लिया जा सकता था।

इसे इंगित किए जाने पर जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसा: बालू घाटों की बंदोबस्त की विस्तारित अवधि के लिए सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भण्ड़ारण की रोकथाम) नियमावली, 2019 के अनुसार सुरक्षा जमा की वसूली की जानी चाहिए।

3.5 बंदोबस्त हुए बालू घाटों के लिए पंजीकृत विलेख का निष्पादन न करने के कारण मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस की वसूली न होना: ₹ 97.41 करोड़

बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंड़ारण की रोकथाम) नियमावली, 2019 के नियम 29(3) के अनुसार, पट्टा विलेख उचित मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस का भुगतान करके विधिवत पंजीकृत होना चाहिए। बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 1972 का नियम 11बी (2) में प्रावधित करता है कि जहाँ बन्दोबस्ती सार्वजनिक नीलामी सह निविदा द्वारा की जाती है, एक विलेख प्रपत्र 'O' या उसके निकट एक प्रपत्र के रूप में जैसा कि इस नियम में प्रत्येक मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता हो सकती है, बंदोबस्त के कार्य आदेश जारी होने के 60 दिनों के अन्दर निष्पादित किया जाएगा, और यदि पट्टेदार की ओर से विफलता के कारण ऐसा कोई विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है, तो सुरक्षा जमा और भुगतान की गई अन्य राशि को जब्त कर लिया जा सकता है। इसके अलावा, विभाग ने विस्तार की अनुमति देते हुए विस्तारित अवधि के लिए अनुबंध का निबंधन भी अनिवार्य किया (दिसंबर 2019)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो जिला खनन कार्यालयों[10] में, बालू घाटों के पट्टेदारों ने जनवरी 2017 से 2019 की अवधि के दौरान लागू मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस के विरुद्ध ₹ 4.75 करोड़ मुद्रांक शुल्क/निबंधन फीस कम जमा की थी। इसके अलावा, उपरोक्त मुद्रांक शुल्क/निबंधन

[9] औरंगाबाद, भोजपुर पटना, रोहतास और सारण।

[10] कैमूर और रोहतास।

फीस पहले से ही सरकार द्वारा तय की गई बालू के विक्रय मूल्य में शामिल था, इसलिए, इस मुद्रांक शुल्क/निबंधन फीस को भी पट्टेदारों द्वारा वसूल किया जा रहा था।

उपरोक्त के अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल एक जिला खनन अधिकारी, भोजपुर ने विस्तार अवधि के दौरान विलेख को निबंधित करवाया। जबकि जिला खनन अधिकारी, पटना ने मुद्रांक शुल्क/निबंधन फीस की वसुली होने पर भी विलेख को निबंधित नहीं कराया। आगे, जिला खनन कार्यालय, भोजपुर में विलेखों को कम बंदोबस्त राशि पर निष्पादित किया गया था जो जनवरी 2021 से मार्च 2021 के दौरान गलत तरीके से जिला खनन अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई थी और इसलिए कम मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस वसूल की गई थी। सात जिला खनन अधिकारी[11] विलेखों को निष्पादित करने में विफल रहे या विलेख कम राशि पर निष्पादित किए जिसके परिणामस्वरूप पट्टेदारों से ₹ 92.66 करोड़ कम मुद्रांक शुल्क/निबंधन फीस एकत्र की जा रही थी। अतः ₹ 97.41 करोड़ की राशि मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के रूप में वसूल नहीं की जा सकी, जैसा कि **परिशिष्ट–3** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि पट्टाधारकों को विलेखों के निबंधन के लिए सूचना जारी की गई है और जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसाः खान एवं भूतत्व विभाग को समय पर राजस्व के निर्धारण और उचित वसूली के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए और किसी भी चूक के मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

3.6 बालू घाटों के पट्टेदार द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के स्थान पर जमा करायी गयी बैंक गारंटी का पुनर्वैधीकरण न होने के कारण सरकार को राजस्व की हानिः ₹ 11.10 करोड़

लेखापरीक्षा ने दो जिला खनन कार्यालयों[12] में पाया कि बालू घाटों का बंदोबस्त कैलेंडर वर्ष 2015 से 2019 के लिए किया गया था। पट्टेदारों को सरकार द्वारा निर्धारित बंदोबस्त राशि का छह प्रतिशत मुद्रांक शुल्क और दो प्रतिशत निबंधन फीस का भुगतान करना था और तदनुसार अनुबंध विलेख का निबंधन निष्पादित किया जाना था।

उपरोक्त दो मामलों में, पट्टाधारक मुद्रांक शुल्क/निबंधन फीस की राहत के लिए अदालत पहुँचे और माननीय उच्च न्यायालय, पटना के अंतरिम आदेश[13] (नवंबर 2017), के अनुपालन में, इन दो जिलों के जिला उप निबंधक के कार्यालय ने सहमति व्यक्त की, कि बालू घाट के बंदोबस्त के लिए जिला खनन अधिकारी, बांका और नालंदा के साथ खनन पट्टा समझौते के निबंधन के लिए मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस के लिए अंतर राशि जमा करने के बदले निम्नलिखित तरीके से बैंक गारंटी स्वीकार करें।

1. पट्टा राशि का कुल देय का मुद्रांक शुल्क छः प्रतिशत और निबंधन फीस दो प्रतिशत की दर से।
2. पट्टा के निबंधन के समय देय राशि, पट्टा के अनुबंध राशि का पाँच प्रतिशत पर मुद्रांक शुल्क छः प्रतिशत तथा निबंधन फीस दो प्रतिशत की दर से।
3. जमा करने योग्य बैंक गारंटी (1 से 2 घटाये)।

तदनुसार, दोनों जिलों में बालू घाटों के पट्टेदारों ने दिनांक 31 दिसम्बर 2019 तक की वैधता के साथ 2017 से 2019 के दौरान मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस के लिए ₹ 11.10 करोड़ की बैंक गारंटी जमा की, जैसा कि **परिशिष्ट–4** में वर्णित है। इस संबंध में, माननीय उच्च न्यायालय ने खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार के पक्ष में अंतिम निर्णय पारित किया, (जुलाई 2019) जिसमें कहा गया था कि उपरोक्त मामलों में मुद्रांक शुल्क/ निबंधन फीस लगाया जाना था।

[11] औरंगाबाद, भोजपुर, गया, नवादा, पटना, रोहतास और वैशाली।

[12] बांका और नालन्दा।

[13] सी डब्ल्यू जे सी 7034/2016 अमन सेट्ठी बनाम बिहार सरकार।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी छः बैंक गारंटी 31.12.2019 को समाप्त हो गई थी। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने दोनों जिला निबंधन कार्यालयों से बैंक गारंटी की वैधता के बारे में भी पूछताछ की और उन्होंने जवाब दिया कि उपरोक्त बैंक गारंटी को पुनर्वैध नहीं किया गया था (दिसम्बर 2021)। आगे यह भी पाया गया कि इन जिलों के बालू घाटों के पट्टेदार द्वारा जमा किये गये सुरक्षा जमा दोनों जिलों में 2019 के लिए बंदोबस्त राशि की तीसरी किश्त के साथ भी समायोजित किया गया था। इसके अलावा, बांका जिला में विस्तारित अवधि के लिए सुरक्षा जमा भी जिला खनन अधिकारी द्वारा वसूल नहीं किया गया था।

इस प्रकार, निबंधन विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण, राज्य सरकार को उपरोक्त बैंक गारंटी के पुनर्वैधीकरण के कारण ₹ 11.10 करोड़ की राशि का नुकसान हुआ, जबकि खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा बैंक गारंटी के खिलाफ कम से कम ₹ 11.10 करोड़ सुरक्षा जमा को समायोजित किया जा सकता था।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि जिला उप निबंधक से पत्राचार किया जायेगा। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.7 पत्थर खदानों के पट्टे का बंदोबस्त/निष्पादन न होना

बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2014, अधिसूचना सं. 3085/एम दिनांक 11.08.2014 और खान एवं भूतत्व विभाग का पत्रांक सं. 3166 दिनांक 20.08.2014 के अनुसार, पत्थर खनन के औपचारिक पट्टे के बंदोबस्त को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से पाँच साल के लिए नीलाम किया जाएगा। पट्टा क्षेत्र पाँच हेक्टेयर से कम का नहीं होगा और सघन एवं समीपवर्ती ब्लॉक में स्वीकृत किया जाएगा।

यह आगे प्रावधित करता है कि पत्थर खनन का औपचारिक पट्टा जिला समाहर्त्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद निष्पादित किया जाना है और सैद्धांतिक मंजूरी से 120 दिनों के अन्दर पट्टाधारक द्वारा बंदोबस्त राशि की देय किश्त जमा करना है। पट्टे की शर्तों का पालन करने में विफलता के मामले में, पट्टे को रद्द कर दिया गया माना जाता है और आवेदन एवं सुरक्षा जमा को स्वतः ही जब्त कर लिया जाना आवश्यक है।

3.7.1 नवादा में पत्थर की खदानों का बंदोबस्त न होना

जिला खनन कार्यालय, नवादा में पत्थर खदानों (भधोखरा में ब्लॉक संख्या 10 और खाखनदुआ में ब्लॉक ए और बी) के बंदोबस्त में लेखापरीक्षा द्वारा पायी गई घटनाओं का कालक्रम निम्नानुसार है:

(ए) भधोखरा में ब्लॉक सं0 10

दिनांक	घटना
फरवरी 2015	मेसर्स कात्यानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में ₹ 27.51 करोड़ की बंदोबस्त राशि पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई।
मई 2015	खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा खनन योजना अनुमोदित।
जून 2017	राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण स्वीकृति दिया गया।
जून 2018	समाहर्त्ता ने पट्टा एकरारनामा का निष्पादन न होने और बंदोबस्त राशि की पहली किश्त जमा नहीं करने का कारण स्पष्ट करने के लिए कानूनी सूचना जारी किया।
जुलाई 2018	पट्टाधारक ने नीलामी की राशि को कम करने और सम्पर्क सड़क उपलब्ध कराने के लिए समाहर्त्ता के समक्ष अपील की क्योंकि पट्टा क्षेत्र के बड़े हिस्से के अवैध निष्कर्षण के कारण संपर्क सड़क गायब हो गई थी।
सितम्बर 2019	जिला समाहर्त्ता द्वारा पट्टा रद्द कर दिया गया और सुरक्षा जमा जब्त कर ली गई।

दिनांक	घटना
सितंबर 2019	दूसरी सबसे बड़ी बोली लगाने वाले मेसर्स राजनंदनी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई और एजेंसी से कई बार आवश्यक दस्तावेज और बंदोबस्त राशि जमा करने के लिए कहा, लेकिन बोली लगाने वाला नहीं आया।
जनवरी 2021	समाहर्त्ता ने पट्टा निरस्त कर सुरक्षा जमा जब्त कर ली।
सितम्बर 2021	बन्दोबस्त नहीं किया गया।

इसके अलावा, जिला खनन कार्यालय, नवादा द्वारा प्रदान किए गए भू–निर्देशांक के अनुसार गूगल अर्थ प्रो के माध्यम से उपग्रह छवियों के अध्ययन में, लेखापरीक्षा ने पाया कि खनन गतिविधियों के साथ–साथ वाहनों की आवाजाही भधोखरा पत्थर खदान के ब्लॉक संख्या 10 में देखी गई थी, जबकि सितम्बर 2018 में पट्टे की अवधि का बंदोबस्त नहीं किया गया था (**चित्र 33 और 34**)।

चित्र 33: पत्थर खदान ब्लॉक संख्या 10 भधोखरा में खनन गतिविधियाँ।

चित्र 34: पत्थर खदान ब्लॉक संख्या 10 भधोखरा में खनन गतिविधियाँ।

(बी) खाखंदुआ में ब्लॉक ए और बी

तिथि	घटना
दिसंबर 2018	ब्लॉक–ए के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति उच्चतम बोली लगाने वाले राजेंद्र सिंह, 15, मदर टेरेसा, उत्तरी एस.के. पुरी, पटना के बंदोबस्त राशि ₹ 1,77,36,68,782 और ब्लॉक–बी के लिए निविदा मैसर्स पटेल एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में ₹ 1,58,02,84,880 के लिए दी गयी।
जनवरी 2019 और जून 2019	जिला खनन अधिकारी ने वन क्षेत्र की सीमा के सीमांकन के लिए जिला वन पदाधिकारी, नवादा से अनुरोध किया (जनवरी 2019)। जिला खनन अधिकारी ने जिला समाहर्त्ता, नवादा से भी जिला वन पदाधिकारी, नवादा को निर्देश देने का अनुरोध किया (जून 2019) क्योंकि ये ब्लॉक पास के वन क्षेत्र में स्थित थे।
जुलाई 2019	टास्क फोर्स की बैठक में जिला समाहर्त्ता ने सहायक वन संरक्षक को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
सितंबर 2020 से जनवरी 2021 तक	खनन अधिकारी ने जिला वन पदाधिकारी, नवादा से उक्त पत्थर ब्लॉक के निर्देशांक के अनुसार स्टोन ब्लॉक ए और बी से वन भूमि की दूरी स्पष्ट करने का अनुरोध किया। जवाब में जिला वन पदाधिकारी, नवादा ने कहा कि खनन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए जीपीएस निर्देशांक दो स्थानों पर लिए गए जीपीएस निर्देशांक से मेल नहीं खाते हैं और मौजा खाखंडुआ तीन तरफ से वन भूमि से घिरा हुआ है।
फरवरी 2021	राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के पृच्छा के अनुपालन के लिए संशोधित सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। लेकिन ब्लॉक बी के पट्टेदार ने ब्लॉक ए की सैद्धांतिक मंजूरी पर आपत्ति जताई।

तिथि	घटना
अगस्त 2021	जिला समाहर्त्ता ने जिला वन पदाधिकारी, नवादा को बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, पटना द्वारा उपलब्ध कराए गए भू–समन्वय के सत्यापन के संबंध में स्थल सत्यापन के बाद प्रतिवेदन जमा करने और निदेशक, खन एवं भूतत्व विभाग को विकास की कालानुक्रमिक रूप से सूचना देने के निर्देश दिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई थी (सितम्बर 2021)।

उपरोक्त बिन्दु जिला खनन अधिकारी/जिला समाहर्त्ता की पट्टा के निष्पादन में विलम्ब एवं वास्तविक विफलता और पत्थर खदान के बंदोबस्त हेतु जिला खनन अधिकारी के पर्याप्त प्रयासों के अभाव को दर्शाता है। इसके अलावा, भौगोलिक सूचना प्रणाली उजागर करती हैं कि खनन किया गया था जिसके विरूद्ध जिला खनन कार्यालय द्वारा कोई राजस्व वसूल नहीं की गई थी। इस प्रकार, अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता के कारण राज्य के राजस्व की रक्षा करने में विफलता हुई।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि उपरोक्त ब्लॉकों में खनन कार्यों को अंतिम रूप देने एवं शुरू करने के लिए नियमित प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अलावा, पत्थर ब्लॉकों के पुनः बन्दोबस्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.7.2 कैमूर में पत्थर की खदान का बंदोबस्त न होना

लेखापरीक्षा ने जिला खनन कार्यालय, कैमूर में पाया कि पत्थर का पाँच वर्षीय पट्टा मेसर्स बीएससी–सी एंड सी–जेवी को 20.75 एकड़, (मौजा–मदुरना, थाना–भभुआ) क्षेत्र का 2009 से 2013 के लिए प्रदान किया गया था। पिछले पट्टेदारों में बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 22 के तहत पट्टे के नवीकरण का अनुरोध किया था। लेकिन, खान एवं भूतत्व विभाग ने पत्थर के पट्टे के नवीनीकरण को मंजूरी देने से इनकार कर दिया और जिला समाहर्त्ता, कैमूर को पट्टा क्षेत्र के सर्वेक्षण के बाद उचित पारदर्शी सार्वजनिक निविदा पद्धति के साथ नया पट्टा निष्पादित करने के लिए कहा। मदुराना पत्थर खदान ब्लॉक (मौजा–मदुरना, थाना–भभुआ) में पत्थर की खदान के बंदोबस्त में घटनाओं का कालक्रम निम्नानुसार वर्णित है:

दिनांक	घटना
दिसंबर 2015	पत्थर पट्टा क्षेत्र के आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने सिफारिश की कि मदुरना पत्थर खदान स्थल का पट्टा पत्थर की मिट्टी के स्थान पर पत्थर के रूप में किया जाना था और आरक्षित मूल्य ₹ 5 करोड़ निर्धारित किया गया था।
अप्रैल 2016	कैमूर, जिलाधिकारी ने पत्थर खदान की नीलामी के लिए ई–निविदा आमंत्रित की।
मई 2016	पत्थर खदान का पट्टा मेसर्स स्टारनेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में ₹ 5.15 करोड़ में तय किया गया था ।
जुलाई 2016	सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश दिया गया था।
जुलाई 2016	पट्टेदार ने ₹ 0.52 करोड़ की सुरक्षा जमा, जमा की।
सितम्बर 2017	खनन योजना के अनुमोदन के चार वर्ष बीत जाने के बाद भी पट्टेदार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।
दिसंबर 2019	पट्टेदार ने जिला खनन अधिकारी, कैमूर से मदुरना पत्थर की खान के लिए वैध अभिरुचि पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव संख्या IA/BR/MIN/109225/2019 दिनांक 27.06.2019 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दिल्ली से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था और प्राधिकरण ने यह कहते हुए पूछताछ की थी कि अभिरूचि पत्र 26.07.2016 को जारी किया गया था और अभिरूचि की शर्त का पालन करने के लिए 120 दिनों की समयावधि दी गई थी।
सितम्बर 2021	खनन योजना के अनुमोदन के चार वर्ष बीत जाने के बाद भी पट्टेदार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि खनन योजना के अनुमोदन (सितम्बर 2017) के लगभग चार वर्षों के बीत जाने के बाद भी जिला खनन कार्यालय और खान एवं भूतत्व विभाग ने पट्टेदार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्तुत न करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की और पट्टा निरस्त करने एवं सुरक्षा जमा जब्त करने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। यह पट्टे के निष्पादन और पत्थर की खदान के बंदोबस्त के लिए पर्याप्त प्रयासों की कमी के मामले में जिला खनन कार्यालय की ओर से अत्यधिक विलंब और वास्तविक विफलता को इंगित करता है। इससे सरकार को राजस्व की हानि हुई और इसके अलावा क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों से इंकार नहीं किया जा सकता।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि पर्यावरण स्वीकृति की अनुपलब्धता के कारण कार्यादेश जारी नहीं किया गया था। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब की प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.7.3 शेखपुरा में पत्थर की खदानों का बंदोबस्त न होना

लेखापरीक्षा ने पाया कि खान एवं भूतत्व विभाग ने जिला खनन पदाधिकारी, शेखपुरा को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खनन के लिए जिले में पत्थर के ब्लॉकों का सीमांकन करने के लिए निर्देश[14] जारी किया (अगस्त 2014) जिसमें निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाना था:

(1) ब्लॉक सघन और समीपवर्ती होंगे,
(2) पत्थर ब्लॉक का क्षेत्रफल पाँच हेक्टेयर से कम नहीं होगा,
(3) पत्थर ब्लॉक का पट्टा पाँच साल के लिए होगा,
(4) सार्वजनिक नीलामी के बाद, उच्चतम बोली लगाने वाले को सैद्धांतिक मंजूरी दी जाएगी।

उपरोक्त के आलोक में जिला खनन अधिकारी, शेखपुरा ने सार्वजनिक नीलामी के लिए 30 पत्थर ब्लॉकों की सूची तैयार की (नवम्बर 2014)। अभिलेखों की जांच के दौरान यह पता चला कि 10 पत्थर ब्लॉक (9, 11, 13, 14, 12, 19, 20, 23, 26 और 30) बिना बन्दोबस्त रहे (सितंबर 2021)। पत्थर ब्लॉक सं0 9 का जिला खनन अधिकारी के उदासीन रवैये के कारण बन्दोबस्त नहीं किया गया था जैसा कि यह विभागीय पत्र (दिसंबर 2018) से उजागर हुआ था।

इसके अलावा, निविदा के उपबंध संख्या 9 के अनुसार, जिला समिति ने सिफारिश की (जुलाई 2015) कि आस–पास के निवासियों के कारण पत्थर ब्लॉक 11,13, और 14 के 50 मीटर के भीतर खनन प्रतिबंधित है। तथापि, विभाग ने जिला समाहर्त्ता को निर्देश (जुलाई 2015) दिया कि पत्थर ब्लॉक सं0 11,13 व 14 को खनन पट्टा क्षेत्र में बस्ती से 50 मीटर की दूरी छोड़कर पांच हेक्टेयर या उससे ज्यादा को बंदोबस्त किया जा सकता है। लेकिन विश्लेषण के दौरान अभिलेख पर कोई सर्वेक्षण/प्रतिवेदन नहीं पाया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि जिला खनन अधिकारी ने विभाग के निर्देश के आलोक में कार्य नहीं किया।

आगे, पुनः समिति की अनुशंसा के अनुसार (दिसम्बर 2016) पत्थर ब्लॉक सं0 12, 19, 20, 23, 26 एवं 30 के संबंध में पत्थर ब्लॉक सं0 12,19 एवं 20 के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा भौतिक स्थिति का पुनः सत्यापन आवश्यक था परन्तु विभाग द्वारा समिति के निर्देश के आलोक में ऐसा नहीं किया गया क्योंकि इस संबंध में कोई अभिलेख नहीं पाया गया था। समिति ने पत्थर ब्लॉक सं0 23 और 26 के लिये सुरक्षा राशि कम करने की सिफारिश की। आगे, समिति ने पत्थर ब्लॉक सं0 30 के संबंध में जिला स्तरीय समिति के खनन की नीलामी नहीं करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि जिला खनन अधिकारी ने विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया, परिणामस्वरूप, उपरोक्त 10 ब्लॉक में से नौ आज तक बिना बन्दोबस्त के पड़े हैं। यह पत्थर खदान के बंदोबस्त के मामले में जिला खनन अधिकारी/जिला समाहर्त्ता/विभाग की अत्यधिक विलंब और वास्तविक विफलता को दर्शाता है। इससे सरकार को राजस्व की हानि हुई और इसके अलावा अवैध खनन गतिविधियों से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

[14] पत्र संख्या 3166 दिनांक 20.08.2014।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में समिति के निर्देशानुसार अनुपालन किया गया है। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसाः विभाग को पत्थर खदानों के सर्वेक्षण के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे ऐसी पत्थर खदानों की समय पर बंदोबस्त में मदद मिलेगी।

3.8 पत्थर खदानों के पट्टेदारों से रायल्टी की वसूली न होना

पट्टा अनुबंध के अनुसार, पट्टेदार को बिहार लघु खनिज समनुदान नियमवली, 1972 के प्रावधान 52 के अनुसार समान किश्तों में वार्षिक आधार पर कुल बंदोबस्त राशि का भुगतान करना आवश्यक था और पहली किश्त का भुगतान पट्टा विलेख के निष्पादन से पहले किया जाना था और उसके बाद, पट्टेदार को पुनः बंदोबस्त राशि हर साल 31 जनवरी तक भुगतान करने की आवश्यकता थी। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के 52(5) के प्रावधान के अनुसार, यदि कोई किश्त निर्धारित अवधि से पहले जमा नहीं की जाती है, तो दो महीने तक 24 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज वसूल किया जाएगा और उसके बाद, रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

3.8.1 जिला खनन कार्यालय, नवादा द्वारा पत्थर खदान के पट्टेदार से रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जानाः ₹ 9.31 करोड़

लेखापरीक्षा ने जिला खनन कार्यालय, नवादा में पाया कि मौजा–भधोखरा, ब्लॉक–7 में पत्थर की खदान का बन्दोबस्त मेसर्स सी एंड सी कंस्ट्रक्शन के पक्ष में ₹ 15.51 करोड़ की बंदोबस्त राशि पर किया गया था और सैद्धांतिक स्वीकृति फरवरी 2015 में दी गई थी। खनन योजना को मई 2015 में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था, जबकि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी के दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद जून 2017 में पर्यावरण स्वीकृति दी गई थी। जिला समाहर्त्ता/जिला खनन अधिकारी ने समझौते के निष्पादन और बंदोबस्त राशि जमा करने के लिए कई बार नोटिस दिए। लेकिन पट्टेदार ने राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने से एक वर्ष व्यतीत होने के बाद जून 2018 तक ₹ 3.10 करोड़ की बंदोबस्त राशि की केवल पहली किश्त जमा की। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि न तो पट्टेदार ने पट्टा अनुबंध निबंधित किया और न ही दूसरी से चौथी किश्त जमा की (सितम्बर 2021)। इसके अलावा, जिला समाहर्त्ता/जिला खनन अधिकारी ने बंदोबस्त राशि की प्राप्ति न होने पट्टा रद्द करने और उसके पुनर्बन्दोबस्ती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

इसके अलावा, गूगल अर्थ प्रो पर इस पट्टे की छवियों के अध्ययन से पता चला है कि इस पत्थर के ब्लॉक में विभिन्न अवधियों के दौरान खनन गतिविधियों को अंजाम दिया गया है। खनन गतिविधियों की छवियाँ **चित्र 35 से 36** में दी गई हैं:

चित्र 35: मौजा–भदोखरा, ब्लॉक–7 में देखी गई खनन गतिविधियाँ (मार्च 2018)।

चित्र 36: मौजा–भदोखरा, ब्लॉक–7 में देखी गई खनन गतिविधियाँ।

इस प्रकार, अत्यधिक विलम्ब एवं विभागीय प्राधिकारियों द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के अनुसार प्रभावी उपाय या आवश्यक कार्रवाई करने में विफलता के कारण, पट्टेदार से रॉयल्टी के रूप में चौथी किश्त तक ₹ 9.31 करोड़ की राशि ब्याज के अलावा, वसूल नहीं की जा सकी (सितंबर 2021), जबकि विभिन्न अवधि के दौरान क्षेत्र में किए गए खनन पाया गया।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि अनुबंध को क्रियान्वित करने के लिए सभी स्तरों पर नियमित प्रयास किये जा रहे हैं। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.8.2 जिला खनन कार्यालय, गया द्वारा पत्थर खदान के पट्टेदार से रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जानाः ₹ 15.28 करोड़

लेखापरीक्षा ने जिला खनन कार्यालय, गया में पाया कि मौजा–गेरे ब्लॉक–1 (क्षेत्र 12.50 एकड़) की पत्थर की खदान की बंदोबस्ती[15] ₹ 37.00 करोड़ के लिए की गयी थी और सैद्धांतिक स्वीकृति फरवरी 2015[16] में दी गई थी। पट्टेदार ने जनवरी 2017 और जनवरी 2018 को तीसरी और चौथी किश्त की देय तिथि के विरुद्ध मामूली देरी के बाद मार्च 2018 तक नियमित आधार पर चौथी किश्त तक का भुगतान किया। जिला खनन अधिकारी ने तीसरी एवं चौथी किश्त के विलंबित भुगतान हेतु ₹ 0.20 करोड़ के ब्याज सहित पांचवीं किश्त के विरूद्ध ₹ 7.40 करोड़ के भुगतान की माँग भेजी (दिसम्बर 2018) जिसके विरूद्ध पट्टेदार ने अंतिम किश्त की राशि के भुगतान हेतु बिना किसी जुर्माने के एक महीने के लिए समय बढ़ाने का (जनवरी 2019) और आगे 20 मार्च 2019 को अंतिम किश्त राशि के भुगतान के लिए 30 जून 2019 तक बढ़ाने का अनुरोध किया।

चूंकि पट्टाधारक कई माँग पत्रों के बाद भी अंतिम किश्त का भुगतान करने में विफल रहा था, जिला समाहर्त्ता, गया ने सुरक्षा जमा जब्त कर उक्त पट्टा को रद्द कर दिया (अगस्त 2019)। आगे जिला खनन अधिकारी, गया ने पट्टेदार के साथ ब्याज आदि सहित बंदोबस्त राशि की किश्त के भुगतान के लिए एक पत्राचार किया (नवंबर 2019) और अंत में एक वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद, ₹ 15.28 करोड़ के लिए एक प्रमाण पत्र वाद स्थापित किया गया (जनवरी 2021)। लेकिन आज तक राशि की वसूली नहीं हो सकी। इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट था कि उक्त पट्टे को रद्द करने (अगस्त 2019) के बाद, पुनर्बन्दोबस्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। यह पाया गया कि इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग के साथ कोई पत्राचार नहीं किया गया है (सितंबर 2021) जिससे राज्य सरकार को लगातार राजस्व की हानि हो रही है।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.8.3 जिला खनन कार्यालय, बांका द्वारा पत्थर खदानों के पट्टेदार से रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जानाः ₹ 2.81 करोड़

जिला खनन कार्यालय, बांका में लेखापरीक्षा ने पाया कि पत्थर पट्टा (22 एकड़ क्षेत्र)[17] की बंदोबस्ती ₹ 3.76 करोड़ के लिए की गई थी और सैद्धांतिक स्वीकृति अगस्त 2015[18] को दी गई थी और ₹ 75.20 लाख की पहली किश्त राशि के भुगतान के बाद समझौता निष्पादित किया गया था (फरवरी 2017)। जिला खनन अधिकारी ने दूसरी किश्त के लिए ब्याज सहित ₹ 77.33 लाख के भुगतान के लिए कई माँगपत्र भेजे थे, तदनुसार पट्टेदार ने ₹ 20.00 लाख का भुगतान किया और खनन कार्यालय में हलफनामा प्रस्तुत किया (अगस्त 2018) कि शेष राशि ब्याज सहित चार किश्तों में दिसंबर 2018 तक जमा की जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई[19] करते हुए दो माह तक 24 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लगाने और उसके बाद स्पष्टीकरण माँग कर निरस्त करने की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।

---

[15] मेसर्स आई.एल. एवं एफ.एस. इंजीनियरिंग एवं कन्सट्रक्शन क0लि0।

[16] पत्रांक संख्या 197/माइनिंग दिनांक 07.02.2015।

[17] मौजा–पहाड़ी परिक्षेत्र–शम्भूगंज, बांका, प्लॉट संख्या 163 (भाग) खाता संख्या–43 थाना संख्या–41।

[18] मेसर्स महा लक्ष्मी इंजीकॉन प्रा. लि. भाया पत्रांक संख्या 586/एम।

[19] बिहार लघु खनिज समनुदान नियम का संख्या– नियम 52(5), 21(5)/24(3)।

लेकिन इस संबंध में जिला समाहर्त्ता/जिला खनन अधिकारी, बांका द्वारा कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। जिला खनन अधिकारी ने वर्ष 2019 और 2020 के दौरान देय किश्त के भुगतान के लिए कई माँगपत्र भेजे। लेकिन न तो पट्टेदार ने देय किश्त का भुगतान किया और न ही जिला समाहर्त्ता/जिला खनन अधिकारी ने पत्थर की खदान की पुनर्बन्दोबस्ती के लिए कोई कार्रवाई की।

उपरोक्त से स्पष्ट था कि जिला खनन अधिकारी की लापरवाही के कारण पत्थर पट्टा के बंदोबस्त/करार के चार वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी पाँचवीं किश्त तक की ₹ 2.81 करोड़[20] की बंदोबस्ती राशि की वसूली नहीं की जा सकी।

इस प्रकार, विभिन्न विभागीय प्राधिकारियों के अत्यधिक विलम्ब एवं विफलताओं के कारण, पत्थर ब्लॉक को पाँच वर्षों तक परिचालित नहीं किया जा सका, जिसके कारण वार्षिक किश्त की गणना के अनुसार ₹ 2.81 करोड़ की रॉयल्टी राशि की वसूली नहीं हुई।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.8.4 जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा द्वारा पत्थर खदानों के पट्टेदारों से बंदोबस्त राशि और ब्याज की वसूली नहीं किया जानाः ₹ 1.09 करोड़

लेखापरीक्षा ने जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा में पाया कि 2015–17 की अवधि के दौरान निविदा आमंत्रण सूचना के द्वारा 30 पत्थर खदानों की नीलामी के लिए निविदा प्रकाशित की गई थी, जिसमें से 20 पत्थर खदानों का बन्दोबस्त किया गया था। सभी पट्टों की सैद्धान्तिक स्वीकृति 2015 तथा 2017 के मध्य दी गई थी। पट्टे के निष्पादन के बाद भी, पट्टेदारों द्वारा नियत समय में बन्दोबस्त राशि का भुगतान समय पर नहीं किया गया था और एक मामले में बन्दोबस्त राशि का भुगतान नहीं किया गया था (सितंबर 2021)। आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि छः पत्थर खदानों के पट्टेदारों ने एक से 175 दिनों के बीच की देरी से बंदोबस्त राशि जमा की थी। जिला खनन कार्यालय ब्याज वसूल करने में विफल रहा तथा नियमानुसार पट्टा निरस्तीकरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार, ब्याज सहित बन्दोबस्त राशि के रूप में ₹ 1.09 करोड़[21] की राशि (जैसा कि **परिशिष्ट–5**) में वर्णित हैं, पट्टेदारों से अभी तक वसूल की जानी थी (सितम्बर 2021)।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि माँगपत्र जारी कर वसूली की कार्रवाई की जा रही है। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.9 खान बंद करने की अंतिम योजना प्रस्तुत न करना

बिहार खनिज रियायत (संशोधन) नियमावली 2014 के नियम 7(झ) के अनुसार, प्रत्येक खान बंद करने की योजना दो प्रकार की होगी, अर्थात प्रगतिशील खान बंद योजना और अन्तिम खान बंद योजना। खनन पट्टा/बंदोबस्त का स्वामी, एजेंट या प्रबंधक, खनन पट्टा/बंदोबस्त के दिये जाने के मामले में, राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी को खनन योजना के एक घटक के रूप में प्रगतिशील खान बंद करने की स्थिति में खनिज रियायत के बंदोबस्त की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अन्दर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, नियम 7(iii) के अनुसार, एक खनन पट्टा/बंदोबस्त का मालिक, एजेंट या प्रबंधक इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को खान के प्रस्तावित बंद होने से एक साल पहले अनुमोदन के लिए खान बंद करने की अंतिम योजना प्रस्तुत करेगा।

इसके अलावा, नियम 8 के अनुसार, खनन पट्टा/बंदोबस्त के मालिक, एजेंट या प्रबंधक को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि इस नियम में निर्दिष्ट खान बंद करने की योजना में निहित सुरक्षात्मक उपाय, जिसमें भूमि के पुनरूद्धार, सुधार और पुनर्वास कार्य शामिल हैं, को इस

[20] कुल बन्दोबस्त राशि ₹ 3.76 करोड़ – पट्टेदार द्वारा भुगतान की गयी राशि ₹ 95.20 लाख।

[21] किश्तः ₹ 1,01,50,905 और ब्याजः ₹ 7,71,760।

संबंध में इस नियम के तहत अनुमोदित खान बंद करने की योजना के अनुसार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित संशोधन के साथ पूरा किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण की विशिष्ट शर्त संख्या 17 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित समग्र निधि के साथ एक खान बंद करने की अंतिम योजना अनुमोदन के लिए खान अंतिम रूप से बंद होने से पहले राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, बिहार और संबंधित जिला खनन कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी।

13 जिला खनन कार्यालयों[22] में राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण/ जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा जारी खनन योजना और पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की जांच में लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015 से 2019 के दौरान बालू खनन के लिए संबंधित पट्टेदारों द्वारा एक प्रगतिशील खान बंद योजना तैयार की गई थी और तदनुसार इसे खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था। खनन योजना के अनुसार, खनन की गई भूमि के पुनरूद्धार एवं पुनर्वास के विभिन्न प्रस्तावों का विवरण संबंधित जिला खनन कार्यालयों को प्रस्तुत करना आवश्यक था। लेकिन, प्रगतिशील खान बंद योजना के मानदंडों के कार्यान्वयन के संबंध में अभिलेखों में कोई दस्तावेज नहीं पाया गया क्योंकि बंदोबस्त के वर्ष 2019 के अंत से लगभग 21 महीने बीत जाने के बाद भी सभी बालू घाटों की खान बंद करने की अंतिम योजना संबंधित पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस संबंध में न तो कोई पत्राचार किया गया और न ही पट्टेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के उपरोक्त नियम और शर्त्त के प्रावधान के अनुसार, भूमि पुनर्स्थापन/पुनरूद्धार/पुनर्वास के लिए कोई कार्य नहीं किया गया था। इसने प्रावधान/अधिनियम के इच्छित उद्देश्य को विफल कर दिया।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि खान बन्द करने की अंतिम योजना प्रस्तुत करने के लिए पट्टेदार के साथ पत्राचार किया जाएगा और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मामला को विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

चूना–पत्थर

चूना–पत्थर बिहार के रोहतास जिले में उपलब्ध एकमात्र वृहत खनिज है। 1 अप्रैल 2020 तक चूना–पत्थर का कुल अनुमानित भंडार 1,18,09,870.00 मीट्रिक टन था, जिसमें से 9,99,870.30 मीट्रिक टन चूना–पत्थर 2020–21 के दौरान निकाला गया था। 31 मार्च 2021 को चूना–पत्थर का शेष भंडार 1,08,09,999.70 मीट्रिक टन था।

मुरली पहाड़ी (रोहतास) में चूना–पत्थर का खनन पट्टा क्षेत्र 20 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे के तहत प्रदान किया गया था। पट्टेदार ने खनिज रियायत नियमावली 1960 के नियम 24 के प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवेदन दायर किया (दिसम्बर 2010)। राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश (अप्रैल 2017) के अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र को और 20 वर्षों की अवधि के लिए 1 जनवरी 2032 तक नवीनीकृत किया गया।

खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 24 के तहत खनन विभाग के अधिकारी खनन पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत हैं।

3.10 खनन योजना के विरूद्ध चूना–पत्थर का कम निष्कर्षण

मुरली पहाड़ी चूना–पत्थर खदान की प्रगतिशील खान बंद योजना के अनुसार, चूना–पत्थर का लक्षित उत्पादन प्रति वर्ष 10,00,000 टन या औसतन 3,333 टन प्रतिदिन था, किसी भी दिन का उच्चतम उत्पादन 3,500 टन थी, प्रारंभिक शेष और अवशिष्ट की कुल हैंडलिंग 32,40,000 टन/प्रति वर्ष या 11,000 टन प्रतिदिन था। इसलिए, कुल हैंडलिंग 14,500 टन प्रतिदिन थी और

[22] औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, गया, कैमूर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सारण, सीवान और वैशाली।

प्रस्तावित कार्य दिवस प्रति वर्ष 300 दिन थे। इसके अलावा, पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रतिवेदन में दिखाए गए वास्तविक निष्कर्षण के आधार पर रॉयल्टी की वसूली की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 36 महीनों (अगस्त 2018 से जुलाई 2021) के दौरान मासिक प्रतिवेदन में चूना–पत्थर का निष्कर्षण 20,64,591.15 टन दिखाया गया था और रॉयल्टी का भुगतान ₹ 16,51,67,292 (20,64,591.15 टन, ₹ 80 प्रति टन की दर से) किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि खान एवं भूतत्व विभाग ने सीमेंट संयंत्रों/भंडारण क्षेत्रों में प्रेषण से पहले पट्टेदारों द्वारा निकाले गए खनिजों की मात्रा की जाँच करने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया था। पट्टेदार द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि के आधार पर ही निकाली गई मात्रा पर विचार किया जा रहा था। पट्टेदार द्वारा मासिक प्रतिवेदन में प्रतिवेदित निकाले गए चूना–पत्थर की मात्रा खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा स्वीकार की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि खान एवं भूतत्व विभाग ने अप्रैल 2017 से जुलाई 2021 तक खनन संचालन के पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण नहीं किया था क्योंकि पट्टा क्षेत्र के निरीक्षण से संबंधित अभिलेखों/प्रतिवेदन में कुछ भी नहीं था। इस प्रकार, किसी निगरानी तंत्र के अभाव में, खान एवं भूतत्व विभाग आवंटित क्षेत्र में खनिज के निष्कर्षण की शुद्धता और पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी को सत्यापित नहीं कर सका। इसे लेखापरीक्षा के दौरान भी सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि कोई समर्थित दस्तावेज उपलब्ध नहीं था।

इसके अलावा, गूगल अर्थ प्रो पर उपग्रह छवियों का खनन योजना में दिए गए मुरली पहाड़ी (क्षेत्र 53.378 हेक्टेयर) के भू–निर्देशांक से संबंधित अध्ययन से पता चलता है कि खनन गतिविधियाँ वर्ष 2009 से 2013 के दौरान बाहरी क्षेत्र (4.11 हेक्टेयर) में की गई थीं और 2018 से 2019 में आवंटित क्षेत्र की रद्दी/अतिभारित सामग्री द्वारा क्षेत्र को भरा गया। यह ऐतिहासिक उपग्रह छवियों द्वारा समर्थित है जैसा कि **चित्र 37 से 42** में दिया गया है:

चूना–पत्थर – मुरली पहाड़ी (रोहतास)

चित्र 37: पट्टा क्षेत्र पीले रंग के सीमा में दिखाया गया एवं बाहरी क्षेत्र को नारंगी रंग के सीमा में दिखाया गया है (जून 2009)।

चित्र 38: पट्टा क्षेत्र के बाहर निष्कर्षण पाया गया (अप्रैल 2013)।

चित्र 39: कुछ बाहरी खुदाई क्षेत्र भर दिया गया है, छवि में देखा जा सकता है (अक्टूबर 2018)।

चित्र 40: पट्टा क्षेत्र के आसपास खुदाई क्षेत्र को भरा देखा गया (अप्रैल 2017)।

चित्र 41: बाहरी उत्खनन क्षेत्र पूरी तरह से अधिभार सामग्री का उपयोग करके भरा गया है (मार्च 2019)।

चित्र 42: खुदाई की गई भूमि पूरी तरह से भर चुकी है। अवैध उत्खनन का कोई निशान देखा नहीं जा सकता है (नवंबर 2020)।

चूंकि 36 महीनों की अवधि के दौरान अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनिज के निष्कर्षण की औसत क्षमता 29.99 लाख टन थी, जिसके विरुद्ध पट्टेदार ने उपर्युक्त अवधि के दौरान कम खनिज (31 प्रतिशत) का खनन दिखाया था। यदि खनन योजना में उल्लिखित उनकी क्षमता के अनुसार खनन किया गया होता, तो विभाग को 36 महीने की अवधि के दौरान ₹ 23.99 करोड़ (29.99 लाख टन, ₹ 80 प्रति टन की दर से) की रॉयल्टी प्राप्त होती। अतः विभाग ₹ 7.48 करोड़ (₹ 23.99 करोड़ – ₹ 16.51 करोड़) की रॉयल्टी से वंचित रहा।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि सूचना जारी की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसा: विभाग को प्रेषण से पूर्व निकाले गए खनिजों की मात्रा के सत्यापन के लिए तंत्र विकसित करना चाहिए और खनन कार्यालय द्वारा चूना–पत्थर पट्टा क्षेत्र का पर्याप्त निरीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा खान एवं भूतत्व विभाग को एक भू–स्थानिक अध्ययन भी करना चाहिए ताकि वर्षों से हुए चूना–पत्थर के वास्तविक निष्कर्षण का पता लगाया जा सके।

3.11 रद्दी/अतिभारित सामग्री की नीलामी न होना

लेखापरीक्षा ने पाया कि मुरली पहाड़ी चूना–पत्थर खनन पट्टा, जो बंजारी में अपने संयंत्र में सीमेंट उत्पादन के लिए चूना–पत्थर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संचालित है, में "अतिभारित/रद्दी" सामग्री का उच्च अनुपात है जिसका उपयोग सीमेंट उत्पादन में नहीं किया जा सकता है। मुरली पहाड़ी पट्टे में चूना–पत्थर से अतिभारित/रद्दी का अनुपात सामान्यतः 4:1 है और इसलिए ऐसे "अतिभारित/रद्दी" की मात्रा बहुत अधिक थी। चूँकि इस सामग्री का सीमेंट उत्पादन में कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं था, इसका उपयोग सड़क निर्माण परियोजना और अन्य निर्माण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था। इसके अलावा, खनन निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, चूना–पत्थर क्षेत्र में भारी मात्रा में 16,83,650 घन मीटर रद्दी उपलब्ध थी। अतिभारित/रद्दी सामग्री की नीलामी हेतु पट्टेदार द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था (जनवरी 2019), परन्तु इस संबंध में अभी तक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी। यदि खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा अतिभारित/रद्दी सामग्री की बिक्री के लिए नीलामी प्रक्रिया की गई होती तो खान एवं भूतत्व विभाग को रॉयल्टी के रूप में पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.12 चूना–पत्थर क्षेत्र में वृक्षारोपण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रभाव आकलन प्रमंडल, नई दिल्ली द्वारा के मेसर्स कल्याणपुर सीमेंट्स लिमिटेड की मुरली पहाड़ी चूना–पत्थर खदान के संबंध में पर्यावरण स्वीकृति की सामान्य शर्तों (VII) के अनुसार, 7.5 मीटर चौड़ी हरित पट्टी में स्थानीय जिला वन पदाधिकारी/कृषि विभाग के परामर्श से देशी प्रजातियों का रोपण करके खनन पट्टा, बैकफिल्ड एवं पुनः प्राप्त क्षेत्र, जल निकाय के आसपास, सड़कों के आसपास सुरक्षा आदि क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। पेड़ों का घनत्व लगभग 2,500 पौधे प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। हरित पट्टी को खान पट्टा क्षेत्र के चारों ओर चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा और पहले पाँच वर्षों के भीतर पूरा किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चूना–पत्थर का क्षेत्रफल 53.378 हेक्टेयर में था, इसलिए पट्टा क्षेत्र में 1,33,445 पौधे लगाए जाने थे। जिला वन पदाधिकारी, रोहतास के प्रतिवेदन के अनुसार पट्टेदार द्वारा केवल 5,000 पौधें उगाए गए थे। अतः चूना–पत्थर के खनन क्षेत्र में नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में उल्लिखित प्रतिवेदन/रिटर्नों और दिशानिर्देश/निर्देश का अनुपालन, संबंधित अभिलेखों में नहीं पाए गए थे।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि पत्राचार किया जाएगा। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.13 ईंट भट्टों का संचालन

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 24 जून 2013 के कार्यालय ज्ञापन में ईंट मिट्टी के खनन को बी–2 श्रेणी[23] में वर्गीकृत किया था, जिसमें राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 4 के अनुसार, "कोई भी व्यक्ति वैध परमिट के बिना किसी भी क्षेत्र में कोई खनन कार्य नहीं करेगा"। नियम 28(1) में कहा गया है कि उत्खनन परमिट के लिए आवेदन प्रपत्र–I में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, जो कोई भी लघु खनिजों को निकालते या हटाते पाया जाता है, उसे लघु खनिज का अवैध निष्कासन कर्त्ता माना जाएगा और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। इसके अलावा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना[24] 2006 की अनुसूची के अनुसार, ईंटों के निर्माण के लिए ईंट मिट्टी खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति चाहिए और आवश्यक है। प्रत्येक ईंट भट्ठा मालिक को वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 21 के अधीन खनन परियोजना के लिए स्थापना की सहमति और संचालन की सहमति प्राप्त करनी होती है।

खनन विभाग की अधिसूचना (जनवरी 2012) और बिहार खनिज (रियायत, अवैध, खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2019 के नियम 38(4) के साथ पठित बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 26 (ए) के अनुसार, प्रत्येक ईंट भट्ठा मालिक को एक परमिट प्राप्त करना होगा और उसे रॉयल्टी की समेकित राशि[25] का निर्धारित दरों पर भुगतान करना है। यदि ईंट भट्ठा मालिक इस प्रकार निर्धारित तरीके से रॉयल्टी की समेकित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

---

[23] पांच हेक्टेयर से कम क्षेत्र तक ईंट मिट्टी और साधारण मिट्टी की खुदाई की गतिविधियों को संभावित प्रभावों की स्थानिक सीमा और मानव स्वास्थ्य पर संभावित प्रभावों के आधार पर बी–2 श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है।

[24] कार्यालय ज्ञापन सं0.जे-11013/56/2004-1ए. II (I) दिनांक 14.09.2006।

[25] सितम्बर 2019 से पहले श्रेणी–I के लिए ₹ 1,32,500, श्रेणी–II के लिए ₹ 1,03,500 एवं श्रेणी–III के लिए ₹ 74,500 और इसके बाद श्रेणी–I के लिए ₹ 2,02,500, श्रेणी–II के लिए ₹ 1,57,500 एवं श्रेणी–III के लिए ₹ 1,12,500।

3.13.1 बिना वैध परमिट और स्थापित करने की सहमति/संचालन की सहमति एवं पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना ईंट मिट्टी का अवैध निष्कासन

वर्ष 2017–18 से 2020–21 के लिए 13 जिला खनन कार्यालयों[26] में लेखापरीक्षा ने पाया कि 10,269 ईंट भट्टों में से 9,490 (92 प्रतिशत) बिना वैध परमिट और पर्यावरण स्वीकृति के संचालित थे। केवल 779 (आठ प्रतिशत) ईंट भट्टों को वैध परमिट और पर्यावरण स्वीकृति के साथ संचालित किया जा रहा था। आगे यह पाया गया कि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण/जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्तुत किए बिना कुल 4,121 (40 प्रतिशत) ईंट भट्टों का संचालन किया गया था और 5,424 (53 प्रतिशत) ईंट भट्टों को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापित करने की सहमति/ संचालन की सहमति प्रस्तुत किए बिना संचालित किया जा रहा था जैसा कि **परिशिष्ट–6** में ब्यौरे के रूप में दिया गया है। इसके अलावा, जिला खनन कार्यालय, गया ने 1,806 ईंट भट्टों के स्थापित करने की सहमति/संचालन की सहमति एवं पर्यावरणीय स्वकृति से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए, इसलिए लेखापरीक्षा उसका विश्लेषण नहीं कर सका।

पर्यावरण स्वीकृति और स्थापित करने की सहमति/संचालन की सहमति के बिना ईंट मिट्टी की खुदाई न केवल अवैध थी बल्कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती थी। तथापि, जिला खनन कार्यालयों ने नियमानुसार ईंट भट्टों के अवैध संचालन को रोकने के लिए कोई उचित कार्रवाई नहीं की।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि जिन ईंट भट्टों के मालिकों ने संचालन की सहमति प्राप्त नहीं की थी, उन्हें नोटिस जारी किया गया था और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पत्राचार किया जाएगा। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.13.2 ईंट भट्ठा मालिकों से रॉयल्टी एवं अर्थदंड की नहीं/कम वसूली किया जाना: ₹ 61.08 करोड़

लेखापरीक्षा ने 14 नमूना जिलो में पाया कि 11,233 ईट भट्ठे बिना उचित परमिट के साथ ही साथ बिना रॉयल्टी भुगतान किये संचालित हो रहे थे। जैसा कि **तालिका–5** में दिखाया गया है :

तालिका–5
ईंट भट्टों के संचालन का विवरण

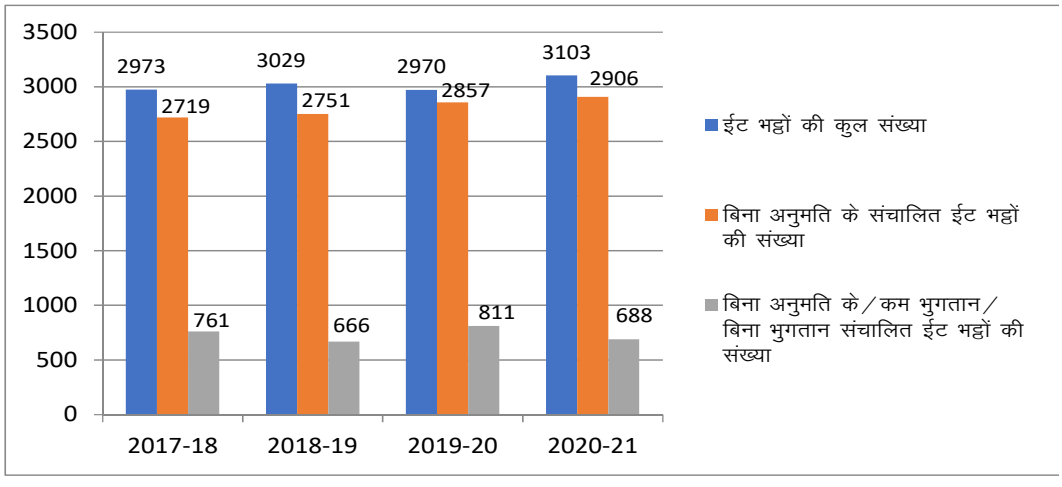

(स्रोत: नमूना चयनित जिला खनन अधिकारियों द्वारा दिया गया विवरणी)

लेखापरीक्षा ने खनन ईंट भट्टों के निरीक्षण प्रतिवेदों से पाया कि परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी भी बिना परमिट के ईंट भट्टों के संचालन से रॉयल्टी वसूल कर रहे थे। तथापि, न

[26] औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, कैमूर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सारण, सीवान, शेखपुरा और वैशाली।

तो उन्होंने क्रिया कलापों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई शुरू किया और न ही **परिशिष्ट–7** में दिये विवरण के अनुसार वैध परमिट के बिना ईंट भट्टों के संचालन के लिए देय रॉयल्टी, आवेदन शुल्क और अर्थदण्ड ₹ 61.08 करोड़ की वसूली के लिए कोई प्रयास किया। जिला खनन कार्यालयों की, ओर से निष्क्रियता के परिणामस्वरूप न केवल 2,926 अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों से रॉयल्टी एवं अर्थदण्ड ₹ 61.08 करोड़[27] की वसूली नहीं हुई बल्कि अवैध ईंट भट्टों के मालिकों के साथ उनकी मिलीभगत से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.13.3 ईंट भट्ठा मालिकों से व्यावसायिक कर की वसूली न होना: ₹ 2.07 करोड़

लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 नमूना जिला खनन कार्यालयों में 2017–18 से 2020–21 के दौरान कुल 12,075 में से 8,277 (69 प्रतिशत) ने व्यावसायिक कर जमा नहीं किया। इसके फलस्वरूप ₹ 2.07 करोड़ का व्यावसायिक कर का वसूली नहीं हो पाया जैसा कि विवरणी **तालिका–6** में दिया गया है।

तालिका–6
व्यावसायिक कर की वसूली न होना

(राशि ₹ में)

ईंट का मौसम	ईंट भट्ठों की संख्या	जारी किए गए परमिटों की संख्या	ईंट भट्ठों की संख्या जिसने व्यावसायिक कर का भुगतान नहीं किया	भुगतान किया गया व्यावसायिक कर	देय व्यावसायिक कर (₹ 2,500 की दर से)
2017-18	2,973	254	2,381	0	59,52,500
2018-19	3,029	278	2,325	0	58,12,500
2019-20	2,970	113	1,916	0	47,90,000
2020-21	3,103	197	1,655	0	41,37,500
कुल	**12,075**	**842**	**8,277**	**0**	**2,06,92,500**

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारियों ने बताया कि ईंट भट्ठा मालिकों को व्यावसायिक कर जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022), उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

[27] रॉयल्टी ₹ 44,43,69,855; शास्तिः ₹ 16,64,51,150।

अध्याय–4
अवैध खनन

अध्याय–4

अवैध खनन

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम संख्या 4 के अनुसार, "कोई भी व्यक्ति बिना वैध परमिट के किसी भी क्षेत्र में कोई खनन कार्य नहीं करेगा"। इसके अलावा, बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 28 (1) के अनुसार, उत्खनन परमिट के लिए एक आवेदन फॉर्म–I में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, जो कोई भी वैध परमिट के बिना लघु खनिजों का निष्कर्षण या निष्कासन करता पाया जाता है, उसे लघु खनिज का अवैध निष्कासन कर्त्ता माना जाएगा और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को दंडित किया जाएगा।

बिहार खनिज खनन रियायत अवैध खनन (परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली 2019 के नियम 11(1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, खनन संक्रियाएँ, इस नियमावली के अधीन अनुदत्त, यथा स्थिति, अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन तथा उसके निबंधनों और शर्त्तों को छोडकर नहीं करेगा, वशर्त्ते इस उप–नियम की कोई बात उन खनन संक्रियाओं पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका खनन किसी क्षेत्र में इस नियमावली के प्रारंभ के पूर्व अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के निबंधनों और शर्त्तों के अनुसार किया गया हो। कोई भी खनन पट्टा अथवा खनन अनुज्ञप्ति इस नियमावली के प्रावधानों के विरूद्ध निर्गत नहीं किया जा सकेगा। खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा अनुमोदित खनन योजना, किसी भी खनन गतिविधि को करने के लिए सीमांकित क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। खनन योजनाओं में कमियों पर पहले ही अध्याय–2 में प्रकाश डाला जा चुका है और उसी के प्रभाव पर उस अध्याय में चर्चा की गई है। इसके अलावा, खान एवं भूतत्व विभाग ने मौजूदा नियमों के तहत राज्य में अवैध खनन की रोकथाम के लिए उत्खनन परमिट के रूप में ई–चालान लागू किया। तथापि, इस अध्याय में ई–चालान के उपयोग में पाई गई विभिन्न कमियों को उजागर किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.1 वास्तविक और स्वीकृत खनन घाटों की तुलना

जैसा कि कार्यप्रणाली में परिभाषित किया गया है, 17 बालू घाटों को आच्छादित करते हुए भौगोलिक सूचना प्रणाली अध्ययन के लिए अभिरूचि के तीन क्षेत्र विकसित किए गए। उपरोक्त अध्ययन के लिए, अभिरूचि क्षेत्रों में वास्तविक खनन क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए एलआईएसएस–IV छवियों का उपयोग किया गया। उक्त अध्ययन दो साल की अवधि के लिए किया गया जहाँ अध्ययन के लिए छः अलग–अलग महीनों के आंकड़े लिये गये।

विशेषज्ञ एजेंसी ने भौगोलिक सूचना प्रणाली छवियों के विश्लेषण के लिए ईएनवीआई और क्यूजीआईएस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। विभिन्न भूमि–उपयोग वर्गों के बीच अंतर करने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना द्वारा पर्यवेक्षित वर्गीकरण किया गया। खनन स्थलों की पहचान के लिए, विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा कंप्यूटर आधारित वर्गीकरण को उपयुक्त नहीं पाया गया और इसके बजाय मैनुअल विधि/दृश्य व्याख्या तकनीक पर विचार किया गया। यह संसाधित उपग्रह छवियों में उपलब्ध प्रमाण पर आधारित था, जो पहुँच सड़क, मानव हस्तक्षेप और जल जमाव आदि के साथ मानव निर्मित आकृतियों को दिखाएगा। पहचान प्रक्रिया के लिए विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा छवि तत्वों जैसे रंगत, बनावट, आकार, परिमाण स्वरूप और संगति आदि पर भी विचार किया गया।

विशेषज्ञ एजेंसी के प्रतिवेदन के अनुसार, सिलिका खनिजों की उपस्थिति के कारण आमतौर पर नदी की बालू चमकीले सफेद से सुस्त सफेद (पीले) के साथ मध्यम से महीन बनावट में दिखाई देती है। इसके अलावा, बालू खनन क्षेत्रों को उनके अनियमित आकार, असमान रंगत और ऊबड़ सतह के साथ आसानी से पहचाना जा सकता है। विशेषज्ञ एजेंसी के प्रतिवेदन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बालू उत्खनन गड्ढे गहरे से भूरे रंग के रंगत में क्षेत्र में गहराई और नमी की मात्रा के आधार पर असमान स्थलाकृति के साथ मोटी बनावट में दिखाई देते हैं। विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा बालू खदान क्षेत्रों का प्रति–परीक्षण करने के लिए गूगल अर्थ हिस्टोरिकल इमेजरी टूल की सहायता से पूरक छवियों को सत्यापित किया गया। अभिरुचि के तीन अलग–अलग क्षेत्रों के लिए नवम्बर 2018 की भौगोलिक सूचना प्रणाली छवियां नीचे दी गई **तालिका–7** में उजागर की गई हैं;

तालिका–7
सभी तीन अभिरूचि क्षेत्रों में वास्तविक खनन क्षेत्र की छवि

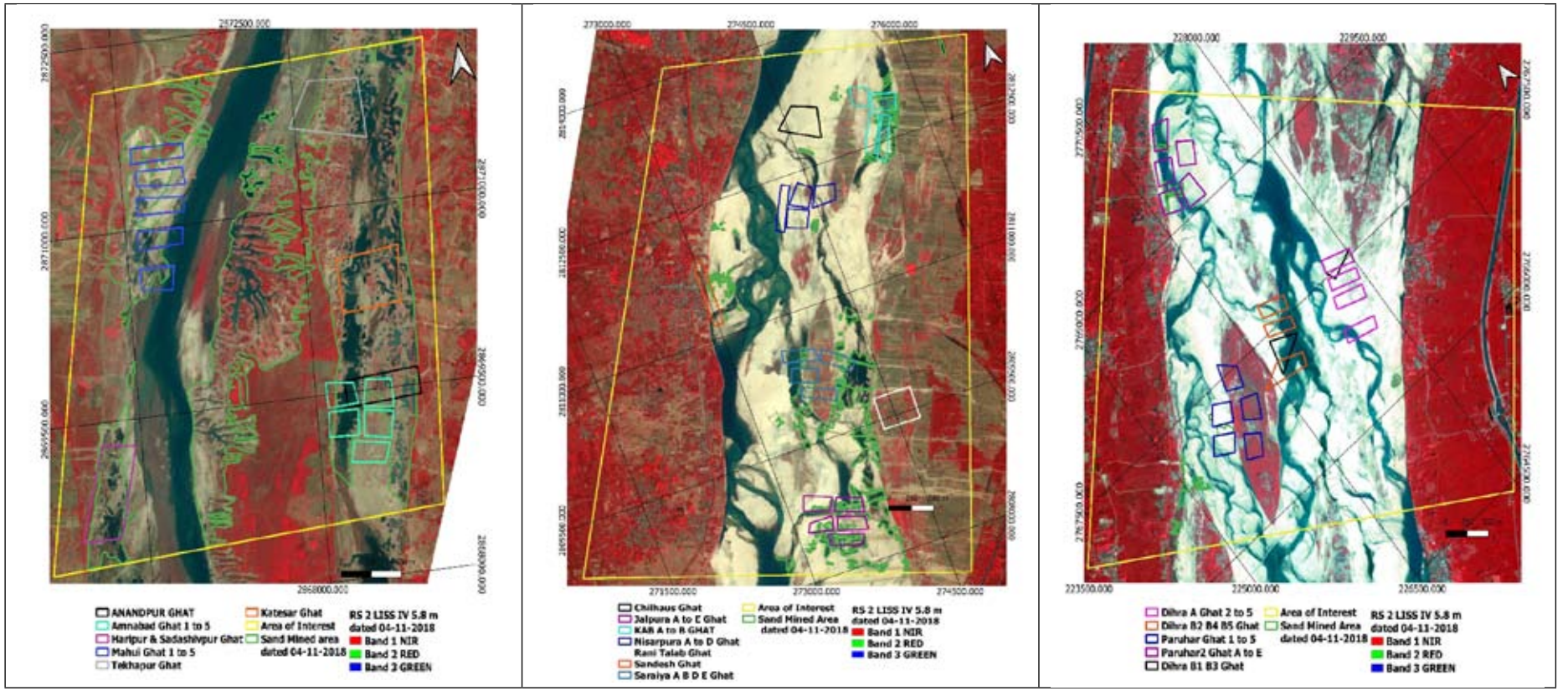

vfHk : fp d: {k=-I

vfHk : fp d: {k=-II

vfHk : fp d: {k=-III

उपरोक्त छवियाँ (नवम्बर 2018) खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार विभिन्न अभिरूचि क्षेत्रों में वास्तविक खनन क्षेत्र (हरी सीमा में) के साथ–साथ अभिरूचि क्षेत्रों में स्वीकृत खनन क्षेत्रों को उजागर करते हैं।

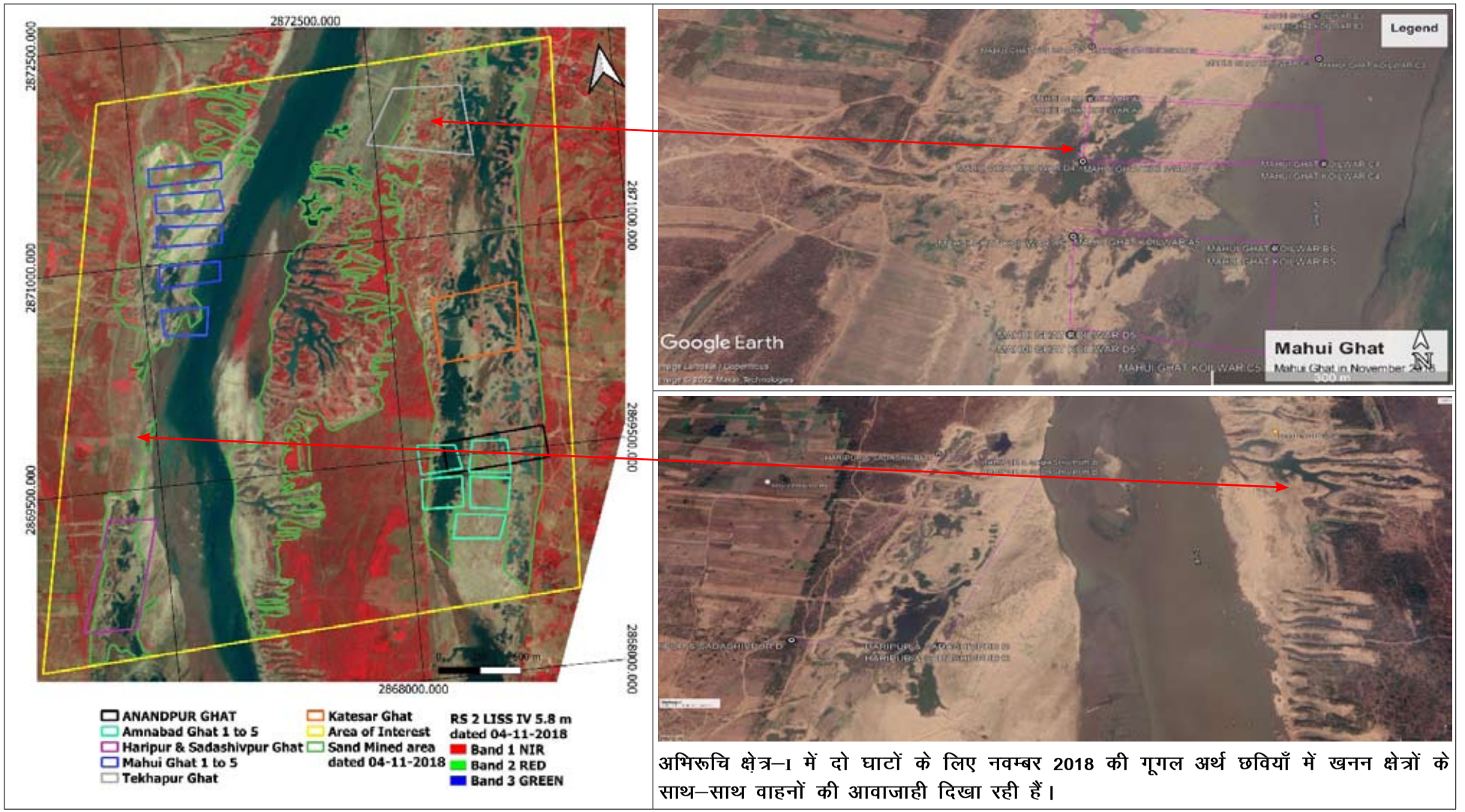

अभिरूचि क्षेत्र–I में दो घाटों के लिए नवम्बर 2018 की गूगल अर्थ छवियाँ में खनन क्षेत्रों के साथ–साथ वाहनों की आवाजाही दिखा रही हैं।

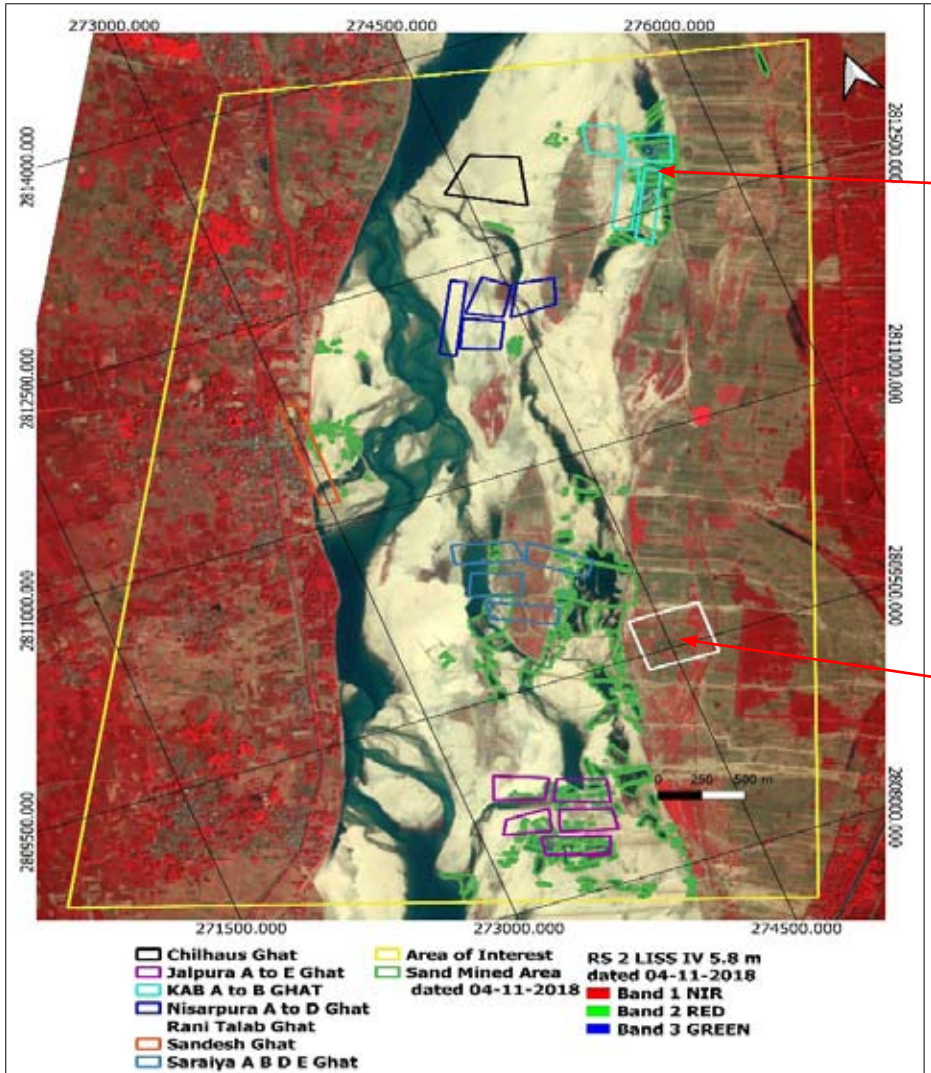

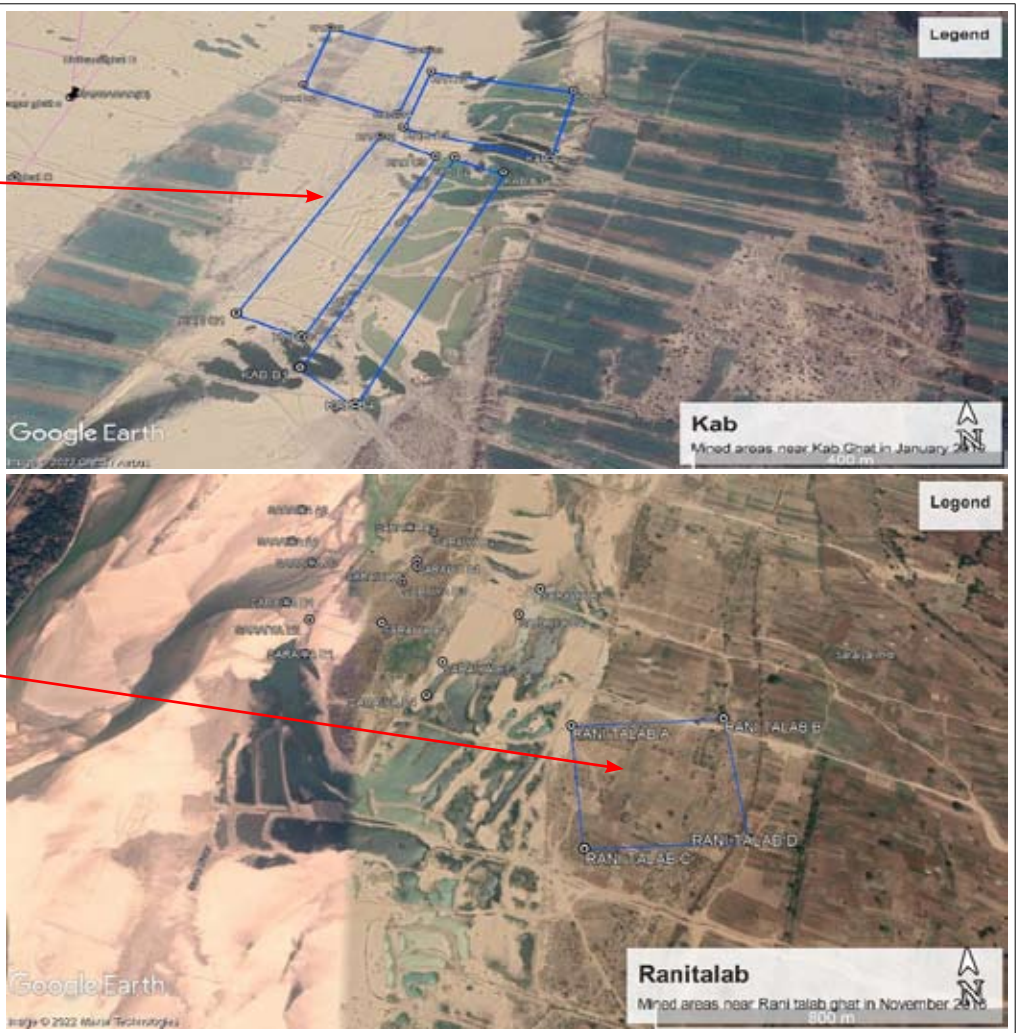

अभिरूचि क्षेत्र–II में दो घाटों के लिए खनन क्षेत्रों को दर्शाने वाले नवम्बर 2018 की गूगल अर्थ छवियाँ।

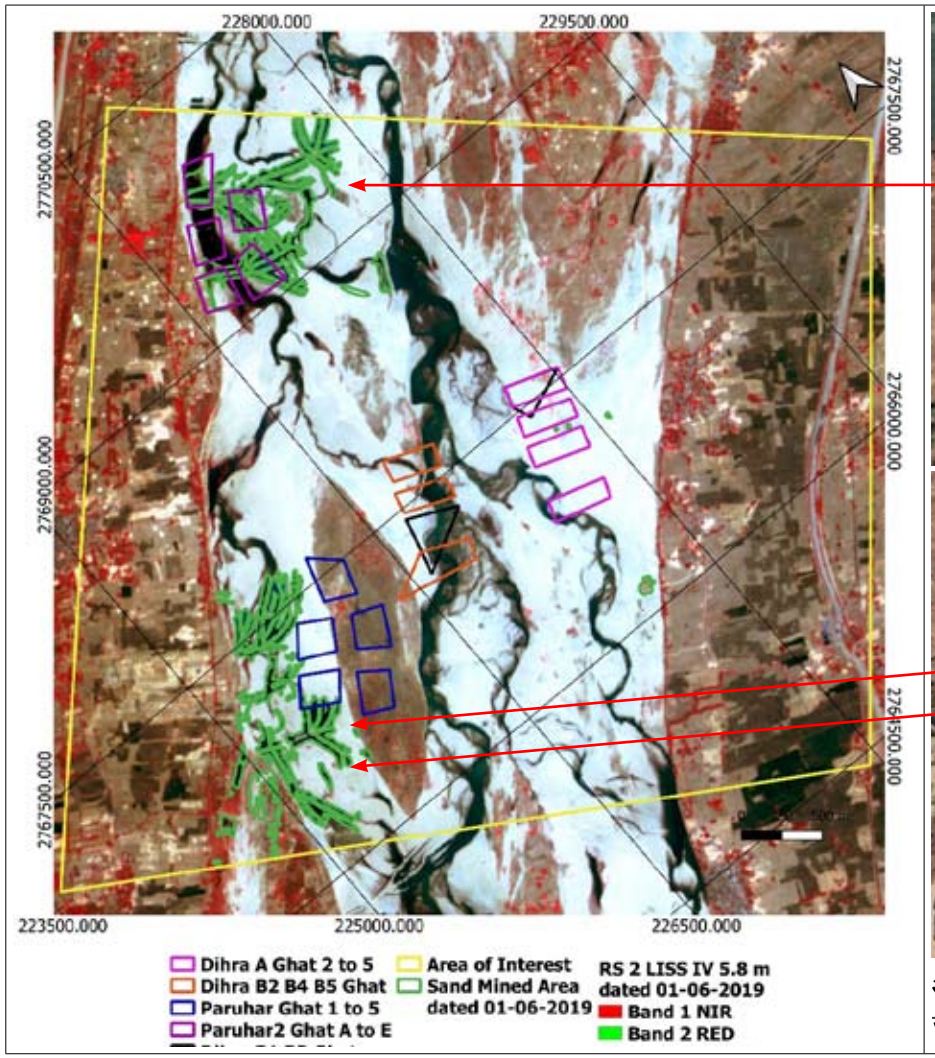

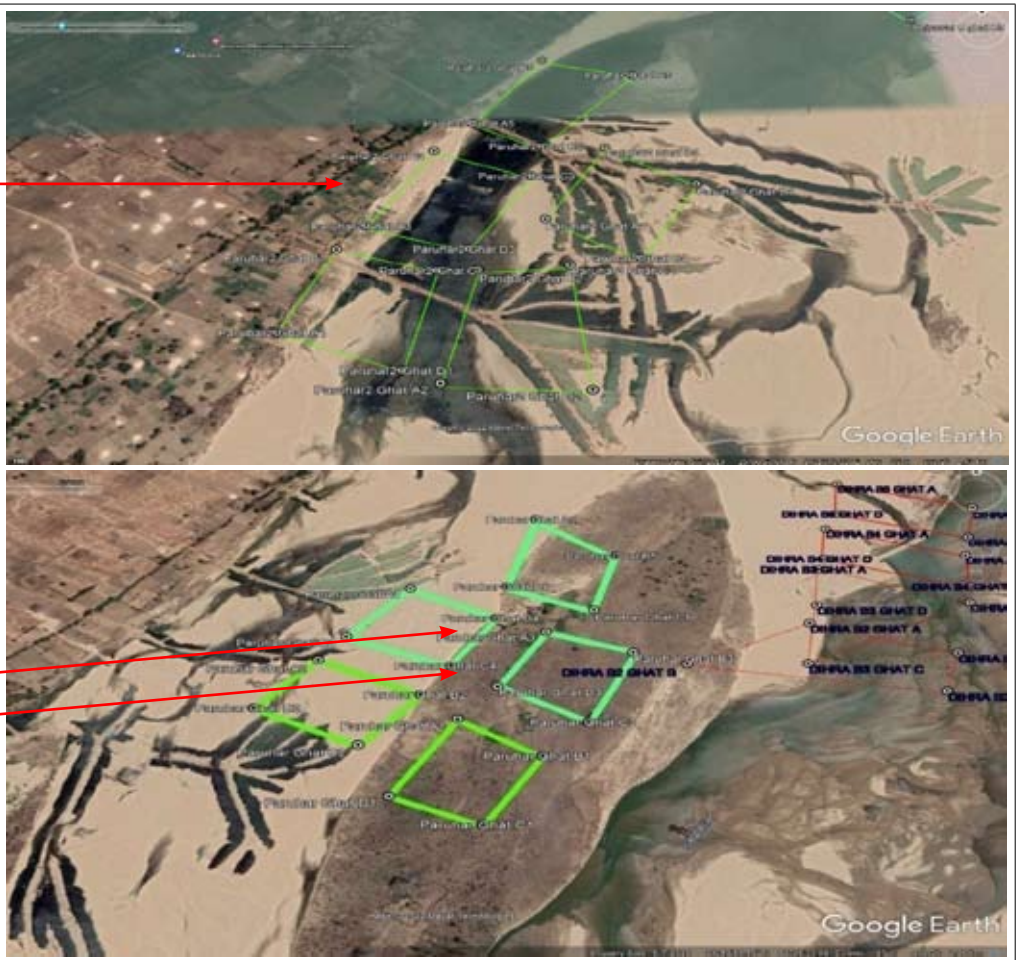

अभिरूचि क्षेत्र–III (छवि जून 2019) में दो घाटों के लिए मई 2019 की गूगल अर्थ छवियाँ खनन क्षेत्रों के समान आकार दिखा रही हैं।

उपरोक्त छवियाँ स्वीकृत खनन क्षेत्रों के बाहर किए जा रहे खनन को उजागर करती हैं। यह प्रवृत्ति अभिरूचि के सभी क्षेत्रों के लिए चयनित महीनों के लिए दोनों वर्षों में जारी है जैसा कि **परिशिष्ट–8** में दिखाया गया है। छवियों से पता चलता है कि अभिरूचि क्षेत्रों में शामिल सभी बालू घाटों के बाहर वास्तविक खनन किया जा रहा है जिसे हरे रंग की सीमा में उजागर किया गया है। उपरोक्त चित्रों में दिखाए गए समान समय सीमा में क्षेत्र की गूगल अर्थ छवियों की जाँच करके लेखापरीक्षा द्वारा इसकी पुष्टि की गई। इसके अलावा, जैसा कि इन खनन योजनाओं के अनुमोदन में प्रणालीगत कमियों से संबंधित अध्याय–2 में प्रकाश डाला गया है, निर्देशांकों को बिना क्षेत्र सत्यापन के अनुमोदित किया गया है, जो ऐसे क्षेत्रों के बाहर किए जा रहे खनन की छवियों द्वारा भी उजागर किया गया है। विशेषज्ञ एजेंसी ने भी खनन योजना के निर्देशांकों में विसंगतियों को उजागर किया है। इसके अलावा, छवियों से निम्नलिखित देखा जा सकता है:

- रानी तालाब घाट: खनन योजना निर्देशांक वनस्पति क्षेत्र में आ रहे हैं, जबकि छवियाँ खनन योजना के लिए अनुमोदित क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर किए जा रहे खनन को दर्शाती हैं।
- परुहार घाट को नदी चैनल के बीच स्वीकृत किया गया है जैसा कि ऊपर की छवियों में दिखाया गया है और खनन को अनुमोदित क्षेत्र से पूरी तरह बाहर नदी के किनारे पास देखा जा सकता है।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने नमूना आधार पर भौगोलिक सूचना प्रणाली अध्ययन के लिए चयनित तीन जिलों में 86 बालू घाटों की उपलब्ध गूगल अर्थ छवियों का भी विश्लेषण किया। स्वीकृत बालू खनन क्षेत्र के बाहर खनन गतिविधि की पहचान करने के लिए, गूगल अर्थ प्रो के वर्ष 2014, 2015 और 2018 के समय श्रृंखला इमेजरी का उपयोग किया गया। खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति में भू–निर्देशांकों के अनुसार बालू निकासी के लिए सोन नदी पर एक विशेष बालू घाट के लिए आवंटित अनुमोदित बालू खनन क्षेत्रों के नदी किनारे क्षेत्र में ट्रकों/ट्रॉलियों की आवाजाही को परखने के लिए विवेचना की गई। गूगल अर्थ प्रो पर उपरोक्त तीन जिलों के बालू घाटों के भू–निर्देशांकों के अंकन के बाद, यह पाया गया कि खनन गतिविधियाँ आवंटित क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में की जा रही थीं जैसा कि नीचे उपग्रह छवियों में देखा गया है:

(क) पटना

गूगल अर्थ प्रो पर पटना जिले में सोन नदी के बालू घाटों के स्वतंत्र रूप से उपलब्ध ऐतिहासिक उपग्रह चित्रों के अनुसार, 24 बालू घाटों में से 20 पर बाहरी निष्कर्षण देखा गया। कुछ घाटों की छवियों को **चित्र 43 से 47** में उजागर किया गया है:

चित्र 43: मार्च 2020 में उदयपुर के बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।

चित्र 44: फरवरी 2020 में अम्नाबाद बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।

चित्र 45: मार्च 2020 में जनपारा बालू घाट पर बाहरी निष्कर्षण के साथ–साथ वाहनों की आवाजाही देखी गयी।

चित्र 46: मार्च 2020 में जलपुरा बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।

चित्र 47: जनवरी 2019 में निसारपुरा बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।

(ख) भोजपुर

गूगल अर्थ प्रो पर भोजपुर जिले में सोन नदी के बालू घाटों की उपलब्ध ऐतिहासिक उपग्रह छवियों के अनुसार, 36 सोन बालू घाटों में से 28 में बाहरी निष्कर्षण देखा गया। कुछ घाटों की छवियों को चित्र 48 से 55 में उजागर किया गया है:

चित्र 48: फरवरी 2020 में महुई बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।

चित्र 49: अप्रैल 2018 में खारोंकलां बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।

चित्र 50: फरवरी 2019 में कोइलवर छितमपुर बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।

चित्र 51: जनवरी 2019 में कारबासीन बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।

चित्र 52: मार्च 2020 में सरीमपुर बचरी बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।

चित्र 53: मार्च 2020 में किरकिरी बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।

चित्र 54: मार्च 2020 में बरूही बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।

चित्र 55: मार्च 2020 में नारायणपुर बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।

(ग) रोहतास

गूगल अर्थ प्रो पर रोहतास जिले में सोन नदी के बालू घाटों की उपलब्ध ऐतिहासिक उपग्रह छवियों के अनुसार, 26 सोन बालू घाटों में से 16 में बाहरी निष्कर्षण देखा गया। कुछ घाटों की छवियों को **चित्र 56 से 61** में उजागर किया गया है:

चित्र 56: नवम्बर 2018 में परुहर बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।

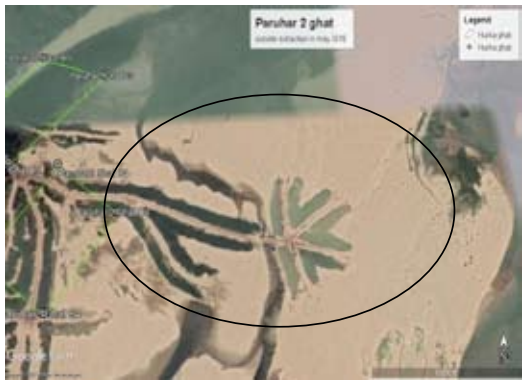

चित्र 57: मई 2019 में परुहर 2 बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।

चित्र 58: जून 2018 में चकनाहा बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।

चित्र 59: मई 2019 में मझियाओ बालू घाट में दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।

चित्र 60: मई 2019 में दरिहाट 1 एवं 2 बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।

चित्र 61: मई 2019 में दरिहाट 3 बालू घाट पर दिखाया गया बाहरी निष्कर्षण।

उपरोक्त के अलावा, बांका जिले में चंदन नदी के 17 बालू घाटों[1] में स्वीकृत पट्टा क्षेत्रों के बाहर बालू खनन गतिविधियों को पाया गया (जैसा कि **परिशिष्ट–9** में वर्णित है)।

इस प्रकार, भौगोलिक सूचना प्रणाली अध्ययन के साथ–साथ गूगल अर्थ उपग्रह छवियों से अनुमोदित क्षेत्रों के बाहर खनन क्षेत्रों के निरंतर प्रसार को लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सभी तीन नमूना जाँच किये गये जिलों के घाटों में देखा गया। इन निर्देशांकों के अनुमोदन में प्रणालीगत कमियों के साथ–साथ उचित सीमांकन के बिना, अवैध खनन को पूरे नमूना

1 बैसा, बिसुनपुर, दोमुहाँ, गोदिया, गोविन्दपुर, जितापुर, जोगी पहाड़ी, कुनानी, लखनौरी–1, लखनौरी–2, मंझिरा, मंझियारा अराजी, मझोनी, पटवे, एवं भोरवा, पटवे भोरवा एवं मेझियारा अराजी, राजीपुर काकना और सारण गोदिया।

जांच किये गये जिलों में अनियंत्रित रूप से देखा जा सकता है। अवैध खनन को रोकने के लिए सतत बालू खनन दिशानिर्देश के अनुसार प्रमण्डल द्वारा नियोजित किए जाने के लिए आवश्यक अधिकांश नियंत्रण तंत्र गैर–मौजूद पाये गये हैं जैसा कि कंडिका में उजागर किया गया है जिसने अवैध खनन के विस्तार को और प्रभावित किया है।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अपैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (23 मई 2022)।

4.2 नमूना घाटों में वास्तविक खनन क्षेत्र

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, हैदराबाद से प्राप्त एलआईएसएस–IV छवियों का उपयोग विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा खनन क्षेत्रों को खोजने के लिए किया गया। बालू खनन क्षेत्र को अभिरूचि क्षेत्र–I, II और III की सीमा के भीतर अंकीकृत किया गया। 17 स्वीकृत घाटों के लिए बालू खनन के लगभग सतह क्षेत्र की गणना नवम्बर 2018, फरवरी 2019, जून 2019, नवम्बर 2019, जनवरी 2020 और मार्च 2020 की समयावधि के लिए की गई। चयनित घाटों और चयनित समयावधियों के लिए अनुमोदित सीमा के भीतर खनन किए गए वास्तविक क्षेत्र का विवरण **परिशिष्ट–10** में दिया गया है।

सभी अभिरूचि क्षेत्रों में खनन किए गए कुल सतह क्षेत्र की गणना की गई और **चार्ट–6 से 8** में प्रस्तुत किया गया है। स्वीकृत सीमा के बाहर और अभिरूचि क्षेत्रों की सीमा के अंदर खनन के क्षेत्र को अवैध बालू खनन क्षेत्र माना गया है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि सभी गणना सभी अभिरूचि के क्षेत्र के लिए समान क्षेत्र के साथ की गई हैं। यहाँ प्रस्तुत सभी क्षेत्र गणना विशुद्ध रूप से विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा प्रदान की गई उपग्रह छवियों (एलआईएसएस–IV) के विश्लेषण पर आधारित हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना ने अपने प्रतिवेदन में इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि पर्यवेक्षित अध्ययन के कारण क्षेत्र की गणना में अंतर हो सकता है, इसलिए गणना किए गए क्षेत्रों को **परिशिष्ट–11** में लगभग क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके अलावा, अवैध बालू खनन क्षेत्र, अनुमोदित घाटों के अंदर खनन किए गए वास्तविक क्षेत्र और अभिरूचि क्षेत्र–I, II और III में कुल सतह क्षेत्र खनन **परिशिष्ट–8** में आलेखित किये गये हैं।

चार्ट–6

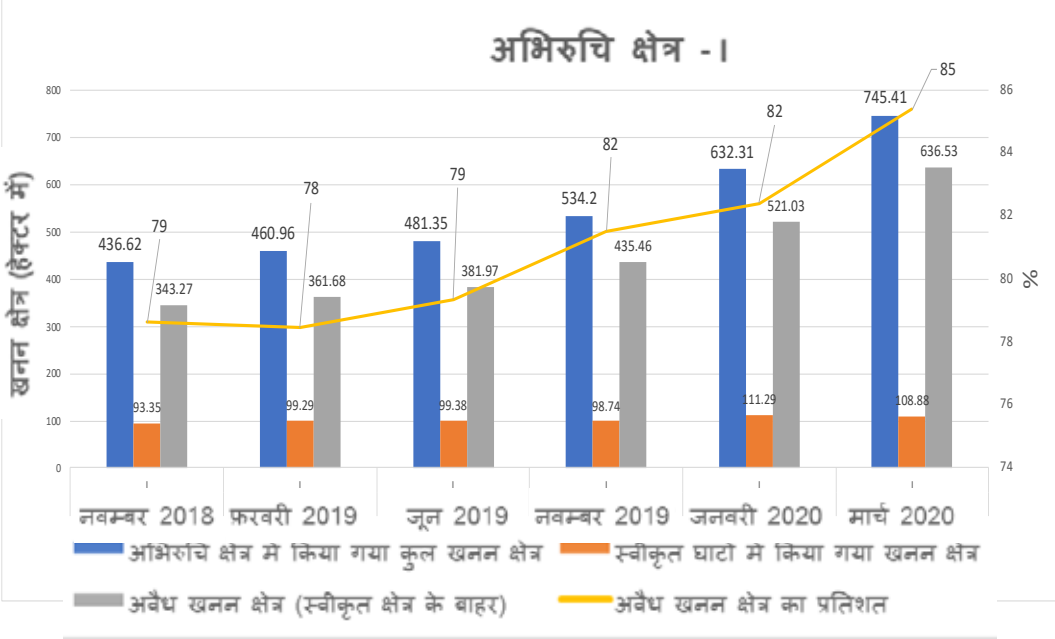

चार्ट–7

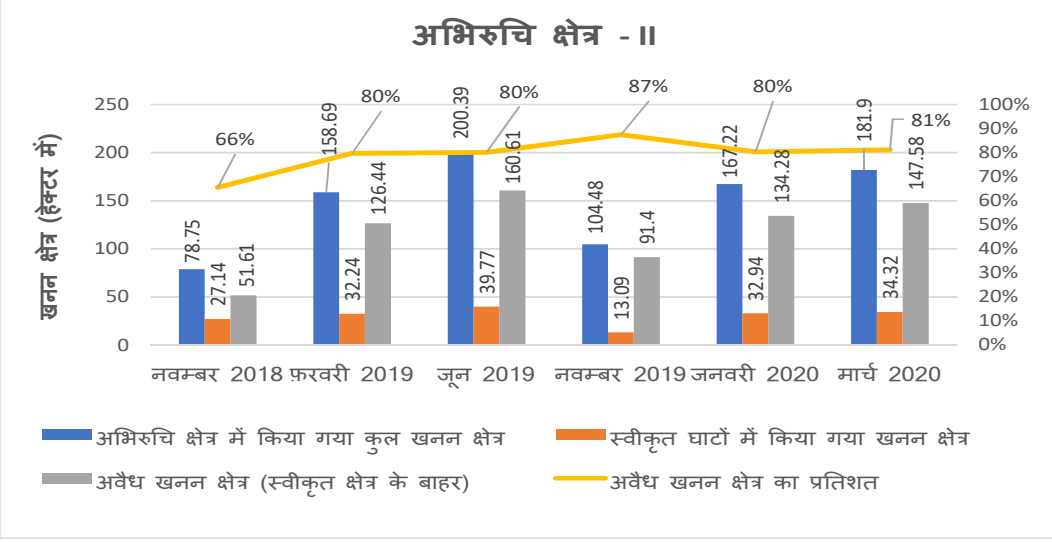

चार्ट–8

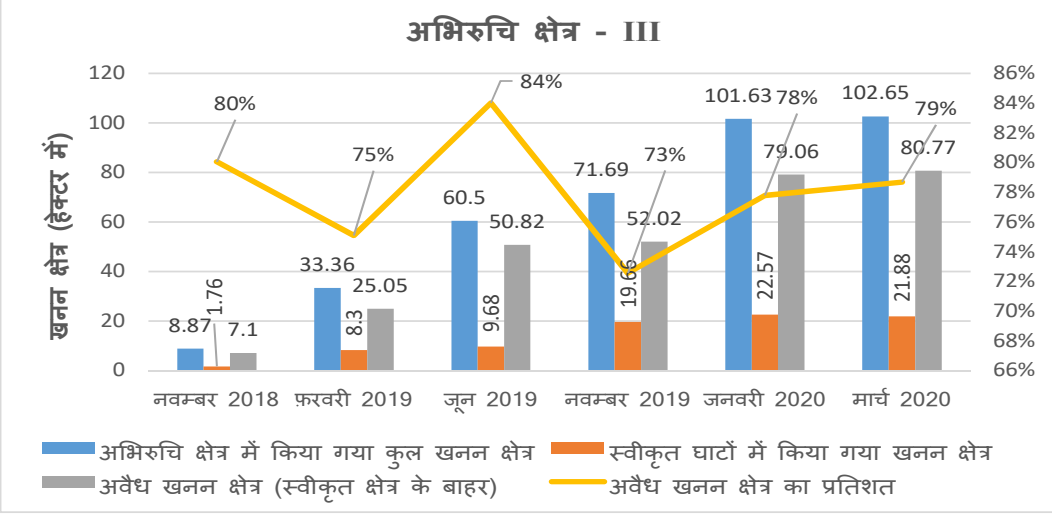

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि समग्र खनन का क्षेत्र नवम्बर 2018 से जून 2019 तक बढ़ा और यह चक्र सभी अभिरुचि क्षेत्रों के लिए नवम्बर 2019 से मार्च 2020 तक दोहराया गया। कुल मिलाकर परिणाम बताते हैं कि सतह क्षेत्र खनन में नवंबर 2018 से मार्च 2020 तक वृद्धि हुई है। यह भी पाया गया कि अभिरूचि क्षेत्र–II और III की तुलना में अभिरूचि क्षेत्र–I में वृद्धि की दर अधिक थी। विशेषज्ञ एजेंसी ने अपने प्रतिवेदन में यह भी कहा है कि यह अभिरूचि क्षेत्र–I में राज्य की राजधानी पटना से बालू घाटों की निकटता के कारण हो सकता है। इसके अलावा, अवैध खनन डेटा को देखते हुए, अभिरूचि क्षेत्र–I, II और III के लिए औसत अवैध खनन क्षेत्र क्रमशः 81 प्रतिशत, 79 प्रतिशत और 78 प्रतिशत हैं। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि अधिकांश अवैध खनन स्वीकृत क्षेत्र के बाहर किया जा रहा था। इस प्रकार, उपग्रह छवियों का उपयोग करते हुए प्राप्त उपरोक्त परिणामों से यह स्पष्ट है कि सभी चयनित अभिरूचि क्षेत्रों में, उल्लिखित अवधियों के दौरान काफी अवैध खनन किया जा रहा था। यह पाया गया कि अभिरूचि क्षेत्र आकार के साथ, अवैध खनन साल दर साल बढ़ रहा था।

नीचे दिया गया **चार्ट–9** विभिन्न अवधियों के दौरान स्वीकृत घाटों के भीतर खनन क्षेत्र को प्रतिशत दर्शाता है।

चार्ट–9

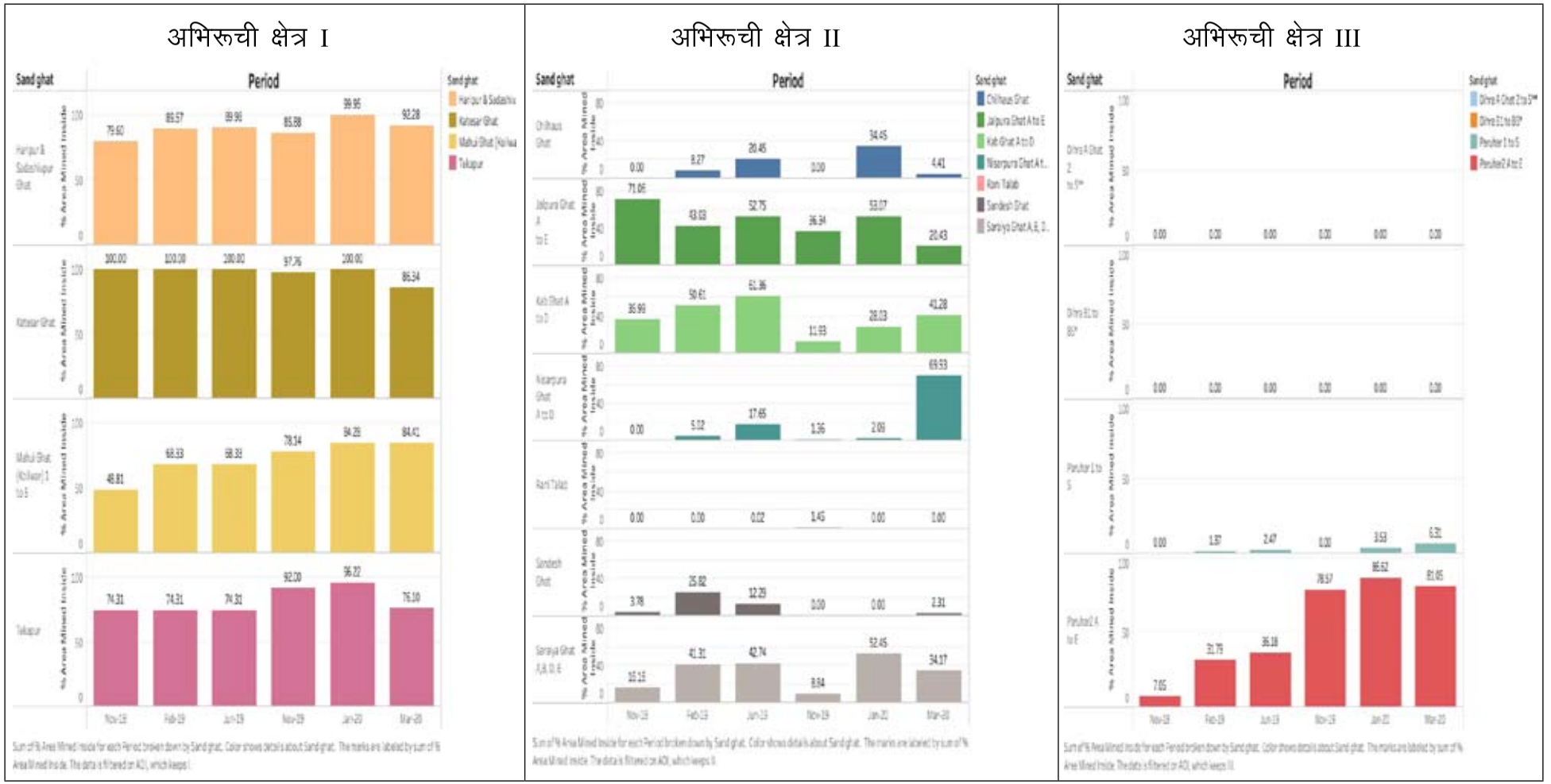

उपरोक्त चार्ट तीन अलग–अलग अभिरूचि क्षेत्रों में शामिल घाटों में स्वीकृत क्षेत्र के अंदर खनन क्षेत्र को उजागर करते हैं। अभिरूचि क्षेत्र–I में दो बालू घाट (अमनाबाद और आनंदपुर) को जानबूझकर विश्लेषण से बाहर रखा गया है क्योंकि दो घाटों के निर्देशांक उभयव्यापी हैं और प्रत्येक घाट के अंदर खनन किए गए वास्तविक क्षेत्र की गणना नहीं की जा सकती है। उपरोक्त आंकड़ों से, लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित पाया गया:

- अभिरूचि क्षेत्र–I में, ज्यादातर घाटों को लगभग 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक को निर्दिष्ट अवधि में खनन किए गए दर्शाये गये एवं जब उन्हें अभिरूचि क्षेत्र–I में कुल खनन क्षेत्र से मिलाया गया तो पाया गया कि स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन लगातार बढ़ रहा था जो कि चार्ट से देखा जा सकता है ।
- इसके अलावा, चार घाटों[2] में किसी भी अनुमोदित क्षेत्र में निर्दिष्ट अवधि में कोई खनन गतिविधि नहीं देखी गई। हालाँकि, लेखापरीक्षा द्वारा इन घाटों के प्रेषण डेटा के सत्यापन पर, यह पाया गया कि इन घाटों से 16.97 लाख टन बालू (2018–2021) प्रेषित दिखाई गयी थी। नीचे दिया गया **चार्ट–10** जनवरी 2017 से अक्टूबर 2021 तक इन घाटों से पट्टेदार द्वारा प्रतिवेदित किए गए प्रेषण की प्रवृत्ति को दर्शाता है। नीचे दिए गए चार्ट से यह देखा जा सकता है कि अधिकांश प्रेषण 2018 और 2020 के मध्य दिखाए गए हैं। यह भी उजागर होता है कि खनन स्वीकृत क्षेत्र के बाहर किया गया। केवल एक बालू घाट धीरा ए (औरंगाबाद) ने शून्य प्रेषण (जनवरी 2017 से मार्च 2019 तक) की सूचना दी है जिसे भौगोलिक सूचना प्रणाली छवियों से भी मिलान किया जा सकता है।

चार्ट–10

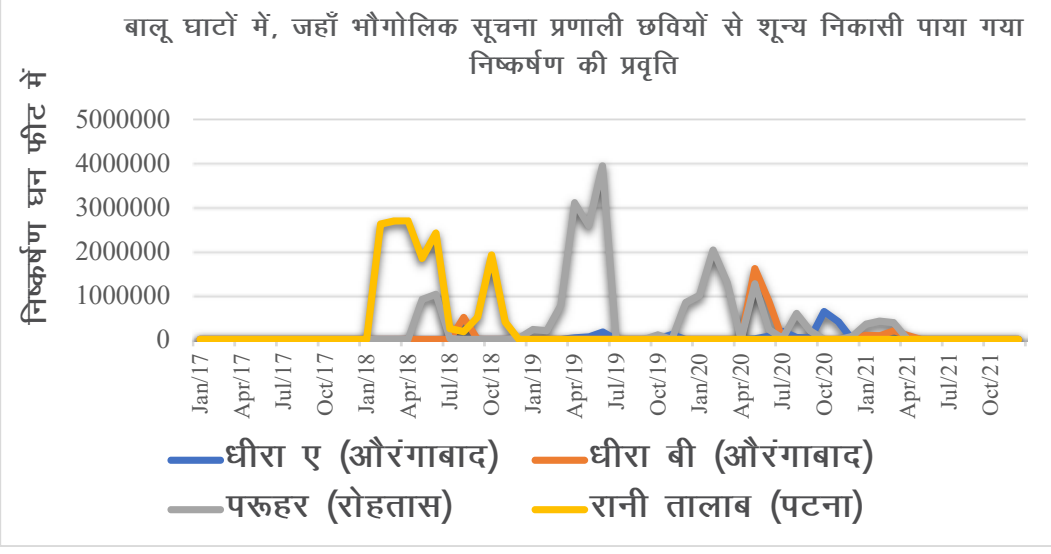

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पट्टेदार द्वारा स्वयं अधिक निकासी के लिए दंडात्मक प्रावधानों का विश्लेषण किया और पाया कि बिहार बालू खनन नीति, 2013 की शर्त 3 (vii) के अनुसार, पट्टेदार को केवल अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ता था यदि किसी विशेष क्षेत्र में निकाली गयी बालू की मात्रा उस वर्ष की बंदोबस्त राशि की निर्धारित मात्रा से अधिक है, जबकि अवैध खनन खनिजों के परिवहन के लिए जुर्माना 25 गुना रॉयल्टी और जुर्माना राशि ₹ 25,000 से ₹ 4,00,000 के साथ कारावास प्रावधान के साथ निर्धारित था। हालाँकि, पट्टेदारों द्वारा अवैध खनन (अनुमोदित खनन योजना क्षेत्र से बाहर) के लिए, बालू नीति में कोई दंडात्मक धारा नहीं है। लेखापरीक्षा ने मध्य प्रदेश की बालू नीति के दंडात्मक प्रावधानों का भी विश्लेषण किया और पाया कि पट्टेदार द्वारा अधिक/अवैध निकासी के लिए जुर्माना

[2] धीरा ए, धीरा बी, परूहर और रानी तालाब।

खनिज की लागत थी, जो कि रॉयल्टी राशि से काफी अधिक है। इसलिए, लेखापरीक्षा का मत है कि पट्टेदारों द्वारा अवैध खनन के लिए उपयुक्त दंडात्मक धारा का अभाव अवैध खनन में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है जैसा कि भौगोलिक सूचना प्रणाली अध्ययन से अवैध खनन की बढ़ती प्रवृत्तियों से पाया गया है।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (23 मई 2022)।

अनुशंसाः विभाग को समय–समय पर बालू घाटों का भू–स्थानिक अध्ययन करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खनन स्वीकृत योजनाओं के अनुसार किया जा रहा है और इससे किसी भी विचलन की सूचना दी जा सके और अवैध खनन के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।

4.3 गूगल अर्थ प्रो छवियाँ के विश्लेषण के माध्यम से अन्य निष्कर्ष

4.3.1 पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना की गयी खनन गतिविधियाँ

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, पूर्वी क्षेत्र खंडपीठ, कोलकाता के आदेश (19 जनवरी 2016) के अनुसार, बिहार में बालू पट्टाधारकों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र प्राप्त नहीं करने के कारण खनन गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने गूगल अर्थ प्रो पर उपलब्ध उपग्रह छवियों के विश्लेषण में पाया कि तीन जिलों में सोन बालू घाटों में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों के बावजूद पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किए बिना खनन गतिविधियों को 12 बालू घाटों[3] में किया गया था। पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना खनन गतिविधियों की छवियों को **चित्र 62 से 77** में दिखाया गया है:

भोजपुर

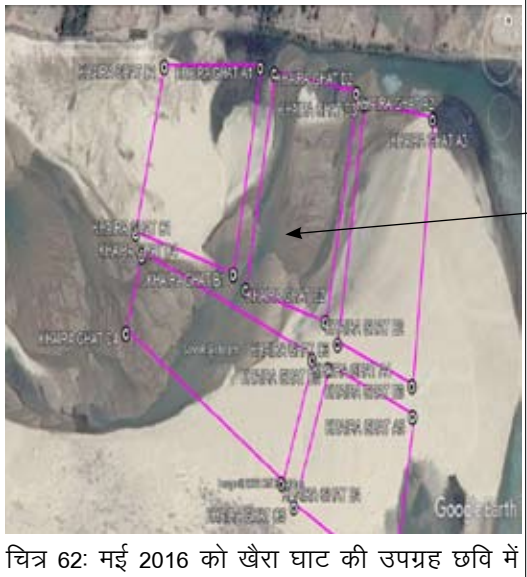

चित्र 62: मई 2016 को खैरा घाट की उपग्रह छवि में कोई निकासी नहीं दिखायी गयी थी।

चित्र 63: मई 2017 में खैरा बालू घाट की छवि में निकासी दिखाया गया है जहाँ कोई निष्कर्षण चित्र 62 में नहीं दिखाया गया है।

[3] **भोजपुर** – अबगिला, फरहांगपुर–1, खैरा, खानगांव –1 एवं सहार और पियुरचक बालू घाट; **पटना** – जलपुरा, कटेशर, कौरिया और सरैया बालू घाट; **रोहतास** – दनवार, हुरका और केरपा बालू घाट।

चित्र 64: नवम्बर 2016 को खानगांव–1 बालू घाट की उपग्रह छवि में कोई निकासी नहीं दिखायी गयी थी।

चित्र 65: जनवरी 2017 में खानगांव –1 बालू घाट की छवि में निकासी दिखाया गया है जहाँ चित्र 64 में कोई निकासी नहीं दिखायी गयी थी।

चित्र 66: मई 2016 को अब्गीला बालू घाट की उपग्रह छवि में कोई निकासी नहीं दिखायी गयी थी।

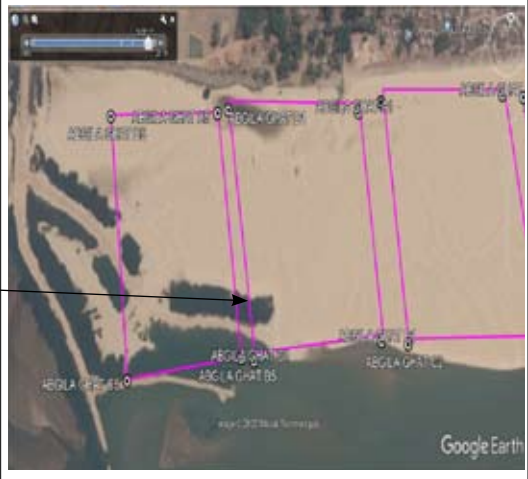

चित्र 67: मई 2017 को अब्गीला बालू घाट की छवि में निकासी दिखाया गया है जहाँ कोई भी निकासी चित्र 66 में नहीं दिखायी गयी थी।

चित्र 68: मई 2016 को फरहंगपुर बालू घाट की उपग्रह छवि जहाँ वृत्त में दिखाये गये अनुसार बालू की निकासी की गयी।

चित्र 69: मार्च 2017 को फरहंगपुर बालू घाट की उपग्रह गति छवि जहाँ में वृत्त में दिखाये गये अनुसार बालू की निकासी की गई।

चित्र 70: मई 2016 को सहार और पेउर चक बालू घाट की उपग्रह छवि जहां वृत्त में बालू खनिजों की निकासी पायी गयी थी।

पटना

चित्र 71: मई 2016 को कटेशर बालू घाट की उपग्रह छवि जहाँ वृत्त में बालू निकासी देखी जा सकती है।

चित्र 72: जनवरी 2017 को कौरिया बालू घाट की उपग्रह छवि में बालू निकासी वृत्त में देखी जा सकती है।

चित्र 73: अक्टूबर 2016 को जलपुरा बालू घाट की उपग्रह छवि जहाँ वृत्त में बालू की निकासी देखी जा सकती है।

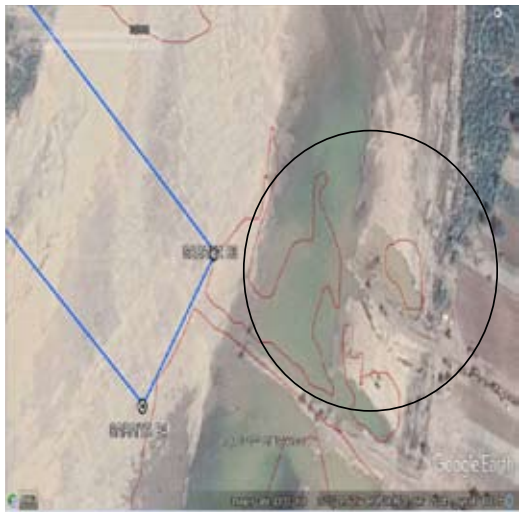

चित्र 74: अक्टूबर 2016 को सरैया बालू घाट की उपग्रह छवि जहाँ वृत्त में बालू की निकासी देखी जा सकती है।

रोहतास

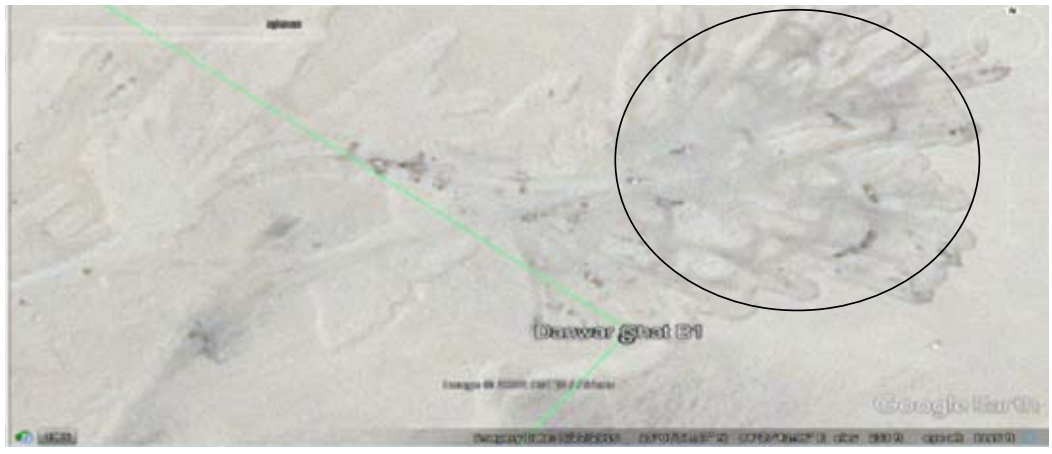

चित्र 75: मई 2016 के दानवार बालू घाट की छवि में उल्लिखित वृत्त में दिखायी गयी निकासी।

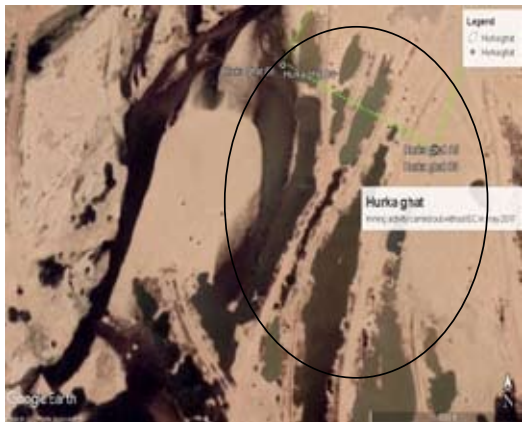

चित्र 76: मई 2017 के हुरका बालू घाट की छवि में उल्लिखित वृत्त में दिखायी गयी निकासी।

चित्र 77: केरपा बालूघाट मई 2016 की छवि में उल्लिखित वृत्त में दिखायी गयी निकासी।

इसके अलावा, कटेशर घाट की पर्यावरण स्वीकृति दिसंबर 2016 में प्राप्त की गयी थी, सहार और प्यूरचक, खैरा, कौरिया, सरैया, जलपुरा, खानगांव –1, फरहांगपुर –1 और अब्गीला बालू घाट की पर्यावरण स्वीकृति फरवरी 2018 में प्राप्त की गयी थी और हुरका, केरपा और दानवर बालू घाटों की पर्यावरण स्वीकृति मार्च 2018 में प्राप्त की गयी थी।

अतः, यह देखा जा सकता है कि खान एवं भूतत्व विभाग पर्यावरण स्वीकृति के बिना खनन गतिविधि को रोकने के लिए माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों को लागू करने में विफल रहा।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (23 मई 2022)।

4.3.2 उपग्रह चित्रों में खनन गतिविधियाँ देखी गई जहाँ बालू खनन के पट्टेदारों द्वारा शून्य निष्कर्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था

लेखापरीक्षा ने तीन जिलों पटना, भोजपुर और रोहतास के संबंध में बालू घाटों के पट्टों की संवीक्षा में पाया कि पट्टेदारों ने पटना जिले के दो बालू घाटों जनपारा–I और आनंदपुर में क्रमशः 2018 और 2019 में और भोजपुर जिले के एक बालू घाट चिल्हौस में 2020 में शून्य निष्कर्षण की सूचना दी थी (विवरण **परिशिष्ट–12** में हैं)।

लेखापरीक्षा ने जब इन बालू घाटों की इन अवधियों के दौरान उपग्रह छवियों का विश्लेषण किया, तो पाया कि वर्ष 2018, 2019 और 2020 की छवियों में दो जिलों के इन तीन बालू घाटों में खनन कार्य किए गए थे, जैसा कि **चित्र 77 से 80** में दिखाया गया है:

चित्र 78: जून 2019 में आनंदपुर बालू घाट की छवि के वृत्त में दिखायी गयी निकासी।

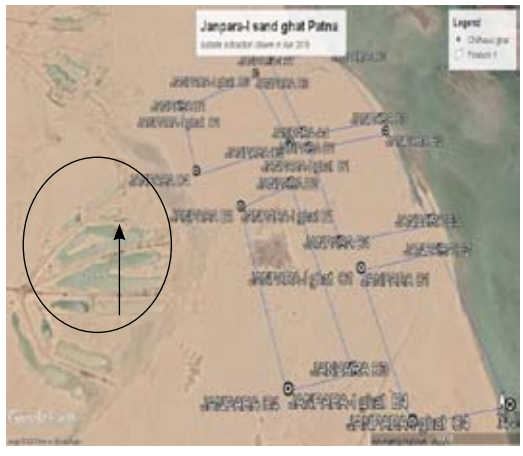

चित्र 79: अप्रैल 2018 में जनपारा–1 बालू घाट की छवि के वृत्त में दिखायी गयी निकासी।

चित्र 80: मार्च 2020 में चिलहॉस बालू घाट की छवि में दिखायी गयी निकासी।

4.3.3 बालू घाटों के पट्टेदारों द्वारा प्रतिवेदित प्रेषणों से अधिक निकासी

बालू घाट के पट्टेदारों द्वारा बालू खनिज के वास्तविक निष्कर्षण की पहचान करने के लिए, लेखापरीक्षा ने गूगल अर्थ प्रो के माध्यम से छः स्वीकृत बालू घाटों[4] के क्षेत्रों का विश्लेषण किया। इन बालू घाटों को नमूना आधार पर चुना गया, जहां घाटों की लगातार छवियाँ गूगल अर्थ प्रो में वर्ष 2018, 2019 और 2020 के लिए समय श्रृंखला छवियों में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध थीं। गूगल अर्थ प्रो का उपयोग खनन क्षेत्र की गणना के लिए एप्लीकेशन के रूप में किया गया। यह व्याख्या अलग–अलग अवधि की दो लगातार छवियों के आधार पर की गई, एक जहां उपग्रह छवियों में निकासी नहीं पायी गयी और दूसरा जहाँ कम अवधि के बाद ली गई छवियों में निकासी पायी गयी। इसके अलावा, जैसा कि पहले उजागर किया गया कि अधिकांश खनन स्वीकृत क्षेत्र के बाहर किया जा रहा था, यहाँ भी, लगातार आधार पर, वास्तव में स्वीकृत क्षेत्र के पास के क्षेत्र (अनुमोदित क्षेत्र के अंदर के क्षेत्र सहित) गणना के उद्देश्य हेतु लिए गए। निकासी के बाद जमीन के परिवर्तनों को **चित्र 81 और 82** में दिखाया गया है:

[4] अमिराबाद गोना, चकनाहा, दरिहाट–3, लहलादपुर, निसरपुरा और कतर।

चित्र 81: अप्रैल 2018 की अवधि के लिए लहलादपुर बालू घाट के लिए ली गई छवियाँ।

चित्र 82: फरवरी 2018 की अवधि के लिए लहलादपुर बालू घाट के लिए ली गई छवियाँ।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने खनन क्षेत्रों को गूगल अर्थ प्रो में विभिन्न बहुभुजों के रूप में आलेखित किया, ताकि, दो लगातार अवधियों के बीच वास्तविक खनन क्षेत्र का पता लगाया जा सके। स्वीकृत क्षेत्रों से सटे सभी आलेखित किए गए बहुभुजों के माने गए क्षेत्रों को गणना के उद्देश्य से लिया गया। बिहार बालू खनन नीति, 2013, में प्रावधान है कि खनन के लिए तीन मीटर की गहराई या जल स्तर, जो भी पहले हो, तक की अनुमति है। इसे सतत बालू खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 में भी दोहराया गया। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रमंडल द्वारा भूजल आंकड़ों का पता लगाने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया था और विभाग द्वारा ऐसा कोई प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने इन क्षेत्रों की स्वीकृत खनन योजना की जाँच करते हुए पाया कि इन क्षेत्रों में बालू की गहराई जल स्तर से कम से कम तीन मीटर ऊपर बताई गई थी। इसलिए, लगातार अवधियों में निकाली गई बालू की मात्रा की गणना क्षेत्र को तीन मीटर की अनुमानित गहराई से गुणा करके की गई। खनन क्षेत्र का पता लगाने की प्रक्रिया नमूना आधार पर **चित्र 83 से 86** में उजागर की गई है **(**विवरणी **परिशिष्ट–13** में**)**।

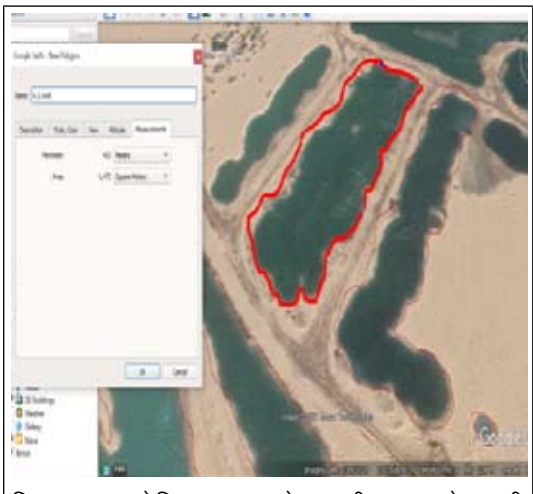

चित्र 83: आलेखित खनन क्षेत्र अमीराबाद गोना की मार्च 2020 की छवि।

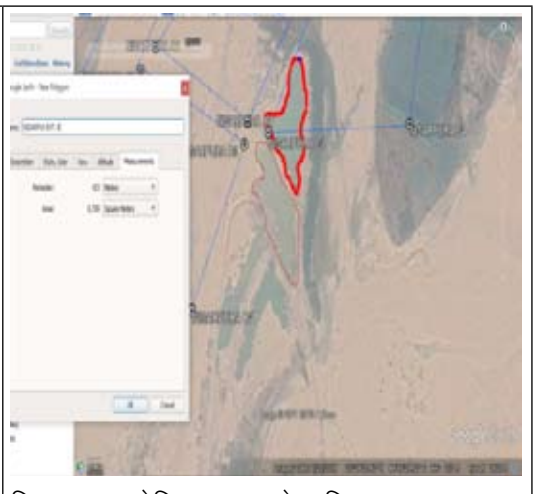

चित्र 84: आलेखित खनन क्षेत्र निसारपुरा बालू घाट की जनवरी 2019 की छवि।

चित्र 85: कतर बालू घाट में लाल सीमा में आलेखित किए गए खनन क्षेत्र जहाँ जनवरी 2019 में निकासी मापी गयी।

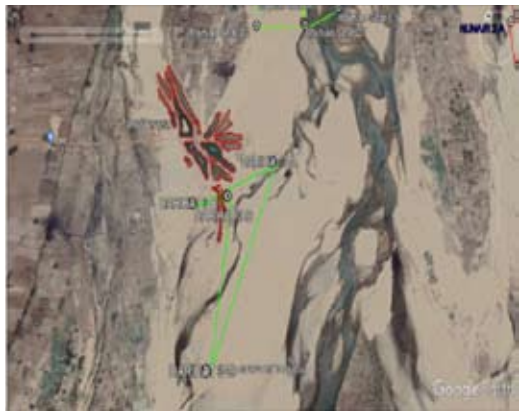

चित्र 86: दारीहाट–3 बालू घाट में लाल सीमा में प्लॉट किए गए खनन क्षेत्र जहाँ निकासी जनवरी 2019 में मापी गयी।

उपग्रह छवियों से देखकर बालू के लगभग निकाली गई सामग्री की गणना के बाद, लेखापरीक्षा ने ई–चालान के डेटाबेस के माध्यम से पट्टेदारों द्वारा प्रतिवेदित की गई बालू से प्रेषण की तुलना की। परिणाम **तालिका–8** में प्रतिवेदित किए गए हैं :

तालिका–8

बालूघाट का नाम	उपग्रह छवियों की अवधि जिसका विश्लेषण किया गया	बहुभुज को आलेखित करने के बाद जहाँ निष्कर्षण पाया गया (कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर)	खनन योजना के अनुसार तीन मीटर गहराई लेने के बाद निष्कर्षित बालू की कुल मात्रा (घन फीट)	खनन डेटाबेस के अनुसार पट्टेदार द्वारा प्रतिवेदित की गई मात्रा (घन फीट)	अंतर (घन फीट)	टिप्पणी
अमीराबाद गोना	मई 2019 – मार्च 2020	1,33,578.00	1,41,51,759	1,09,41,350	32,10,409	मई 2019 में कोई निष्कर्षण नहीं पाया गया।
निसारपुरा	जनवरी 2019	29,921.00	31,69,953	4,48,250	27,21,703	पूरे वर्ष 2018 में शून्य निकासी प्रतिवेदित किया।
लहलादपुर	फरवरी 2018 – मार्च 2018	30,558.00	32,37,482	23,19,200	9,18,282	फरवरी 2018 में क्षेत्र में कोई निष्कर्षण नहीं देखा गया।
चकनाहा	नबम्बर 2018 – जनवरी 2019	1,87,146.50	1,98,26,962	12,51,518	1,85,75,444	--
कतर	जून 2018 – मार्च 2019	3,14,580.00	3,33,27,895	1,69,05,000	1,64,22,895	जून 2018 में छवि में काई निष्कर्षण नहीं पाया गया था।
दरीहट 3	मार्च 2018 – जून 2018	65,037.40	68,90,329	12,20,700	56,69,629	मार्च 2018 में छवि में काई निष्कर्षण नहीं पाया गया था।
कुल		**7,60,820.90**	**8,06,04,380**	**3,30,86,018**	**4,75,18,362**	

अतः उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि उपरोक्त छः बालू घाटों में, सुरक्षित आधार पर, इन घाटों में लगभग निकासी की तुलना में पट्टेदारों द्वारा लगभग 4,75,18,362 घन फीट (59 प्रतिशत) कम प्रतिवेदित किया गया, जैसा कि गूगल अर्थ छवियों के माध्यम से पाया गया।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (23 मई 2022)।

4.4 खनिजों के निष्कर्षण की निगरानी की प्रक्रिया

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2016 के अनुसार, राज्य खनन प्रमंडल को परिवहन परमिट या रसीद को यूनिक बार कोड, क्यूआर कोड, उडन स्याही, अदृश्य स्याही, जल–चिन्ह आदि जैसी सुरक्षा विशेषताओं के साथ छापना चाहिए और उन्हें जिला समाहर्त्ता के माध्यम से खनन पट्टा धारक को जारी करना चाहिए :

- एक बार जब ये परिवहन परमिट या रसीदें जारी कर दी जाती हैं, तो उन्हें उस खनन पट्टा क्षेत्र के लिए सर्वर पर डालना चाहिए।
- प्रत्येक रसीद विशेषतः पूर्व–निर्धारित मात्रा के साथ होनी चाहिए, ताकि जारी की गई रसीदों की कुल मात्रा निर्धारित हो सके।
- जब परिवहन परमिट या रसीद बारकोड स्कैन हो जाता है और बीजक उत्पन्न हो जाता है, तो वह विशेष बारकोड प्रयुक्त हो जाता है और उसकी वैधता का समय सर्वर पर दर्ज किया जाता है। इसलिए खनन की गई सामग्री के परिवहन के सभी विवरण सर्वर पर दर्ज किए जा सकते है और परिवहन परमिट या रसीद का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- वाहन के मार्ग को स्रोत से गंतव्य तक चेक पॉइंट, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ट्रैकिंग का उपयोग करके सिस्टम के माध्यम से पता किया जा सकता है।
- यह प्रणाली अधिकारियों को दैनिक उठाव प्रतिवेदन, वाहन लॉग या इतिहास, आवंटन के विरुद्ध उठाव और कुल उठाव जैसे विभिन्न मापदंडों पर आवधिक प्रतिवेदन विकसित करने में सक्षम बनाएगी।
- इस प्रणाली का उपयोग स्वतः मेल या एसएमएस उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। यह जिला समाहर्त्ता को सभी प्रासंगिक विवरण प्राप्त करने में सक्षम बनायेगा और प्राधिकारी को किसी भी स्थल की स्कैनिंग सुविधा को अनियमितता में लिप्त पाए जाने पर बंद करने में सक्षम करेगा। जब भी कोई प्राधिकारी अवैध बालू का परिवहन करने वाले किसी वाहन को रोकता है, तो वह सर्वर पर पंजीकृत हो जाएगा और अधिकारी के लिए की गयी कार्रवाई का प्रतिवेदन भरना अनिवार्य होगा। हर पकड़े गये वाहन को पता कर लिया जाएगा।

जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति द्वारा खनन किए गए खनिज, पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति और पर्यावरण प्रबंधन योजना के प्रवर्तन की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। ऊपर परिकल्पित निगरानी व्यवस्था तीन महीने के भीतर की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि खान एवं भूतत्व विभाग ने अपने राजस्व को बढ़ाने और अवैध खनन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए एक एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी समाधान लागू किया (अक्टूबर 2017)। इस संबंध में, खान एवं भूतत्व विभाग ने आगे अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग द्वारा वित्त पोषित ग्रो बिहार परियोजना योजना के तहत प्राइस वाटरहाउस कूपर्स द्वारा तैयार प्रस्ताव निवेदन पर विचार किया। प्रस्ताव निवेदन से अवगत होने के बाद, विभाग ने आकलन किया कि सॉफ्टवेयर को पूरा करने में 27 महीने लगेंगे और इसकी लागत ₹ 2.50 से ₹ 3.00 करोड़ होगी।

समय और लागत की कमी के कारण, खान और भूतत्व प्रमंडल ने ओडिशा सरकार (मेसर्स i3MS द्वारा निर्मित) से सॉफ्टवेयर का स्रोत कोड प्राप्त किया, जो ओडिशा राज्य में सफलतापूर्वक चल रहा था। विभाग के अनुसार, प्राप्त सॉफ्टवेयर को खान एवं भूतत्व विभाग के वांछित उद्देश्य को पूरा करना चाहिए था और विभाग ने दावा किया कि यह बिहार राज्य में अवैध खनन को रोकने में सहायक था। इसके अलावा, विभाग ने आवश्यकता के अनुसार खरीदे गए सॉफ्टवेयर के अनुकूल और अनुकूलित सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए नामांकन के आधार पर एक एजेंसी मेसर्स सीएसएम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को किराये पर रखा। परियोजना निगरानी इकाई के रूप

में कार्य करने के लिए खान और भूतत्व विभाग, बिहार सरकार और मेसर्स सीएसएम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये (फरवरी 2018)।

अनुबंध के अनुसार, विभाग के लिए इसे कार्यात्मक बनाने के लिए सॉफ्टवेयर के 20 मॉड्यूल[5] को अनुकूलित किया जाना था और इसे विभाग के लिए कार्यात्मक बनाना था। इसके अतिरिक्त, अन्य परिवर्तन, जब भी विभाग द्वारा आवश्यक हो, किए जाने चाहिए और कार्यशील होने चाहिए। विभागीय स्तर (अक्टूबर 2017) पर परियोजना प्रबंधन इकाई का मुख्य कार्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में सभी नियोजित मॉड्यूल्स की कार्यात्मक स्थिति की निगरानी करना था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 20 नियोजित मॉड्यूलों में से केवल पाँच मॉड्यूल[6] कार्य कर रहे थे। वातावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना के संबंध में, केवल ई–चालान बनाने और उन्हें मैन्युअल रूप से बंद करने की सुविधा को कार्यात्मक बनाया गया था। वातावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में उल्लिखित सुरक्षा विशेषताएँ ई–चालान में मौजूद नहीं थीं क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में नकली ई–चालान पाये गये (बाद की कंडिकाओं में वर्णन किया गया है)। इसके अलावा, यह पाया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग केवल अनियंत्रित ई–चालान उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा था क्योंकि अन्य मॉड्यूल अक्रियाशील थे, जिसका प्रभाव नीचे कंडिका में उजागर किया गया है। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि:

- जब लेखापरीक्षा द्वारा माँग की गई, तो उपयोगकर्त्ता आवश्यकता विनिर्देश, सॉफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज आदि सूचना प्रौधोगिकी प्रणाली के कामकाज के लिए बुनियादी दस्तावेज विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। सॉफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज के अभाव में, विभाग महत्वपूर्ण परियोजना को संभालने के लिए पूरी तरह से निजी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पर निर्भर था।
- इसके अलावा, खनिज ले जाने वाले वाहन पंजीकरण (वाहनों की पहचान के लिए), क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय एकीकरण (वाहनों के सत्यापन के लिए) और जियो–फेंसिंग मॉड्यूल (वाहनों की वास्तविक समय और ऐतिहासिक आवाजाही पर नजर रखने के लिए) जैसे प्रमुख मॉड्यूल जिसकी परिकल्पना मूल–प्रस्ताव निवेदन में भी की गई थी को कार्यात्मक नहीं बनाया गया था।
- खनिजों की आवाजाही की निगरानी के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण विशेषताएँ जैसे वाहनों की आवाजाही का ट्रेकिंग एवं अवैध खनन के अवरोधन का प्रतिवेदन सिस्टम में अनुपलब्ध थे।
- खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम और बिहार लघु खनिज समनुदान नियम, 2019 में यह भी प्रावधान है कि अवैध खनन और खनिजों के परिवहन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जाँच चौकी और धर्मकाँटा स्थापित किए जाए। लेकिन, जिला खनन कार्यालयों के अभिलेखों के अनुसार, यह उपकरण खनन स्थल पर स्थापित नहीं किया गया था। आगे यह पाया गया कि 14 नमूना जिलों में से तीन जिलों[7] में केवल चार जाँच चौकी अधिसूचित की गयी थी, शेष 11 जिलों में जाँच चौकियाँ स्थापित या अधिसूचित नहीं की गयी थी। इस प्रकार, अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए विभाग की क्षमता सीमित थी।

---

[5] प्रणाली अध्ययन एवं अंतराल विश्लेषण, खान एवं वितरक रेखा चित्र प्रोफाईल, ई–परमिट (व्यापक मात्रा में प्रेषण), ई–पारगमन पास, मोबाईल ऐप्स (ई–प्रवर्तन), खनिज ले जाने वाल वाहन का निबंधन, ऑनलाइन निबंधन भुगतान, अल्प अवधि परमिटों की स्वीकृति आपूर्तकर्त्ता एवं क्रशरों के लिए नया अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण, तौल मशीन निबंधन, खनिज रियायत (ई–नीलामी के पूर्व एवं बाद की गतिविधि, एस0एम0एस0 एवं ई–मेल समाकलन, मासिक प्रगति विवरणी, मांग आकलन, शिकायत की निगरानी, मामला प्रबंधन, बकाया भुगतान प्रमाण–पत्र, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय समाकलन, प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन और वाहन जब्ती।

[6] खान और वितरक रेखाचित्र, ई–पारगमन पास, आपूर्तिकर्त्ता और क्रशर के लिए नया लाइसेंस/नवीनीकरण, तौल मशीन निबंधन और प्रबंधन सूचना प्रणाली।

[7] भागलपुर, कैमूर और नवादा।

- ई–चालान निर्गत करने की जिम्मेदारी बिना पुष्टि नियंत्रण के जैसे प्रेषित खनिज के वजन का स्वतः प्रग्रहण, वाहनों का प्रकार आदि, पट्टेदारों को सौंपी गई थी।

प्रमुख मॉड्यूलों की अनुपस्थिति में, जब लेखापरीक्षा ने ई–चालान के डेटाबेस का विश्लेषण किया, तो यह पाया कि उसमें अवास्तविक वाहनों द्वारा खनिज ले जाने, एक ही दिन में अधिक संख्या में फेरों के रूप में ई–चालान का अनियमित निर्गमन, कम निकासी का प्रतिवेदन, अनुमोदित वजन के विरुद्ध वाहनों द्वारा अधिक खनिज ले जाने, ई–चालान का सत्यापन न करने आदि के कई मामले थे जैसा कि आगे आने वाली कंडिका में वर्णित है। इसके अलावा, सूचना प्रौधोगिकी प्रणाली में प्रत्येक घाट के लिए खनन किए जाने वाले खनिजों की अधिकतम मात्रा की सीमा प्रदान की गई थी।

तथापि, जिला खनन कार्यालय, पटना में यह पाया गया कि वर्ष 2018 में स्वीकृत सीमा के विरूद्ध उदयपुर के बालू घाट में पट्टेदार द्वारा 46,68,862 घन फीट[8] बालू (22 प्रतिशत) अधिक मात्रा में निकाली गयी। यह अतिरिक्त निकासी निगरानी के लिए पुष्टि नियंत्रण की गैर–मौजूदगी को दर्शाता है।

इस प्रकार, निगरानी प्रणाली रखने का उद्देश्य विफल हो गया और साथ ही, यह अवैध खनन को नियंत्रित करने में विभाग की विफलता को प्रकट करता है।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसाः विभाग को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ट्रैकिंग के साथ जियो–फेंसिंग मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल को क्रियाशील बनाना चाहिए ताकि जाँच बिंदुओं का उपयोग करके प्रणाली के माध्यम से स्रोत से गंतव्य तक वाहन के मार्ग का पता किया जा सके। इसके अलावा, विभाग को खनिज ले जाने वाले वाहनों के खराब होकर रूकने एवं विभिन्न एजेंसियों द्वारा अवैध वाहनों के पकड़े जाने की निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई की जा रही है।

4.5 अवास्तविक वाहनों द्वारा खनिजों का परिवहन

लेखापरीक्षा ने विश्लेषण के लिए 2017 से 2021 तक की अवधि के लिए ई–चालान का डेटाबेस प्राप्त किया। खान एवं भूतत्व विभाग के तहत परियोजना निगरानी इकाई द्वारा संधारित ई–चालान डेटाबेस के विश्लेषण और वाहन डेटाबेस के साथ इसके सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि 14 नमूना जिलों में 46,935 अवास्तविक वाहनों जैसे एम्बुलेंस, बस, ऑटो रिक्शा, कार, मोटरसाइकिल आदि का उपयोग करके 2,43,811 ई–चालान बनाये गए थे, जिनका उपयोग खनिजों के परिवहन के लिए किया गया था (विवरण नीचे **तालिका–9** में है)। डेटाबेस में दिखाए गए परिवहन वाहनों की प्रकृति से, खनिजों को इन वाहनों द्वारा ले जाना संभव नहीं था, इसलिए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन वाहनों द्वारा खनिज नहीं ले जाया गया है। लेखापरीक्षा ने आगे नमूना आधार पर अवास्तविक वाहनों के उपयोग के कारणों का विश्लेषण किया और पाया कि विभिन्न कार्य प्रमंडलों में ठेकेदारों द्वारा 140 अवास्तविक ई–चालान प्रस्तुत किए गए थे। क्योंकि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के डेटाबेस के साथ ई–चालान का कोई संयोजन नहीं था, वाहन के प्रकार को स्वचालित रूप से पकड़ने के लिए ई–चालान डेटाबेस में कोई सत्यापन नियंत्रण मौजूद नहीं था। वाहन डेटा के साथ–साथ भारित खनिज की मात्रा को पट्टेदार द्वारा स्वयं प्रणाली में मैन्युली दर्ज किया जा रहा था। इस प्रकार, अवास्तविक ई–चालान और अवास्तविक वाहनों का उपयोग करने के संभावित कारणों में से एक रॉयल्टी विमुक्त करने के लिए कार्य प्रमंडल की जरूरी मापदंडों को पूरा करना हो सकता है।

[8] अधिक निकासी = कुल निकासी – स्वीकृत खनन योजना के अनुसार निकासी की सीमा = 2,56,88,350 घन फीट – 2,10,19,488 घन फीट = 46,68,862 घन फीट।

तालिका–9
लघु खनिज

वाहन का प्रकार		एक समय में ले जाने वाले खनिज की सीमा (मीट्रिक टन)	वाहन की संख्या	बनाये गये ई–चालान की संख्या	खनिज भार (मीट्रिक टन)
एम्बुलेंस		4 - 24	4	10	124.00
बस		3.51 - 47.36	543	2,867	35,789.55
कैंपर वैन		4 - 4	1	10	40.00
निर्माण उपकरण वाहन		4-38.97	10	12	84.97
ई–रिक्शा		4 - 18	2	3	26.00
अग्निशमन वाहन		4 - 4	2	2	8.00
हार्वेस्टर		4 - 4	3	10	40.00
मैक्सी कैब / माल वाहक		0.41 - 52.21	19,762	1,24,628	10,88,830.83
मोटर साइकिल / स्कूटर		0.14 - 52.1	15,616	62,843	6,44,178.94
मोटर कैब		0.39 - 51.66	1,252	5,048	36,457.50
मोटर कार		1.02 - 52.07	1,930	9,245	86,861.62
तिपहिया		0.16 - 52.2	7,810	39,133	3,85,385.16
सकल योग			**46,935**	**2,43,811**	**22,77,826.57**

इन ई–चालानों की आगे जाँच करने पर यह भी पाया गया कि 35,262 ई–चालानों में 588 अवास्तविक वाहन अर्थात मोटरसाइकिल, बस, तिपहिया आदि एक ही दिन में कई बार जैसे कार 139 बार उपयोग किये जाते पाये गये, मोटरसाइकिल 181 बार तक इत्यादि। अवास्तविक वाहनों का विवरण **तालिका–10** में दिया गया है :

तालिका–10

वाहन का प्रकार	प्रति दिन फेरों की संख्या	वाहनों की संख्या	बनाये गये ई–चालानों की संख्या	खनिज भार (मीट्रिक टन)
बस	11-83	8	354	6,306.00
मैक्सी कैब/माल वाहक	11-715	290	18,536	3,14,785.12
मोटर–साइकिल/स्कूटर	11-181	163	9,357	1,60,162.84
मोटर कैब	11-115	9	328	4,952.00
मोटर कार	11-139	31	1,749	33,110.00
तिपहिया	11-264	87	4,938	83,440.00
कुल	**11-715**	**588**	**35,262**	**6,02,755.96**

आगे लेखापरीक्षा ने अवास्तविक ई–चालानों की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया और यह पाया गया कि इनमें से अधिकांश का उपयोग जून में किया गया था। चूंकि घाटों का नियमित सत्यापन जुलाई में होता है, इसलिए कुछ प्रेषण केवल निकासी को सही ठहराने के लिए दिखाए जाते हैं।

यह इंगित करता है कि किसी विशेष वाहन के लिए बनाये ई–चालानों की संख्या की निगरानी के लिए सॉफ्टवेयर में कोई इनपुट नियंत्रण तंत्र उपलब्ध नहीं था। यह पट्टेदारों को खनिजों के निष्कर्षण और भंडारण की मात्रा को वैध बनाने के लिए समान वाहन नंबरों का उपयोग करके अधिक ई–चालान बनाने का मौका प्रदान करता है, अतः ई–चालान सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के उद्देश्य को कमजोर करता है।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि खनिजों को बड़े पैमाने पर बनने वाले ई–चालान से अवास्तविक वाहनों के द्वारा भेजा जाना दर्शाया गया था। इसलिए, ई–चालान केवल एक प्रथागत आवश्यकता के रूप में पट्टेदारों द्वारा बनाये जा रहे थे। खान एवं भूतत्व विभाग इसकी निगरानी और रोकथाम करने में विफल रहा (जिलेवार ब्योरे **परिशिष्ट–14** में है)।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि ठेकेदारों द्वारा कार्य विभाग को अवास्तविक ई–चालान प्रस्तुत किये गये थे। खान एवं भूतत्व विभाग पहले ही वाहन सॉफ्टवेयर के साथ ई–चालान के डेटाबेस को एकीकृत करने के लिए कदम उठा चुका है। भविष्य में किसी प्रकार के दुरूपयोग को रोकने के लिए वाहन द्वारा की गई फेरों पर ई–चालान प्रणाली में भी प्रतिबंध लगाया गया है (मई 2017)।

विभाग ने लेखापरीक्षा बिंदु को स्वीकार कर लिया है और कहा (17 मई 2022) है कि आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं।

अनुशंसाः विभाग को अवास्तविक वाहनों पर ई–चालान बनने होने से रोकने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग के डेटाबेस को वाहन डेटाबेस के साथ एकीकृत करना चाहिए।

4.6 अनियमित ई–चालान बनाना

विभाग के आदेश (हर साल) के अनुसार, प्रत्येक पट्टेदार को जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में खनन नहीं होने के कारण मानसून से पहले पर्याप्त मात्रा में बालू का भंडारण करना होगा। इसके अलावा, प्रत्येक जिला खनन कार्यालय को राज्य में बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मानसून शुरू होने से पहले बालू के भंडारण की मात्रा को सत्यापित करना होगा। इन आदेशों/मानदंडों का पालन करने के लिए, संबंधित पट्टेदार को भंडारण के लिए बालू भेजनी होती है, जिससे जून के महीने के दौरान अन्य महीनों की अपेक्षा उत्पन्न ई–चालान की आवृत्ति के साथ संख्या में वृद्धि होती है। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी 14 नमूना जिलों के पट्टेदारों ने जून महीने में बालू के परिवहन को दिखाने के लिए

सामान्य रूप से अधिक संख्या में ई–चालान बनाये थे जैसा कि **चार्ट–11** में वर्णित है:

चार्ट–11

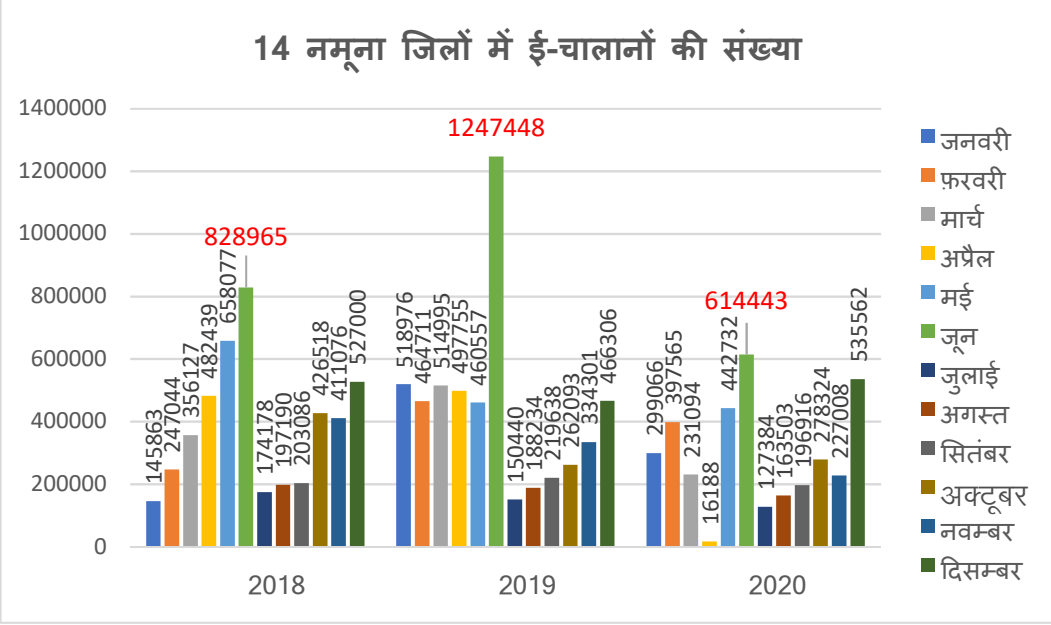

4.6.1 बालू

वर्ष 2018 से 2020 तक के लिए जून के महीने में बनाये गये इन ई–चालानों के नमूना डेटा की जाँच से पता चला कि वाहन क्षमता की संभावित सीमा से परे बड़ी मात्रा में खनिजों का उल्लेख करते हुए बड़ी संख्या में ई–चालान बनाने के लिए समान वाहन नंबरों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, 11 जिला खनन कार्यालयों[9] में यह भी पाया गया कि 15,723 मामलों में खनिजों को ले जाने के लिए एक दिन में एक वाहन के लिए 11 से 861 ई–चालान बनाये गये जो संभव नहीं था। जिलेवार विवरण **तालिका–11** में दर्शाये गये है:

तालिका–11

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रयुक्त वाहनों की संख्या	मामलों की संख्या	प्रतिदिन वाहनों के फेरों की संख्या	बनाये गये ई–चालानों की संख्या	खनिज भार (मीट्रिक टन में)
1.	औरंगाबाद	440	1,271	11 से 36	17,840	3,80,134
2.	बांका	252	1,130	11 से 95	19,669	2,58,117
3.	भागलपुर	6	6	12 से 25	106	724
4.	भोजपुर	2,556	6,776	11 से 498	3,04,063	54,51,967
5.	गया	179	507	11 से 69	9,432	1,51,650
6.	नालंदा	59	319	11 से 42	5,040	86,708
7.	नवादा	559	1,540	11 से 861	69,730	13,29,062
8.	पटना	1,695	3,901	11 से 597	1,54,378	29,51,862
9.	रोहतास	185	252	11 से 22	3,386	76,780
10.	सीवान	1	1	19 से 19	19	342
11.	वैशाली	12	20	11 से 15	244	4,176
	सकल योग	**5,104[10]**	**15,723**	**11 से 861**	**5,83,907**	**1,06,91,522**

[9] औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, गया, नालन्दा, नवादा, पटना, रोहतास, सीवान और वैशाली।

[10] 5,944 वाहनों में 5,104 वाहन विभिन्न पंजीकृत संख्या वाले हैं।

4.6.2 पत्थर

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि चार जिलों अर्थात औरंगाबाद, गया, नवादा और शेखपुरा में संबंधित पट्टेदार 2018 से 2020 के दौरान पत्थर भेजते थे, जिसके लिए एक विशेष वाहन द्वारा एक दिन में 10 से 142 से अधिक बार ई–चालान बनाये गये। यह पाया गया है कि 294 विभिन्न वाहन नंबरों के लिए 11,397 ई–चालान वाले कुल 794 मामलों में चार जिलों में 2,52,432.53 मीट्रिक टन पत्थर ले जाते हुए पाए गए। विवरण **तालिका–12** में दिये गये है:

तालिका–12

जिले का नाम	उपयोग किए वाहनों की संख्या	मामलों की संख्या	प्रतिदिन वाहनों के फेरों की संख्या	बनाये गये ई–चालानों की संख्या	खनिज भार (मिट्रिक टन में)
औरंगाबाद	6	6	11 से 12	70	2,587.89
गया	105	285	11 से 52	3,864	69,401.66
नवादा	24	25	11 से 36	357	6,310.87
शेखपुरा	163	478	11 से 142	7,106	1,74,132.11
सकल योग	**294**[11]	**794**	**11 से 142**	**11,397**	**2,52,432.53**

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (23 मई 2022)।

अनुशंसाः विभाग को प्रणाली में गंतव्य स्थान के आधार पर सत्यापन नियंत्रण स्थापित करना चाहिए ताकि एक ही दिन में अनियमित चालानों के सृजन से बचा जा सके।

4.7 कार्य प्रमंडलों में नकली ई–चालान उपयोग किये गये

बिहार लघु खनिज समनुदाय नियमावली, 1972 के नियम 40 (10) में प्रावधान है कि कार्य ठेकेदार केवल पट्टेदार/परमिट धारक और अधिकृत डीलरों से खनिजों की खरीद करेगा। कार्य विभाग उस बिल को स्वीकार नहीं करेगा जिसे कार्य ठेकेदार अपने द्वारा उपयोग किए गए खनिज की लागत वसूल करने के लिए जमा करता है, जब तक कि उसके साथ निर्धारित प्रपत्र एम और एन न हो। ये प्रपत्र उन डीलरों के नाम और पते का वर्णन करते हैं जिनसे खनिज खरीदे गए थे।

खान एवं भूतत्व विभाग की अधिसूचना (सितम्बर 2019) के अनुसार, एम और एन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, और कार्यों में खपत खनिजों के ई–चालान को संबंधित कार्य प्रमंडलों द्वारा ई–चालान सत्यापन वेब पोर्टल के माध्यम से ही सत्यापित किया जाना था।

कार्य प्रमंडलों एवं जिला खनन कार्यालयों से संबंधित अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि विभिन्न कार्य प्रमंडलों में कुल 33,191 ई–चालान लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किए गए थे। जिनमें से 21,192 ई–चालान फर्जी पाए गए जिनका उपयोग 16 कार्य प्रमंडलों में विभिन्न निर्माण कार्यों में किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट–15** में वर्णित है। इनमें 8,169 फर्जी ई–चालानों को कार्य प्रमंडलों के अभिलेखों के अनुसार संबंधित जिला खनन कार्यालय द्वारा पहले सत्यापित और वैध घोषित किया गया था। जब लेखापरीक्षा ने इस तरह के सत्यापन के बारे में जिला खनन कार्यालय से माँग की, तो जिला खनन कार्यालय ने ऐसे ई–चालानों को सत्यापित करना अस्वीकार किया। लेखापरीक्षा ने जिला खनन कार्यालय के पत्र जावक पंजी का भी विश्लेषण किया और पाया कि खनिज सत्यापन के संबंध में जिला खनन पदाधिकारियों के पत्र अभिलेखों में नहीं थे। इसलिए, यह पाया गया कि न केवल ई–चालान बल्कि सत्यापन पत्र भी फर्जी थे।

[11] 298 वाहनों में अलग–अलग पंजीकृत नम्बर वाले 294 वाहन है।

यह प्रत्यक्ष धोखाधड़ी है और कार्य प्रमंडलों से सम्पर्क कर खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा इसकी और जाँच किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि कार्य प्रमंडलों ने संबंधित कार्य ठेकेदारों से न तो रॉयल्टी की वसूली की और न ही अर्थदंड आरोपित किया। इससे न केवल सरकारी राजस्व की हानि हुई बल्कि इससे अवैध खनन को भी बढ़ावा मिला। नीचे दिए गए चित्र वास्तविक ई–चालान और नकली ई–चालान के बीच अंतर को उजागर करते हैं:

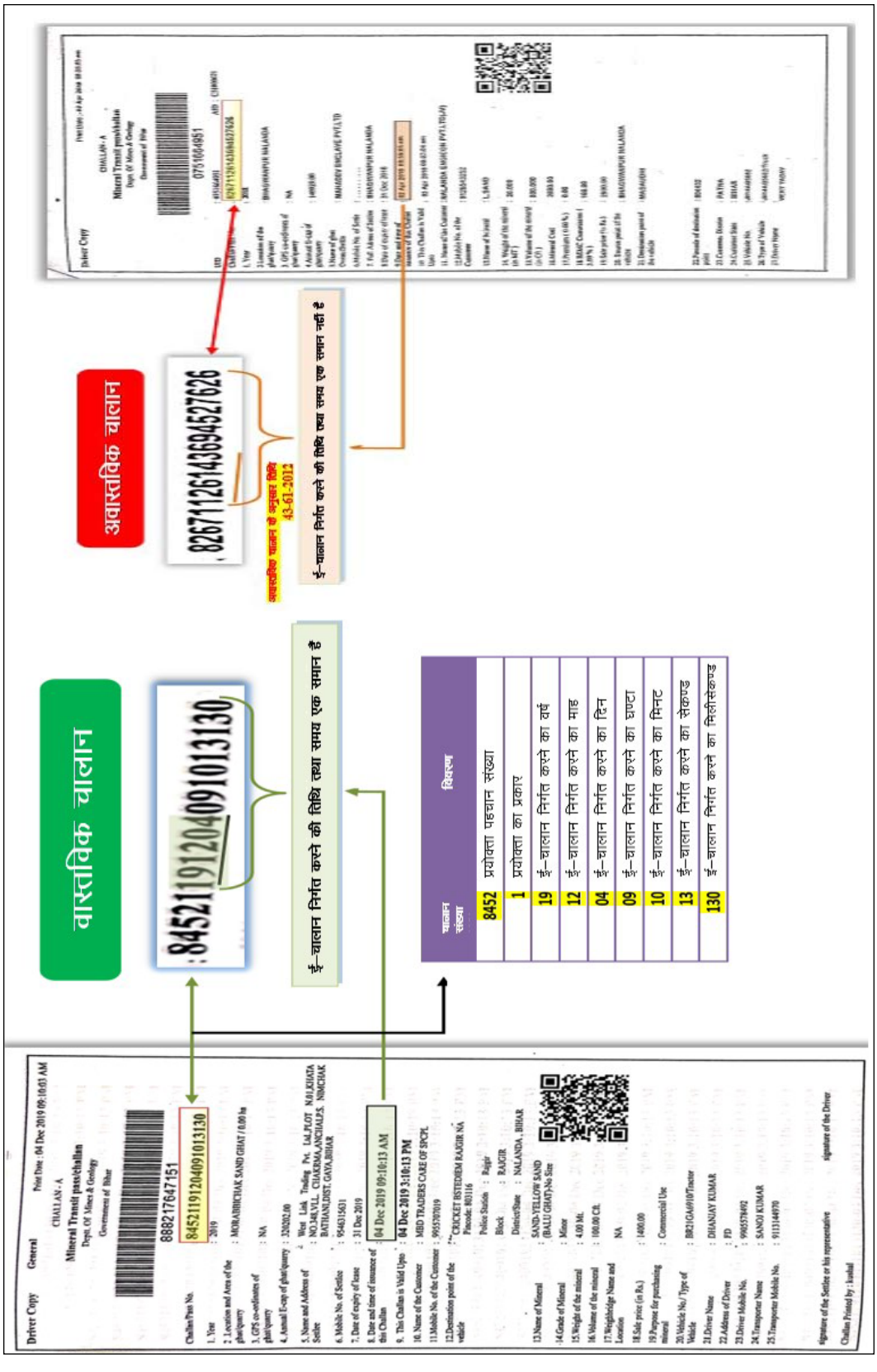

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसाः खान एवं भूतत्व विभाग को कार्य प्रमंडलों और विभागों के साथ समन्वय तंत्र विकसित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य प्रमंडलों में ई–चालान की प्रामाणिकता की नियमित रूप से जाँच की जा रही है जिससे रॉयल्टी की हानि और ई–चालान के दुरुपयोग से बचा जा सके।

4.8 प्रपत्र एम एवं एन के अनियमित/अवैध सत्यापन के कारण राजस्व की हानिः ₹ 5.80 करोड

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 40 (10) में प्रावधान है कि कार्य ठेकेदार केवल पट्टेदार/परमिट धारक और अधिकृत डीलरों से ही खनिजों की खरीद करेगा। कार्य प्रमंडल उस बिल को स्वीकार नहीं करेगा जिसके कार्य ठेकेदार अपने द्वारा उपयोग किए गए खनिज की लागत आदि की वसूली के लिए जमा करता है, जब तक कि उसके साथ निर्धारित प्रपत्र एम और एन न हो। ये प्रपत्र उन डीलरों के नाम और पते का वर्णन करते हैं जिनसे खनिज खरीदे गए थे।

इसके अलावा, बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 40 (8) के साथ पठित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) में प्रावधान है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी वैध अधिकार के बिना किसी भी भूमि से कोई खनिज उठाता है, तो राज्य सरकार उससे उठाये गये खनिज वसूल कर सकती है, या जहाँ ऐसे खनिजों का पहले ही निपटान किया जा चुका है, उनकी कीमत और ऐसे व्यक्ति से किराया, रॉयल्टी या कर, जैसा भी मामला हो, की वसूली भी हो सकती है।

प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग ने मुख्य सचिव, बिहार सरकार के अनुमोदन से सभी कार्य प्रमंडलों को निर्देश भी जारी किया था (जनवरी 2016) कि यदि कार्य ठेकेदार ने बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियमों के प्रावधान के अनुसार बिलों के साथ एम और एन जमा नहीं किया है तो रॉयल्टी के साथ–साथ रॉयल्टी के बराबर जुर्माना भी काटी जाय। इसके अलावा, विभाग ने सभी कार्य प्रमंडलों को रॉयल्टी की कटौती और प्रेषण का त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने और कार्य ठेकेदार के बिल से रॉयल्टी के रूप में पहले ही काटी गयी एवं कार्य प्रमंडलों में रखी गयी राशि को खनन शीर्ष में जमा करने के निर्देश दिये।

इसके अलावा, खान एवं भूतत्व विभाग ने फरवरी 2019 में फॉर्म एम और एन के सत्यापन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, सभी कार्य प्रमंडलों को कार्य ठेकेदार से प्राप्त फॉर्म एम और एन को सत्यापन के लिए विभाग को भेजना होगा और विभाग संबंधित जिला खनन कार्यालय से इसका सत्यापन करेगा। अन्य राज्यों से प्राप्त खनिजों के लिए भी यही प्रक्रिया लागू थी।

लेखापरीक्षा ने दो जिलों[12] में छः कार्य प्रमंडलों[13] में पाया कि 16 ठेकेदारों ने संबंधित प्रमंडलों में 17 विभिन्न कार्यों में उपभोग किए गए लघु खनिजों (पत्थर के समुच्चय/जीएसबी, बालू, मुर्रम और ईंट) के फार्म एम और एन को प्रस्तुत किया। कार्य प्रमंडलों ने एम और एन को संबंधित जिला खनन कार्यालय (शेखपुरा, नवादा और भागलपुर) को इसके सत्यापन के लिए भेजा और इसे संबंधित जिला खनन कार्यालय द्वारा सत्यापित किया गया था। इसके अलावा,

[12] नालन्दा और भागलपुर।

[13] (i) आरडब्ल्यूडी, हरनौत, (ii) आरडब्ल्यूडी, बिहारशरीफ, (iii) बीसीडी, भागलपुर, (iv) आरसीडी, भागलपुर, (v) लघु सिंचाई मंडल, भागलपुर और (vi) एनएच डिवीजन, भागलपुर।

संबंधित प्रमंडलों ने प्रपत्र एम एवं एन प्राप्त होने के बाद ठेकेदार के बिल से रॉयल्टी की कटौती नहीं की। लेकिन, लेखापरीक्षा के दौरान संबंधित जिला खनन कार्यालयों के अभिलेखों में उपरोक्त एम एवं एन प्रपत्रों के सत्यापन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं पाया गया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने जावक/प्रेषण पंजी की जाँच की और उपर्युक्त प्रपत्र एम और एन के सत्यापन के संबंध में कोई पत्र नहीं मिला। यह कार्य विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग के बीच समन्वय की कमी को भी दर्शाता है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि संबंधित कार्य प्रमंडल ने सात अलग–अलग कार्यों में छः ठेकेदारों से प्राप्त एम और एन को अनियमित रूप से उप प्रमंडलीय भूमि सुधार अधिकारी, सूरी सदर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल सरकार को एम और एन के सत्यापन के मानक संचालन प्रक्रिया के विरूद्ध सीधे भेज दिया। इसके अलावा, एक ठेकेदार ने एक काम में संबंधित खनन कार्यालय से प्रपत्र एम और एन को स्वयं सत्यापित किया और सत्यापन पत्र संबंधित प्रमंडल को भेज दिया और रॉयल्टी की कटौती से राहत प्राप्त की।

इससे न केवल सरकार के विरुद्ध धोखाधड़ी हुई बल्कि साथ ही सरकार को रॉयल्टी के रूप में ₹ 5.80 करोड़ की हानि हुई, जिसे ठेकेदारों के बिलों से कार्य प्रमंडलों द्वारा फॉर्म एम और एन के अनियमित/अवैध सत्यापन की स्थिति में नहीं काटा गया (विवरण **परिशिष्ट–16** में है)।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसाः खनन कार्यालयों से फर्जी सत्यापन पत्रों की उपलब्धता के संबंध में विभाग को उपरोक्त मामले की जाँच करनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

अध्याय–5
खान और खनिज विकास, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास निधि

अध्याय–5

खान और खनिज विकास, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास निधि

बिहार जिला खनिज फाउण्डेशन निधि

भारत सरकार ने खान एवं खनिज (जिला खनिज फाउण्डेशन में अंशदान) नियमावली, 2015 को 12 जनवरी 2015 से प्रभावी बनाया और पट्टाधारकों द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन को किए जाने वाले अंशदान की राशि निर्धारित की (17 सितंबर 2015)। राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के संशोधन के 32 महीने की समाप्ति के बाद खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों में व्यक्तियों के हित और लाभ के लिए बिहार जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली, 2018[1] का गठन किया (मई 2018)।

बिहार जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली, 2018 के नियम 11 के अनुसार, जिला खनिज फाउण्डेशन के अंतर्गत अर्जित धन का व्यय और उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अनुसार या समय–समय पर केंद्र/राज्य सरकार द्वारा निश्चित तरीके से किया जाएगा और जिला खनिज फाउण्डेशन, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के संबंध में और/या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा लागू अन्य योजनाओं के संबंध में जारी सभी दिशानिर्देशों और निर्देशों का पालन करेगा :

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देशों के अनुसार इसमें नीचे सूचीबद्ध गतिविधियों को शामिल किया गया है –

(i) उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र– कम से कम 60 प्रतिशत प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना निधि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित लोगों के लिए इन मदों में किया जाना थाः (क) पेयजल आपूर्ति (ख) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय (ग) स्वास्थ्य देखभाल (घ) शिक्षा (ड) महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण (च) वृद्व एवं दिव्यांग लोगों का कल्याण (छ) कौशल विकास और (ज) स्वच्छता।

(ii) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र– कम से कम 40 प्रतिशत प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना निधि का उपयोग इन मदों में किया जाना था : (क) भौतिक आधारभूत संरचना (ख) सिंचाई (ग) ऊर्जा एंव वाटर–शेड विकास और (घ) खनन जिलों में पर्यावरण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय।

जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के उपयोग के प्रयोजनों के लिए जिला खनिज फाउण्डेशन प्रत्यक्ष रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों तथा लोगों की पहचान करेगा और ऐसे क्षेत्रों की एक अद्यतन सूची तैयार एवं संधारण करेगा।

खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (सितम्बर 2015) के अनुसार, जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट का देय योगदान 12 जनवरी 2015 को या उसके बाद स्वीकृत पूर्वेक्षण लाइसेंस–सह–खनन पट्टों या खनन पट्टों के संबंध में भुगतान की गई रॉयल्टी का दो प्रतिशत होगा। इसके अलावा बिहार जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली, 2018 के नियम 9(3) के अनुसार लघु खनिज के मामले में देय योगदान राशि निर्धारित श्रेणी के अनुसार वार्षिक नीलामी/बन्दोबस्त राशि/संयुक्त रॉयल्टी के दो प्रतिशत या समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से होगा। ईंट मिट्टी, रॉयल्टी के मामले में परमिट धारक द्वारा देय रॉयल्टी/मौजूदा पट्टा धारक द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी वार्षिक आधार पर प्रभारित की जाएगी और फाउण्डेशन में जमा की जाएगी जो सरकारी लेखा में देय ऐसे छूट की राशि से अतिरिक्त होगी।

---

[1] अधिसूचना संख्या 2197 दिनांक 23.05.2018।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.1 जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग नहीं किया जाना : ₹ 82.30 करोड़

लेखापरीक्षा ने 14 नमूना चयनित जिला खनन कार्यालयों में पाया कि दिसम्बर 2014 से सितंबर 2021 के दौरान कुल राशि ₹ 91.86 करोड़ की (पृथक समग्र निधि और ब्याज सहित) निर्धारित दर पर बालू घाट, पत्थर, चूना–पत्थर की खदानें और ईंट भट्ठों के खनन पट्टे धारकों से वसूल की गई थी और संबंधित जिला खनिज फाउण्डेशन के नाम से खोले गए बैंक खाते में जमा किया गया था और संबंधित जिला समाहर्त्ता और खनन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता था। कुल वसूल की गई राशि में से 13 जिला खनन कार्यालयों[2] में कुल 93 योजनाओं का चयन ₹ 36.60 करोड़ की राशि के लिए किया गया था जिसके विरूद्ध ₹ 9.56 करोड़ का केवल व्यय किया गया था (सितंबर 2021) जैसा कि **परिशिष्ट–17** में वर्णित है। इस प्रकार, विभिन्न जिलों में जिला खनिज फाउण्डेशन ने अपनी प्रभावी तिथि (जनवरी 2015) से पाँच वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी और बिहार जिला खनिज फाउण्डेशन के गठन से साढ़े तीन वर्ष से अधिक समय के बाद भी जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग नहीं किया। परिणामस्वरूप, ₹ 82.30 करोड़ अभी भी जिला खनिज फाउण्डेशन निधि में जमा थे। जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग न करने के कारण, निधि के उद्देश्य अप्राप्त रहे।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट समिति के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसाः जिला खनिज फाउण्डेशन के दिशानिर्देशों के अनुसार विभाग जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के विकास और पुनर्वास कार्य के लिए सुनिश्चित करे।

5.2. कोविड–19 महामारी के प्रसार को रोकने के संबंध में परीक्षण, जाँच और अन्य उपकरणों की क्रय/स्थापना के लिए जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग न होना

सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश (मार्च 2020) के अनुसार, कोविड–19 महामारी का मुकाबला करने एवं आकस्मिक राष्ट्रीय हित के लिए, राज्य सरकार द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन के अंतर्गत उपलब्ध राशि का अधिकतम 30 प्रतिशत तक कोविड–19 महामारी से प्रभावित रोगियों के इलाज के साथ–साथ प्रसार को रोकने के संबंध में चिकित्सा परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य आवश्यकताओं के पूरक एवं संवर्द्धन सुविधाओं के लिए उपयोग किया जा सकता था।

पुनः सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्र[3] (जून 2020) के संदर्भ में, बिहार के 32 जिलों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत लौटे प्रवासियों और इसी तरह प्रभावित ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए, सार्वजनिक बुनियादी ढ़ाँचे के साथ गांवों को संतृप्त करने और आजीविका परिसम्पतियों को बनाने के लिए चुना गया था। यह योजना 125 दिनों के लिए चलाई जानी थी और जिला खनिज फाउण्डेशन से धन का उपयोग किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने 14 नमूना चयनित जिला खनन कार्यालयों में पाया कि इन जिलों में जिला खनिज फाउण्डेशन की कुल उपलब्ध राशि ₹ 69.19 करोड़[4] (मार्च 2021 तक) का ₹ 20.76 करोड़ (30 प्रतिशत) कोविड–19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिये चिकित्सा परीक्षण, स्क्रीनिंग

---

[2] औरंगाबाद, बांका भोजपुर, गया, कैमूर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सारण, शेखपुरा, सीवान और वैशाली।

[3] पत्र संख्या जे–11060/24/2020–आरई–III (371864) दिनांक 22.06.2020।

[4] पृथक समग्र निधि में रखी गई ₹ 13.81 करोड़ शामिल नहीं थी।

और अन्य आवश्यकताओं के संबंध में सुविधाओं को पूरक और बढ़ाने के लिए उपलब्ध था। हालाँकि केवल चार जिला खनन कार्यालयों (भोजपुर, गया, शेखपुरा और सीवान) ने जिला खनिज फाउण्डेशन निधि से ₹ 0.49 करोड़ (दो प्रतिशत) की राशि का मामूली उपयोग उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए किया। इस प्रकार कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में ₹ 20.27 करोड़ उपलब्ध थे, लेकिन जिला खनन कार्यालयों की निष्क्रियता के कारण यह अप्रयुक्त रहा (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–18** में है)।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई थी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

5.3. पृथक समग्र निधि की राशि का जिला खनिज फाउण्डेशन बैंक खाते में स्थानांतरण नहीं होना: ₹ 29.63 लाख

खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिला समाहर्त्ताओं को पृथक समग्र निधि से प्राप्त राशि को जिला खनिज फाउण्डेशन खाते में अंतरित करने का निर्देश जारी किया (सितम्बर 2018)।

लेखापरीक्षा ने जिला खनन कार्यालय, भागलपुर में पाया कि बालू खनन पट्टे के पट्टेदार ने पृथक समग्र निधि की राशि ₹ 29.63 लाख (2015 से 2017 की अवधि की बंदोबस्त राशि का 2 प्रतिशत) का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। विवरण **तालिका–13** में निम्नानुसार है:

तालिका–13

क्र. सं.	वर्ष	बंदोबस्त राशि (₹ में)	पृथक समग्र निधि की राशि (₹ में)	बैंक डी डी संख्या/दिनांक
1.	2015	1,87,94,580	3,75,890	024620/27.06.2016
2.	2016	5,88,00,000	11,76,000	024619/27.06.2016
3.	2017	7,05,60,000	14,11,200	001614/01.03.2017
कुल		**14,81,54,580**	**29,63,090**	

इसके अलावा, यह पाया गया (बैंक खाते के विवरण के अनुसार) कि केवल ₹ 15,51,890 (जैसा कि उपरोक्त तालिका के क्रमांक 1 एवं 2 में उल्लेख किया गया है) जिला समाहर्त्ता कार्यालय, भागलपुर द्वारा संधारित बैंक खाते में जमा पाये गये थे एवं कुल शेष राशि कोषागार में प्रेषित की गई (मार्च 2018)।

इसके अलावा, उपरोक्त बैंक खाते में ₹ 14,11,200 का माँगपत्र[5] जमा नहीं पाया गया जो धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन की संभावना को बढ़ाता है।

इस प्रकार, जिला खनिज फाउण्डेशन खाता खोलने की तिथि के 45 महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी जिला खनन अधिकारी/जिला समाहर्त्ता लुप्त राशि का पता लगाने और पृथक समग्र निधि की राशि को जिला खनिज फाउण्डेशन बैंक खाते में स्थानांतरित करने के लिए उचित कार्रवाई नहीं कर सके।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला खनन अधिकारी ने कहा कि मामले की जाँच सही तरीके से की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसा: विभाग को धनराशि के ठिकाने की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पृथक समग्र निधि में रखी गई कुल राशि का मिलान किया जाए एवं जिला खनिज फाउण्डेशन के खाते में स्थानांतरित किया जाय।

[5] माँगपत्र सं० 001614 दिनांक 01.03.2017।

5.4. पंजाब नेशनल बैंक में रखी गई पृथक समग्र निधि/जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के एसबीआई खाते में हस्तांतरण न होना और आयकर विभाग द्वारा काटी गई राशि की वसूली न होना

जिला खनन कार्यालय, भोजपुर में लेखापरीक्षा ने पाया कि पृथक समग्र निधि/जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की राशि को अक्टूबर 2018 तक बचत खातों[6] में रखा गया था जिसे 27 जुलाई 2015 को खोला गया था। इसके अलावा, जिला खनिज फाउण्डेशन के लिए एक और बचत खाता[7] 28 सितम्बर 2018 को खोला गया था। जिला समाहर्त्ता, भोजपुर ने पंजाब नेशनल बैंक से पृथक समग्र निधि की राशि जिला खनिज फाउण्डेशन बैंक खाते में स्थानांतरित करने के लिए अनुरोध किया (अक्टूबर और दिसम्बर 2018) लेकिन राशि को लेखापरीक्षा की तिथि तक स्थानांतरित नहीं किया गया था (जुलाई 2021)।

पंजाब नेशनल बैंक खाते की पासबुक के अनुसार 1 दिसम्बर 2019 को कुल शेष ₹ 6.97 करोड़ था। इस प्रकार, जिला खनिज फाउण्डेशन की बड़ी राशि को पंजाब नेशनल बैंक में अप्रयुक्त रखा गया। यह पूर्व में भी (अक्टूबर 2019) लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था। लेकिन जिला खनन अधिकारी अथवा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आयकर विभाग ने 2014 से 2017 की अवधि के लिए सभी ईंट भट्ठा मालिकों के संबंध में टैन धारक (जिला खनन कार्यालय भोजपुर) द्वारा ई–टीडीएस चूक के लिए आईटी अधिनियम की धारा 226 (3) के तहत ब्याज सहित जुर्माने का माँगपत्र प्रस्तुत किया। इस संबंध में जिला खनिज फाउण्डेशन खाते से ₹ 88.53 लाख का माँगपत्र आयकर विभाग को हस्तांतरित किया गया (फरवरी 2019)। लेखापरीक्षा द्वारा यह मूद्दा पूर्व में भी उठाया गया था (अक्टूबर 2019) लेकिन जिला खनन कार्यालय द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन राशि की प्रतिपूर्ति के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी (जुलाई 2021)।

इसे इंगित किए जाने पर, जिला खनन अधिकारी ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में राशि के हस्तांतरण के लिए संबंधित अधिकारी/बैंक से पत्राचार किया जाएगा। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसाः पंजाब नेशनल बैंक में रखी गयी पृथक समग्र निधि की राशि को जिला खनिज फाउण्डेशन के लेखा में स्थानान्तरण के लिए विभाग आवश्यक कार्रवाई करें।

5.5 जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का एकमुश्त भुगतान न करना

उच्चतम न्यायालय के आदेश संख्या स्थानान्तरित मामला (सिविल) संख्या 2016 का 43, 13 अक्टूबर 2017 के अनुसार कोयला, लिग्नाइट और बालू के अलावा अन्य खनिजों के मामले में जिला खनिज निधि में खनन पट्टा या पूर्वेक्षण लाइसेंस–सह–खनन पट्टा धारक को जिला खनिज निधि में पूर्ण अंशदान 31 दिसम्बर, 2017 तक किया जाना आवश्यक है, ऐसा नहीं करने पर पट्टेदार देय तिथि से 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित अंशदान करने का उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रोहतास जिले की मुरली पहाड़ी में स्थित चूना–पत्थर के खनन पट्टे का नवीनीकरण मेसर्स कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में 02.01.2012 से 20 वर्षों की अवधि के लिए खान एवं भूतत्व विभाग[8] द्वारा एकमुश्त में जिला खनिज निधि का भुगतान करने के शर्त्त के साथ किया गया था (जून 2017)। जिला खनन कार्यालय द्वारा ₹ 1.87 करोड़ की राशि की

[6] पंजाब नेशनल बैंक, आरा शाखा में खाता संख्या 0022000103434856।

[7] भारतीय स्टेट बैंक, आरा शाखा में बचत खाता संख्या 37975902406।

[8] खान एवं भूतत्व विभाग पत्र संख्या 1613 दिनांक 19.06.2017।

गणना जिला खनिज निधि अंशदान के रूप में की गई थी और इसका भुगतान पट्टाधारक द्वारा एकमुश्त भुगतान के स्थान पर 36 किश्तों में किया गया था। जिला खनन कार्यालय द्वारा विलम्बित भुगतान पर ब्याज राशि ₹ 44.84 लाख भी आरोपित नहीं की गई थी। इस संबंध में, विभाग द्वारा पहले ही जिला खनन अधिकारी, रोहतास को पत्र जारी किया जा चुका है (सितम्बर 2018), लेकिन अभिलेख में की गई कार्रवाई नहीं पाई गई।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला खनन अधिकारी ने कहा कि संबंधित पट्टेदार को माँगपत्र जारी किया जाएगा। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

5.6 बालू/पत्थर पट्टाधारकों तथा ईंट भट्टेदारों से जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का नहीं/कम वसूली होना : ₹ 2.49 करोड़

लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच जिला खनन कार्यालयों[9] ने 2018–21 के दौरान बालू और पत्थर खदानों के पट्टेदारों से जिला खनिज फाउण्डेशन निधि में ₹ 1.87 करोड़, जैसा कि **परिशिष्ट–19** में वर्णित है, और 11 जिला खनन कार्यालयों[10] ने 2017–18 से 2020–21 के दौरान 6,164 ईंट भट्ठा मालिकों से ₹ 0.62 करोड़ के अंशदान की वसूली सुनिश्चित नहीं की जैसा कि **परिशिष्ट–20** में वर्णित है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.49 करोड़ की जिला खनिज फाउण्डेशन निधि अंशदान का नहीं/कम वसूली हुई।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि उचित जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

5.7 बालू के अधिक निष्कर्षण के लिए प्रभारित रॉयल्टी पर जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का आरोपण न होना : ₹ 21.16 लाख

बालूघाटों के लिए बंदोबस्त आदेश की अधिसूचना संख्या 2/एमएम (बी) 02/09 भाग–(1)–61/एमसी दिनांक 13–03–2013 के खंड 15 (ii) के अनुसार, पट्टेदार को बंदोबस्त राशि के बराबर बालू की मात्रा से अधिक निकाली गई बालू की मात्रा के लिए अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करना था। अधिसूचना में प्रावधान किया गया है कि जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के लिए इस प्रकार एकत्र की गई राशि किसी भी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- जिला खनन कार्यालय, नवादा में पट्टेदार को निकाली गई बालू की अधिक मात्रा के लिए 2017–19 की अवधि के लिए ₹ 4.15 करोड़ की रॉयल्टी का भुगतान करना था। पट्टेदार ने वर्ष 2017 और 2018 के लिए क्रमशः ₹ 1.43 करोड़ और ₹ 1.46 करोड़ अतिरिक्त रॉयल्टी के रूप में भुगतान किया था। पट्टेदार को निकाली गई बालू की अधिक मात्रा के लिए प्रभारित अतिरिक्त रॉयल्टी पर ₹ 8.30 लाख जिला खनिज फाउण्डेशन को भी भुगतान करना था, लेकिन पट्टेदार ने इसका भुगतान नहीं किया (सितम्बर 2021)।
- जिला खनन कार्यालय, पटना में पट्टेदार ने निकाली गई बालू की अधिक मात्रा के लिए प्रभारित रॉयल्टी पर जिला खनिज फाउण्डेशन के ₹ 12.85 लाख (सितम्बर 2021) का भुगतान नहीं किया। विवरण **परिशिष्ट–21** में दिया गया है।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित है (मई 2022)।

अनुशंसा: विभाग को सभी खनिज रियायत धारकों से निर्धारित राशि की कटौती और जिला खनिज फाउण्डेशन निधि में हस्तांतरण के लिए इन्हें सरकारी खाते में जमा करने को सुनिश्चित करना चाहिए।

[9] औरंगाबाद, बांका, नवादा, रोहतास और शेखपुरा।

[10] औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, कैमूर, नालंदा, नवादा, पटना, सारण, सीवान, शेखपुरा और वैशाली।

5.8 बालू घाटों एवं पत्थर खदानों के पट्टेदारों से जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के विलंबित भुगतान पर ब्याज का आरोपण न होना : ₹ 1.67 करोड़

यह पाया गया कि 10 जिला खनन कार्यालयों[11] में बालू घाटों के पट्टेदारों ने जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का भुगतान पंचांग वर्ष 2015 से 2019 के दौरान एवं विस्तारित अवधि मार्च 2021 तक एक से 443 दिनों के विलंब से किया।

आगे यह पाया कि तीन जिला खनन कार्यालयों[12] में पत्थर खदानों के पट्टेदारों ने पंचांग वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक से 965 दिनों के विलम्ब के साथ जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का भुगतान किया था। जिला खनिज फाउण्डेशन के प्रावधानों के अनुसार, पट्टेदारों द्वारा भुगतान में विलम्ब की स्थिति में, संबंधित जिला खनन अधिकारियों को ₹ 1.67 करोड़ (24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से) का ब्याज आरोपण करना था। इस प्रकार, जिला खनिज फाउण्डेशन के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज का आरोपण नहीं होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.67 करोड़ की वसूली नहीं हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–22** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसाः विभाग यह सुनिश्चित करे कि बालू/पत्थर पट्टाधारकों द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के विलंबित भुगतान पर ब्याज का आरोपण एवं संग्रहण किया गया है।

5.9 जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के खाते का संधारण न करना

बिहार जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली, 2018 के नियम 12 के अनुसार, जिला खनिज फाउण्डेशन का लेखा उस प्रपत्र, प्रकार और तरीके से संधारित और लेखे की लेखापरीक्षा उस तरीके से किया जाएगा जो सरकार द्वारा निश्चित की जाय। लेखापरीक्षा के पश्चात जिला खनिज फाउण्डेशन सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन समर्पित करेगा। पुनः, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देशों के नियम 6 के अनुसार, जिला खनिज फाउण्डेशन के खातों का लेखापरीक्षा प्रत्येक वर्ष एक सनद लेखाकार द्वारा या सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य तरीके से किया जाएगा, और इसके प्रतिवेदन को वार्षिक प्रतिवेदन के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऊपरी सीमा के अधीन फाउण्डेशन की वार्षिक प्राप्तियों के पाँच प्रतिशत से अधिक राशि का उपयोग फाउण्डेशन की प्रशासनिक, पर्यवेक्षी और ऊपरी लागत के लिए नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने 14 नमूना चयनित जिलों में पाया कि जिला खनिज फाउण्डेशन के अलग बैंक खाता, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना एवं जिला खनिज फाउण्डेशन का अलग रोकड़ बही का संधारण नहीं किया जा रहा था। संबंधित जिला खनन अधिकारियों द्वारा केवल जिला खनिज फाउण्डेशन का मांग और संग्रहण पंजी का संधारण किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि जिला खनिज फाउण्डेशन ने इसके सृजन के बाद से लेखापरीक्षा करने के लिए सनद लेखाकार की नियुक्ति नहीं की थी।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला खनन अधिकारियों ने बताया कि रोकड़ बही के रख–रखाव के लिए कार्रवाई की जा रही है तथा विभाग से जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट की लेखापरीक्षा हेतु निर्देश लिया जायेगा। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

---

[11] औरंगाबाद, भोजपुर, गया, कैमूर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सारण और वैशाली।

[12] औरंगाबाद, नवादा और शेखपुरा।

अनुशंसाः विभाग जिला खनिज फाउण्डेशन दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे तथा जिला खनिज फाउण्डेशन के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए सनद लेखाकार की नियुक्ति करे।

5.10 साधारण मिट्टी के उपयोग के लिए रॉयल्टी, मालिकाना शुल्क एवं जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की नहीं/कम वसूली होना : ₹ 4.58 करोड़

सात जिला खनन कार्यालयों[13] में लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 10.91 करोड़ ठेकेदारों/एजेंसियों द्वारा साधारण मिट्टी के निष्कर्षण के लिए रॉयल्टी के रूप में जमा किये गये थे। यह भी पाया गया कि ठेकेदारों/एजेंसियों ने संबंधित जिला खनन अधिकारियों से वैध परमिट प्राप्त किए बिना साधारण मिट्टी का उपयोग किया। इसके परिणामस्वरूप **परिशिष्ट–23** में दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 4.58 करोड़ की रॉयल्टी एवं मालिकाना शुल्क एवं जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की नहीं/कम वसूली हुई।

इसके अलावा, यह भी पाया गया कि ठेकेदारों ने जिला खनन अधिकारियों को कार्य का प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किया था। अतः जिला खनिज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि किसी विशेष कार्य में कितनी मात्रा में मिट्टी की खपत हुई। इस संबंध में, जिला खनन अधिकारियों ने कार्य का प्राक्कलन उपलब्ध नहीं कराने तथा देय रॉयल्टी, मालिकाना शुल्क एवं जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की वसूली नहीं करने पर ठेकेदारों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी।

इसे इंगित किये जाने पर, जिला खनिज अधिकारी ने कहा कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

[13] औरंगाबाद, भोजपुर, कैमूर, नालंदा, पटना, सारण और वैशाली।

अध्याय–6
आंतरिक नियंत्रण, निगरानी तंत्र और अंतर–विभागीय समन्वय

अध्याय–6

आंतरिक नियंत्रण, निगरानी तंत्र और अंतर–विभागीय समन्वय

खान एवं भूतत्व विभाग के परिपत्र (सितम्बर 2005) के अनुसार, अवैध खनन और ओवरलोडिंग की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाना था। विभाग ने प्रत्येक जिला समाहर्त्ता को महीने में कम से कम एक बार टास्क फोर्स की बैठकें आयोजित करने और हर महीने के पहले सप्ताह में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन विभाग को भेजने के निर्देश जारी किए (जनवरी 2010)। टास्क फोर्स को अवैध खनन को रोकने के लिए खनन क्षेत्रों की जाँच करना, ईंट भट्ठों का निरीक्षण करना और बालू बंदोबस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करना अनिवार्य किया गया था।

खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव द्वारा जारी पत्र संख्या 2622/एम दिनांक 24.09.2012 के अनुसार, अवैध खनन को रोकने के संबंध में एक समिति का गठन किया गया था और निर्देश जारी किया गया था। अवैध खनन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित पर निर्णय लिया गया और अनुशंसा किया गया:

1. खनन विभाग, वन विभाग, परिवहन विभाग और वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण।
2. निरीक्षण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन।
3. संबंधित अंचल कार्यालय और पुलिस प्रभारी द्वारा विस्तृत निरीक्षण।
4. सड़क जाँच के लिए ढांचा।
5. वन क्षेत्र में अवैध खनन का निरीक्षण एवं नियमानुसार कार्रवाई।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के प्रावधान एवं सरकार द्वारा जारी निर्देश (1986) के अन्तर्गत खान निरीक्षक को अवैध खनन का पता लगाने हेतु प्रत्येक तीन माह में ईंट भट्ठों एवं खनन पट्टों के क्षेत्र का निरीक्षण करना था। इसके अलावा, खान उपनिदेशक को वर्ष में एक बार खनन कार्यालयों का निरीक्षण करना होता है। इसके अलावा, बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली इन नियमों के कार्यान्वयन और जिले में लघु खनिजों की उपलब्धता, उत्खनन और व्यापार की निगरानी के लिए राज्य, प्रमंडल और जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स के गठन को भी प्रावधित करता है। उपरोक्त के अतिरिक्त, जिला स्तरीय खनन कार्य बल को भी चाहिए :

1. यह सुनिश्चित करना कि सभी खनन गतिविधियाँ खनन पट्टों की शर्तों के अनुसार चल रही थी।
2. यह सुनिश्चित करना कि लघु खनिज का कोई भी अवैध खनन, अवैध परिवहन, अधिक लदान, जमाखोरी और कालाबाजारी नहीं किया गया था।
3. लघु खनिजों का समस्त खुदरा व्यापार इन नियमावली के प्रावधान के अनुसार किया जाता था।
4. अधिनियम और नियमावली के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए किसी अन्य विभाग को निर्देश जारी करना।
5. यह सुनिश्चित करना कि खनन गतिविधि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा के अनुसार की गई थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.1 अवैध खान रोकने के दिशानिर्देशों का पालन नहीं

लेखापरीक्षा ने 14 नमूना जिला खनन कार्यालयों में पाया कि 2017–21 के दौरान अवैध खनन/परिवहन/खनिजों का भंडारण लगातार प्रतिवेदित किया जा रहा था। इस दौरान जिला खनन अधिकारियों द्वारा 32,426 छापेमारियाँ की गई, जिसमें 41,289 वाहनों को जब्त किया गया और वाहनों पर खनिजों के ओवरलोडिंग के 18,287 मामले दर्ज किए गए। लेखापरीक्षा ने जब छापे से संबंधित अभिलेखों का विश्लेषण किया, तो पाया कि कुछ भी निष्कर्ष निकालने के लिए अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया था। यहाँ तक कि मूल विवरण जैसे खनिज के प्रकार, वाहन विवरण, चालक विवरण, छापे का स्थान आदि अभिलेखों में नहीं पाए गए। इस तरह के विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा उसका विश्लेषण और टिप्पणी नहीं कर सका।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि खनिजों के अवैध खान के संबंध में कुल 4,608 प्राथमिकी दर्ज की गई और 4,423 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2017–21 के दौरान कुल ₹ 113.30 करोड़ की राशि वसूल की गई। यह स्थिति प्रबल बनी रही (सितंबर 2021) जैसा कि वर्ष 2021–22 की पहली तिमाही के लिए अवैध खनन के प्रतिवेदन में परिलक्षित होता है। हालाँकि, इन जिला खनन अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, 2017–21 के दौरान टास्क फोर्स की आवश्यक 672 बैठकों के मुकाबले केवल 175 बैठकें ही हुई थीं। 2017–21 के दौरान तीन जिला खनन कार्यालयों[1] में कोई संयुक्त निरीक्षण नहीं किया गया **(परिशिष्ट–24)**। इसके अलावा, जैसा कि **अध्याय–4** में भौगोलिक सूचना प्रणाली अध्ययन द्वारा उजागर किया गया था, खनन क्षेत्रों में अवैध खनन में लगातार वृद्धि देखी गई थी।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि खनन की अवैध गतिविधियाँ बड़े पैमाने पर चल रही थी और खनिजों के अवैध खनन की रोकथाम के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग के निर्देशों/परिपत्रों का पालन नहीं किया गया था।

इसे इंगित किए जाने पर, खान एवं भूतत्व विभाग ने कहा कि बिहार राज्य ने बड़ी संख्या में अधिकारियों के खिलाफ अनुकरणीय कार्रवाई की है, जिनकी अवैध खनन को नियंत्रित करने में भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जिसने जुर्माना राशि बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन कर माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देश का पालन किया है।

विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की जाती है, हालाँकि, जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अवैध खनन को रोकने के लिए केवल दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं है। अवैध खनन का प्रतिवेदन स्व–व्याख्यात्मक है कि राज्य में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बालू खनन नीति, 2013 में बालू खनिजों के अधिक निष्कर्षण के लिए केवल रॉयल्टी लगाने की परिकल्पना की गई है जो पर्याप्त नहीं था। इससे पट्टेदारों द्वारा खनिजों का अवैध उत्खनन बढ़ जाता है।

इसके अलावा, राज्य में अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रणाली और नियंत्रण तंत्र जैसे कि अंतर्राज्यीय/जिला स्तर पर चेक पोस्ट की स्थापना अपर्याप्त पाई गई। अंतर–विभागीय समन्वय का अभाव था क्योंकि अवैध खनन के मामले परिवहन विभाग द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग को हस्तांतरित नहीं किए गए थे और कार्य बल की पर्याप्त बैठकें मानदंडों और निर्देशों के अनुसार नहीं की गयी थीं।

[1] भागलपुर, नालन्दा और सीवान।

6.2 अवैध खनिजों के परिवहन में शामिल जब्त वाहनों के संदर्भ में जिला परिवहन कार्यालयों एवं जिला खनन कार्यालयों के मध्य समन्वय न होने के कारण रॉयल्टी की हानिः ₹ 4.20 करोड़

बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2003 की धारा 4(i) के अनुसार जहाँ किसी भी खनिज का किसी भी स्थान पर परिवहन हो, खनन पट्टा धारक/स्टॉक लाइसेंस धारक परागमन पास जारी करने के लिए सक्षम कार्यालय को दो प्रतियों में फॉर्म ''ए'' में एक आवेदन करेगा। इसके अलावा, बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2003 की धारा 8 (ए) के अनुसार, जो कोई भी नियम 6 के उप नियम (4), (5 ए) और (5 सी) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, को सक्षम न्यायालय द्वारा दो वर्ष तक का कारावास या ₹ 10,000 तक के जुर्माने के साथ–साथ खनिज की कीमत और अन्य करों के साथ रॉयल्टी से दंडित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने 14 नमूना जिला परिवहन कार्यालयों के मोटर वाहन निरीक्षक और प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जब्त वाहनों के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया कि प्रवर्तन इकाई ने अप्रैल 2017 और फरवरी 2020 के बीच 8,483 वाहनों को जब्त किया जो अतिरिक्त भार के परिवहन में शामिल थे जिसके परिणामस्वरूप खनिजों (बालू, गिट्टी और पत्थर–चूर्ण) का अवैध परिवहन हुआ। 8,483 वाहनों में से 2,482 की नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला परिवहन कार्यालयों ने खनिजों की मात्रा और स्रोत के संबंध में जाँच के लिए किसी भी मामले को खनन कार्यालय को संदर्भित नहीं किया। इसके अतिरिक्त कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य जैसे पारगमन चालान आदि भी जब्ती सूची के साथ नहीं पाया गया जिससे यह निश्चित किया जा सके कि जब्ती अधिकारी द्वारा खनिज की वैधता की जाँच की गई थी। यह भी देखा गया कि सभी 14 जिलों के जिला खनन अधिकारियों ने न ही परिवहन कार्यालय के साथ समन्वय करने के लिए कार्रवाई शुरू की और न ही इस संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्र कर सके, जबकि अवैध खनन को रोकने के लिए जिला स्तर पर जिला परिवहन पदाधिकारी और जिला खनन अधिकारी दोनों ही टास्क फोर्स के सदस्य थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि खान एवं भूतत्व विभाग ने परिवहन विभाग को जिला परिवहन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहनों की जब्ती के दौरान खनिजों के चालान के सत्यापन के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया था।

अतः नमूना जांचित जिलों में दो विभागों के बीच समन्वय के अभाव में ₹ 4.20 करोड़ के जुर्माने, रॉयल्टी और शास्ति के रूप में राजस्व की हानि परिणत हुई, जैसा कि **परिशिष्ट–25** में वर्णित है ।

इसे इंगित किए जाने पर, जिला परिवहन अधिकारियों ने कहा कि इस सम्बंध में कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित है (मई 2022)।

अनुशंसाः खान एवं भूतत्व विभाग को परिवहन विभाग के साथ एक समन्वय तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि परिवहन द्वारा जब्त किए गए वाहनों को अवैध खनन की जाँच के लिए खनन विभाग को भेजा जा सके।

6.3 कृषि प्रयोजनों के लिए पंजीकृत ट्रैक्टरों द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों में अवैध उपयोग के कारण हानिः ₹ 12.77 करोड़

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 7 की उप–धारा (7) के अनुसार, कृषि उपज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर और ट्रेलर को एकमुश्त कर के उद्देश्य से जोड़ा जाएगा और ₹ 3,000 प्रति वर्ष की दर से कर लगाया जाएगा, यदि ट्रैक्टर 25 एच.पी. क्षमता तक सीमित है और ट्रेलर की क्षमता तीन टन से अधिक नहीं है। जहाँ ट्रैक्टर की क्षमता 25 एचपी से अधिक है और ट्रेलर की क्षमता पाँच टन से अधिक नहीं है, वहाँ दर

₹ 5,000 प्रति ट्रैक्टर–ट्रेलर थी। इसके अलावा, बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 7 की उप धारा (8) बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (19 सितंबर 2014 से प्रभावी) में संशोधित के अनुसार, कृषि प्रयोजनों के अलावा अन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल या रखे गए ट्रैक्टर पर मूल्य–वर्धित कर को छोड़कर वाहन की लागत के 4.5 प्रतिशत की दर से वाहन के पूरे जीवनकाल के लिए एकमुश्त कर लगाया जाना था।

14 नमूना जिलों के सम्बंध में खान एवं भूतत्व विभाग, पटना और वाहन डेटाबेस के परियोजना निगरानी इकाई प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के दोहरे सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि कृषि प्रयोजनों के उपयोग के लिए निबंधित 4,830 ट्रैक्टरों को जनवरी 2018 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान 2,27,563 खनिज चालान निर्गत किए गए थे। इसका मतलब यह हुआ कि इन वाहनों का इस्तेमाल नमूना जिलों में व्यावसायिक गतिविधि के लिए उपयोग किया जा रहा था। वाहन डेटाबेस के साथ ई–चालान डेटाबेस को एकीकृत न करने के साथ–साथ विभिन्न कार्यालयों के बीच जानकारी साझा करने की कमी के कारण, उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया गया था। जिला परिवहन कार्यालय की प्रवर्तन इकाई तथा खान एवं भूतत्व विभाग कृषि निबंधित वाहनों के व्यावसायिक गतिविधि में उपयोग को रोकने में विफल रहे। खान एवं भूतत्व विभाग के पास इन कृषि प्रयोजन हेतु निबंधित वाहनों को खनिज ई–चालान जारी करने से रोकने के लिए कोई तंत्र नहीं था। इसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक ट्रैक्टर के एकमुश्त कर एवं परमिट शुल्क के रूप में ₹ 12.77 करोड़ की हानि हुई जैसा कि **परिशिष्ट–26** में वर्णित है।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित है (मई 2022)।

अनुशंसाः खान एवं भूतत्व विभाग और परिवहन विभाग को खनन डेटाबेस को वाहन के साथ एकीकृत करना चाहिए, ताकि केवल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए निबंधित वाहनों के लिए ई–चालान निर्गत हो सके और गैर–वाणिज्यिक वाहनों को निर्गत कोई भी ई–चालान स्वचालित रूप से परिवहन विभाग को इंगित किया जा सके।

6.4 वाहन के अनुमेय सीमा से अधिक ई–चालान जारी करने के लिए पट्टेदारों को जुर्माना न लगाने के कारण सरकारी राजस्व की हानि

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 प्रावधित करती है कि जो कोई भी मोटर वाहन चलाता है या धारा 113 या धारा 114 या धारा 115 के प्रावधानों के उल्लंघन में मोटर वाहन को चलाने की अनुमति देता है, उसे ₹ 20,000 का जुर्माना और ₹ 2,000 की अतिरिक्त राशि प्रति टन अतिरिक्त भार, अतिरिक्त भार की उतराई के लिए प्रभारों का भुगतान करने की देयता के साथ दंडनीय है।

चौदह नमूना जिलों के सम्बंध में जिला खान एवं भूतत्व विभाग और वाहन डेटाबेस द्वारा प्रदान किए गए ई–चालान के परियोजना निगरानी इकाई प्रकोष्ठ के डेटाबेस की दोहरा जाँच के दौरान, पाया गया कि 17,03,104 ई–चालान जारी किए गए, जिसमें 85,436 वाहन खनिजों के परिवहन में शामिल थे। उपरोक्त ई–चालानों में उल्लिखित खनिजों की मात्रा खनिजों को ले जाने में शामिल वाहनों की लदान क्षमता से अधिक थी, जो मोटर वाहन अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अनुमेय नहीं थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ई–चालान सॉफ्टवेयर में वाहनों की लदान क्षमता के आकलन के लिए कोई जाँच उपलब्ध नहीं थी और इसे वाहन डेटाबेस के साथ परिमापित नहीं किया गया था। साफ्टवेयर में इस सुविधा के अभाव में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लदान क्षमता से अधिक के वाहनों के 17,03,104 ई–चालान सृजित किए गए जैसा कि **परिशिष्ट–27** में वर्णित है।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित है (मई 2022)।

अनुशंसाः खान एवं भूतत्व विभाग और परिवहन विभाग को खनन डेटाबेस को वाहन के साथ एकीकृत करना चाहिए, ताकि ई–चालान निबंधन के समय परिभाषित लदान क्षमता तक सीमित हो और अधिक क्षमता पर सृजित कोई भी ई–चालान स्वचालित रूप से परिवहन विभाग को इंगित किया जा सके।

6.5 अयोग्य वाहनों द्वारा खनिजों का परिवहन

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56 के अनुसार, परिवहन वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र धारा 59 और 60 के प्रावधानों के अधीन होगा, एक परिवहन वाहन को धारा 39 के प्रयोजनों के लिए वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसके पास इसका प्रमाण पत्र न हो, ऐसे रूप में फिटनेस जिसमें ऐसे विवरण और जानकारी शामिल हो, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी की जा सकती है, या उप–धारा (2) में उल्लिखित एक अधिकृत परीक्षण स्टेशन द्वारा, इस प्रभाव के लिए कि वाहन समय के लिए अनुपालन करता है होने के नाते, इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं के साथ। इसके अलावा, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकार द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के अनुसार, खनिजों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए।

14 नमूना जिलों के सम्बंध में परियोजना निगरानी इकाई और वाहन डेटाबेस के दोहरे सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि 2018 से 2020 के दौरान 18,13,797 ई–चालान के माध्यम से खनिज ले जाने के लिए 82,990 अनुपयुक्त वाहनों का उपयोग किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट–28** में वर्णित है। इसने न केवल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया बल्कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसाः विभाग को अपने डेटाबेस को वाहन के साथ एकीकृत करना चाहिए, ताकि अयोग्य एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र के वाहनों पर ई–चालान के सृजन को रोका जा सके और खनिजों को ले जाने पर राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकार द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन किया जा सके। अनुपयुक्त वाहनों को सृजित कोई भी ई–चालान को अनुपयुक्त वाहनों के संचालन की पहचान करने के लिए परिवहन डेटाबेस में इंगित किया जाना चाहिए।

6.6 नीलामवाद के मामलों का लंबित होना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के तहत सार्वजनिक मांग के रूप में किराए, रॉयल्टी, जुर्माने की राशि की वसूली प्रावधित करता है। इसके अलावा, नीलामवाद नियमावली के अनुसार, आवश्यकता अधिकारी और नीलामवाद अधिकारी नीलामवाद के मामलों[2] के त्वरित निराकरण के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं ।

लेखापरीक्षा ने 13 जिला खनन कार्यालयों[3] में पाया कि 31 मार्च 2021 तक इन जिला खनिज कार्यालयों के पास ₹ 229.43 करोड़ के 20,700 नीलामवाद के मामले लंबित थे। इनमें से 2017–21 के दौरान इन जिला खनिज कार्यालयों में केवल 59 मामलों का निराकरण किया गया और ₹ 2.26 करोड़ की वसूली की गई जैसा कि नीचे **तालिका–14** (जिला वार विवरण **परिशिष्ट–29** में है) में दर्शाया गया है।

---

[2] **नीलामवाद मामले**: जब नीलामवाद पदाधिकारी (जिला समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो एसडीओ से कम पद का न हो) संतुष्ट होता है कि समाहर्त्ता को काई भी सार्वजनिक माँग देय है, वह निर्धारित फार्म में प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है, यह बताते हुए कि माँग देय है और उसके कार्यालय में नीलामवाद दायर कर सकता है।

[3] औरंगाबाद, बांका, भागलपुर भोजपुर, गया, कैमूर, नालन्दा, नवादा, पटना, सारण, शेखपुरा, सीवान और वैशाली।

तालिका–14

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान दर्ज किए गए नीलामवाद के मामले		नीलामवाद मामलों का निराकरण किया गया		अंतिम शेष	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2017-18	18,317	133.56	448	10.29	25	0.69	18,740	143.16
2018-19	18,740	143.16	809	39.42	20	0.74	19,529	181.84
2019-20	19,529	181.84	744	27.26	11	0.59	20,262	208.51
2020-21	20,262	208.51	441	21.16	03	0.24	20,700	229.43
कुल			**2,442**	**98.13**	**59**	**2.26**		

लेखापरीक्षा ने पाया कि नीलामवाद मामलों के त्वरित निराकरण हेतु नीलामवाद अधिकारी[4] की शक्ति सम्बन्धित जिला नीलामवाद अधिकारी को हस्तांतरित (अक्टूबर 2016) की गयी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि प्रधान सचिव ने जिला समाहर्त्ताओं को नीलामवाद मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया (फरवरी 2017) जिसमें जिला खनन अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक आयोजित करना शामिल है जिसमें पंजी 'IX'[5] और पंजी 'X'[6] का मिलान किया जा सकता है और ₹ 10 लाख से अधिक के बकाएदारों की अलग से सूची बनाकर बड़े चूककर्ताओं के मामलों की निगरानी गहनता से की जा सकती है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि पंजी 'IX' और 'X' के मिलान के लिए किसी भी जिला खनन कार्यालय में साप्ताहिक बैठकें आयोजित नहीं की गई थी तथा ₹ 10 लाख से अधिक बकाया वाले बकाएदारों की सूची तैयार नहीं की गई थी।

इसे इंगित किए जाने पर, जिला खनन अधिकरियों ने कहा कि नीलामवाद अधिकारी को पत्र भेज दिया गया है और इस सम्बंध में कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित है (मई 2022)।

6.7 मानवबल प्रबंधन

अवैध खनन की रोक के लिए प्रमुख नियंत्रण तंत्रों में से एक खनन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के माध्यम से है और यह आवश्यक है कि संबद्ध कर्मचारियों की सहायता से संबंधित खनन गतिविधियों के संचालन, निगरानी और प्रशासन के लिए पर्याप्त अधिकारी हों। अतः संबंधित विभागों की स्वीकृत संख्या के अनुसार मानव बल की तैनाती न केवल एक संगठन के कुशल प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि अवैध खनन की रोकथाम और राजस्व के बकाया की प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। विभाग की संवर्ग–वार स्वीकृत बल और कार्यरत बल (2017–18 से 2020–21) का विवरण नीचे **तालिका–15** में दिया गया है:

[4] अक्टूबर 2016 से पहले संबंधित क्षेत्र के खान उपनिदेशक नीलामवाद अधिकारी थे और उन पर लंबित नीलामवाद मामलों के निराकरण की जिम्मेदारी थी।

[5] अधियाची अधिकारी द्वारा बनाई गई माँगों की एक पंजी।

[6] नीलामवाद अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली नीलामवाद की पंजी।

तालिका–15

पद का नाम	2017-18			2018-19			2019-20			2020-21		
	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत)	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत)	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत)	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत)
उपनिदेशक, खान	08	01	07 (87.5)	08	01	07 (87.5)	11	01	10 (90.90)	11	00	11 (100)
सहायक निदेशक, खान	11	03	08 (72.73)	11	02	09 (81.82)	15	01	14 (93.33)	15	01	14 (93.33)
खनन विकास अधिकारी	25	25	0 (0)	25	18	07 (28)	46	18	28 (60.87)	46	16	30 (65.22)
खनन निरीक्षक	38	35*	34 (89.47)	38	04	34 (89.47)	104	03	101 (97.11)	104	02	102 (98.08)
प्रधान लिपिक	23	00	23 (100)	23	00	23 (100)	23	00	23 (100)	107	52	55 (51.40)
लिपिक	76	60	16 (21.05)	76	59	17 (22.37)	76	59	17 (22.37)			

* अन्य विभाग के 32 सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को खान निरीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्त किये गये।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सभी संवर्गों में कमी साल दर साल में बढ़ी है। विभाग के खनन सहायक निदेशक, खनन निरीक्षक और खनिज विकास अधिकारी जो मुख्य रूप से परिचालन दक्षता के साथ–साथ अपने–अपने क्षेत्रों में अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं, में रिक्तियाँ उल्लेखनीय रूप से अधिक थी। सहायक निदेशक, खनन निरीक्षक, जिला खनन अधिकारी और खान उप निदेशक के संवर्गों में भारी रिक्तियाँ राज्य में राजस्व संग्रह और अवैध खनन के रोकथाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेद में वर्णित है। विभाग में प्रधान लिपिक (2019–20 तक) की शत प्रतिशत कमी थी। यद्यपि लेखापरीक्षा ने पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इस मुद्दे को इंगित किया था, विभाग ने स्वीकृत बल के अनुसार रिक्तियों को नहीं भरा था।

इसके परिणामस्वरूप अवैध खनन की निगरानी में कमी पाई गई जैसा कि **अध्याय–4** की कण्डिकाओं से पाया गया है और अवैध खनन की लगातार सूचना दी गई है और राज्य के राजस्व की रक्षा में उचित मूल्यांकन के माध्यम से राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण और निर्धारित अवधि के अन्दर सभी खान पट्टों की बंदोबस्ती में कमी आई है।

इसे इंगित किये जाने पर, संबंधित जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि विभाग को अनुरोध पत्र भेज दिया गया है। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतिक्षित है (मई 2022)।

अनुशंसाः विभाग को महत्वपूर्ण पदों को तत्काल भरने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और अधिकारियों के माध्यम से अपनी शक्ति का निष्पादन करना चाहिए और समय–समय पर भौगोलिक सूचना प्रणाली अध्ययन और खनन डेटाबेस के विश्लेषण के माध्यम से निकासी की निगरानी के लिए विभागीय स्तर पर एक तकनीकी सेल की स्थापना करनी चाहिए।

6.8 अपर्याप्त निरीक्षण

विभागीय निरीक्षण संगठन के समुचित कार्य को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनन निरीक्षक का यह कर्तव्य है कि वह निकासी प्रतिवेदन के भौतिक सत्यापन के लिए

त्रैमासिक आधार पर ईंट भट्ठों और खनन पट्टे के क्षेत्र का निरीक्षण करे। खनन पट्टा क्षेत्र का वर्ष में एक बार निरीक्षण करना प्रत्येक जिला खनन अधिकारी की जिम्मेदारी है। इसके अलावा, खान उप निदेशक को वर्ष में एक बार खनन कार्यालय का निरीक्षण करना चाहिए।

केवल पाँच जिला खनन कार्यालयों[7] द्वारा ईट भट्ठों, बालू पट्टा एवं पत्थर खदानों के निरीक्षण एवं खनन कार्यालयों के खान उप निदेशक द्वारा निरीक्षण से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराये गये। 2017–18 से 2020–21 की अवधि के लिए इन जिला खनन कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए निरीक्षण से संबंधित अभिलेखों की जाँच के दौरान पाई गई कमियों की चर्चा अनुवर्ती कण्डिकाओं में की गई है।

6.8.1 ईंट भट्ठों, बालू घाटों और पत्थर खदानों का सत्यापन/निरीक्षण नहीं होना

नीचे दिए गए **चार्ट–12** में पाँच जिलों में ईंट भट्ठों के संचालन के सम्बंध में खनन अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों पर प्रकाश डाला गया है।

चार्ट–12

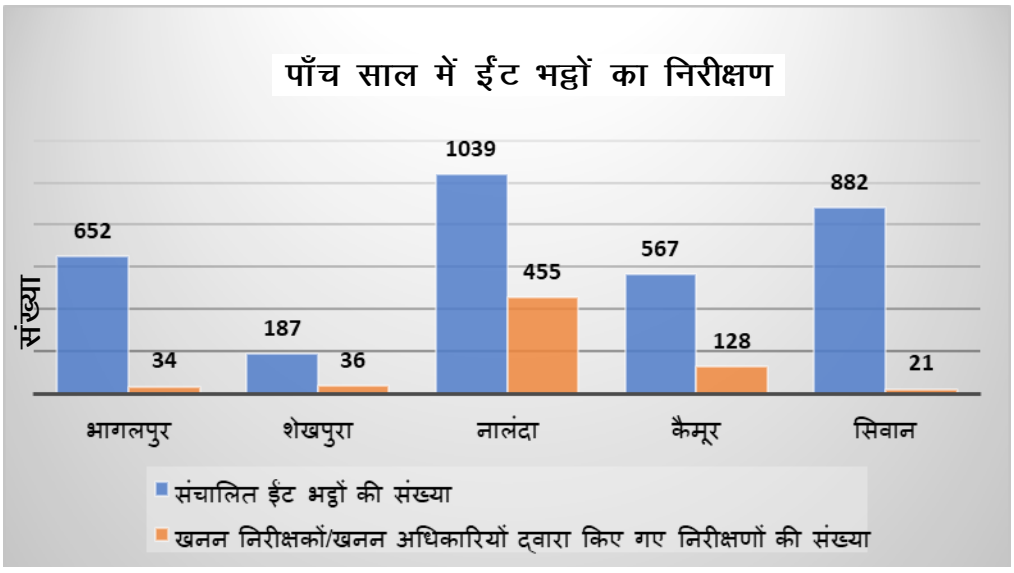

(स्त्रोत : जिला खनन कार्यालयों द्वारा सूचना उपलब्ध कराया गया)

2017–2021 के दौरान शेखपुरा में खान निरीक्षकों द्वारा पत्थर खदानों के कुल 63 निरीक्षण किये गये थे और बालू पट्टा संचिकाओं में भागलपुर, नालंदा, कैमूर और सीवान के बालू घाटों के निरीक्षण से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं पाया गया था। खनन पट्टा क्षेत्रों का निरीक्षण नियमित अंतराल पर किया जाना आवश्यक था क्योंकि यह अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नियंत्रण तंत्र के रूप में कार्य करता है। पट्टा क्षेत्रों के ऐसे नियमित निरीक्षण के अभाव में पट्टा क्षेत्रों में अवैध खनन की गतिविधियों में वृद्धि हुई जैसा कि **अध्याय–4** के कण्डिकाओं में पाया गया है।

इसे इंगित किए जाने पर, जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि इस सम्बंध में कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित है (मई 2022)।

[7] **ईंट भट्ठा** : भागलपुर, कैमूर, नालन्दा, सीवान और शेखपुरा; **बालू** : भागलपुर, कैमूर, नालन्दा और सीवान; **पत्थर** : शेखपुरा।

6.8.2 विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण से संबंधित अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी पाँच जिला खनन कार्यालयों का निरीक्षण 2017–18 से 2020–21 के दौरान खान उप निदेशक द्वारा नहीं किया गया था। विवरण नीचे **तालिका–16** में है:

तालिका–16

जिला खनन कार्यालय का नाम	2017–18 से 2020–21 के दौरान खान उप निदेशक द्वारा किया गया निरीक्षण
भागलपुर	शून्य
कैमूर	शून्य
नालंदा	शून्य
शेखपुरा	शून्य
सीवान	शून्य

विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा उचित निरीक्षण के अभाव के परिणामस्वरूप अधीनस्थ कार्यालयों के कामकाज की अपर्याप्त निगरानी हुई। शेष नौ जिलों में निरीक्षण से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे। यदि सभी खदानों का निरीक्षण किया गया होता तो कमियों की पूरी मात्रा विभाग के संज्ञान में आने से विभाग को अनियमित खान गतिविधियों को नियंत्रित करने या उचित मूल्यांकन और राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती।

इसे इंगित किए जाने पर, जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि इस सम्बंध में कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित है (मई 2022)।

अध्याय–7
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अध्याय–7

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

7.1 निष्कर्ष

"खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन एवं संग्रहण में प्रणालियों एवं नियंत्रणों" पर इस निष्पादन लेखापरीक्षा ने अनेक त्रुटियों एवं कमियों का खुलासा किया। खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य के किसी भी जिले के लिए जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार नहीं किया था, परिणामस्वरूप 2020–24 तक खनन क्षेत्र की बन्दोबस्ती नहीं हुई। बन्दोबस्त राशि/जिला खनिज फाउण्डेशन निधि/पेशा कर आदि विलम्ब/जमा नहीं करने और उस पर ब्याज की वसूली न करने के मामले थे। चयनित जिलों में खनन पट्टों का गैर–बंदोबस्त/निष्पादन भी देखा गया। सतत खनन बंदी नहीं की जा रही थी और प्रस्तावित बंदी से ठीक एक साल पहले अंतिम खनन बंदी योजना बनाने में चूक का एक उच्च जोखिम था।

खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा खनन गतिविधियों की निगरानी बहुत कम थी और बालू घाटों के भू–समन्वय को क्षेत्रीय सत्यापन के बिना अनुमोदित कर दिया गया था। खान एवं भूतत्व विभाग ने अवैधताओं का पता लगाने के लिए उपग्रह इमेजरी जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (विशेषज्ञ एजेंसी) की मदद से बालू घाटों के भू–स्थानिक अध्ययन से उजागर हुआ कि अनुमोदित खनन योजना क्षेत्र के बाहर व्यापक गैर–कानूनी खनन किया जा रहा था।

बालू खनन नीति, 2013 के तहत पट्टेदारों द्वारा खनिजों के अधिक निष्कर्षण के लिए दण्डात्मक प्रावधान केवल रॉयल्टी की अतिरिक्त राशि थी, जो खनिजों के मूल्य के साथ–साथ अन्य राज्यों की खनन नीति की तुलना में बहुत कम थी। अतः, नीति में निर्धारित दण्डात्मक कार्रवाई का निवारक प्रावधान अप्रभावी रहा।

योजना निगरानी इकाई और नमूना जिलों के लिए वाहन डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि जहाँ परिवहन विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग के बीच अंतरविभागीय समन्वय की कमी के कारण ऐसे उदाहरण थे जिसमें एम्बुलेंस, कृषि प्रयोजन हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर, बस, मोटरसाइकिल, मोटरकार आदि जैसे वाहनों पर खनिजों का परिवहन किया गया था। कुछ मामलों में, एक दिन में एक वाहन के लिए बड़ी संख्या में ई–चालान जारी किये गये थे। विभिन्न कार्य प्रमंडलों के ई–चालान की संवीक्षा में पाया गया कि कार्य प्रमंडलों में बड़ी संख्या में फर्जी ई–चालान का प्रयोग किया गया था। ऐसे उदाहरण थे, जहाँ स्वीकृत सीमा से अधिक ई–चालान जारी करने के लिए पट्टेदारों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था।

7.2 अनुशंसाएँ

खनन एवं भूतत्व विभाग को सतत बालू खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के आलोक में प्रत्येक जिले में प्रत्येक खनिज का जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन अलग से तैयार करना चाहिए। खान एवं भूतत्व विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के अनुसार किसी भी खनन गतिविधि को जारी रखने और खनन पट्टा के विस्तार के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर लेना चाहिए।

किसी भी खनन पट्टे की खनन योजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए। समय–समय पर भू–स्थानिक अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि खनन

अनुमोदित योजनाओं के अनुसार किया जा रहा है और इससे किसी भी विचलन की सूचना दी जा सकती है एवं अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है। खान एवं भूतत्व विभाग को जियो फेंसिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल को कार्यात्मक बनाना चाहिए ताकि शुरू से गंतव्य तक वाहन के मार्ग को चेक प्वाइंट, ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से नजर रखी जा सके।

विभाग को प्रेषण से पहले निकाले गए खनिजों की मात्रा के सत्यापन के लिए तंत्र विकसित करना चाहिए और खनन कार्यालय द्वारा पत्थर पट्टा क्षेत्र का पर्याप्त निरीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए।

खान एवं भूतत्व विभाग को परिवहन विभाग के साथ एक समन्वय तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि परिवहन विभाग द्वारा जब्त किए गए वाहनों को अवैध खनन की जाँच के लिए खनन विभाग को संदर्भित किया जा सके।

खान एवं भूतत्व विभाग को अवास्तविक वाहनों पर ई–चालान के निर्गत को रोकने के लिए अपने डेटाबेस को *वाहन* डेटाबेस के साथ एकीकृत करना चाहिए। यदि, गैर–वाणिज्यिक वाहनों पर कोई ई–चालान जारी किया जाता है तो परिवहन विभाग को स्वतः झण्डी से सूचित किया जाना चाहिए।

एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी समाधान विकसित किया जाना चाहिए जिसमें सभी प्राप्तियाँ अर्थात रॉयल्टी, जिला खनिज फाउण्डेशन निधि, सुरक्षा जमा, मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस की वसूली परिलक्षित होनी चाहिए और किसी भी गैर–भुगतान, कम या विलम्ब भुगतान को चिह्नित किया जाना चाहिए और इसलिए, सुधारात्मक उपाय सही समय पर किया जाना चाहिए।

खान एवं भूतत्व विभाग को कार्य प्रमंडलों और विभागों के साथ नियमित आधार पर इस तरह के समन्वय तंत्र को विकसित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य प्रमंडलों में ई–चालान की प्रामाणिकता की नियमित रूप से जाँच की जा रही है ताकि रॉयल्टी की हानि और ई–चालान के दुरुपयोग से बचा जा सके। विभाग को खनन कार्यालयों से फर्जी सत्यापन पत्रों की उपलब्धता के संबंध में मामले की जाँच और दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

विभाग जिला खनिज फाउण्डेशन निधि दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करे और जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के खातों की लेखापरीक्षा के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट की नियुक्ति करे।

विभाग को अपने डेटाबेस को *वाहन* के साथ एकीकृत करना चाहिए, ताकि अयोग्य और बिना प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण पत्र के वाहनों पर ई–चालान निर्गत होना रोका जा सके और खनिजों को ले जाने पर राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का पालन किया जा सके। अयोग्य वाहनों पर निर्गत ई–चलान और प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को परिवहन डेटाबेस में स्वतः झण्डी से सूचित किया जाना चाहिए।

विभाग को महत्वपूर्ण पदों को तत्काल भरने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और अपने अधिकारियों के माध्यम से अपनी शक्ति का निष्पादन करना चाहिए और समय–समय पर भौगोलिक सूचना प्रणाली अध्ययन और खनन डेटाबेस के विश्लेषण के माध्यम से निकासी की निगरानी के लिए विभागीय स्तर पर एक तकनीकी प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए।

पटना **(रामावतार शर्मा)**
दिनांक 27 सितम्बर 2022 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांक 30 सितम्बर 2022 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

(संदर्भ कंडिका: 3.3)

बालू घाटों की बन्दोबस्ती के विलंब से भुगतान पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

पंचांग वर्ष	जिला का नाम	पट्टेदार का नाम	देय किश्त की राशि	भुगतान की गयी किश्त की राशि	किश्त के भुगतान में विलम्ब (दिनों में)	बकाया राशि	राशि रोक कर रखी गयी दिनों की संख्या	24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय ब्याज	पट्टेदार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज	वसूली योग कुल ब्याज
2020	**पटना**	**मेसर्स ब्रॉडसन कोमोडीटीज प्रा. लि.**	**48,13,37,008**	**48,13,37,008**	**1-194**	**53,92,86,781**	**1-161**	**1,79,50,830**	**0**	**1,79,50,830**
2016	कैमूर	मेसर्स चैम्पियन ग्रुप ऑफ कम्पनी	1,90,21,200	1,90,21,200	7-214	2,05,83,837	1-130	3,98,936	0	3,98,936
2017			2,28,25,440	2,28,38,823		4,94,24,339		14,70,382	1,84,000	12,86,382
2018			2,73,90,528	2,74,67,632		13,38,15,280		22,07,566	0	22,07,566
2019			3,28,68,635	3,28,68,636		15,61,42,714		19,63,693	0	19,63,693
2016-19	**कैमूर**	**मेसर्स चैम्पियन ग्रुप ऑफ कम्पनी**	**10,21,05,803**	**10,21,96,291**	**7-214**		**1-130**	**60,40,577**	**1,84,000**	**58,56,577**
2017	औरंगाबाद	आदित्य मल्टीकॉन प्रा. लि.	17,73,79,776	17,73,79,780	1-225	38,21,39,328	1-114	54,25,400	53,21,394	1,04,006
2018			63,85,67,193	63,85,67,194		3,64,78,16,198		2,41,50,542	42,18,985	1,99,31,557
2019-20			1,03,32,22,666	1,03,32,22,654		3,72,14,16,484		4,02,59,310	0	4,02,59,310
2021			38,31,40,320	38,31,40,320		88,88,41,920		4,31,147	3,16,062	1,15,085
2017-21	**औरंगाबाद**	**आदित्य मल्टीकॉन प्रा. लि.**	**2,23,23,09,955**	**2,23,23,09,948**	**1-225**		**1-114**	**7,02,66,399**	**98,56,441**	**6,04,09,958**

(राशि ₹ में)

पंचांग वर्ष	जिला का नाम	पट्टेदार का नाम	देय किश्त की राशि	भुगतान की गयी किश्त की राशि	किश्त के भुगतान में विलम्ब (दिनों में)	बकाया राशि	राशि रोक कर रखी गयी दिनों की संख्या	24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय ब्याज	पट्टेदार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज	वसूली योग कुल ब्याज
2017	बांका	महादेव इन्क्लेव प्रा. लि.	23,69,30,400	23,69,30,400	1-167	1,49,81,60,800	1-110	11,53,965	55,12,772	1,31,92,453
2018			28,43,16,480	28,43,16,480		1,51,37,47,200		94,80,129		
2019			24,74,95,604	24,74,95,605		75,48,46,363		9,53,549		
2020			31,78,75,147	31,78,75,147		1,44,30,01,176		41,94,621		
2021			34,49,18,733	34,49,18,475		1,85,95,49,063		29,22,961		
2017-21	**बांका**	**महादेव इन्क्लेव प्रा. लि.**	**1,43,15,36,364**	**1,43,15,36,107**	**1-167**		**1-110**	**1,87,05,225**	**55,12,772**	**1,31,92,453**
2020	नवादा	जय माता दी इन्टरप्राईजेज	4,96,36,844	4,96,36,845	1-2	4,96,36,845	1-2	32,638		1,12,471
2021			6,07,06,486	6,07,06,486		6,07,06,486		79,833		
2020-21	**नवादा**	**जय माता दी इन्टरप्राईजेज**	**11,03,43,330**	**11,03,43,331**	**1-2**		**1-2**	**1,12,471**	**0**	**1,12,471**
2020	**गया**	**वेस्टलिंक प्रा. लि**	**44,03,63,803**	**44,03,63,803**	**1-69**		**1-50**	**45,02,237**	**0**	**45,02,237**
2020	सारण	ब्रॉडसन कोमोडीटीज प्रा. लि	2,10,58,058	2,10,58,061	1-8	2,11,14,421	1-8	32,357	0	32,357
2021			3,02,45,376	3,02,45,376		3,02,45,376		72,920	0	72,920
2020-21	**सारण**	**ब्रॉडसन कोमोडीटीज प्रा. लि**	**5,13,03,434**	**5,13,03,437**	**1-8**		**1-8**	**1,05,278**	**0**	**1,05,278**
कुल योग			**4,84,92,99,697**	**4,84,93,89,925**	**1-225**		**1-161**	**11,76,83,017**	**1,55,53,213**	**10,21,29,804**

परिशिष्ट–2

(संदर्भ कंडिका: 3.4)

बालू घाटों की विस्तारित अवधि के बन्दोबस्त के लिए सुरक्षा जमा की वसूली न होना

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	जिला खनन कार्यालय का नाम	बन्दोबस्ती की विस्तारित तिथि	बन्दोबस्ती की अवधि	अनुपातिक बन्दोबस्त राशि	कुल सुरक्षित जमा	भुगतान की गयी सुरक्षित जमा	देय सुरक्षित जमा
1.	औरंगाबाद	9/2021	2020	1,35,25,06,254	13,52,50,625	शून्य	
			9/2021 तक	1,72,41,31,440	17,24,13,144	शून्य	17,24,13,144
2.	बांका	12/2021	2020	60,38,41,467	6,03,84,147	शून्य	
			2021	1,02,14,36,165	10,21,43,617	शून्य	10,21,43,617
3.	भोजपुर	9/2021	2020	1,96,87,68,512	19,68,76,851	शून्य	
			9/2021 तक	2,49,60,08,469	24,96,00,847	शून्य	24,96,00,847
4.	नवादा	12/2021	2020	21,08,40,807	2,10,84,080	शून्य	
			2021	35,73,84,984	3,57,38,498	शून्य	3,57,38,498
5.	पटना	9/2021	2020	1,13,27,63,961	11,32,76,396	शून्य	
			9/2021 तक	1,43,61,20,256	14,36,12,025	शून्य	14,36,12,025
6.	रोहतास	9/2021	2020	1,80,36,47,871	18,03,64,787	शून्य	
			9/2021 तक	2,29,29,50,178	22,92,95,018	शून्य	22,92,95,018
7.	सारण	9/2021	2020	7,23,64,859	72,36,486	शून्य	
			9/2021 तक	9,19,96,348	91,99,635	शून्य	91,99,635
8.	वैशाली	12/2021	2020	4,57,76,677	45,77,668	शून्य	
			2021	7,73,81,231	77,38,123	शून्य	77,38,123
कुल योग				**1,66,87,91,94,799**	**1,66,87,91,948**	**शून्य**	**94,97,40,907**

परिशिष्ट–3

(संदर्भ कंडिका: 3.5)

(अ) बन्दोबस्त हुए बालू घाटों के लिए पंजीकृत विलेख का निष्पादन न करने के कारण मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस की वसूली न होना

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	जिला खनन कार्यालय का नाम	बन्दोबस्ती की अवधि	बन्दोबस्त की राशि	आरोप्य मुद्रांक शुल्क	आरोप्य निबंधन फीस	भुगतान किया गया मुद्रांक शुल्क	भुगतान की गयी निबंधन फीस	देय मुद्रांक शुल्क	देय निबंधन फीस	कुल देय मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस
1.	गया	01.01.2020 से 31.12.2020	65,49,73,545	3,92,98,413	1,30,99,471	0	0	3,92,98,413	1,30,99,471	5,23,97,884
2.	नवादा	01.01.2020 से 31.12.2020	23,89,09,398	1,43,34,564	47,78,188	0	0	1,43,34,564	47,78,188	1,91,12,752
		01.01.2021 से 31.12.2021	35,83,64,097	2,15,01,846	71,67,282	0	0	2,15,01,846	71,67,282	2,86,69,128
3.	पटना	01.04.2021 से 30.09.2021	96,26,74,017	5,77,60,441	1,92,53,480	0	0	5,77,60,441	1,92,53,480	7,70,13,921
4.	भोजपुर	01.01.2021 से 31.03.2021	82,28,59,965	4,93,71,598	1,64,57,199	4,92,37,799	1,64,12,833	1,33,799	44,366	1,78,165
		01.04.2021 से 30.09.2021	1,67,31,48,504	10,03,88,909	3,34,62,970	0	0	10,03,88,909	3,34,62,970	13,38,51,879
5.	रोहतास	2020	2,04,37,61,984	12,26,25,719	4,08,75,240	0	0	12,26,25,719	4,08,75,240	16,35,00,959
		01.01.2021 से 30.09.2021	2,29,29,50,178	13,75,77,011	4,58,59,004	0	0	13,75,77,011	4,58,59,004	18,34,36,015
6.	वैशाली	01.01.2020 से 31.12.2020	5,18,70,786	31,12,247	10,37,416	27,46,593	0	3,65,654	10,37,416	14,03,070
		01.01.2021 से 31.12.2021	7,78,06,179	46,68,371	15,56,123	0	0	46,68,371	15,56,123	62,24,495
7.	औरंगाबाद	01.01.2020 से 31.12.2020	1,53,67,60,063	9,22,05,604	3,07,35,201	0	0	9,22,05,604	3,07,35,201	12,29,40,805
		01.01.2021 से 30.09.2021	1,72,41,31,440	10,34,47,886	3,44,82,629	0	0	10,34,47,886	3,44,82,629	13,79,30,515
	कुल		**12,43,82,10,156**	**74,62,92,609**	**24,87,64,203**	**5,19,84,392**	**1,64,12,833**	**69,43,08,217**	**23,23,51,370**	**92,66,59,588**

(ब) बन्दोबस्त बालू घाटों के लिए वर्ष 2017 से 2019 की अवधि के दौरान निबंधित दस्तावेज के क्रियान्वयन नहीं होने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस वसूली नहीं होना

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	जिला खनन कार्यालय का नाम	बन्दोबस्ती की अवधि	बन्दोबस्त की राशि	आरोप्य मुद्रांक शुल्क	आरोप्य निबंधन फीस	भुगतान किया गया मुद्रांक शुल्क	भुगतान की गयी निबंधन फीस	देय मुद्रांक शुल्क	देय निबंधन फीस	कुल देय मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस
1.	रोहतास	2017	94,36,00,896	5,66,16,054	1,88,72,018	5,66,16,054	0	0	1,88,72,018	1,88,72,018
		2018	1,13,23,21,075	6,79,39,265	2,26,46,422	6,79,39,265	0	0	2,26,46,422	2,26,46,422
2.	कैमूर	2017	2,28,25,440	13,69,526	4,56,509	6,84,764	0	6,84,762	4,56,509	11,41,271
		2018	2,73,90,528	16,43,432	5,47,811	0	0	16,43,432	5,47,811	21,91,243
		2019	3,28,68,634	19,72,118	6,57,373	0	0	19,72,118	6,57,373	26,29,491
	कुल		**2,15,90,06,573**	**12,95,40,395**	**4,31,80,133**	**12,52,40,083**	**0**	**43,00,312**	**4,31,80,133**	**4,74,80,445**

परिशिष्ट–4

(संदर्भ कंडिका: 3.6)

बालू घाट के पट्टेदार द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के स्थान पर जमा करायी गयी बैंक गारंटी का पुनर्वैधीकरण न होने के कारण सरकार को राजस्व की हानि

(राशि ₹ में)

जिला खनन कार्यालय	वर्ष	पट्टे की राशि	उपयुक्त मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस (मुद्रांक शुल्क 6 प्रतिशत एवं निबंधन फीस 2 प्रतिशत की दर से)	भुगतान किया गया मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस (बन्दोबस्त राशि के 5 प्रतिशत पर 6+2 प्रतिशत)	पट्टेदार द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी की राशि	बैंक गारंटी संख्या/दिनांक	बैंक का नाम और पता	वैधता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बांका	2017	31,59,07,200	2,52,72,576	12,64,230	2,40,08,946	ओ0बी0सी0/17–307580 दिनांक 18.08.2018	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एम0एस0एम0ई0 क्लस्टर, श्री गंगा नगर, राजस्थान	31.12.2019	दोबारा सत्यापित नहीं
	2018	37,90,88,640	3,03,27,091	15,17,856	2,88,10,737	ओ0बी0सी0/17–307582 दिनांक 01.09.2018		31.12.2019	दोबारा सत्यापित नहीं
	2019	45,49,06,368	3,63,92,509	18,21,218	3,45,72,932	बी0जी0-0036-बी0जी0 0002-19 दिनांक 26.08.2019	पंजाब एवं सिन्ध बैंक, 22–पब्लिक पार्क, श्री गंगा नगर, राजस्थान	31.12.2019	दोबारा सत्यापित नहीं
कुल		**1,14,99,02,208**	**9,19,92,176**	**46,03,304**	**8,73,92,615**				
नालन्दा	2017	8,53,77,600	68,30,208	3,53,070	64,88,720	ओ0बी0सी0/307512 दिनांक 05.05.2018	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एम0एस0एम0ई0 क्लस्टर, श्री गंगा नगर, राजस्थान	31.12.2019	दोबारा सत्यापित नहीं
	2018	10,24,53,120	81,96,250	4,21,390	77,86,450	ओ0बी0सी0/307511 दिनांक 05.05.2018		31.12.2019	दोबारा सत्यापित नहीं
	2019	12,29,43,744	98,35,500	5,01,300	93,43,725	ओ0बी0सी0/221132 दिनांक 27.06.2019		31.12.2019	दोबारा सत्यापित नहीं
उप योग		**31,07,74,464**	**2,48,61,958**	**12,75,760**	**2,36,18,895**				
कुल योग		**1,46,06,76,672**	**11,68,54,134**	**58,79,064**	**11,10,11,510**				

परिशिष्ट–5

(संदर्भ कंडिका: 3.8.4)

जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा द्वारा पत्थर खदानों के पट्टेदारों से बन्दोबस्त राशि और ब्याज की वसूली नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	पट्टेदार का नाम (ब्लॉक संख्या)	विवरणी	देय राशि	भुगतान की गयी राशि	विलम्ब दिनों में	देय ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज	देय ब्याज	कुल देय = ब्याज + शेष किश्त
1.	एम.जी. कंट्रेक्टर्स प्रा.लि. (ब्लॉक संख्या 16)	तृतीय किश्त	3,00,20,000	3,00,20,000	0-13	1,28,390	1,18,514	9,876	9,876
2.	कात्यायनी कंट्रेक्टर्स प्रा.लि. (ब्लॉक संख्या 18)	तृतीय से पंचम किश्त	7,25,00,000	7,25,00,000	5-146	22,29,051	21,94,693	34,358	34,358
3.	नवयुग इन्जीनियरिंग कम्पनी लि. (ब्लॉक संख्या 03)	द्वितीय से पंचम किश्त	10,67,50,000	10,67,50,000	1-175	44,72,512	44,01,039	71,473	71,473
4.	नवयुग इन्जीनियरिंग कम्पनी लि. (ब्लॉक संख्या 08)	द्वितीय से पंचम किश्त	12,28,50,000	12,28,50,000	1-67	38,82,831	33,49,597	5,33,234	5,33,234
5.	मेसर्स अरिना फुड एंड एग्रो इन्डस्ट्रीज प्रा. लि. (ब्लॉक संख्या 04)	द्वितीय से पंचम किश्त	20,30,00,000	19,04,82,689	1-99	2,60,88,196	2,84,54,602	0	1,01,50,905
6.	श्री अमन सेठी (ब्लॉक संख्या 06)	द्वितीय से पंचम किश्त	10,36,00,000	10,36,00,000	1-152	28,15,028	26,92,209	1,22,819	1,22,819
कुल योग			**63,87,20,000**	**62,62,02,689**		**3,96,16,008**	**4,12,10,654**	**7,71,760**	**1,09,22,665**

परिशिष्ट–6

(संदर्भ कंडिका: 3.13.1)

बिना वैध परमिट और स्थापित करने की सहमति/संचालन की सहमति एवं पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना ईंट मिट्टी का अवैध निष्कासन

जिला खनन कार्यालय	ईंट मौसम	ईंट भट्ठों की कुल संख्या	निर्गत परमिट की संख्या	वैध परमिट के बिना प्रचालित ईंट भट्ठे	स्थापित करने के लिए सहमति/ प्रचालन के लिए सहमति समर्पित किए बिना प्रचालित ईंट भट्ठों की संख्या	पर्यावरण स्वीकृति समर्पित किए बिना परिचालित ईंट भट्ठों की संख्या
13 जिलों के जिला खनन कार्यालय[1]	2017-18	2,527	254	2,273	1,369	1,136
	2018-19	2,585	219	2,366	1,394	1,118
	2019-20	2,524	109	2,415	1,220	1,082
	2020-21	2,633	197	2,436	1,441	785
कुल योग		**10,269**	**779**	**9,490**	**5,424**	**4,121**

[1] औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, कैमूर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सारण, शेखपुरा, सीवान और वैशाली

परिशिष्ट–7

(संदर्भ कंडिका: 3.13.2)

ईंट भट्ठा मालिको से रॉयल्टी एवं अर्थदण्ड की नहीं/कम वसूली किया जाना

(राशि ₹ में)

जिला	ईंट मौसम	ईंट भट्ठों की कुल संख्या	निर्गत परमिट की संख्या	वैध परमिट के बिना प्रचालित ईंट भट्ठे	रॉयल्टी के नहीं/कम भुगतान किए प्रचालित ईंट भट्ठों की संख्या	रॉयल्टी के नहीं/कम भुगतान किए प्रचालित ईंट भट्ठों से देय कुल रॉयल्टी एवं उपयोग शुल्क	कॉलम 6 के ईंट भट्ठों के मालिकों द्वारा भुगतान किए गए रॉयल्टी एवं उपयोग शुल्क	देय रॉयल्टी	आरोप्य कुल अर्थदण्ड	आरोपित अर्थदण्ड	देय अर्थदण्ड
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
14 जिले[2]	2017-18	2,973	254	2,719	761	5,55,48,550	21,89,585	5,33,58,965	8,87,54,950	0	8,87,54,950
	2018-19	3,029	278	2,751	666	5,15,26,550	18,92,325	4,96,34,225	7,76,96,200	0	7,76,96,200
	2019-20	2,970	113	2,857	811	19,18,37,625	1,10,05,523	18,08,32,102	0	0	0
	2020-21	3,103	197	2,906	688	16,28,64,875	23,20,312	16,05,44,563	0	0	0
कुल योग		**12,075**	**842**	**11,233**	**2,926**	**46,17,77,600**	**1,74,07,745**	**44,43,69,855**	**16,64,51,150**	**0**	**16,64,51,150**

[2] औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, गया, कैमूर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सारण, शेखपुरा, सीवान और वैशाली

परिशिष्ट–8

(संदर्भ कंडिका: 4.1 एवं 4.2)

नमूना घाटों में वास्तविक खनन क्षेत्र

छवि दिनांक	अभिरूचि क्षेत्र-I	अभिरूचि क्षेत्र-II	अभिरूचि क्षेत्र-III
नवंबर 2018		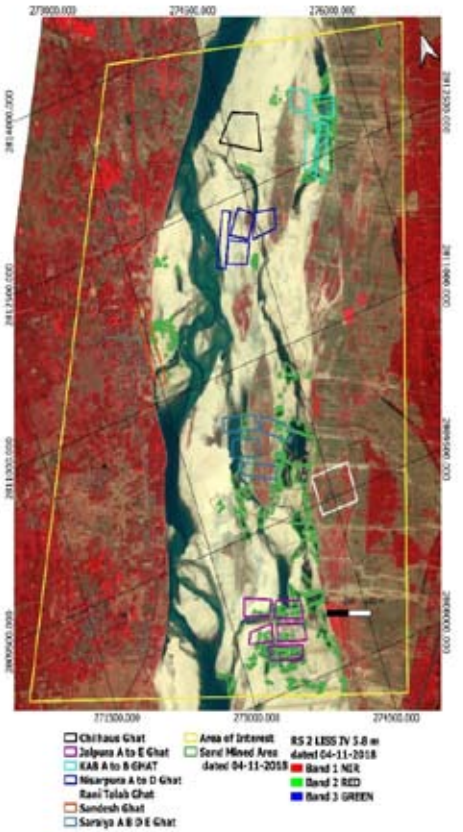	Aw3 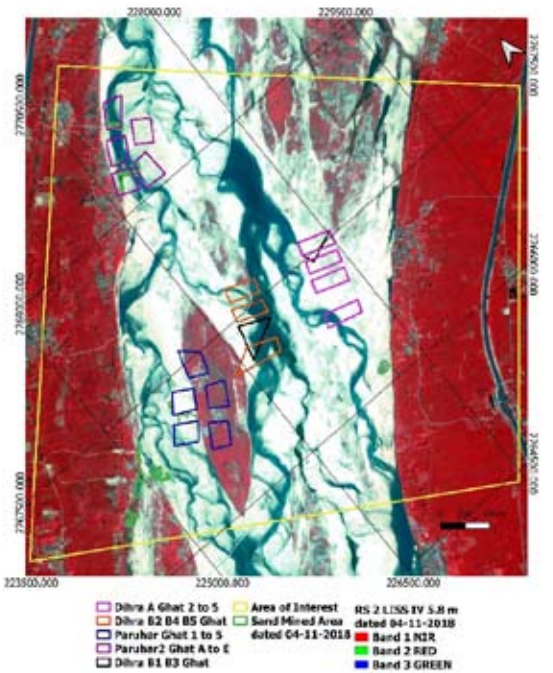

छवि दिनांक	अभिरूचि क्षेत्र-I	अभिरूचि क्षेत्र-II	अभिरूचि क्षेत्र-III
फरवरी 2019	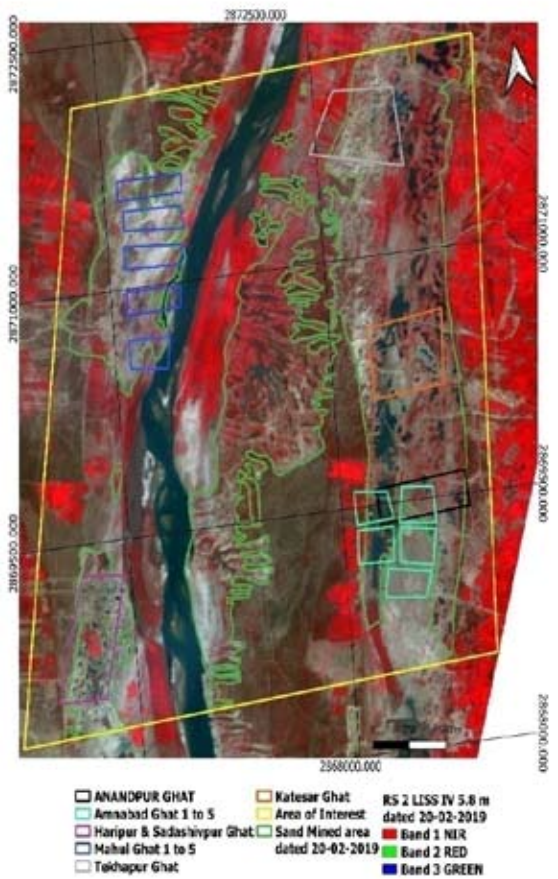		

छवि दिनांक	अभिरूचि क्षेत्र-I	अभिरूचि क्षेत्र-II	अभिरूचि क्षेत्र-III
जून 2019	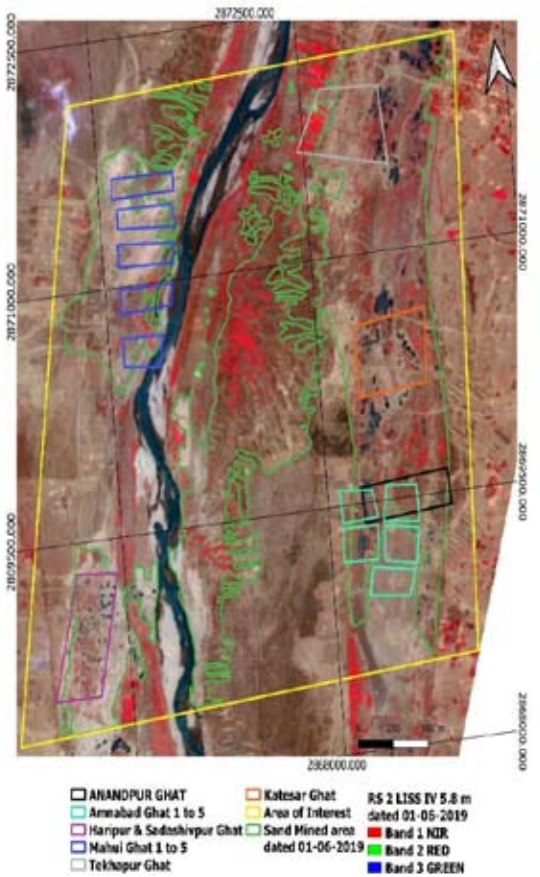		

छवि दिनांक	अभिरूचि क्षेत्र-I	अभिरूचि क्षेत्र-II	अभिरूचि क्षेत्र-III
नवम्बर 2019			

छवि दिनांक	अभिरूचि क्षेत्र-I	अभिरूचि क्षेत्र-II	अभिरूचि क्षेत्र-III
जनवरी 2020			

छवि दिनांक	अभिरूचि क्षेत्र-I	अभिरूचि क्षेत्र-II	अभिरूचि क्षेत्र-III
मार्च 2020	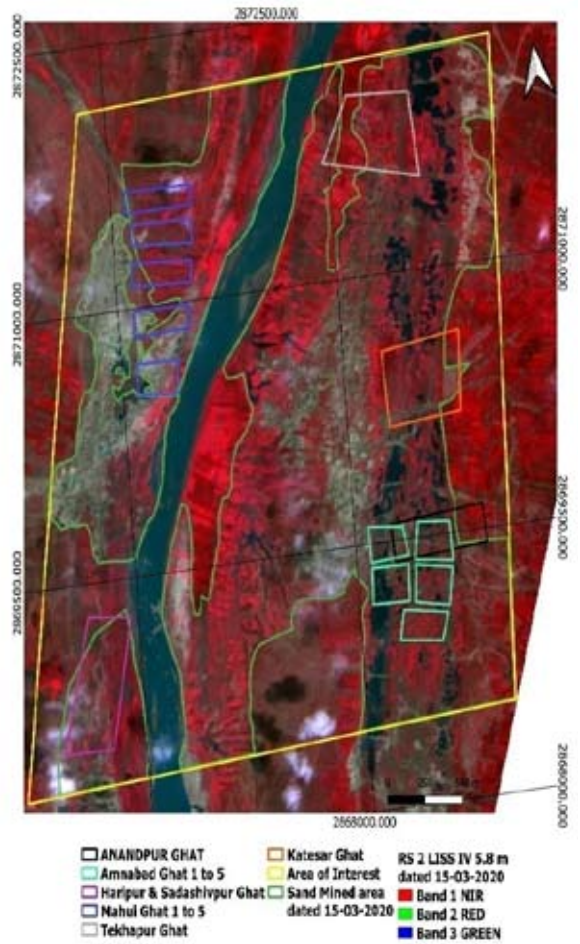	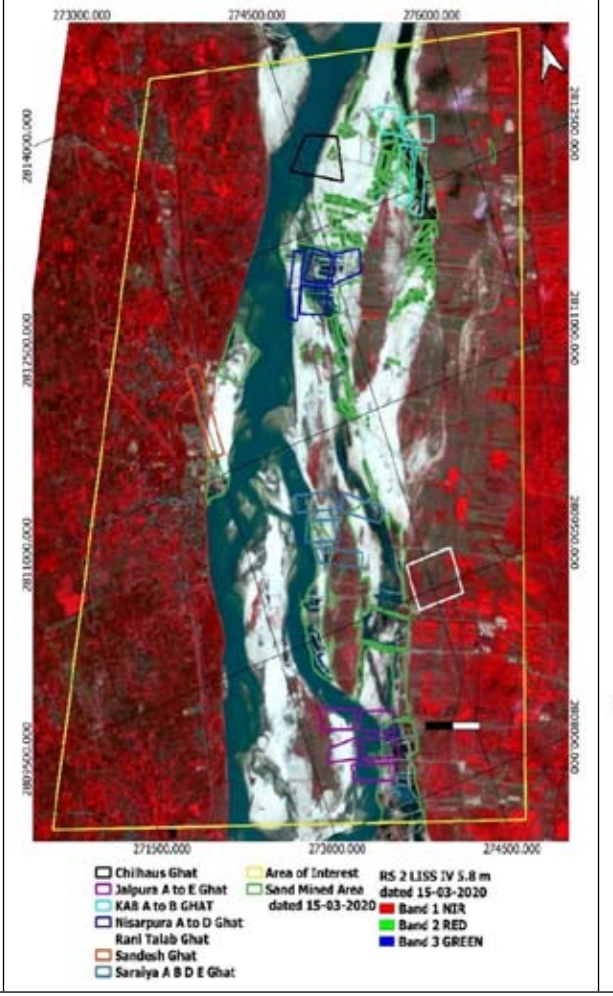	

परिशिष्ट–9
(संदर्भ कंडिकाः 4.1)
वास्तविक और स्वीकृत खनन घाटों की तुलना

जिला का नाम	क्रं0 सं0	बालू घाट का नाम	अनुमोदित क्षेत्र के बाहर बालू खनन का निष्कर्षण जिस अवधि में देखा गया (उपग्रह दृश्य)
पटना	1.	कटेशर	जून 2019 और फरवरी 2020
	2.	टेखपुर	फरवरी 2020
	3.	कटेशर–1	फरवरी 2020
	4.	कौरिया	मई 2016
	5.	चिल्का टोला	मार्च 2018
	6.	पनेचक	जनवरी 2019 और मार्च 2021
	7.	महुआर	मार्च 2021
	8.	कटारी	मार्च 2021
	9.	जनपारा	मई 2019 और मार्च 2020
	10.	लाहलादपुर	अप्रैल 2018
	11.	अमीरबाद गोना	मार्च 2020
	12.	काब	जनवरी 2019
	13.	निसरपुरा	जनवरी 2019
	14.	सरैया	जनवरी 2019
	15.	रानी तालाब	अप्रैल 2018
	16.	जलपुरा	जनवरी 2019 और मार्च 2020
	17.	राजीपुर	मार्च 2020
	18.	उदयपुर	मार्च 2020
	19.	महाबलीपुर	मार्च 2020
	20.	अमनाबाद	फरवरी 2020
	21.	आनंदपुर	जून 2016 और जून 2019
भोजपुर	22.	कमलुचक	मार्च 2021
	23.	कमलुचक और महुसेमरिया	फरवरी 2020 और मार्च 2021
	24.	हरिपुर और शदाशिवपुर	मई 2019
	25.	न्यू हरिपुर	मई 2019
	26.	कोईलवर और चितमपुर	फरवरी 2019
	27.	सरौंदा	जनवरी 2019
	28.	कुबेचक	मार्च 2021
	29.	फरहंगपुर–1	जनवरी 2019
	30.	खानगाँव भैयारा	मार्च 2021
	31.	खानगाँव	मार्च 2021
	32.	खानगाँव –1	जनवरी 2019
	33.	भागवतपुर	नवंबर 2019
	34.	श्रीमपुर बचरी	मार्च 2020
	35.	नारायणपुर	अप्रैल 2018, जनवरी 2019 और मार्च 2020
	36.	चिलहॉस	मार्च 2020
	37.	संदेश	जनवरी 2019
	38.	किरकिरी	मार्च 2020
	39.	बरूही	फरवरी 2020
	40.	बरूही–1	जनवरी 2019
	41.	पेउर	जनवरी 2019
	42.	सहर और पेउरचक	मई 2016 और जनवरी 2019
	43.	अबगिला	मई 2017
	44.	कर्बासिन	जनवरी 2019
	45.	खैरा	मई 2017
	46.	खराँव कलन	अप्रैल 2018
	47.	अंधारी	दिसंबर 2018 और जनवरी 2019
	48.	बिहटा–1	मई 2019
	49.	महुई घाट	नवंबर 2018, फरवरी 2020 और मार्च 2021

जिला का नाम	क्रं0 सं0	बालू घाट का नाम	अनुमोदित क्षेत्र के बाहर बालू खनन का निष्कर्षण जिस अवधि में देखा गया (उपग्रह दृश्य)
रोहतास	50.	दान्वर	दिसंबर 2020
	51.	अमीयावर बी	अक्टूबर 2020
	52.	पारूहार	नवंबर 2018 और जनवरी 2019
	53.	पारूहार–2	मई 2019
	54.	मझिआँव	मई 2019
	55.	दरिहाट–1	मई 2019
	56.	दरिहाट–2	नवंबर 2018
	57.	दरिहाट–3	मई 2019
	58.	हुरका	मई 2019
	59.	डालमियानगर	नवंबर 2018 और मई 2019
	60.	कतर	नवंबर 2018, जनवरी 2019 और मई 2019
	61.	चकनाह	जून 2018 और जनवरी 2019
	62.	शंकरपुर	मई 2019
	63.	जरहा बिघा	नवंबर 2016
	64.	केरपा	अप्रैल 2017
	65.	रामदीहरा	मार्च 2019
बांका	66.	गोडिया	जनवरी 2019, फरवरी 2020 और दिसंबर 2021
	67.	राजिपुर काकना	फरवरी 2016, जनवरी 2019 और दिसंबर 2021
	68.	माजिआरा अराज़ी	फरवरी 2016, जनवरी 2018 और फरवरी 2020
	69.	बैसा	अक्टूबर 2020 और दिसंबर 2021
	70.	मांझीरा	मार्च 2020 और अक्टूबर 2020
	71.	गोविंदपुर	फरवरी 2019 और दिसंबर 2021
	72.	जितरपुर	मार्च 2019
	73.	पटवे और भोरवा	फरवरी 2016
	74.	लखनौरी–1	जनवरी 2019
	75.	लखनौरी–2	जनवरी 2019
	76.	विसुनपुर	दिसंबर 2021
	77.	मझोनी	मार्च 2019, और फरवरी 2020
	78.	जोगी पहाड़ी	नवंबर 2020
	79.	कुननी	नवंबर 2020
	80.	सारण गोडिया	अक्टूबर 2020
	81.	पटवे भोरवा और मंझियारा अरज़ी	फरवरी 2016, मार्च 2019, मार्च 2020 और दिसंबर 2021
	82.	दोमुहान	नवंबर 2017

परिशिष्ट–10
(संदर्भ कंडिका: 4.2)
नमूना घाटों में वास्तविक खनन क्षेत्र

		समन्वय के अनुसार घाटों का क्षेत्र (हे0)	अनुमोदित सीमा के अंदर खनन किया गया वास्तविक क्षेत्र	खनन क्षेत्र (हे0)	खनन किया गया क्षेत्र का प्रतिशत	आवंटित सीमा के अंदर किया गया खनन क्षेत्र (वर्ग मीटर)	खनन किया गया क्षेत्र (हे0)	खनन किया गया क्षेत्र का प्रतिशत	आवंटित सीमा के अंदर किया गया खनन क्षेत्र (वर्ग मीटर)	खनन किया गया क्षेत्र (हे0)	खनन किया गया क्षेत्र का प्रतिशत	आवंटित सीमा के अंदर किया गया खनन क्षेत्र (वर्ग मीटर)	खनन किया गया क्षेत्र (हे0)	खनन किया गया क्षेत्र का प्रतिशत	आवंटित सीमा के अंदर किया गया खनन क्षेत्र (वर्ग मीटर)	खनन किया गया क्षेत्र (हे0)	खनन किया गया क्षेत्र का प्रतिशत	आवंटित सीमा के अंदर किया गया खनन क्षेत्र (वर्ग मीटर)	खनन किया गया क्षेत्र (हे0)	खनन किया गया क्षेत्र का प्रतिशत
अभिरुचि क्षेत्र -I (घाट 1 एवं 4)			04-11-2018			20-02-2019			01-06-2019			23 & 11-11-2019			27-01-2020			15-03-2020		
	टेकापुर	22.5	1,67,193.20	16.72	74.31	1,67,193.20	16.72	74.31	1,67,193.20	16.72	74.31	2,07,009.12	20.70	92.00	2,16,503.09	21.65	96.22	1,71,225.18	17.12	76.10
	अमनाबाद घाट 1 से 5	24.11	1,22,285.68	12.23	50.72	1,09,394.80	10.94	45.38	1,09,394.80	10.94	45.38	72,667.43	7.27	30.14	1,18,247.27	11.82	49.05	2,11,869.97	21.19	87.88
	आनंदपुर घाट *	13.42	1,21,825.87	12.18	90.80	1,22,506.18	12.25	91.30	1,22,506.18	12.25	91.30	1,02,574.70	10.26	76.45	1,20,773.08	12.08	90.01	95,355.26	9.54	71.07
	केटसर घाट	21.93	2,19,264.57	21.93	100.00	2,19,264.57	21.93	100.00	2,19,264.57	21.93	100.00	2,14,351.79	21.43	97.76	2,19,264.57	21.93	100.00	1,89,319.85	18.93	86.34
	हरिपुर और सदाशिवपुर घाट	22.67	1,80,421.99	18.04	79.60	2,03,008.45	20.30	89.57	2,03,956.28	20.39	89.98	1,94,663.18	19.47	85.88	2,26,551.24	22.66	99.95	2,09,153.45	20.91	92.28
	महुर्ली घाट (कोइलवर 1 से 5)	25.10	1,22,515.50	12.25	48.81	1,71,509.21	17.15	68.33	1,71,519.08	17.15	68.33	1,96,145.14	19.61	78.14	2,11,540.09	21.15	84.28	2,11,869.97	21.19	84.41
कुल क्षेत्रफल				**93.35**			**99.29**			**99.38**			**98.74**			**111.29**			**108.88**	

		समन्वय के अनुसार घाटों का क्षेत्र (हे0)	अनुमोदित सीमा के अंदर खनन किया गया वास्तविक क्षेत्र	खनन क्षेत्र (हे0)	खनन किया गया क्षेत्र का प्रतिशत	आवंटित सीमा के अंदर किया गया खनन क्षेत्र (वर्ग मीटर)	खनन किया गया क्षेत्र (हे0)	खनन किया गया क्षेत्र का प्रतिशत	आवंटित सीमा के अंदर किया गया खनन क्षेत्र (वर्ग मीटर)	खनन किया गया क्षेत्र (हे0)	खनन किया गया क्षेत्र का प्रतिशत	आवंटित सीमा के अंदर किया गया खनन क्षेत्र (वर्ग मीटर)	खनन किया गया क्षेत्र (हे0)	खनन किया गया क्षेत्र का प्रतिशत	आवंटित सीमा के अंदर किया गया खनन क्षेत्र (वर्ग मीटर)	खनन किया गया क्षेत्र (हे0)	खनन किया गया क्षेत्र का प्रतिशत	आवंटित सीमा के अंदर किया गया खनन क्षेत्र (वर्ग मीटर)	खनन किया गया क्षेत्र (हे0)	खनन किया गया क्षेत्र का प्रतिशत
			04-11-2018			20-02-2019			01-06-2019			23 & 11-11-2019			27-01-2020			15-03-2020		
अभिरूचि क्षेत्र -II (घाट 2 एवं 3)	चिलहॉस घाट	12.18	0.00	0.00	0.00	10,073.11	1.01	8.27	24,906.40	2.49	20.45	0.00	0.00	0.00	41,966.01	4.20	34.45	5,375.68	0.54	4.41
	काव घाट ए से डी	19.21	69,136.77	6.91	35.99	97,230.86	9.72	50.61	1,17,876.36	11.79	61.36	22,909.24	2.29	11.93	53,852.39	5.38	28.03	79,302.42	7.93	41.28
	निसरपुरा घाट ए से डी	20.08	0.00	0.00	0.00	10,073.70	1.01	5.02	35,434.78	3.54	17.65	2,734.48	0.27	1.36	4203.65	0.42	2.09	1,40,416.10	14.04	69.93
	संदेश घाट	8.33	3,146.87	0.31	3.78	21,507.65	2.15	25.82	10,235.08	1.02	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.79	0.19	2.31
	सरैया घाट ए, बी, डी, ई	19.98	32,284.16	3.23	16.16	82,520.11	8.25	41.31	85,391.99	8.54	42.74	17,652.13	1.77	8.84	1,04,795.30	10.48	52.45	68,270.89	6.83	34.17
	रानी तालाब	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.53	0.00	0.02	2,268.32	0.23	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जलपुरा घाट ए से ई	23.48	1,66,857.66	16.69	71.06	1,01,037.00	10.10	43.03	1,23,859.23	12.39	52.75	85,324.72	8.53	36.34	1,24,605.07	12.46	53.07	47,958.25	4.79	20.43
कुल क्षेत्रफल				**27.14**			**32.24**			**39.77**			**13.09**			**32.94**			**34.32**	
अभिरूचि क्षेत्र -III (घाट 5)	परूहर 1 से 5	25.31	0.24	0.00	0.00	3459.12	0.35	1.37	6250.29	0.63	2.47	0.00	0.00	0.00	8929.43	0.89	3.53	15981.07	1.60	6.31
	पारूहर 2 ए से ई	25.03	17643.30	1.76	7.05	79562.19	7.96	31.79	90537.49	9.05	36.18	196640.50	19.66	78.57	216777.64	21.68	86.62	202843.42	20.28	81.05
	दिहरा ए घाट 2 से 5 **	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	दिहरा बी1 से बी5 *	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल क्षेत्रफल				**1.76**			**8.30**			**9.68**			**19.66**			**22.57**			**21.88**	

* ओवरलैपिंग घाट, गलत निर्देशांक के कारण क्षेत्र सही नहीं हो सकता है
** दिहरा ए घाट 1 क्षेत्र निर्देशांक गलत हो सकता है इसलिए विश्लेषण के लिए शामिल नहीं है

परिशिष्ट–11

(संदर्भ कंडिका: 4.2)

नमूना घाटों में वास्तविक खनन क्षेत्र

चयनित समय अवधि के दौरान अभिरूचि क्षेत्रों के भीतर खनन क्षेत्र (अनुमानित) के आँकड़े

अवधि	अभिरूचि क्षेत्र-I (1,130.50 हे0)			
	अभिरूचि क्षेत्र के भीतर खनन किया गया कुल क्षेत्र	अनुमोदित घाटों में खनन क्षेत्र	अवैध खनन क्षेत्र (अनुमोदित क्षेत्र के बाहर)	अवैध खुदाई का प्रतिशत क्षेत्र
	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	
नवंबर 2018	436.62	93.35	343.27	30.36
फरवरी 2019	460.96	99.29	361.68	31.99
जून 2019	481.35	99.38	381.97	33.79
नवंबर 2019	534.20	98.74	435.46	38.52
जनवरी 2020	632.31	111.29	521.03	46.09
मार्च 2020	745.41	108.88	636.53	56.30
अभिरूचि क्षेत्र-II (2,303.23 हे0)				
अवधि	**अभिरूचि क्षेत्र के भीतर खनन किया गया कुल क्षेत्र**	**अनुमोदित घाटों में खनन क्षेत्र**	**अवैध खनन क्षेत्र (अनुमोदित क्षेत्र के बाहर)**	**अवैध खुदाई का प्रतिशत क्षेत्र**
	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	
नवंबर 2018	78.75	27.14	51.61	2.24
फरवरी 2019	158.69	32.24	126.44	5.49
जून 2019	200.39	39.77	160.61	6.97
नवंबर 2019	104.48	13.09	91.40	3.97
जनवरी 2020	167.22	32.94	134.28	5.83
मार्च 2020	181.90	34.32	147.58	6.41
अभिरूचि क्षेत्र-III (2,126.12 हे0)				
अवधि	**अभिरूचि क्षेत्र के भीतर खनन किया गया कुल क्षेत्र**	**अनुमोदित घाटों में खनन क्षेत्र**	**अवैध खनन क्षेत्र (अनुमोदित क्षेत्र के बाहर)**	**अवैध खुदाई का प्रतिशत क्षेत्र**
	हेक्टेयर	हेक्टेयर	हेक्टेयर	
नवंबर 2018	8.87	1.76	7.10	0.33
फरवरी 2019	33.36	8.30	25.05	1.18
जून 2019	60.50	9.68	50.82	2.39
नवंबर 2019	71.69	9.66	52.02	2.45
जनवरी 2020	101.63	22.57	79.06	3.72
मार्च 2020	102.65	21.88	80.77	3.80

परिशिष्ट–12

(संदर्भ कंडिका: 4.3.2)

उपग्रह चित्रों में खनन गतिविधियाँ देखी गई जहाँ बालू खनन के पट्टेदारों द्वारा शून्य निष्कर्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था

जिला का नाम	क्रं0 सं0	बालू घाट का नाम	क्षेत्र हेक्टेयर में	नदी	2018 में प्रेषण (घन फीटं)	2019 में प्रेषण (घन फीट)	2020 में प्रेषण (घन फीट)	उपग्रह दृश्य	अन्य टिप्पणियाँ
पटना	1.	आनंदपुर	12	सोन	35,07,700	0	अनुपलब्ध	2019 में उपग्रह छवियों में वाहनों/पॉकलेन आदि का आवाजाही दिखाया गया।	हालाँकि, डेटाबेस में 2019 में कुल प्रेषण शून्य दिखाया गया।
	2.	जनपारा–1	24.8	सोन	0	1,95,28,525	अनुपलब्ध	अप्रैल 2018 में उपग्रह छवियों में वाहनों/पॉकलेन आदि का आवाजाही दिखाया गया।	डेटाबेस में 2019 में पर्यावरण स्वीकृति के खिलाफ अतिरिक्त प्रेषण मिला, हालाँकि, में 2018 में कुल प्रेषण शून्य दिखाया गया।
भोजपुर	3.	चिलहौस	12	सोन	0	87,48,600	0	मार्च 2020 में उपग्रह छवियों में वाहनों/पॉकलेन आदि का आवाजाही दिखाया गया।	हालाँकि कुल प्रेषण 2020 में शून्य दिखाया गया।

परिशिष्ट–13
(संदर्भ कंडिका: 4.3.3)
बालू घाटों के पट्टेदारों द्वारा प्रतिवेदित प्रेषणों से अधिक निकासी

1. पटना

अमीराबाद गोना बालू घाट			लहलादपुर बालू घाट		निसरपुरा बालू घाट	
छवि तिथि	मार्च 2020		अप्रैल 2018		जनवरी 2019	
क्र0 सं0	बहुभुज का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	बहुभुज का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	बहुभुज का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1.	A.G. A	40.00	A	1,068	निसरपुरा विस्तार, A	6,462.00
2.	B	37.80	B	296.00	B	6,539.00
3.	C	70.50	C	300.00	C	3,961.00
4.	D	43.40	D	40.80	D	4,158.00
5.	E	51.40	E	64.50	E	8,452.00
6.	F	34.70	F	421.00	F	349.00
7.	G	969.00	G	1,407.00	**कुल**	**29,921.00**
8.	H	73.80	H	233.00		
9.	I	25.80	I	39.40		
10.	J	1,141.00	J	46.40		
11.	K	52.80	K	43.70		
12.	L	44.30	L	39.80		
13.	M	699.00	M	18.00		
14.	N	120.00	N	22.90		
15.	O	6,156.00	O	77.20		
16.	P	4,487.00	P	142.00		
17.	Q	30.30	Q	64.70		
18.	R	11.50	R	39.00		
19.	S	58.30	S	119.00		
20.	T	43.50	T	2,526.00		
21.	U	13.30	U	432.00		
22.	V	18.80	V	2,590.00		
23.	W	15.00	W	41.40		
24.	X	28.80	X	26.70		
25.	Y	18.90	Y	18.20		
26.	Z	15.90	Z	20.90		
27.	AA	10.00	AA	17.10		
28.	AB	17.00	AB	28.70		
29.	AC	17.90	AC	1,227.00		
30.	AD	23.70	AD	22.10		
31.	AE	15.20	AE	2669.00		
32.	AF	66.30	AF	24.30		
33.	AG	70.80	AG	3,737.00		
34.	AH	164.00	AH	206.00		
35.	AI	49.70	AI	33.00		
36.	AJ	10.50	AJ	85.50		

अमीराबाद गोना बालू घाट			लहलादपुर बालू घाट		निसरपुरा बालू घाट	
छवि तिथि	मार्च 2020		अप्रैल 2018		जनवरी 2019	
क्र0 सं0	बहुभुज का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	बहुभुज का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	बहुभुज का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
37.	AK	21.70	AK	1,089.00		
38.	AL	35.90	AL	34.10		
39.	AM	51.80	AM	4,272.00		
40.	AN	70.00	AN	659.00		
41.	AO	25.00	AO	5,095.00		
42.	AP	21.10	AP	28.40		
43.	AQ	22.70	AQ	25.00		
44.	AR	60.40	AR	17.00		
45.	AS	12.10	AS	422.00		
46.	AT	12.40	AT	69.10		
47.	AU	14.10	AU	70.40		
48.	AV	582.00	AV	173.00		
49.	AW	454.00	AW	45.40		
50.	AX	3,426.00	AX	33.70		
51.	AY	5,155.00	AY	186.00		
52.	AZ	6,597.00	AZ	152.00		
53.	AAA	422.00	**कुल**	**30,558.40**		
54.	AAB	3,872.00				
55.	AAC	1,261.00				
56.	AAD	345.00				
57.	AAE	3,214.00				
58.	AAF	17,378.00				
59.	AAG	21,864.00				
60.	AAH	2,614.00				
61.	AAI	58.40				
62.	AAJ	4,639.00				
63.	AAK	6,472.00				
64.	AAL	2,529.00				
65.	AAM	1,207.00				
66.	AAN	40.50				
67.	AAO	59.00				
68.	AAP	2,477.00				
69.	AAQ	7,769.00				
70.	AAR	6,742.00				
71.	AAS	5,821.00				
72.	AAT	1,653.00				
73.	AAU	59.00				
74.	AAV	3,390.00				
75.	AAW	2,705.00				
76.	AAX	2,549.00				
77.	AAY	754.00				
78.	AAZ	709.00				
79.	ABA	932.00				

अमीराबाद गोना बालू घाट			लहलादपुर बालू घाट		निसरपुरा बालू घाट	
छवि तिथि	मार्च 2020		अप्रैल 2018		जनवरी 2019	
क्र0 सं0	बहुभुज का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	बहुभुज का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	बहुभुज का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
80.	ABB	202.00				
81.	ABC	100.00				
82.	ABD	57.70				
83.	ABE	44.30				
84.	ABF	16.00				
85.	ABG	26.20				
86.	ABH	66.40				
87.	ABI	95.00				
88.	ABJ	53.40				
89.	ABK	74.60				
कुल		**1,33,577.60**				

2. रोहतास

बालू घाट का नाम– चकनाहा				
छवि तिथि	जनवरी 2019		नवंबर 2018	
क्र0 सं0	बहुभुज का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	बहुभुज का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1.	A	10,784.00	A	3,088.00
2.	B	6,117.00	B	1,744.00
3.	C	3,837.00	C	1,103.00
4.	D	13,719.00	D	2,212.00
5.	E	42,120.00	E	35.00
6.	F	2,995.00	F	34.50
7.	G	3,027.00	**कुल**	**8,216.50**
8.	H	6,564.00		
9.	I	964.00		
10.	J	26,866.00		
11.	K	10,829.00		
12.	L	15,798.00		
13.	M	11,823.00		
14.	N	16,555.00		
15.	O	14,510.00		
16.	P	3,145.00		
17.	Q	109.00		
18.	R	710.00		
19.	S	1,879.00		
20.	T	932.00		
21.	U	1,470.00		
22.	V	609.00		
कुल		**1,95,362.00**		

बालू घाट का नाम –कटार			बालू घाट का नाम – दरिहाट– 3	
जनवरी 2019			जून 2018	
क्रं0 सं0	बहुभुज का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	बहुभुज का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1.	A	8,996.00	A	7,858.00
2.	B	13,938.00	B	10,999.00
3.	C	5,868.00	C	2,986.00
4.	D	20,294.00	D	3,540.00
5.	E	8,352.00	E	3,554.00
6.	F	28,358.00	F	4,036.00
7.	G	47,219.00	G	4,022.00
8.	H	1,353.00	H	2,538.00
9.	I	7,806.00	I	8,405.00
10.	K	7,892.00	J	6,849.00
11.	L	9,228.00	K	4,706.00
12.	M	13,148.00	L	923.00
13.	N	21,634.00	M	1,621.00
14.	O	11,091.00	N	1,337.00
15.	P	1,530.00	O	1,317.00
16.	Q	8,169.00	P	113.00
17.	R	18,315.00	Q	61.20
18.	S	25,447.00	R	72.80
19.	T	14,179.00	S	99.40
20.	U	1,900.00	**कुल**	**65,037.40**
21.	V	5,063.00		
22.	W	8,534.00		
23.	X	4,851.00		
24.	Y	3,008.00		
25.	Z	4,417.00		
26.	AA	3,538.00		
27.	AB	3,653.00		
28.	AC	3,605.00		
29.	AD	1,335.00		
30.	AE	772.00		
31.	AF	1,087.00		
कुल		**3,14,580.00**		

परिशिष्ट–14

(संदर्भ कंडिकाः 4.5)

अवास्तविक वाहनों द्वारा खनिजों का परिवहन

अवास्तविक वाहन–जिलावार (नवम्बर 2017 – जुलाई 2021)

जिला	ई–चालान की संख्या	भार की सीमा	वहनों की संख्या	खनिज भार (मी०ट० में)
औरंगाबाद	11,363	1.82-39.94	3,060	1,38,840.47
बांका	13,814	4-36	3,129	2,10,990.58
भागलपुर	284	4-18	105	1,378.00
भोजपुर	33,103	4-36	8,543	4,38,511.62
गया	38,878	0.16-41.58	7,753	2,82,284.87
कैमूर (भभुआ)	424	4-20	111	1,712.00
नालंदा	2,550	4-28	1,140	19,018.00
नवादा	33,068	0.14-41.44	8,122	2,97,048.83
पटना	95,268	0.16-36	15,048	5,83,151.18
रोहतास	4,520	4-36	1,660	51,762.89
सारण	1,160	4-36	742	13,858.00
शेखपुरा	7,883	0.39-52.21	2,534	2,27,655.88
वैशाली	1,496	4-28	404	11,614.25
कुल योग	**2,43,811**	**-**	**52,351***	**22,77,826.57**

* 52,351 वाहनों में, 46,935 वाहनों की निबंधन संख्याएँ अलग है।

नोटः प्रतिवेदन, खनन दल द्वारा अपनाई गई पद्धतियों के अनुसार परियोजना निगरानी इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए डेटाबेस के आधार पर तैयार किया गया है।

परिशिष्ट–15
(संदर्भ कंडिका: 4.7)
कार्य प्रमण्डलों में नकली ई–चालान उपयोग किये गये

क्रं0 संख्या	प्रमण्डल का नाम	प्रमण्डल द्वारा प्रस्तुत कुल ई–चालान	प्रस्तुत कुल ई –चालान में खनिज की मात्रा (घन फीट)	अमान्य ई–चालान की संख्या	अमान्य ई–चालान की मात्रा प्रकार (घन फीट)	लघु खनिज का प्रकार	अमान्य ई–चालान में शामिल रॉयल्टी (₹ लाख में)[3]	टिप्पणियाँ
1.	सड़क निर्माण प्रमण्डल, बिहार शरीफ, नांलदा	7,820	3,79,706	705	4,18,206	बालू/ पत्थर / पत्थर की घूल	10-39	
2.	बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बिहार शरीफ, नालंदा	15	9,000	15	9,000	बालू	0-13	
3.	ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, हरनौत, नालंदा	109	--	31	15,815	पत्थर	0.45	31 ई–चालान जाँच में सहीं पाये गये परन्तु यू0आई0डी0 संख्या मेल नहीं खाते थे।
4.	सिंचाई प्रमण्डल, कैमूर	360	1,80,000	360	1,80,000	बालू	2.56	
5.	सड़क निर्माण प्रमण्डल, कैमूर	1,595	11,16,500	1,595	11,16,500	पत्थर	31.6	
6.	सोन उच्च स्तर प्रमण्डल, कैमूर	715	--	0	--		0	140 ई–चालान में कार्य प्रमण्डल में प्रयुक्त वाहन में हल्के मोटर (मोटर साइकिल, ऑटो, पिकअप स्कॉर्पियो, ट्रैक्टर, आदि) के नंबर है।
7.	सड़क निर्माण प्रमण्डल, पटना पश्चिमी	5,384	6,90,867	2,721	15,03,765	पत्थर	42.55	
8.	पुनपुन वाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, पटना	5,679	28,39,500	5,679	28,39,500	बालू	40.32	

[3] बालू ₹1.42 प्रति घन फीट की दर से और पत्थर ₹ 2.83 प्रति घन फीट की दर से।

क्रं0 संख्या	प्रमण्डल का नाम	प्रमण्डल द्वारा प्रस्तुत कुल ई–चालान	प्रस्तुत कुल ई –चालान में खनिज की मात्रा (घन फीट)	अमान्य ई–चालान की संख्या	अमान्य ई–चालान की मात्रा प्रकार (घन फीट)	लघु खनिज का प्रकार	अमान्य ई–चालान में शामिल रॉयल्टी (₹ लाख में)[3]	टिप्पणियाँ
9.	गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, पटना	390	--	16	4,450	बालू	0.06	
10.	सड़क निर्माण प्रमण्डल, शहावाद, भोजपुर	393	2,58,720	393	2,58,720	पत्थर	7.32	
11.	सोन उच्च स्तर नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद	3,735	19,97,119	3,735	19,97,119	बालू/ पत्थर	35.06	
12.	सड़क निर्माण प्रमण्डल, शेखपुरा	333	1,99,800	333	1,99,800	पत्थर	5.67	
13.	भवन निर्माण प्रमण्डल, शेखपुरा	1,067	--	13	1,300	बालू	0.02	
14.	सड़क निर्माण प्रमण्डल, छपरा	49	19,600	49	19,600	पत्थर	0.55	
15.	नया राजधानी प्रमण्डल, सड़क निर्माण विभाग, पटना	3,967	26,27,450	3,967	26,26,350	पत्थर	74.32	
16.	सड़क निर्माण प्रमण्डल, डेहरी ऑनसोन, रोहतास	1,580	7,95,686	1,580	7,95,686	पत्थर	22.52	
कुल		**33,191**	**1,11,13,948**	**21,192**	**1,19,85,811**		**273.52**	

परिशिष्ट–16

(संदर्भ कंडिका: 4.8)

प्रपत्र एम एवं एन के अनियमित/अवैध सत्यापन के कारण राजस्व की हानि

(राशि ₹ में)

कार्य प्रमण्डल का नाम	जिला खनन कार्यालय का नाम जिनसे एम एवं एन सत्यापित किया गया	खनिजों का नाम	खनिजों की मात्रा (घन मीटर)	देय रॉयल्टी	टिप्पणियाँ
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हरनौत, नालंदा	जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा	स्टोन एग्रीगेट	11,800.00	11,80,000	संबंधित जिला खनन कार्यालयों के अभिलेख में पत्र नहीं पाया गया।
	भागलपुर	स्टोन एग्रीगेट/ धूल/ चिप्स/ मेटल/स्क्रीनिंग	4,454.75	4,40,255	
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिहारशरीफ, नालंदा	शेखपुरा	स्टोन मेटल/चिप्स, जी0एस0बी0 एवं स्क्रीनिंग	2,490.14	2,49,014	
भवन प्रमण्डल, भागलपुर	भागलपुर	स्टोन मेटल/चिप्स, बालू	38,000.00	34,35,000	
		ईट	25,20,000.00	73,080	
सड़क निर्माण प्रमण्डल, भागलपुर	भागलपुर	बालू/पत्थर/ वोल्डर	99,057.42	97,01,119	
सड़क निर्माण प्रमण्डल, भागलपुर	उप प्रमण्डलीय, भूमि एवं भूमि–सुधार पदाधिकारी, सुरीसदार, वीरभूम, पश्चिम बंगाल सरकार	पत्थर	1,41,586.58	2,03,96,412	एस0ओ0पी0 के अनुसार सत्यापन के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
लघु सिचाई प्रमण्डल, भागलपुर	उप प्रमण्डलीय, भूमि एवं भूमि–सुधार पदाधिकारी, सुरीसदर, वीरभूम, पश्चिम बंगाल सरकार	स्टोन बोल्डर्स	13,900.00	20,85,000	
राष्ट्रीय उच्चपथ प्रमण्डल, भागलपुर	उप प्रमण्डलीय भूमि एवं भूमि–सुधार पदाधिकारी, सुरीसदर, वीरभूम, पश्चिम बंगाल सरकार	काला पत्थर	1,63,034.07	1,63,03,407	एस0ओ0पी0 के अनुसार सत्यापन के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
	भागलपुर	पत्थर, बालू	20,832.10	20,03,910	संबंधित जिला खनन कार्यालयों के अभिलेख में पत्र नहीं पाया गया।
	नवादा	पत्थर	20,939.00	20,93,900	
कुल				**5,79,61,097**	

परिशिष्ट–17

(संदर्भ कंडिकाः 5.1)

जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	जिला खनन कार्यालय का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या (खाता का प्रकार)	जिला खनन फाउण्डेशन निधि में उपलब्ध कुल राशि	खर्च / उपयोग की गई राशि	31.03.2021 को शेष	लेखापरीक्षा तिथि तक जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का शेष
1.	औरंगाबाद	एस.बी.आई.	38003587505(SB)	13,04,16,657	0	12,42,28,334	13,04,16,657
2.	बांका	एस.बी.आई.	38024291933(SB)	6,15,19,559	65,00,000	4,77,54,478	5,50,19,559
				1,61,21,264		1,61,21,264	1,61,21,264
3.	भागलपुर	पी.एन.बी.	196600100115644(SB)	12,19,107	0	11,93,871	12,19,107
		बैंक ऑफ बड़ोदा	10010100005215	29,63,090		29,63,090	29,63,090
4.	भोजपुर	एस.बी.आई.	37975902406(SB)	9,53,38,559	4,91,385	8,86,61,911	9,48,47,174
		पी.एन.बी.	0022000103434856	6,96,77,969		6,96,77,969	6,96,77,969
5.	गया	एस.बी.आई.	37979116601(SB)	10,64,50,352	4,31,20,855	6,26,22,441	6,33,29,497
6.	कैमूर	पी.एन.बी.	2696000100268695(CA)	32,53,383	13,24,815	18,62,884	19,28,568
7.	नालंदा	एस.बी.आई.	37957561975(SB)	97,32,042	17,50,367	78,30,270	79,81,675
8.	नवादा	एस.बी.आई.	37713383762(SB)	5,00,05,884	0	4,40,23,808	5,00,05,884
9.	पटना	एच.डी.एफ.सी. बैंक	50100238975831(SB)	11,03,48,033	1,60,22,452	8,95,61,172	9,43,25,581
10.	रोहतास	एस.बी.आई.	37912612018(SB)	20,11,85,208	1,57,19,678	17,59,07,458	18,54,65,530
11.	सारण	एस.बी.आई.	37914882356(SB)	1,09,17,912	65,68,631	39,47,170	43,49,281
12.	शेखपुरा	एस.बी.आई.	37910833661(SB)	4,28,94,625	38,59,354	3,74,35,290	3,90,35,271
13.	सीवान	एस.बी.आई.	37964711823(CA)	11,37,632	2,63,340	7,14,511	8,74,292
14.	वैशाली	एस.बी.आई.	38071632447(SB)	41,09,875	0	31,75,191	41,09,875
				12,85,606		12,85,606	12,85,606
कुल				**91,85,76,757**	**9,56,20,877**	**77,89,66,718**	**82,29,55,880**

परिशिष्ट–18

(संदर्भ कंडिका: 5.2)

कोविड–19 महामारी के प्रसार के रोकने के संबंध में परीक्षण, जाँच और अन्य उपकरणों की क्रय/स्थापना के लिए जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का उपयोग न होना

(राशि ₹ में)

जिला खनन कार्यालय का नाम	जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का दिनांक 31.03.2021 को शेष राशि	जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का कोविड–19 महामारी के लिए खर्च के लिए उपलब्ध राशि	कोविड–19 महामारी पर खर्च की गई राशि	कोविड–19 महामारी के लिए जिला खनिज फाउण्डेशन की राशि का नहीं/कम उपयोग	टिप्पणियाँ
औरंगाबाद	12,42,28,334.50	3,72,68,500.40	शून्य	3,72,68,500.40	दिनांक 31.03.2021 को
बांका	4,77,54,478.50	1,43,26,343.50	शून्य	1,43,26,343.50	दिनांक 31.03.2021 को
भागलपुर	41,56,961.00	12,47,088.30	शून्य	12,47,088.30	दिनांक 31.03.2021 को
भोजपुर	8,86,61,911.50	2,65,98,573.50	4,91,385.00	2,61,07,188.50	जिला अस्पताल, भोजपुर के ओ0पी0डी0 वार्ड में कोबिड–19 रोगी के लिए ऑक्सीजन पाइपलाईन स्थापित करने में खर्च किया गया।
गया	6,26,22,441.50	1,87,86,732.50	36,58,645.00	1,51,28,087.50	दिनांक 31.03.2021 को
कैमूर	18,62,884.00	5,58,865.20	शून्य	5,58,865.20	दिनांक 31.03.2021 को
नालंदा	78,30,270.20	23,49,081.06	शून्य	23,49,081.06	दिनांक 31.03.2021 को
नवादा	4,40,23,808.00	1,32,07,142.40	शून्य	1,32,07,142.40	दिनांक 31.03.2021 को
पटना	8,95,61,172.30	2,68,68,351.70	शून्य	2,68,68,351.70	दिनांक 31.03.2021 को
रोहतास	17,59,07,458.50	5,27,72,237.60	शून्य	5,27,72,237.60	दिनांक 31.03.2021 को
सारण	39,47,170.50	11,84,151.15	शून्य	11,84,151.15	दिनांक 31.03.2021 को
शेखपुरा	3,74,35,290.80	1,12,30,587.00	4,91,400.00	1,07,39,187.00	सात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पृथक अल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनल के स्थापना पर खर्च किया गया।
सीवान	7,14,511.00	2,14,353.30	2,63,340.00	0	सदर अस्पताल सीवान में कोविड़ रोगी के जाँच एवं स्क्रीनिंग के लिए दो कियोस्क।
वैशाली	31,75,191.00	9,52,557.30	शून्य	9,52,557.30	दिनांक 31.03.2021 को
कुल	**69,18,81,883.30**	**20,75,64,564.91**	**49,04,770.00**	**20,27,08,781.61**	

परिशिष्ट–19

(संदर्भ कंडिका: 5.6)

बालू/पत्थर पट्टाधारकों से जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की कम वसूली होना

(राशि ₹ में)

जिला खनन कार्यालय का नाम	खनिज का नाम	पट्टे और पट्टेदार का नाम	बंदोबस्त राशि	किश्त की संख्या/ भुगतान की देय तिथि	किश्त की राशि	वसूली योग्य जिला खनिज फाउण्डेशन निधि	भुगतान किया गया जिला खनिज फाउण्डेशन निधि	देय जिला खनिज फाउण्डेशन निधि
शेखपुरा	पत्थर	ब्लॉक सं0–04, एरिना फूड एंड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	29,00,00,000	तीसरा/31.01.2019	5,80,00,000	11,60,000	शून्य	11,60,000
				चौथा/31.01.2020	5,80,00,000	11,60,000	शून्य	11,60,000
				पाँचवां/31.01.2021	5,80,00,000	11,60,000	शून्य	11,60,000
नवादा	पत्थर	भधोखरा ब्लॉक –2, वाल्मीकी प्रसाद, जिला –नवादा	4,60,00,000	पाँचवां /31.01.2020	92,00,000	1,84,000	शून्य	1,84,000
		रजौली ब्लॉक – 4, कत्यायनी कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा0 लिमिटेड	6,60,00,000	दूसरा/31.01.2018	1,32,00,000	2,64,000	शून्य	2,64,000
				तीसरा/31.01.2019	1,32,00,000	2,64,000	शून्य	2,64,000
				चौथा/31.01.2020	1,32,00,000	2,64,000	शून्य	2,64,000
				पाँचवां /31.01.2021	1,32,00,000	2,64,000	शून्य	2,64,000
		रजौली ब्लॉक–6 बीएससीपीएल लिमिटेड	5,76,00,000	चौथा/31.01.2020	1,15,20,000	2,30,400	शून्य	2,30,400
				पाँचवां/31.01.2021	1,15,20,000	2,30,400	शून्य	2,30,400
औरंगाबाद	बालू	मे0 आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड	(जनवरी से मार्च 2021 के लिए)	दूसरा/31.01.2021	19,15,70,160	38,31,403	36,63,915	1,67,488
रोहतास	बालू	आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड	1,79,87,19,876 (जनवरी से अक्टूबर 2020 के लिए)	तीसरा/29.02.2020	42,46,20,405	84,92,408	8,07,640	76,84,768
बांका	बालू	एमएस महादेव एन्क्लेव प्रा0 लिमिटेड	60,21,91,627 (कोविड अवधि के 43 दिनों के लिए अनुपातिक राशि को समायोजित करने के बाद)	वर्ष 2020 के लिए (जनवरी से दिसम्बर तक)	--	1,20,43,833	63,57,504	56,86,329
कुल योग्य								**1,87,19,385**

परिशिष्ट–20

(संदर्भ कंडिकाः 5.6)

ईंट भट्ठेदारों से जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की वसूली नहीं होना

(राशि ₹ में)

जिला खनन कार्यालय	वर्ष	कुल संचालित ईंट भट्ठें	रॉयल्टी भुगतान किए ईंट भट्ठों की संख्या	ईंट भट्ठों द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी की राशि	जिला खनिज फाउण्डेशन निधि वसूलनीय	भुगतान की गई जिला खनिज फाउण्डेशन निधि	जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की वसूली में कमी
सारण	2017-18	323	268	2,10,40,675	4,20,814.00	0	4,20,814.00
	2018-19	327	310	2,41,90,965	4,83,819.00	1,61,722	3,22,097.00
	2019-20	305	268	3,08,82,648	6,17,654.00	4,99,270	1,18,384.00
	2020-21	325	268	3,68,46,526	7,36,931.00	2,21,125	5,15,806.00
पटना	2017-18	311	228	2,02,35,091	4,04,701.82	0	4,04,701.82
	2018-19	344	287	2,66,03,971	5,32,079.42	5,29,770	2,309.42
	2019-20	344	278	4,08,79,197	8,17,583.94	7,86,937	30,646.94
	2020-21	367	63	1,56,36,550	3,12,731.00	0	3,12,731.00
शेखपुरा	2017-18	46	37	26,82,500	53,650.00	0	53,650.00
भागलपुर	2017-18	153	138	1,03,21,726	2,00,915.00	63,950	1,36,965.00
सीवान	2017-18	193	188	1,39,95,281	2,79,906.00	0	2,79,906.00
	2018-19	223	204	1,47,81,530	2,95,631.00	25,640	2,69,991.00
	2019-20	243	180	1,84,21,375	3,68,428.00	2,77,607	90,821.00
	2020-21	223	179	2,22,95,120	4,45,902.00	3,45,728	1,00,174.00
नालन्दा	2017-18	280	182	1,42,32,588	2,84,652.00	7,580	2,77,072.00
	2018-19	273	183	1,43,37,504	2,86,750.00	2,88,359	0.00
	2019-20	239	200	2,82,78,740	5,65,575.00	5,50,254	15,320.00
	2020-21	247	202	2,60,39,000	5,20,780.00	4,88,628	32,152.00

(राशि ₹ में)

जिला खनन कार्यालय	वर्ष	कुल संचालित ईंट भट्ठें	रॉयल्टी भुगतान किए ईंट भट्ठों की संख्या	ईंट भट्ठों द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी की राशि	जिला खनिज फाउण्डेशन निधि वसूलनीय	भुगतान की गई जिला खनिज फाउण्डेशन निधि	जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की वसूली में कमी
कैमूर	2017-18	156	144	1,10,35,092	2,19,084.00	0	2,19,084.00
	2018-19	147	141	1,06,80,544	96,694.00	0	96,694.00
	2019-20	132	127	2,82,78,740	2,01,000.00	1,79,902	21,098.00
	2020-21	132	120	2,60,39,000	36,413.00	15,450	20,963.00
औरंगाबाद	2017-18	215	153	1,08,89,975	2,17,799.00	0	2,17,799.00
	2018-19	228	172	1,22,72,370	2,45,447.00	2,23,540	21,907.00
	2019-20	221	145	1,59,94,376	3,19,887.00	0	3,19,887.00
	2020-21	223	146	1,74,29,375	3,48,587.00	3,38,185	10,402.00
बांका	2017-18	07	07	5,07,500	10,150.00	0	10,150.00
	2018-19	09	09	6,52,500	13,050.00	11,600	1,450.00
	2019-20	07	07	5,07,500	10,150.00	7,250	2,900.00
वैशाली	2017-18	274	245	1,90,06,500	3,80,129.00	0	3,80,129.00
	2018-19	269	244	1,66,12,229	79,695.00	0	79,695.00
	2019-20	262	203	2,59,14,051	5,18,280.00	4,600	5,13,680.00
	2020-21	263	247	3,04,90,183	6,09,803.00	1,09,978	4,99,825.00
नवादा	2017-18	240	118	85,55,000	1,71,000.00	0	1,78,000.00
	2018-19	240	148	1,07,30,000	2,15,000.00	1,41,000	74,000.00
	2019-20	235	125	1,40,94,000	2,82,000.00	1,45,000	1,37,000.00
कुल योग							**61,88,204.18**

परिशिष्ट–21

(संदर्भ कंडिका: 5.7)

बालू के अधिक निष्कर्षण के लिए प्रभारित रॉयल्टी पर जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का आरोपण न होना

(राशि ₹ में)

जिला खनन कार्यालय का नाम	वर्ष	निकाली गई बालू की अधिक मात्रा (घन फीट)	प्रभारित अतिरिक्त रॉयल्टी	आरोप्य जिला खनिज फाउण्डेशन निधि (2 प्रतिशत की दर से)	जमा की गई जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की राशि	वसूल किये जाने वाली जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की राशि
नवादा	2017	1,00,61,052	1,42,86,694.00	2,85,734.00	00	2,85,734.00
	2018	1,43,92,402	2,04,37,211.00	4,08,744.00	00	4,08,744.00
	2019	47,91,967	68,04,593.00	1,36,092.00	00	1,36,092.00
पटना	2017	2,59,77,925	3,68,88,654.00	7,37,773.00	00	7,37,773.00
	2018	46,68,862	66,29,784.00	1,32,596.00	00	1,32,596.00
	2019	1,46,21,779	2,07,62,927.00	4,15,259.00	00	4,15,259.00
कुल						**21,16,198.00**

परिशिष्ट–22

(संदर्भ कंडिका: 5.8)

बालू घाटों एवं पत्थर खदानों के पट्टेदारों से जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का आरोपण न होना

(राशि ₹ में)

जिला खनन कार्यालय का नाम	खनिज का नाम	बंदोबस्त राशि	किश्त की राशि	वसूल किये जाने वाली जिला खनिज फाउण्डेशन निधि	भुगतान किए गए जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की राशि	दिनों में विलम्ब	जिला खनिज फाउण्डेशन निधि के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज
औरंगाबाद	पत्थर	32,10,00,000	12,84,00,000	25,68,000	25,84,000	156-340	4,02,759
औरंगाबाद	बालू	5,65,92,87,233	4,16,92,97,116	8,33,85,945	8,32,18,470	9-249	35,83,795
भोजपुर	बालू	3,71,40,44,348	1,41,00,36,140	2,82,00,720	2,82,00,724	1-181	17,86,484
नवादा	पत्थर	1,02,21,50,000	59,55,34,488	1,31,21,000	1,31,21,000	1-965	27,57,568
नवादा	बालू	37,77,29,454	20,96,17,018	41,92,341	41,92,341	2-60	68,179
गया	बालू	65,49,73,545	44,03,63,803	88,07,276	88,07,276	19-124	4,51,835
कैमूर	बालू	10,21,05,802	10,21,05,803	20,42,115	20,42,192	51-443	3,09,893
नालन्दा	बालू	31,07,74,464	29,12,28,093	62,15,490	62,15,490	9-154	2,53,039
पटना	बालू	3,44,07,00,708	1,49,28,00,663	2,86,48,043	2,86,48,044	1-182	16,95,942
रोहतास	बालू	5,79,01,51,664	3,99,14,31,794	7,98,28,637	7,98,28,653	4-169	24,04,482
सारण	बालू	17,21,13,790	8,19,37,769	16,38,755	16,38,717	23-218	1,19,384
शेखपुरा	पत्थर	1,55,94,00,000	1,11,85,80,000	2,23,71,600	1,86,01,600	1-881	27,76,742
वैशाली	बालू	7,73,81,231	6,25,43,926	12,50,880	12,48,992	1-431	91,335
कुल योग		**23,20,18,12,239**	**14,09,38,76,613**	**28,22,70,802**	**27,83,47,499**	**1-965**	**1,67,01,437**

परिशिष्ट–23

(संदर्भ कंडिका: 5.10)

साधारण मिट्टी के उपयोग के लिए रॉयल्टी, मालिकाना शुल्क और जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की नहीं/कम वसूली होना

(राशि ₹ में)

जिला खनन कार्यालय का नाम	भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी	भुगतान की गयी रॉयल्टी	रॉयल्टी के समतुल्य जुर्माना लगाया जाना लागू नहीं	आरोप्य प्रभुत्व शुल्क (10 प्रतिशत की दर से)	भुगतान किया गया प्रभुत्व शुल्क	आरोप्य जिला खनिज फाउण्डेशन निधि (दो प्रतिशत की दर से)	भुगतान की गई जिला खनिज फाउण्डेशन निधि	कुल बकाया राशि
औरंगाबाद	2,96,52,140	2,96,52,140	लागू नहीं	2,39,800	शून्य	5,93,043	शून्य	8,32,843
भोजपुर	75,00,000	75,00,000	लागू नहीं	7,50,000	शून्य	1,50,000	शून्य	9,00,000
छपरा	74,81,400	74,81,400	69,71,400	51,000	शून्य	1,49,628	शून्य	71,72,028
कैमूर	1,63,85,000	1,63,85,000	1,63,85,000	लागू नहीं	लागू नहीं	3,27,700	शून्य	1,67,12,700
नालन्दा	95,32,000	95,32,000	95,32,000	लागू नहीं	लागू नहीं	1,90,640	शून्य	97,22,640
पटना	3,66,61,111	3,35,71,440	लागू नहीं	36,66,111	21,69,420	7,33,222	शून्य	53,19,584
वैशाली	50,00,000	50,00,000	50,00,000	लागू नहीं	लागू नहीं	1,00,000	शून्य	51,00,000
कुल	**11,22,11,651**	**10,91,21,980**	**3,78,88,400**	**47,06,911**	**21,69,420**	**22,44,233**	शून्य	**4,57,59,795**

परिशिष्ट–24

(संदर्भ कंडिकाः 6.1)

अवैध खनन रोकने के दिशानिर्देशों का पालन नहीं

2017–18 से 2020–21 के दौरान खनिजों के अवैध खनन की रोकथाम जिला का नाम	किए गए छापे की संख्या	प्रतिवेदित किए गए ओवरलोडिंग मामलों की संख्या	जब्ती किये गये वाहनों की संख्या	दर्ज कराए गए प्राथमिकी की संख्या	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की संख्या	वसूल की गई राशि (लाख में)	आयोजित की जाने वाली बैठकों की संख्या	आयोजित की गई बैठकों की संख्या	अभ्युक्ति
पटना	2,945	2,627 (वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20)	3,706	424	728	752.45	48	12	2017–18 से 2019–20 के दौरान 04 संयुक्त निरीक्षण किया गया।
शेखपुरा	938	398	576	36	0	123.45	48	05	05 संयुक्त निरीक्षण किया गया।
भोजपुर	1,556	--	3,231	186	530	775.75	48	13	केवल 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान।
रोहतास	5,211	1,661 केवल 2017–18 में	5,884	378	154	1,768.35	48	10	-
नालन्दा	2,437	1,785	3,129	506	251	533.10	48	07	संयुक्त निरीक्षण नहीं।
कैमूर	1,961	4,360	6,505	201	225	2,019.81	48	31	38 संयुक्त निरीक्षण।
सीवान	1,888	1,580	1,555	41	12	379.50	48	04	संयुक्त निरीक्षण नहीं।
भागलपुर	1,305	2,426	2,426	34	28	1,021.30	48	09	संयुक्त निरीक्षण नहीं।
औरंगाबाद	2,188	1,539	3,386	223	186	868.39	48	30	9,56,480 घन फीट बालू एवं 80,834 घन फीट पत्थर जबत।
बांका	2,354	985	2,456	828	539	939.50	48	19	1,13,830 घन फीट बालू एवं 17,700 घन फीट पत्थर जब्त।
वैशाली	931	894	1,092	156	146	236.02	48	06	2,56,675 घन फीट बालू एवं 47,900 घन फीट पत्थर जब्त।
नवादा	1,595	--	1,669	333	242	370.23	48	04	-
गया	5,333	--	3,300	935	492	652.68	48	04	-
सारण	1,784	32 ओवरलोडेड तथा 18 अयोग्य/अनिवंधित	2,374	327	890	889.89	48	21	15,78,150 बालू/पत्थर जब्त।
कुल योग	**32,426**	**18,287**	**41,289**	**4,608**	**4,423**	**11,330.42**	**672**	**175**	

परिशिष्ट–25

(संदर्भ कंडिकाः 6.2)

अवैध खनिजों के परिवहन में शामिल जब्त वाहनों के संदर्भ में जिला परिवहन कार्यालयों और जिला खनन कार्यालयों के मध्य समन्वय न होने के कारण रॉयल्टी की हानि

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	जिला का नाम	अवधि	जब्त किए गए वाहनों की संख्या	नमूना जाँच किए गए वाहनों की संख्या	आपत्ति किए गए वाहनों की संख्या	जुर्माने की राशि	शामिल रॉयल्टी	खनिज का मूल्य	कुल राजस्व की हानि
1.	जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद	5/2017 से 3/2019	800	125	125	12,50, 000	3,39,347	15,34,261	3,123,608
2.	जिला खनन कार्यालय, बांका	4/2017 से 2/2020	792	87	87	8,70,000	2,50,085	7,39,220	18,59,305
3.	जिला खनन कार्यालय, गया	4/2017 से 3/2019	495	118	118	11,80,000	2,18,119	8,76,677	22,74,796
4.	जिला खनन कार्यालय, नवादा	4/2017 से 2/2020	650	59	59	5,90,000	1,44,884	4,05,368	11,40,252
5.	जिला खनन कार्यालय, सारण	11/2017 से 4/2019	797	410	410	41,00,000	6,99,568	30,17,935	78,17,503
6.	जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा	6/2018 से 1/2019	60	17	17	1,70,000	29,377	86,362	2,85,739
7.	जिला खनन कार्यालय, नालन्दा	11/2017 से 2/2020	365	144	144	14,40,000	94,761	4,41,141	19,75,902
8.	जिला खनन कार्यालय, सीवान	8/2018 से 2/2020	730	290	290	29,00,000	1,29,572	7,71,711	38,01,283
9.	जिला खनन कार्यालय, कैमूर	12/2018 से 12/2019	745	201	201	20,10,000	2,08,740	9,80,026	31,98,766
10.	जिला खनन कार्यालय, भागलपुर	11/2017 से 12/2019	1121	474	474	47,40,000	3,75,420	17,33,902	68,49,322
11.	जिला खनन कार्यालय, पटना	4/2017 से 3/2019	1102	399	399	39,90,000	4,85,905	24,29,523	69,05,428
12.	जिला खनन कार्यालय, रोहतास	4/2017 से 12/2019	346	29	29	2,90,000	51,200	2,56,000	5,97,200
13.	जिला खनन कार्यालय, भोजपुर	12/2018 से 02/2020	80	26	26	2,60,000	13,369	54,475	3,27,844
14.	जिला खनन कार्यालय, वैशाली	03/2019 से 01/2020	400	103	103	10,30,000	1,72,807	6,80,562	18,83,369
कुल			**8,483**	**2,482**	**2,482**	**2,48,20,000**	**32,13,154**	**1,40,07,163**	**4,20,40,317**

परिशिष्ट–26

(संदर्भ कंडिका: 6.3)

कृषि प्रयोजनों के लिए पंजीकृत ट्रैक्टरों द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों में अवैध उपयोग के कारण हानि

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	जिला का नाम	अवधि	शामिल वाहनों की संख्या	निर्गत ई–चालान की संख्या	व्यवसायिक गतिविधि के लिए एकमुश्त कर की हानि	परमिट शुल्क की हानि	राजस्व की कुल हानि
1.	जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद	01/2018 से 03/2020 तक	629	17,556	1,38,29,540	51,57,800	1,89,87,340
2.	जिला खनन कार्यालय, बांका	01/2018 से 03/2020 तक	323	7,528	61,29,473	26,48,600	87,78,073
3.	जिला खनन कार्यालय, भागलपुर	01/2018 से 03/2020 तक	51	858	9,20,034	4,18,200	13,38,234
4.	जिला खनन कार्यालय, भोजपुर	01/2018 से 03/2020 तक	446	7,632	81,61,556	36,57,200	1,18,18,756
5.	जिला खनन कार्यालय, गया	01/2018 से 03/2020 तक	1,512	1,44,391	2,80,83,966	1,23,98,400	4,04,82,366
6.	जिला खनन कार्यालय, कैमूर	01/2018 से 03/2020 तक	271	3,123	40,85,723	22,22,200	63,07,923
7.	जिला खनन कार्यालय, नालन्दा	01/2018 से 03/2020 तक	52	1,529	8,46,814	4,26,400	12,73,214
8.	जिला खनन कार्यालय, नवादा	01/2018 से 03/2020 तक	222	12,187	38,38,735	18,20,400	56,59,135
9.	जिला खनन कार्यालय, पटना	01/2018 से 03/2020 तक	57	1,482	13,06,803	4,67,400	17,74,203
10.	जिला खनन कार्यालय, रोहतास	01/2018 से 03/2020 तक	1,134	30,107	1,84,66,561	92,74,200	2,77,40,761
11.	जिला खनन कार्यालय, सारण	01/2018 से 03/2020 तक	27	100	5,15,594	2,21,400	7,36,994
12.	जिला खनन कार्यालय, सीवान	01/2018 से 03/2020 तक	3	132	33,893	24,600	58,493
13.	जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा	01/2018 से 03/2020 तक	100	884	18,68,595	8,20,000	26,88,595
14.	जिला खनन कार्यालय, वैशाली	01/2018 से 03/2020 तक	3	54	54,820	24,600	79,420
कुल योग			**4,830**	**2,27,563**	**8,81,42,107**	**3,95,81,400**	**12,77,23,507**

परिशिष्ट–27

(संदर्भ कंडिका: 6.4)

वाहन के अनुमेय सीमा से अधिक ई–चालान जारी करने के लिए पट्टेदारों को जुर्माना नहीं लगाने के कारण सरकारी राजस्व की हानि

क्र0 सं0	जिला का नाम	वाहन का प्रकार	निर्गत किए गए ई–चालानों की संख्या	शामिल वाहनों की संख्या
1.	जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद	ट्रैक्टर	2,835	789
		ट्रक	30,714	1,953
2.	जिला खनन कार्यालय, बांका	ट्रैक्टर	7,738	1,602
		ट्रक	1,59,572	4,014
3.	जिला खनन कार्यालय, भागलपुर	ट्रैक्टर	29	22
		ट्रक	476	147
4.	जिला खनन कार्यालय, भोजपुर	ट्रैक्टर	24,689	2,818
		ट्रक	3,24,328	16,502
5.	जिला खनन कार्यालय, गया	ट्रैक्टर	4,478	1,229
		ट्रक	2,02,123	8,865
6.	जिला खनन कार्यालय, नालन्दा	ट्रैक्टर	776	291
		ट्रक	32,393	2,260
7.	जिला खनन कार्यालय, नवादा	ट्रैक्टर	49,467	2,609
		ट्रक	95,684	5,065
8.	जिला खनन कार्यालय, पटना	ट्रैक्टर	13,115	2,702
		ट्रक	6,11,347	25,068
9.	जिला खनन कार्यालय, रोहतास	ट्रैक्टर	1,098	673
		ट्रक	24,693	1,631
10.	जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा	ट्रैक्टर	6,361	1,796
		ट्रक	1,02,488	4,364
11.	जिला खनन कार्यालय, वैशाली	ट्रैक्टर	132	82
		ट्रक	8,292	914
12.	जिला खनन कार्यालय, सीवान	ट्रैक्टर	0	0
		ट्रक	32	3
13.	जिला खनन कार्यालय, कैमूर	ट्रैक्टर	0	0
		ट्रक	244	37
14.	जिला खनन कार्यालय, सारण	ट्रैक्टर	0	0
		ट्रक	0	0
कुल			**17,03,104**	**85,436**

परिशिष्ट–28

(संदर्भ कंडिकाः 6.5)

अयोग्य वाहनों द्वारा खनिजों का परिवहन

क्र0 सं0	जिला खनन कार्यालय का नाम	प्रयुक्त वाहनों की संख्या	निर्गत ई–चालानों की संख्या			कुल ढुलाई किया गया खनिज			वह अवधि जिसमें अयोग्य वाहन खनिज ढोने के लिए उपयोग किया गया (दिनों में)
			बालू	पत्थर	ईंट	बालू (मीट्रीक टन)	पत्थर (मीट्रीक टन)	ईंट (मीट्रीक टन)	
1.	जिला खनन कार्यालय, गया	14,966	2,69,563	35,550	01	31,77,515	5,94,269	1,500	1 से 17,684
2.	जिला खनन कार्यालय, भागलपुर	337	4,438	17	0	18,492	260	0	1 से 7,729
3.	जिला खनन कार्यालय, भोजपुर	15,897	2,60,363	0	0	21,69,309	0	0	1 से 16,759
4.	जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद	4,683	63,541	5,389	0	4,25,516	55,752	0	1 से 9,209
5.	जिला खनन कार्यालय, कैमूर	607	6,000	0	0	24,338	0	0	1 से 3,265
6.	जिला खनन कार्यालय, नालन्दा	2,876	32,747	0	0	2,06,392	0	0	1 से 10,242
7.	जिला खनन कार्यालय, नवादा	8,228	1,89,076	7,759	90	10,31,414	1,30,110	1,01,601	1 से 12,726
8.	जिला खनन कार्यालय, पटना	21,058	7,55,459	46	1,554	48,51,619	1,192	21,91,721	1 से 21,328
9.	जिला खनन कार्यालय, रोहतास	4,906	60,773	70	0	3,57,205	272	0	1 से 7,945
10.	जिला खनन कार्यालय, सीवान	2	27	0	0	468	0	0	1,384 से 2,669
11.	जिला खनन कार्यालय, वैशाली	582	6,560	0	7	54,054	0	10,475	1 से 11,069
12.	जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा	2,601	46	30,726	0	414	5,58,691	0	1 से 11,975
13.	जिला खनन कार्यालय, बांका	4,721	77,520	0	0	9,34,390	0	0	1 से 11,990
14.	जिला खनन कार्यालय, सारण	1,526	6,475	0	0	78,264	0	0	1 से 16,685
कुल		**82,990**	**17,32,588**	**79,557**	**1,652**	**1,33,29,390**	**13,40,546**	**23,05,297**	

परिशिष्ट–29
(संदर्भ कंडिकाः 6.6)
नीलामवाद के मामलों का लंबित होना

(राशि लाख में)

जिला खनन कार्यालय	मामलों की शेष संख्या (01 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष)	राशि	दर्ज किए गए मामले	राशि	कुल मामले	कुल राशि	निष्पादित मामले	राशि	शेष मामलों की कुल संख्या (31.03.2021 को अंतिम शेष)	शेष मामलों में शामिल राशि
औरंगाबाद	1,534	1,072.09	439	732.63	1,973	1,804.72	2	5.81	1,971	1,798.91
बांका	उपलब्ध नहीं	138.62	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	138.62	उपलब्ध नहीं	1.44	उपलब्ध नहीं	137.18
भागलपुर	586	330.50	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	586	330.50	उपलब्ध नहीं	15.80	586	314.70
भोजपुर	1,335	685.32	243	4,851.86	1,578	5,537.18	25	38.95	1,553	5,498.23
गया	1,786	1,594.18	650	2,244.95	2,436	3,839.13	3	37.60	2,433	3,801.53
कैमूर	271	344.40	52	68.30	323	412.70	उपलब्ध नहीं	58.80	323	353.90
नालन्दा	2,330	1,186.68	360	969.04	2,690	2,155.72	उपलब्ध नहीं	13.31	2,690	2,142.41
नवादा	2,120	2,307.74	33	31.52	2,153	2,339.26	उपलब्ध नहीं	2.60	2,153	2,336.66
पटना	3,756	2,114.11	216	214.35	3,972	2,328.46	8	9.03	3,964	2,319.43
सारण	2,759	1,331.14	24	55.13	2,783	1,386.27	21	8.84	2,762	1,377.43
शेखपुरा	853	1,696.96	22	20.55	875	1,717.51	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	875	1,717.51
सीवान	197	175.52	102	273.23	299	448.75	उपलब्ध नहीं	3.56	299	445.19
वैशाली	790	378.14	301	352.17	1,091	730.31	उपलब्ध नहीं	30.11	1,091	700.20
कुल			**2,442**	**9,813.73**			**59**	**225.85**	**20,700**	**22,943.28**

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

WWW.CAG.GOV.IN

प्रतिवेदन डाउनलोड
करने हेतु
क्यू0 आर0
कोड स्कैन करें

www.ag.bih.nic.in